

<p>ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001, टेलि.सं.- 0124-4126285-86 फैक्स- 0124-4126261 ई-मेल- mbd@obc.co.in</p>	 <p>ओ०बी०सी०</p>	<p>Oriental Bank of Commerce (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) Merchant Banking Division, Corporate Office 1st Floor , Plot No.5, Institutional Area, Sector - 32 Gurgaon -122001 (Haryana) Tel.: 0124-4126285-86 Fax : 0124-4126261 E-mail: mbd@obc.co.in</p>
--	---	---

HO/MBD/2016

28.06.2016

General Manager,
Dept. of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Mumbai-400001


Dear Sir,

Reg. Annual Report for the Financial Year 2015-16 of the Bank

In compliance of Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2015-16 inter alia containing the Balance Sheet as at 31st March 2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts duly approved and adopted by the shareholders in the Bank's AGM held on 23.06.2016.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,


Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above



वार्षिक रिपोर्ट 2015-16
Annual Report 2015-16



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है



Oriental Bank of Commerce

(A Government of India Undertaking)

Where every individual is committed

विषय-सूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	1-4
निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	5-6
सूचना Notice	7-18
निदेशकों की रिपोर्ट Director's Report	19-23
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	24-41
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन - मार्च, 2016 PILLAR III DISCLOSURES UNDER BASEL - III -YEAR ENDED - MARCH 2016	42-91
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	92-129
तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	130-131
अनुसूची 1-18 Schedules 1-18	132-182
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	183-185
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	186-187
लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditor's Certificate	188
फार्म Forms	189-192

(क) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल,
नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1
निकट पीवीआर नारायणा, नई दिल्ली-110028

(ख) उप महाप्रबंधक
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय, दूसरी मंजिल
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया
गुडगांव-122001 (हरियाणा)
फोन : 0124-4126285 / 4176918, फैक्स : 0124-4126574
वेबसाइट : www.obcindia.co.in

(a) Registrar & Share Transfer Agent
Link Intime India Pvt. Ltd.
44, Community Centre, 2nd Floor
Naraina Industrial Area
Phase-I, Near PVR Naraina
New Delhi-110028

(b) Dy. General Manager
Merchant Banking Department
Oriental Bank of Commerce
Corporate Office, 2nd Floor
Sector - 32, Institutional Area
Gurgaon-122001 (Haryana)
Ph: 0124-4126285 / 4176918
Fax: 0124-4126574
Website : www.obcindia.co.in

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message



प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 22वीं आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ। बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मैं सामान्य व्यापक आर्थिक परिवेश का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके अन्तर्गत आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कार्य-निष्पादन किया है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

वैश्विक आर्थिक परिवेश में विभिन्न कारणों से नरमी रही, निम्न औद्योगिक उत्पादन तथा पूंजी-बहिर्गमन के कारण चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित रही और कमजोर घरेलू आधारभूत प्रदर्शन से विकासशील बाजार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि बाधित रही।

इस परिवेश में, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर 7.6% रही। राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा तथा मुद्रास्फीति सामान्य तौर पर नियंत्रित रहीं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.4% की वृद्धि एवं निर्यात में 15.85% की गिरावट (डॉलर में) दर्ज की गई। साथ ही, कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर व लौह तथा इस्पात दबावग्रस्त रहे यद्यपि भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में जल्द सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं। कम पूंजीगत खर्चों के अवसरों के कारण ऋण की मांग भी कमजोर रही है।

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आस्ति गुणवत्ता मूल्यांकन (एक्यूआर) किया और इसके निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को कुछ बड़े ऋण खातों को गैर-निष्पादक ऋण खातों के रूप में वर्गीकृत करने के निर्देश दिए, साथ ही अपेक्षाकृत ऐसे कमजोर खातों, जो वर्तमान में स्तरीय खातों की श्रेणी में हैं, के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, एक राज्य सरकार को खाद्य ऋण देने वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंक ऋण की बकाया राशि की तुलना में स्टॉक के मूल्यांकन के समाधान में पाई गई कुछ अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं।

इन कठिन परिस्थितियों के कारण, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति दबाव में रही है। आस्ति गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई, प्रावधानन आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और इससे अधिकांश बैंकों की लाभप्रदता काफी कम हो गई है।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 22nd Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the year ended 31st March 2016. Before I present the performance highlights of the bank, I would like to place before you the general macroeconomic environment within which your bank has performed in FY15-16.

ECONOMIC BACKGROUND

The global economic environment remained subdued due to various factors, China's economic growth remained impacted by low industrial production and capital outflows and the weak domestic fundamentals of emerging market economies continue to restrain their growth.

Amidst this background, the Indian economy has shown a GDP growth rate of 7.6% for the Financial Year 2015-16. Fiscal deficit, current account deficit and inflation were generally contained. However, industrial production grew by only 2.4% and exports declined by 15.85% (in dollar terms) during FY15-16. Further, certain key sectors like Infrastructure, Power and Iron and Steel continued to remain under stress, though the Government of India has initiated various steps for early resolution of these sectors. Credit demand also remained subdued due to low capex opportunities.

During the year, the Reserve Bank of India conducted an Asset Quality Review (AQR) and based on their findings advised banks to classify certain big ticket borrowal accounts as non-performing and also build up additional provisions in potentially weak accounts which are presently in the standard category. Further, Reserve Bank of India had also advised banks, having exposure under Food Credit to one of the state governments, to make additional provisions in view of certain irregularities observed in the reconciliation of the value of stock against which bank finance was outstanding.

Due to this challenging backdrop, the growth of Indian Banking Sector remained under pressure in FY15-16. Asset quality was adversely impacted, provisioning requirements increased and thereby profitability of most of the banks has been substantially reduced.



आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के सभी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया और बैंक ने कॉरपोरेट थोक कारोबार से हटकर खुदरा कारोबार पर ध्यान देते हुए तुलनपत्र के समेकन की नीति को अपनाया है।

अब, मैं आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के कारोबार की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करता हूँ:

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आपके बैंक ने मार्च, 2016 को समाप्त अवधि को ₹3,62,554 करोड़ का कुल कारोबार करते हुए 2.98% की वृद्धि दर्ज की। जमा एवं कुल अग्रिम में क्रमशः 2.40% एवं 3.78%, की वृद्धि हुई। कासा जमा राशियों में 6.74% तथा खुदरा सावधि जमाराशियों (₹1 करोड़ से कम) में 12.27% की वृद्धि हुई। अन्य सावधि जमाराशियों (₹1 करोड़ एवं अधिक) में 9.72% की कमी हुई है। तदनुसार, जमाराशियों की लागत वित्तीय वर्ष 2014-15 के 7.69% से घटकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7.19% हो गई। इसी अवधि के दौरान निवल ब्याज मार्जिन में सुधार होकर 2.61% से बढ़कर 2.66% हो गया।
- वित्त के महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा ऋण, कृषि एवं एमएसएमई रहे, कुल अग्रिम पोर्टफोलियो में इनका कुल अंश 46% रहा है। शेष 54% ऋण में कॉरपोरेट एवं अन्य ऋण हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं। आपके बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण न्यूनतम विनियामक आवश्यकता 40% से अधिक होकर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.05% है। खुदरा ऋण में 17.94% की वृद्धि हुई और ये गत वर्ष के कुल अग्रिम के 10.66% की तुलना में मार्च, 2016 को 12.12% हो गए।
- पूर्वोक्त विभिन्न कारणों से, मार्च, 2016 का कुल एनपीए का स्तर बढ़कर 9.57% तथा निवल एनपीए बढ़कर 6.70% हो गया।
- मार्च, 2016 को परिचालनगत लाभ ₹3682 करोड़ एवं निवल लाभ ₹156 करोड़ रहा। प्रति कर्मचारी कारोबार ₹16.89 करोड़, प्रति शाखा कारोबार ₹154.21 करोड़ तथा प्रति शेयर बही मूल्य ₹416.72 रहा।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने ₹1000 करोड़ की राशि के डेब्ट के रूप में बासेल III अनुपालक टियर-II पूंजी विलेख जुटाए। साथ ही, बैंक ने भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन से क्रमशः ₹300 करोड़ एवं ₹178.40 करोड़ जुटाए। आपके बैंक की पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2015 को 11.41% (टियर-1 8.73%) से बढ़कर 31.03.2016 को 11.76% (टियर-I 9.10%) हो गई।
- आपके बैंक ने वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से लेन-देन बढ़ाने की पहचान की है तथा यह आपके बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नए उत्पाद एवं सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। डिजिटल चैनलों के तहत लेन-देनों के प्रतिशत में

Your bank complied with all the regulatory directions of RBI and adopted the policy of consolidating the balance sheet of the bank with focus on increasing retail business and move away from corporate bulk business.

Now, I would like to present before you the business highlights of the Bank for the FY15-16:

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- During FY 15-16, your Bank achieved a business mix of ₹3,62,554 crore at the end of March 2016 registering a growth of 2.98%. Deposits and Gross Advances grew by 2.40% and 3.78%, respectively. CASA deposits have grown by 6.74% and Retail Term Deposits (below ₹1 crore) have grown by 12.27%. Other Term Deposits (1crore and above) was reduced by 9.72%. Accordingly, the cost of deposits was reduced from 7.69% in FY14-15 to 7.19% in FY 15-16. The net interest margin improved from 2.61% to 2.66% during the same period.
- The thrust areas for finance have been Retail, Agriculture & MSME which together constitute 46% of the total advances portfolio. The balance 54% is Corporate and other Credit which is fulfilling the credit needs of the productive sectors of the economy. The Priority Sector (PS) Advances of your Bank was above the minimum regulatory requirement of 40% and stood at 41.05% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Retail Credit grew by 17.94% and constituted 12.12% of the total Advances as of March 2016 as against 10.66% the previous year.
- In view of the various factors mentioned earlier, the gross NPA level of Mar' 2016 increased to 9.57% and the net NPA increased to 6.70%.
- The Operating Profits stood at ₹3682 crore and Net Profit stood at ₹156 crore. Business per Employee was ₹16.89 crore, Business per Branch was ₹154.21 crore and Book value per share of the bank was ₹416.72 as of March 2016.
- During 2015-16, the Bank has raised Basel III compliant Tier II capital instrument in nature of debt amounting to ₹1000 crore. Further, capital of ₹300 crores and ₹178.40 crore has been raised from Government of India and LIC of India respectively through allotment of equity shares on preferential basis. The Capital Adequacy of your bank has increased from 11.41% (Tier-1 8.73%) as on 31.03.2015 to 11.76% (Tier-I 9.10%) as on 31.03.2016.
- Your bank has identified increasing transactions under alternate delivery channels as one of the top priorities of the bank. Various new products and services have been launched to achieve these objectives. The percentage transactions under digital channels is showing a continuous increase and the same stands at 54.43% in

लगातार वृद्धि हो रही है और यह गत वर्ष के 50.60% से बढ़कर मार्च, 2016 में 54.43% हो गए हैं और शाखाओं के माध्यम से लेनदेन गत वर्ष के 49.40% से घटकर 45.57% रह गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 100 नई शाखाएं खोली गईं और 78 नए एटीएम लगाए गए। अब, आपके बैंक में 2,351 शाखाओं एवं 2,566 एटीएम के साथ कुल 4,917 डिजिटल चैनल हो गए हैं।

दक्षता निर्माण

आपके बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के दक्षता निर्माण पर जोर देते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु और वांछित परिणाम हासिल करने हेतु वर्ष के दौरान कई कदम उठाए हैं। मुख्य शिक्षण अधिकारी (सीएलओ), जो महाप्रबंधक स्तर तथा बैंक के नोएडा स्थित शीर्ष मानव संसाधन विकास संस्थान (एच.आर.डी.आई.) के प्रधानाचार्य हैं, के अंतर्गत अलग से एक वर्टिकल- प्रशिक्षण एवं विकास सृजित किया गया है। सभी पांच मानव संसाधन विकास संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पद्धति के नए तरीकों जैसे, केस स्टडीज, रोल प्ले, समूह प्रस्तुति, ई-लर्निंग एवं प्रतिभागियों से विचार-विमर्श को अपनाया जा रहा है। ऐसे केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 15-16 के दौरान सभी मानव संसाधन विकास संस्थानों द्वारा पिछले वर्ष के 58564 की तुलना में समेकित रूप से 85047 प्रशिक्षण दिवस संचालित किए गए। बैंक द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से स्कैल-IV एवं इससे ऊपर के कार्यपालकों के लिए विशेषीकृत नेतृत्व विकास एवं कार्यपालक विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, एच.आर.डी.आई., नोएडा को बैंकिंग कारोबार में बैंक कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। बैंक की योजना चरणबद्ध तरीके से सभी मानव संसाधन विकास संस्थानों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त करने की है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

आपका बैंक भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को लागू कर रहा है। 31.03.2016 की यथास्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना(पी.एम.जे.डी.वाई.) के अंतर्गत 36.71 लाख खाते खोले गए तथा इनमें 97% से अधिक खातों में रुपये कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) में आपके बैंक ने वंचितों को ऋण प्रदान करने तथा उन्हें ₹10 लाख तक की सुलभ ऋण सहायता के लिए आर्बटिड ₹1295 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है।

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी

आपका बैंक सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का सतत् रूप से अपग्रेडेशन एवं इसे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने को प्राथमिकता देता है। अपने ग्राहकों को बाधरहित सेवाएं मुहैया कराने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए बैंक ने सर्वोच्च स्तर के अपटाइम हेतु उपयुक्त लीज लाइन, एमपीएलएस एवं वीसैट का प्रयोग करते हुए सशक्त कॉरपोरेट नेटवर्क बनाया है। बैंक ने नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के नए वर्जन एफईबीए की शुरुआत की है। नई पीढ़ी को ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु नवीनतम तकनीक के साथ अन्य विभिन्न आकर्षक मूल्यवर्द्धित सेवाओं की भी शुरुआत की गई है।

March 2016 compared to 50.60% the previous year while transactions of branch channels have decreased to 45.57% in March 2016 from 49.40% the previous year.

- During FY15-16, 100 new Branches were opened and 78 new ATMs were installed. Presently, your Bank's total delivery channels stand at 4,917, comprising of 2,351 Branches and 2,566 ATMs.

CAPACITY BUILDING

Your Bank has focused on Capacity Building to impart learning to all its employees and during the year has taken several steps to achieve the desired results. Training and Development has been created as separate Vertical under the Chief Learning Officer (CLO) who is in the rank of General Manager and is the Principal of the Bank's apex Human Resources Development Institute (HRDI) at Noida. All the five HRDIs are now adopting new age training methodology such as case studies, role plays, group presentations, e-learning and discussions by the participants. As a result of this focused approach, all the HRDIs together put in 85047 Training Man Days during FY15-16 as against 58564 during the previous year. The Bank also organized specialized Leadership Development and Executive Development Programs through reputed Institutes for Executives in Scale-IV and above.

The Apex Training Institute of the Bank, HRDI Noida has been awarded ISO 9001:2008 Certification for In-House Trainings of Bank Employees in Banking Business through Quality Management System. The Bank plans to have Quality Management Certification for all the HRDIs in a phased manner.

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME

Your Bank has been implementing the financial inclusion objectives of the Government of India and Reserve Bank of India. As on 31.03.2016, 36.71 lac accounts have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and in more than 97% of these accounts, RuPay cards have been issued. Further, your Bank has surpassed the allocated target of ₹1295 crores in the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) to fund the unfunded and extending affordable credit upto ₹10 lakh to them.

TECHNOLOGY FOR BETTER CUSTOMER SERVICE

Your Bank continues to give prime importance to the up gradation of the IT Infrastructure and aligning the same with the present day requirements. To strengthen the Bank's commitment towards uninterrupted service to its customers, Bank has built a robust Corporate Network using Leased Lines, MPLS and VSATs with sufficient redundancy to achieve highest level up time. The new version of net Banking application-FEBA has been launched. Various other attractive value added services with latest technologies have also been introduced to provide next generation customer service.



लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 7.00% (₹0.70 प्रति शेयर) का लाभांश घोषित करने का सहर्ष प्रस्ताव करते हैं।

भावी योजना

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। आशा है कि बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में भी वापसी होगी। आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संसाधनों की लागत को कम करने, कासा जमाओं में वृद्धि, आरएएम क्रेडिट (रिटेल, कृषि व एम.एस.एम.ई. अग्रिम), अधिकतम वसूली एवं अपग्रेडेशन तथा वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।

समापन टिप्पणी

मैं, इस अवसर पर श्री अरुणीश चावला (भारत सरकार के नामिती निदेशक) एवं श्री राजकिरण राय जी. (कार्यकारी निदेशक) का स्वागत करता हूँ, जिन्होंने वर्ष के दौरान निदेशक के रूप में मंडल में कार्यग्रहण किया। मैं, श्रीमती माला श्रीवास्तव (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हाल ही में दिनांक 11.05.2016 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया।

मैं, श्री राजन कुमार (भारत सरकार के नामिती निदेशक), श्री पारस मल चोपड़ा (अंशकालिक सरकारी निदेशक), श्री भूपिन्दर नैय्यर एवं श्री सुरेश एन. पटेल (दोनों कार्यकारी निदेशक) जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल से निदेशक के रूप में अपना पदत्याग किया, का भी बैंक में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

निदेशक मंडल की ओर से एवं मैं अपनी ओर से, बैंक के सभी शेयरधारकों द्वारा बैंक तथा प्रबंध वर्ग के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पण भावना तथा हमारे निष्ठावान ग्राहकों के सतत् सहयोग व संरक्षण के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का, उनके सतत् मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भविष्य में भी आपके सतत् सहयोग और संरक्षण की कामना करता हूँ।

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIVIDEND

Your Directors are pleased to propose a dividend of 7.00% (i.e. ₹0.70 per share) for the financial year ended 31st March, 2016.

LOOKING FORWARD

The Indian economy is expected to show positive turnaround with the implementation of the various policy initiatives of Government of India and Reserve Bank of India. It is expected that banking sector growth will also rebound. Your Bank intends to intensify focus on reducing the cost of resources, increasing the CASA deposits, RAM credit (Retail, Agriculture & MSME advances), maximizing recovery and up gradation and increase the usage of alternate delivery channels during FY 16-17.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Shri Arunish Chawla (Government of India Nominee Director) and Shri Rajkiran Rai G. (Executive Director) who joined as Directors on the Board during the year. I also welcome Smt. Mala Srivastava (Part time Non Official Director) who has recently joined the Board of the Bank wef. 11.05.2016.

I also appreciate the contribution of Shri Rajan Kumar (Government of India Nominee Director), Shri Paras Mal Chopda (Part Time Official Director), Shri Bhupinder Nayyar and Shri Suresh N. Patel (both Executive Directors) who laid down office as Directors on the Board of the bank during FY15-16, for their valuable contributions to the bank.

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, I express my sincere thanks and gratitude to all the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Bank and the Management. I also thank every employee of the Bank for their dedication and our loyal customers for their continued support and patronage. My sincere thanks to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and patronage in future also.

Animesh Chauhan
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल Board of Directors



श्री अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Animesh Chauhan
Managing Director & CEO



श्री राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Sh. Rajkiran Rai G.
Executive Director



श्री अरुणीश चावला
Sh. Arunish Chawla



श्री एस. गणेश कुमार
Sh. S. Ganesh Kumar



श्री किंशुक भट्टाचार्य
Sh. Kingshuk Bhattacharya



श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला
Sh. Narendra J. Kotiawala



श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrpal



श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma



श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
Sh. Dinesh Kumar Agrawal



श्रीमती माला श्रीवास्तव
Smt. Mala Srivastava

शीर्ष प्रबंधन वर्ग/Top Management Team



श्री एस. के. गोयल
Sh. S. K. Goyal
मुख्य सतर्कता अधि./CVO



श्री के. के. आचार्य
Sh. K. K. Acharya



श्रीमती विद्यावती रुद्रा
Smt. Vidyavati Rudra



श्री एन. के. चौहान
Sh. N. K. Chauhan



श्री नवलीन कुंद्रा
Sh. Navleen Kundra



श्री सीएच एसएस मल्लिकार्जुन राव
Sh. CH SS Mallikarjuna Rao



श्री एम. एल. सचदेवा
Sh. M. L. Sachdeva



श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh



श्री मनोज सक्सेना
Sh. Manoj Saxena



श्रीमती शशि जैन
Smt. Shashi Jain



श्री टी. आर. लखानी
Sh. T. R. Lakhani



श्री एस. पी. चुघ
Sh. S. P. Chugh



श्री एस. सी. दास
Sh. S. C. Das



श्री पी. श्रीधर
Sh. P. Sreedhar



श्री एच. के. बत्रा
Sh. H. K. Batra



श्री डी. के. मलहोत्रा
Sh. D. K. Malhotra



श्री एस. के. कक्कड़
Sh. S. K. Kakkar



श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan



श्री के. ए. सलारिया
Sh. K. A. Salaria



श्री जितेन्द्र मोहन सिंह
Sh. Jitender Mohan Singh



श्री आर. के. गोग्ना
Sh. R. K. Gogna

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार 23 जून, 2016 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरि इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: "31 मार्च, 2016 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।"

मद सं. 2: "वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।"

विशेष कारोबार

मद सं. 3: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से "ओबीसी विनियम" कहा जाएगा), तथा अन्य सभी लागू अधिनियम/कानून, किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा लागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/ विनियमन/दिशा-निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, बैंक के शेयरधारकों को एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात् बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात् शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/या निर्गम के उस भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों पर लागू विधि

NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 23rd June 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No. 1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2: "To declare dividend on equity shares for the financial year 2015-2016."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations"), and all other applicable Acts/Laws including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be

मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़/विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या/और/ या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमीयादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को ₹1500 करोड़ तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।”

“संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम, सेबी विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/हामीदारों तथा/अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य/मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सुसंगत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार, अधिनियम के प्रावधानों, ओबीसी विनियम के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनियम प्रबन्धन (अंतरण या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी,

permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares and / or other permitted securities (which are capable of being converted into equity or not), may be issued for an amount not exceeding ₹1500 crore in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/others securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations, and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Act, the provisions of OBC Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999

स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) या ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृत (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में भारत सरकार का किसी भी समय इक्विटी शेयर 52% से कम न हो और जो आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (आईसीडीआर विनियम में परिभाषित) आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में :

- क) सेबी आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही आहर्ता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।
- ख) सेबी आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुकरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बट्टे पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।
- ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इश्यू, आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, एनआरआई, एफआईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को इश्यू और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 (निर्धारित नियमों एवं विनियमों सहित) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू कुल सीमा के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।”

and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations

- a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including Rules & Regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1988 यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतद्वारा सार्वजनिक निर्गम अधिकार निर्गम, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों / अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा बही संचालक (कों), अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर(ओं), हामीदार(ओं), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(ओं), लेखा परीक्षक(ओं) और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यों में शामिल हों या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य— निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ फार्म तथा इश्यू की शर्तें समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें इक्विटी अधिमानी / शेयर / प्रतिभूतियां आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित इक्विटी अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों / वारंट अधिकार / प्रतिभूतियों के भुगतान / रूपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या / अधिमानी शेयरों अथवा रूपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रद्द, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम / रूपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रूपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और / अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the OBC Regulations, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public issue, rights issue, qualified institutional placement including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/other securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity/preference shares/ securities are to be allotted, number of equity/preference shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे इक्विटी अधिमात्री शेयर/प्रतिभूतियां जो शेष रह गई हैं, उनके बारे में बोर्ड जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यकारी निदेशक/(ओं) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान: गुडगांव

अनिमेष चौहान

दिनांक: 11.05.2016

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियां:-

व्याख्यात्मक कथन, जिसमें मद सं. 3 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न हैं।

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फॉर्म कार्यालय समय की समाप्ति से पहले अर्थात् 18 जून, 2016 को शनिवार 5.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति) तक प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कॉरपोरेट निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष

on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these equity/preference shares / securities as are not subscribed may be disposed of by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By the order of the Board of Directors

Place: Gurgaon

ANIMESH CHAUHAN

Date: 11.05.2016

Managing Director & CEO

NOTES:-

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.3 is annexed hereto.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office or Corporate Office of the Bank not less than 4 days before AGM, on or before 5.00 p.m. (closing hours of the Bank) of Saturday, the 18th June, 2016. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of any Company which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the



द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया हो, द्वारा सत्यापित न कर दी गयी हो, बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले अर्थात् 18 जून, 2016 को शनिवार 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मतपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक/प्रॉक्सी धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर "प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि" लिखेंगे। ऐसे प्रवेश पत्रों को मतपत्र लेने हेतु दे दिया जायेगा।

4. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के बैठक में भाग लेने एवं घोषित लाभांश प्राप्त करने हेतु योग्यता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 17 जून, 2016 से 23 जून, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

5. लाभांश का भुगतान

जैसा कि बोर्ड ने संस्तुति की है, यदि वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया, तो उसका भुगतान 15 जुलाई, 2016 को किया जाएगा। लाभांश वारंट उन शेयरधारकों को डाक द्वारा भेजे जाएंगे जिनके विवरण बैंक में दर्ज नहीं है जिनके बैंक खाता विवरण बैंक के पास उपलब्ध है, उन्हें लाभांश की राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा की जाएगी।

6. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2008-09 हेतु लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

अधिनियम की धारा 10ख के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् बैंक अथवा आईईपीएफ के लिए भुगतान हेतु कोई दावा नहीं रहेगा।

(वर्ष 2008-09 से संबंधित ऐसे अप्रदत्त/अदावित लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में 29.07.2016 को अंतरित कर दिया जाएगा। सभी संबंधित शेयरधारकों को यह अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे गए हैं कि वे अपने दावे 20.07.2016 तक भेज दें (सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। यदि दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते के बकाया शेष को आईईपीएफ खाते

meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. of Saturday, the 18th June, 2016.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books will remain closed from 17th June 2016 to 23rd June 2016 (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on 15th July 2016. The dividend warrants would be dispatched to those shareholders whose Bank details are not registered with the Bank while dividend amount will be credited through electronic mode by the Bank to those whose Bank details are available.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not received or claimed dividend for the year 2008-09 are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for issue of duplicate dividend warrant.

As per the provisions of Section 10B of the Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

(The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2008-09 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 29.07.2016 as per Govt. of India guidelines. Reminder letters have been sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 20.07.2016 (list available on Bank's website). If not claimed, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect

में अंतरित कर दिया जाएगा और तत्पश्चात इस संबंध में मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों के लिए कोई दावा शेष नहीं माना जाएगा।)

7. मताधिकार

अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ड) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त के अध्यक्षीन, शेयर धारक के रूप में 16 जून, 2016 (रिमोट ई-वोटिंग एवं मतपत्र के द्वारा मतदान दोनों के लिए शेयरधारकों के मताधिकार के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि) तक अथवा उससे पहले पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

ओबीसी विनियम के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

- I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 तथा सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए सहमत हैं ताकि प्रदत्त ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से व्यवसायिक संव्यवहार की प्रक्रिया को सम्पन्न किया जा सके। सदस्यों को (रिमोट ई-वोटिंग हेतु) एजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मतदान करने की सुविधा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- II. एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान देने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का उपयोग नहीं किया है वे बैठक में मतपत्र द्वारा अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
- III. सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदान कर दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग 19 जून, 2016 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर 22 जून, 2016 को (सांय 5:00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि में 16 जून 2016 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक सदस्य अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद सदस्य को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

thereof shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions.)

7. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on or before 16th June, 2016 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by Ballot Paper at the venue of the AGM) shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

Voting through electronic means

- I. In compliance with provisions of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Bank is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on 19th June, 2016 (9:00 am) and ends on 22nd June 2016 (5:00 pm). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 16th June 2016, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.



- V. ई-वोटिंग की पद्धति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है :-
- क. किसी सदस्य को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होने पर (वे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है) :
- (i) अपनी क्लाइंट आईडी या पासवर्ड के रूप में फोलियो नंबर से ई-मेल एवं पीडीएफ़ फाइल खोलें अर्थात रिमोट ई-वोटिंग पीडीएफ़। रिमोट वोटिंग के लिए इस पीडीएफ़ फाइल में आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन दिया गया है। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।
- (ii) यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र चलाएं।
- (iii) शेयरहोल्डर – लॉगिन पर क्लिक करें।
- (iv) यूजर आईडी एवं पासवर्ड को हस्ताक्षर पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करें/पिन को उपरोक्त स्टेप (1) के अनुसार नोट किया जाए। लॉगिन को क्लिक करें।
- (v) आपको पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखेगा। पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड/पिन से बदलें जो कम से कम 8 अंकों/शब्दों का हो या मिले जुले स्वरूप का हो। नए पासवर्ड को नोट कर लें। परामर्श है कि आप पासवर्ड किसी को न बताएं, किसी से शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गुप्त रखें।
- (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होमपेज खुल जाने पर रिमोट ई-वोटिंग पर क्लिक करें : वोटिंग चक्र प्रारम्भ हो जाएगा।
- (vii) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स “EVEN” का चयन करें।
- (viii) जैसे ही कास्ट वोट पेज खुलता है आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- (ix) सही विकल्प चुनते हुए आप वोट दे सकते हैं तथा प्रॉम्प्ट होते ही सबमिट पर क्लिक कर “कनफर्म” भी कर सकते हैं।
- (x) पुष्टि होने पर, वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है पटल पर दिखेगा।
- (xi) संकल्प पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद आपको वोट में संशोधन कि अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xii) संस्थागत शेयरधारक (जैसे, वैयक्तिक के अतिरिक्त, एच.यू.एफ., एन.आर.आई इत्यादि) जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी पत्र इत्यादि स्कैन प्रति (पीडीएफ़/जेपीजी फॉर्मेट) के साथ अपने सत्यापित नमूना, हस्ताक्षर के साथ जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से विधिवत अधिकृत हो वे अंकेक्षक के माध्यम से ई-मेल nitesh@indiacp.com तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in को तदोनुरूप प्रेषित करें।
- (ख) किसी सदस्य को वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रति प्राप्त होने पर वे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक के आरटीए/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत है अथवा भौतिक प्रति का अनुरोध हो,
- (I) प्रारंभिक पासवर्ड इस रिपोर्ट के साथ सलंगन पृथक शीट पर दिया गया है।
- V. The process and manner for remote e-voting are as under:
- A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank’s RTA/Depository Participants(s)] :
- (i) Open email and open PDF file viz; “remote e-voting.pdf” with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
- (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (iii) Click on Shareholder - Login
- (iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
- (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
- (vii) Select “EVEN” of “ORIENTAL BANK OF COMMERCE”.
- (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
- (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
- (x) Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
- (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to simultaneously send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to nitesh@indiacp.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- B. In case a Member receives physical copy of the Notice of AGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank’s RTA/Depository Participants(s) or requesting physical copy]:
- (I) Initial password is provided on the separate sheet annexed to this report.

EVEN (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर) यूजर आईडी पासवर्ड / पिन

- (ii) कृपया उपरोक्त क्र.सं. (ii) से क्र.सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें और मतदान करें।
- VI. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।
- VII. यदि आप पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं।
- VIII. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं, जिसे भविष्य में पत्राचार हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- IX. सदस्यों के मताधिकार, 16 जून, 2016 को अंतिम तारीख के अनुसार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। जोकि केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कुल मताधिकार का अधिकतम 10% तक होगा।
- X. कोई भी व्यक्ति, जो बैंक के शेयरों को अर्जित किया है तथा सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तारीख अर्थात् 16 जून, 2016 के अनुसार शेयरों को रखता है तो वे evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

तथापि, यदि आप पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन "Forgot User Details/Password" के द्वारा रिसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के टॉल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

- XI. सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है परंतु वार्षिक आम बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- XII. सदस्य, जिनका नाम निर्दिष्ट तारीख को सदस्यों की रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभग्राही मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ-साथ मतदान पत्र के द्वारा वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- XIII. मैसर्स पीआई एसोसिएट्स के कार्यरत कंपनी सचिव श्री नितेश नतवाल (सीपी सं. 16276) को अंकेक्षक (स्क्यूटेनाइजर) नियुक्त किया गया है जो बैंक के सदस्यों को वोटिंग अंकेक्षण तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- XIV. वार्षिक आम बैठक में संकल्पों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना वोट नहीं दिया है, अंकेक्षक की सहायता से मतपत्र द्वारा वोटिंग की अनुमति देंगे।

EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID PASSWORD/PIN

- (ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.
- VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IX. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 16th June, 2016, subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Govt.
- X. Any person, who acquires shares of the Bank and become member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 16th June 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or the Bank's RTA, Link Intime India Pvt. Ltd at delhi@linkintime.co.in.

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

- XI. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- XII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- XIII. Mr. Nitesh Natwal (C.P No. 16276) Practising Company Secretary of PI & Associates, has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIV. The Chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.



- XV. आम बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद अंकेक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे तथा जिसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्षियों जो बैंक द्वारा नियोजित न हों के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को खोलेंगे तथा एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष या विरोध, यदि कोई हो, में डाले गए कुल वोटों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।
- XVI. अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों को घोषित कर दिए जाने के बाद घोषित परिणामों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ तत्काल बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं एनएसडीएल की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा इन परिणामों को तत्काल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एवं बीएसई लिमिटेड, मुंबई को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा।

मद संख्या – 3 से संबंधित व्याख्यात्मक कथन

पूँजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

बैंक बैंकिंग एवं संबंधित गतिविधियों का कारोबार कर रहा है। भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयरों के आबंटन के बाद इस समय बैंक की अधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी ₹346.17 करोड़ है (31 मार्च, 2016 को बैंक की प्रदत्त पूँजी ₹321.40 करोड़ थी)।

बासेल-III पूँजी विनियम के अनुपालन में निधियों की बढ़ती पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं दीर्घ कालिक स्रोतों को पूँजी प्रदान करने के लिए एवं मंडल के निर्णयानुसार सामान्य ऋण प्रदान करने हेतु बैंक अपनी पूँजी पर्याप्तता को बेहतर करने और बैंक की सामान्य कारोबार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है।

सेबी के अध्याय VIII आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, विशेष संकल्प की वैधता एक वर्ष की है। बाजार के रुझान को देखते हुए, बैंक मई, 2017 तक उपर्युक्त किसी भी अनुमत्य मोड के माध्यम से इक्विटी पूँजी जुटा सकता है।

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41 (4) के अनुपालन में शेयरधारकों के लिए किसी अन्य प्रतिभूति के निर्गम को अनुमोदित करना अनिवार्य है, यदि उन्हें समानुपाति आधार पर ऑफर नहीं किए गए हैं। यह संकल्प, यदि पारित हो जाता है तो यह बैंक की ओर से मंडल को वर्तमान शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूति निर्गम एवं आबंटित करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

पब्लिक ऑफर, राईट्स इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों को बनाने, प्रस्ताव, आबंटन करने के लिए प्रस्तावित विशेष संकल्प के सदस्यों से बिना किसी अगले अनुमोदन की आवश्यकता के निदेशक मंडल (बोर्ड) हेतु बैंक के सदस्यों के प्राधिकरण को सक्रिय करना।

इसके अतिरिक्त, यह संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह सेबी आईसीडीआर विनियमों द्वारा यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत

- XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make, not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- XVI. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Limited, Mumbai.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.3

Capital Raising Programme of the Bank

The Bank is in the business of the banking and related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹346.17 crore after Preferential allotment of shares to Government of India and LIC of India (Paid-up capital of the Bank as on 31st March 2016 was ₹321.40 crore).

In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.

In terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, the validity of the special resolution is one year. In view of the prevailing market sentiments, the Bank may raise equity capital through any of the aforementioned modes upto May 2017.

Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security, if not offered to them on proportionate basis. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Members, to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Qualified Institutional Placement.

The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with

खरीदारों के साथ अहर्ता प्राप्त संस्थागत स्थानन लाए। निदेशक मंडल अपने विवेकानुसार बैंक की निधियां जुटाने के लिए सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय viii के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिसके लिए उन्हें शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन नहीं लेना होगा। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय viii के अनुसार क्यूआईपी निर्गम होने के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। "संगत तारीख" का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है।

प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

आबंटित किए गए इक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे। इस उद्देश्य हेतु विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशक मंडल सूचना की संख्या 3 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में दिए गए प्रस्ताव से हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

अन्य जानकारियां

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए शेयरधारक कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर बैंक के आरटीए लिंक इनटाइम प्रा.लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के आरटीए को भेजें।

qualified institutional buyers as defined by SEBI ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in No.3 of the Notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the proposal contained in the Resolutions.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd. for consolidation into single folio.

- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ईमेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अमूर्त (डिमैट) रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ईमेल आईडी संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, जिसके साथ बैंक की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/डिपोजिटरी सहभागियों के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस प्रति, जिसमें ई-वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।
- सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट <https://www.obcindia.co.in> पर डाऊनलोड हेतु उपलब्ध है। इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबारी समय के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, गुडगांव में उपलब्ध होंगी। ई-रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य भौतिक रूप में पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट को डाक द्वारा निःशुल्क पाने के हकदार हैं लेकिन इसके लिए उनको बैंक की ई-मेल: mbd@obc.co.in या बैंक के आरटीए delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध करना होगा।
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2015-16 inter alia containing Notice of the 22nd Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2015-16 inter alia containing Notice of the 22nd Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that Full Annual Report of the Bank for FY 2015-16 will also be available on the Bank's website <https://www.obcindia.co.in> for download. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive Full Annual Report in physical form, upon making a request for the same, by post free of cost to the Bank's email id : mbd@obc.co.in or to Bank's RTA at delhi@linkintime.co.in.

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कारोबार परिचालन

बैंक का कुल कारोबार 31.03.2016 के ₹352048.72 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2016 को ₹362554.20 करोड़ रहा। बैंक की कुल जमा राशियां ₹208914.82 करोड़ रहीं जिनमें 2.40% की वृद्धि दर दर्ज की गई। मार्च, 2016 के अंत में सकल अग्रिम 3.78% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹153639.38 करोड़ रहे। बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च, 2016 के अंत में 73.61% रहा। बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादनपरक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया। बैंक का ऋण एवं अग्रिम संविभाग सुविस्तृत और संतुलित है। बैंक के रिटेल मीयादी जमाओं में 12.27% और रिटेल क्रेडिट में 17.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के 2.61% के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में निवल ब्याज मार्जिन बढ़कर 2.66% हो गया है।

पूंजी और आरक्षित निधि

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹10/- के अंकित मूल्य पर एलआईसी को ₹82.79 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) की दर से अधिमानी आधार पर 21548758 इक्विटी शेयरों के आबंटन से बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा शेयर प्रीमियम में क्रमशः ₹21.55 करोड़ एवं ₹156.85 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च, 2016 को बैंक की पूंजी एवं आरक्षित निधियां मार्च, 2015 के ₹13779.34 करोड़ से बढ़कर ₹14941.15 करोड़ हो गईं तथा औसत कार्यशील निधि की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधि का अनुपात 31.03.2016 को 6.54% रहा जबकि 31 मार्च, 2015 को यह 6.36% था।

साथ ही, बैंक ने केन्द्रीय सरकार को आबंटन के लिए लंबित इक्विटी शेयरों को अधिमानी आधार पर आबंटित करते हुए अंशदान के रूप में 30.03.2016 को ₹300 करोड़ की राशि प्राप्त की। बैंक के शेयरधारकों ने 02.05.2016 को आयोजित असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प द्वारा ₹10/- के अंकित मूल्य पर भारत सरकार को ₹121.10 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) की दर से अधिमानी आधार पर 2477294 इक्विटी शेयरों के आबंटन की सहमति प्रदान की। वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹1000 करोड़ के बासेल-III अनुपालक टीयर II बॉण्ड जारी किए।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च, 2016 को बासेल III के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत बैंक का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2015 के 11.41% की तुलना में 11.76% रहा। बासेल II के अंतर्गत बैंक का पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2015 के 12.28% की तुलना में 12.80% रहा।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

राजकोषीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष की ₹22082.78 करोड़ की तुलना में ₹21824.89 करोड़ रही। बैंक का परिचालन लाभ 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹3682.07 करोड़ हो गया। राजकोषीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक का निवल लाभ ₹156.08 करोड़ रहा।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with audited accounts for the year ended 31st March 2016.

BUSINESS OPERATIONS

The Business of the Bank stood at ₹362554.20 crore as on 31.03.2016 as against ₹352048.72 crore as on 31.03.2015. Total deposits of the Bank stood at ₹208914.82 crore, registering a growth of 2.40%. The gross advances as at end-March 2016 stood at ₹153639.38 crore, registering a growth of 3.78%. The credit deposit ratio of the Bank, as at end - March 2016, stood at 73.61%. The Bank ensured adequate flow of credit to the productive sectors of the economy. The Loans & Advances portfolio of the Bank is well diversified and balanced. Bank's retail term deposits increased by 12.27% and the retail credit increased by 17.94% during FY 2015-16. Net interest margin for FY 2015-16 was 2.66% as against 2.61% for FY 2014-15.

CAPITAL & RESERVES

During the year 2015-16, the Paid-up capital of the bank increased by ₹21.55 crore and Share Premium by ₹156.85 crore respectively by way of preferential allotment of 21548758 equity shares of face value of ₹10/- each to LIC @ ₹82.79 per share (including premium). The capital & reserves as on March 31, 2016 have gone upto ₹14941.15 crore as against ₹13779.34 crore as at end March 2015 and the ratio of Capital & Reserves to average working funds stood at 6.54% as on 31.03.2016 as against 6.36% as on 31st March 2015.

Further the Bank received a sum of Rs.300.00 crore on 30.03.2016 as contribution of the Central Government for preferential allotment of equity shares pending allotment. The shareholders of the Bank in the Extraordinary General Meeting held on 02.05.2016 approved, through special resolution, the issue and allotment of 2477294 equity shares of face value of ₹10/- each to the Government of India @ ₹121.10 per share (including premium). During the year, the Bank has issued Basel III Compliant Tier II Bonds aggregating to ₹1000 crore.

CAPITAL ADEQUACY RATIO

The Bank's Capital Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as on 31.03.2016 under Basel III guidelines stood at 11.76% as against 11.41% as on 31.03.2015. The Bank's Capital Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) under Basel II stood at 12.80% as against 12.28% as on 31.03.2015.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank has posted a total income of ₹21824.99 crore during the year as against ₹22082.78 crore last year. The Operating Profit of the Bank stood at ₹3682.07 crore for the year ended 31.03.2016. The Bank has earned a net profit of ₹156.08 crore during the fiscal 2015-16.



निवल लाभ में से विनियोजन सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

तालिका - 1 वित्तीय कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में)

	31.03.2016	31.03.2015
ब्याज आय	20058.71	19961.38
अन्य आय	1766.28	2121.40
कुल आय	21824.99	22082.78
प्रदत्त ब्याज	14684.14	14877.19
परिचालन व्यय	3458.78	2978.52
कुल व्यय	18142.92	17855.71
परिचालन लाभ	3682.07	4227.07
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3525.99	3449.56
अपवादस्वरूप मद से पूर्व वर्ष का निवल लाभ	156.08	777.51
घटाएं: असाधारण मदें-वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित प्रतिभूति रसीदों का मूल्यहास	0.00	280.43
असाधारण मदों के बाद वर्ष का निवल लाभ	156.08	497.08
जोड़िए-आगे लाया गया लाभ	0.14	0.96
जोड़िए- निवेश आरक्षित खाता	42.26	0.00
विनियोजन हेतु उपलब्ध निवल लाभ	198.48	498.04
विनियोजन		
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित	40.00	124.00
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि में अंतरित	0.00	3.00
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित	112.00	198.00
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित	18.76	0.00
निवेश आरक्षित खाता में अंतरित	0.00	53.80
अंतरिम लाभांश	0.00	0.00
प्रस्तावित लाभांश	22.50	98.96
लाभांश पर कर	4.58	20.14
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	0.64	0.14

लाभांश

बैंक की लाभांश घोषित करने की नीति शेरधारकों को उचित प्रतिफल देने तथा स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने और भावी विकास में सहयोग करने हेतु लाभ के पुनर्निवेश पर आधारित है। तदनुसार, आपके निदेशक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 7.00% (अर्थात् ₹0.70 प्रति शेयर) का कुल लाभांश देने का सहर्ष प्रस्ताव करते हैं।

Financial performance including appropriation from the Net Profit is given below:-

FINANCIAL PERFORMANCE (AMT. IN ₹ CRORE)

	31.03.2016	31.03.2015
Interest Income	20058.71	19961.38
Other Income	1766.28	2121.40
Total Income	21824.99	22082.78
Interest Paid	14684.14	14877.19
Operating Expenses	3458.78	2978.52
Total Expenses	18142.92	17855.71
Operating Profit	3682.07	4227.07
Provisions and Contingencies	3525.99	3449.56
Net Profit for the Year before Exceptional Item	156.08	777.51
Less: Exceptional Item (Reversal of Income for FY 2013-14)	0.00	280.43
Net Profit for the year after Exceptional Item	156.08	497.08
Add-Profit brought forward	0.14	0.96
Add-Investment Reserve Account	42.26	0.00
Net Profit available for appropriation	198.48	498.04
APPROPRIATION		
Transferred to Statutory Reserve	40.00	124.00
Transferred to Revenue and Other reserves	0.00	3.00
Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of The Income Tax Act 1961	112.00	198.00
Transferred to Capital Reserve	18.76	0.00
Transferred to Investment Reserve Account	0.00	53.80
Interim Dividend	0.00	0.00
Proposed Dividend	22.50	98.96
Tax on Dividend	4.58	20.14
Balance carried over to Balance Sheet	0.64	0.14

DIVIDEND

Bank's policy of declaring dividend is to reward the share holders as well as to plough back profit for maintaining a healthy capital adequacy ratio & for supporting future growth. Accordingly, your Directors are pleased to propose a dividend of 7.00% (i.e. ₹0.70 per share) for the financial year ended 31st March, 2016.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कॉरपोरेट सिद्धांत

- बैंक एक कॉरपोरेट नागरिक है, जो सामान्यतः समाज में परिचालन के जरिए संसाधनों पर नियंत्रण तथा लाभ प्राप्त करता है। अतः बैंक की यह प्रतिबद्धता बनती है कि वह जिस समाज में कार्य करता है, उसे वापस भी लौटाए तथा समाज के कम भाग्यशाली एवं अल्प-सुविधा प्राप्त वर्ग के प्रति इसका दायित्व बनता है।
- स्टाफ सदस्यों को प्रेरित किया जाता है कि वे अल्प-सुविधाप्राप्त वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए अपना योगदान दें तथा निर्विवाद सामाजिक तथा विकास अभावों को दूर करने के लिए उपाय करें। इससे उनका स्वयं का विकास होगा तथा समुदाय के विकास के साथ-साथ बैंक की छवि में भी सुधार होगा।
- सामुदायिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक द्वारा समाज के पददलित एवं अल्प-सुविधा प्राप्त वर्ग के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में विविध कल्याणपरक और सामाजिक गतिविधियां की जाती हैं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और पर्यावरण सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में बैंक द्वारा की गई मुख्य सीएसआर गतिविधियां

बैंक ने निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न सीएसआर गतिविधियां की:-

- जनजाति क्षेत्र के 15 गरीब एवं जरूरतमंद छात्रों को एक वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए केआईएसएस (कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज), भुवनेश्वर ओडीशा को दान दिया।
- उमंग बाल विकास, पटना, एस.सी.सेकेण्डरी स्कूल, थिरुवला, बेंगलुरु, करमवीर पाटिल विद्यालय, वडा गांव, खेड तालुका-पुणे तथा नगर परिषद् शिक्षण मण्डल स्कूल, तलेगांव दभाडे, मुंबई को छत के पंखे दान किए।
- श्रीमद दयानन्द वेदार्थ महाविद्यालय न्यास, गौतम नगर, नई दिल्ली को गद्दे, चादरें, तकिए, कवर एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं दान कीं।
- आशा किरण, धारुहेड़ा, हरियाणा को कंप्यूटर, प्रिंटर, बैटरी सहित इनवर्टर, छत के पंखे दान किए। आशा किरण बेसहारा लड़कियों के लिए एक आश्रय है।
- मनसा रिहैबिलिटेशन सेन्टर एंड ट्रेनिंग सेन्टर (दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल), बेंगलुरु को एलसीडी प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन दान की।
- बाल सहयोग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली के अनाथ बच्चों को उपयोगी वस्तुएं जैसे, स्कूल बैग, वाटर बॉटल एवं खाने का सामान दान किया।
- बाईकुला जेल, मुंबई को कैदियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटर दान किए।
- मानसिक विकलांग बच्चों के संस्थान – टीयर्स, आगरा को कुर्सियां दान कीं।
- जिला प्रशासन, गुडगांव के समन्वय से सिविल अस्पताल, गुडगांव में डायलिसिस यूनिट की स्थापना के लिए दान किया।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Philosophy

- Bank is a corporate citizen, with resources at its command and benefits, which it derives from operating in society in general. It therefore has a commitment to give back to the community where it operates and owes a solemn duty to the less fortunate and underprivileged sections of the society.
- Staff members are encouraged to make contributions by understanding the aspirations of underprivileged sections and endeavoring to evolve measures to remove indisputable social and development lacunae. This leads to their self development and improvement of Bank's image besides development of the community.
- Under the community service banking various welfare and social activities are undertaken by the bank both in Banking and non Banking areas to raise the quality of life of the downtrodden and under privileged sections of the society.
- Providing assistance on education, health, sports and environment services are the focus areas.

Major initiatives undertaken by the Bank in FY 2015-16

The CSR initiatives undertaken by the Bank are as under:-

- Donation to KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) Bhubaneshwar Orissa for providing free education to 15 poor and needy Tribal Students for a period of one year.
- Donation of Ceiling Fans to Umang Bal Vikas, Patna, 'S.C Secondary School, Thiruvalla', Bangalore, 'Karamveer Patil Vidyalaya', Vada Village, Khed Taluka-Pune & Nagarparishad Shikshan Mandal School, Talegaon Dabhade, Mumbai.
- Donation of mattresses, Bed Sheets, Pillow, covers and other utility items to poor and needy students of 'Shrimad Dayanand Vedharsh Mahavidyalya Nyas', Gautam Nagar, New Delhi.
- Donation of Computers, Printer, Inverter along with Batteries, Wall Fans, to 'Asha Kiran', Dharuhera, Haryana. 'Asha Kiran' is a home for destitute Girls.
- Donation of LCD Projector and Screen to 'Manasa Rehabilitation Centre & Training Centre' (School for Special Children), Bangalore.
- Donation of utility items i.e School Bags, Water Bottles & food items to orphan children at 'Bal Sahyog', Connaught Place, New Delhi
- Donation of Computers to Byculia jail, Mumbai for skill training amongst the Jail inmates.
- Donation of chairs to TEARS, an Institute of mentally handicapped children, Agra
- Donation for establishment of a Dialysis Unit in Civil Hospital, Gurgaon in coordination with 'District Administration, Gurgaon'.



- रेटिनोब्लास्टोमा (नेत्र कैंसर) के इलाज के लिए बैंक ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेंटर फॉर आपथेलमिक साइंसेज, एम्स, नई दिल्ली के साथ पहल की है। देश भर के दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विशेषतः गरीब मरीजों को इससे लाभ होगा।
- नेत्र चिकित्सा के लिए बैंक ने अरुणोदय चैरिटेबल ट्रस्ट (एसीटी), गुड़गांव को एक विटरेक्टॉमी मशीन दान की। मशीन गुड़गांव जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के नेत्र चिकित्सा के लिए प्रयोग की जा रही है।
- गरीब एवं जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के इलाज एवं उपचार के लिए संत हरदयाल एजूकेशन एवं ऑरफन वेलफेयर सोसायटी (एसएचईओडब्ल्यूएस), दिल्ली द्वारा संचालित गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम को लेजर विद स्कैनर एसएस 500 फिजियोथिरेपी मशीन दान की।
- बैंक ने इंडियन कैंसर सोसायटी, मुंबई के सहयोग से कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए भी प्रयास किए।
- बैंक ने हरियाणा स्टेट फेंसिंग एसोसिएशन, गुड़गांव के सहयोग से तलवारबाजी खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद के उपकरण खरीदने के लिए दान किया।
- लखनऊ में दिव्यांग लोगों को तिपहिया साइकिलें दान कीं, जो कि उनके जीविकोपार्जन का साधन बनीं हैं।
- स्वच्छ एवं हरित गंगा हेतु गंगोत्री सेवा समिति, वाराणसी के समन्वय से दशाश्वमेध-घाट को गोद लिया। बैंक ने गंगा नदी, वाराणसी के पवित्र स्थानों लाल घाट एवं हनुमान गढ़ी घाट को गोद लेकर स्वच्छ करने के लिए भी पहल की है।

साथ ही, बैंक ने स्वच्छ एवं सुरक्षित भारत के सपने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए सीएसआर गतिविधियों पर ध्यान देते हुए प्राथमिकता पर विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शौचालय बनवाए। स्वच्छ विद्यालय अभियान (वित्तीय वर्ष 2015-16) में बैंक ने 119 शौचालय बनवाए जिनमें 87 शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 32 अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। ये शौचालय 83 सरकारी विद्यालयों में बनवाए गए।

निदेशक मंडल

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की 11, मंडल की प्रबन्ध समिति की 17 और मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकें हुईं। श्री अरुणीश चावला ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(ख) के अंतर्गत श्री राजन कुमार के स्थान पर भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 15.06.2015 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया। श्री राजकिरण राय जी. ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(क) के अंतर्गत बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 22.01.2016 को मण्डल में कार्यग्रहण किया। बैंक के कार्यकारी निदेशकगण श्री भूपिन्दर नैय्यर एवं श्री सुरेश एन. पटेल क्रमशः 30.06.2015 एवं 02.11.2015 को सेवानिवृत्ति तथा आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने पर मण्डल के निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हुए। श्री पारस मल चोपड़ा बैंक के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने पर 17.01.2016 को कार्यमुक्त हो गए।

- The Bank along with 'Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi took the initiative for treatment of Retinoblastoma (Eye Cancer). The patients coming from far-off areas on Pan-India basis specially those belonging to poor background, shall be benefited.
- For the treatment of Eye ailments the Bank donated a Vitrectomy Machine to 'Arunodaya Charitable Trust (ACT), Gurgaon'. The machine is being used for the treatment of Eye ailments for poor and needy patients of far-flung areas of Guragon District.
- Donation of "Laser with Scanner SS 500" physiotherapy machine to 'Guru Vishram Vridh Ashram' run by 'Saint Hardayal Educational & Orphans Welfare Society', Delhi (SHEOWS), for the treatment and cure of poor and needy senior citizens.
- The Bank also made efforts for the treatment of Cancer diseases in association with 'Indian Cancer Society, Mumbai'.
- The Bank made donations in association with 'Haryana State Fencing Association', Gurgaon for purchase of sports equipment for promoting Fencing Sports Activity.
- Donation of Tricycles to differently able persons in Lucknow which acts as a means of livelihood.
- Adopted Dashashwamedh-ghat for 'Clean & Green' Ganga in coordination with 'Gangotri Sewa Samiti', Varanasi. Bank has also taken initiatives for Cleaning of 'Lal Ghat' & 'Hanuman Garhi Ghat' at river Ganga, Varanasi by adopting these holy areas.

Further the Bank has constructed toilets in various Govt. schools on priority and as focused CSR activity, as a step towards achieving the dream of a "Clean and Safe" India. In the Swachh Vidyalaya Campaign (FY 2015-16), the Bank constructed 119 Toilets in which 87 Toilets are in rural areas and 32 in Semi-urban areas. These Toilets were constructed in 83 Government Schools.

BOARD OF DIRECTORS

During 2015-2016, 11 meetings of Board of Directors, 17 meetings of Management Committee of Board and 9 meetings of Audit Committee of Board, were held. Sh. Arunish Chawla joined the Board of the Bank as Government of India Nominee Director on 15.06.2015 in place of Sh. Rajan Kumar in terms of under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the 'Act'). Sh. Rajkiran Rai G. joined the Board of the Bank on 22.01.2016 as Executive Director in terms of Section 9(3)(a) of the Act. Sh. Bhupinder Nayyar and Sh. Suresh N Patel, Executive Directors of the Bank vacated office as Directors on the Board of the Bank on 30.06.2015 and 02.11.2015 due to superannuation and elevation as MD&CEO of Andhra Bank, respectively. Sh. Paras Mal Chopda vacated the office on 17.01.2016 on completion of tenure as Director of the Bank.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधित मत/प्रतिकूल टिप्पणी/किसी मुद्दे पर जोर देने, यदि कोई हो, की प्रतिक्रिया में निदेशक मण्डल का स्पष्टीकरण/ टिप्पणी

अनुसूची 18 के नोट सं. 9(सी) के अनुसार उठाए गए मुद्दे के अनुक्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹13.44 करोड़ परिशोधित किए तथा शेष ₹40.33 करोड़ की अशोधित राशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त समयसीमा के अनुसार परिशोधित किया जाएगा।

निदेशकों का दायित्व कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में :-

- महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हों, के संबंध में लागू लेखा मानकों को उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गईं।
- वित्त वर्ष के अंत में बैंक के कार्यों तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्र सामने आ सके, इसके लिए विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए।
- भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने के लिए सम्यक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए तथा ये पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- बैंक पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां मौजूद और उपयुक्त थीं तथा ये प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।
- लेखे कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों का उनके द्वारा बैंक को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सतत् सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। निदेशक मंडल अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, सम्मानित पण्यधारकों तथा जनसाधारण का भी उनके संरक्षण और बैंक के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए आभार प्रकट करता है और बैंक के सर्वांगीण विकास, प्रगति और समृद्धि में स्टाफ सदस्यों की सहभागिता और समर्पण भावना की सराहना करता है।

मण्डल के लिए उनकी ओर से

स्थान: गुड़गाँव
दिनांक: 11.05.2016

(अनिमेष चौहान)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

EXPLANATIONS/COMMENTS BY THE BOARD OF DIRECTORS IN RESPONSE TO MODIFIED OPINION / ADVERSE REMARKS / EMPHASIS OF MATTER, IF ANY, IN THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

In respect of Emphasis of matter drawn w.r.t. Note No. 9(c) of Schedule 18, the Bank has amortised ₹13.44 crore during the year ended 31st March 2016 and balance unamortized amount of ₹40.33 crore shall be amortised as per timelines permitted by RBI.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that, in preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2016:

- the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,
- the accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied,
- reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profits of the Bank for the year ended on 31st March, 2016,
- proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India
- Internal financial controls were laid down and these were adequate and operating effectively
- Proper systems were in place to ensure compliance of all laws applicable to the Bank and these were adequate and operating effectively
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGMENTS

The Board of Directors expresses its gratitude to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchanges Board of India (SEBI) and other Government & Regulatory Agencies for their valuable guidance and continued support provided to the Bank throughout the year. The Board of Directors are also grateful to the valued customers, esteemed stakeholders and also wish to place on record its great appreciation of the staff members for their involvement and dedication in the overall development, growth and prosperity of the Bank.

For and on behalf of the Board

Place: Gurgaon
Date: 11.05.2016

(ANIMESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR & CEO



प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

भाग क – समष्टि - आर्थिक परिदृश्य

1. सकल घरेलू उत्पाद

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, स्थिर (2011-12) तथा चालू मूल्य पर 2015-16 की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दरें निम्नानुसार हैं :

	स्थिर मूल्य (2011-12)	वर्तमान मूल्य
पहली तिमाही 2015-16 (अप्रैल – जून)	7.6%	8.7%
दूसरी तिमाही 2015-16 (जुलाई – सितंबर)	7.7%	6.4%
तीसरी तिमाही 2015-16 (अक्टूबर – दिसंबर)	7.3%	9.2%

2. औद्योगिक उत्पादन

उत्पादन क्रियाकलाप के लिए देश के आर्थिक पैमाने उत्पादन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वित्तीय वर्ष 2014-15 के 2.8% वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्थिर रह कर 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

आठ महत्वपूर्ण उद्योग

आठ महत्वपूर्ण उद्योग योगदान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल मदों का लगभग 38% है। आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त सूचकांक, मार्च, 2016 में 188.0 है, जो कि मार्च, 2015 के सूचकांक की तुलना में 6.4% अधिक है। अप्रैल से मार्च, 2015-16 के दौरान इनकी संयुक्त वृद्धि दर 2.7% रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, लौह, सीमेंट एवं विद्युत में क्रमशः 4.6%, (-)1.4%, (-)4.2%, 3.8%, 11.3%, (-)1.4%, 4.6% एवं 5.2% की वृद्धि हुई।

3. थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति

मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मार्च, 2016 की वार्षिक मुद्रास्फीति दर (-)0.85% (अंतिम) (मार्च 2015 की तुलना में) रही जबकि पिछले वर्ष के इसी माह के दौरान यह (-)2.33% थी। सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च-15 में 5.25% की तुलना में मार्च-16 के लिए 4.83% रही।

4. विदेशी व्यापार

अप्रैल से मार्च 2015-16 के दौरान, गत वर्ष के समान अवधि के 310.34 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹1896348.40 करोड़) के सापेक्ष निर्यात का संयुक्त मूल्य 261.14 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹1708841.43 करोड़) रहा, जिसमें डॉलर के रूप में 15.85% और रुपये के रूप में 9.89% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल से मार्च 2015-16 के दौरान, गत वर्ष के समान अवधि के 448.03 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹2737086.58 करोड़) के सापेक्ष आयात का संयुक्त

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

PART A - MACRO-ECONOMIC SCENARIO

1. GROSS DOMESTIC PRODUCT

According to the Central Statistics Office (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation, GDP growth rates for Q1, Q2, Q3 of 2015-16 at constant (2011-12) and current prices are given below:

	Constant prices (2011-12)	Current prices
Q1 2015-16 (April-June)	7.6%	8.7%
Q2 2015-16 (July-Sep)	7.7%	6.4%
Q3 2015-16 (Oct-Dec)	7.3%	9.2%

2. INDUSTRIAL PRODUCTION

Industrial Index of Production (IIP), the country's economic barometer for production activity, for FY 2015-16 stands at 2.4% as compared to 2.8% growth in FY 2014-15.

EIGHT CORE INDUSTRIES

The Eight Core Industries comprise nearly 38 % of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of these Eight Core Industries stands at 188.0 in March, 2016, which was 6.4 % higher compared to the index of March, 2015. Its cumulative growth during April to March, 2015-16 was 2.7 %. Coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement & electricity grew by 4.6%, (-)1.4%, (-)4.2, 3.8%, 11.3%, (-)1.4%, 4.6% and 5.2%, respectively, during FY 2015-16.

3. WPI & CPI INFLATION

The annual rate of inflation, based on monthly WPI, stood at (-)0.85% (provisional) for the month of March 2016 (over March 2015) as against the figure of (-)2.33% during the corresponding month of previous year. CPI Inflation for Mar-16 was 4.83% as compared to 5.25% for Mar-15.

4. FOREIGN TRADE

Cumulative value of exports for the period April-March 2015-16 was US\$ 261.14 billion (₹1708841.43 crore) as against US\$ 310.34 billion (₹1896348.40 crore) registering a negative growth of 15.85 per cent in Dollar terms and 9.89 per cent in Rupee terms over the same period last year.

Cumulative value of imports for the period April-March 2015-16 was US\$ 379.60 billion (₹2481367.22 crore) as against

मूल्य 448.03 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹2481367.22 करोड़) रहा, जिसमें डॉलर के रूप में 15.28% और रुपये के रूप में 9.34% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 25 मार्च, 2016 को 355.56 बिलियन अमरीकी डॉलर पर आंकी गई और इसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 13.92 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। कुल आरक्षित निधि में, विदेशी मुद्रा आस्तियां 332.15 बिलियन अमरीकी डॉलर आंकी गई और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इनमें 14.82 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

5. मुद्रा आपूर्ति

18 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, मुद्रा आपूर्ति (एम3) ₹1,16,335.4 बिलियन थी तथा इसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10.3% (₹10,879.9 बिलियन) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋणों में 2015-16 के दौरान 10.9% (₹7,638.2 बिलियन) की वृद्धि हुई। सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹2,271.3 बिलियन (7.6%) की वृद्धि हुई।

6. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) कारोबार

i. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां

18 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां ₹93,786.5 बिलियन रही तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 9.9% (₹8,453.6 बिलियन) की वृद्धि हुई। मांग राशियों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1,044.1 बिलियन की वृद्धि दर्ज हुई। मीयादी जमाराशियों में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹7,409.6 बिलियन की वृद्धि दर्ज हुई।

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण

18 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए बैंक ऋण ₹72,776.5 बिलियन रहे और इनमें 11.3% (₹7,412.3 बिलियन) की वृद्धि हुई। बैंकिंग प्रणाली का ऋण-जमा अनुपात दिनांक 20.03.2015 के 76.46% से बढ़कर दिनांक 18.03.2016 को 77.60% हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए गैर-खाद्यान्न ऋणों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹7,304.0 बिलियन की वृद्धि हुई।

iii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

2015-16 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एसएलआर निवेश 5.9% (₹1,480.7 बिलियन) की वृद्धि के साथ ₹26,398.9 बिलियन रहा। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश ₹26,384.0 बिलियन रहा जबकि अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में यह केवल ₹14.9 बिलियन था। 18.03.2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश-जमा अनुपात 28.15% रहा।

US\$ 448.03 billion (₹2737086.58 crore) registering a negative growth of 15.28 per cent in Dollar terms and 9.34 per cent in Rupee terms over the same period last year.

FOREX RESERVES

Total Foreign exchange reserves as on March 25, 2016 were valued at US\$ 355.56 Billion and recorded an increase of US\$ 13.92 Billion during the fiscal 2015-16. Out of the total reserves, foreign currency assets were valued at US\$ 332.15 Billion and have shown an increase of US \$14.82 Billion during the fiscal 2015-16.

5. MONEY SUPPLY

As on March 18, 2016 Money supply (M3) was of the order of ₹1,16,335.4 Billion and has increased by 10.3% (₹10,879.9 Billion) in FY 2015-16. Bank credit to the commercial sector increased by 10.9% (₹7638.2 Billion) in 2015-16. Net bank credit to Government increased by ₹2,271.3 Billion (7.6%) during FY 2015-16.

6. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (SCBs) BUSINESS

i. Aggregate Deposits of Scheduled commercial Banks

Aggregate Deposits of SCBs as on March 18, 2016 were of the order of ₹93,786.5 Billion and increased by 9.9% (₹8,453.6 Billion) during FY 2015-16. Demand Deposits recorded a growth of ₹1,044.1 Billion during FY 2015-16. Time Deposits have shown a growth of ₹7,409.6 Billion during FY 2015-16.

ii. Bank credit of scheduled Commercial banks

Bank credit extended by the Scheduled Commercial banks (SCBs) as on March 18, 2016 was of the order of ₹72,776.5 Billion and increased by 11.3% (₹7,412.3 Billion). The Credit – Deposit ratio of the Banking System increased to 77.60% as on 18.03.2016 from the level of 76.46% as on 20.03.2015. The Non-Food Credit of SCBs increased by ₹7,304.0 Billion during FY 2015-16.

iii. Investments of Scheduled Commercial Banks

Total SLR investments of Scheduled Commercial Banks stood at ₹26,398.9 Billion showing a growth of 5.9% (₹1,480.7 Billion) during 2015-16. Investment in Government Securities stood at ₹26,384.0 Billion whereas other approved securities were to the tune of ₹14.9 Billion. The Investment - Deposit ratio of SCBs as on 18.03.2016 stood at 28.15%.



भाग ख – बैंक का कार्यनिष्पादन

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम 9% की वृद्धि के साथ मार्च, 2015 के ₹57112.93 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2016 में ₹62254.73 करोड़ हो गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम निर्धारित 40% की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 41.05% रहे। मार्च, 2015 तथा मार्च, 2016 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के अंतर्गत अग्रिमों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मार्च 2015	मार्च 2016
1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	57112.93	62254.73
2.	कृषि	22541.44	25957.76
3.	एमएसएमई	26268.37	27511.84
4.	शिक्षा ऋण	1201.32	1214.62
5.	आवास ऋण	6059.74	7427.22
6.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1042.06	143.29

1.1 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

ऋण से वंचितों को ऋण देने के लिए विनिर्माण, ट्रेडिंग एवं सेवा क्षेत्र के गैर-कृषि उद्यमों को सामान्य वित्तीय प्रणाली में लाने और ₹10.00 लाख तक के आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु 08 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई। बैंक द्वारा ₹1295 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹1309.25 करोड़ के ऋण संवितरण किए गए।

1.2 प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) एवं वित्तीय समावेशन नवोन्मेष

प्रधान मंत्री जन-धन योजना, वित्तीय समावेशन पर एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के बैंक रहित परिवारों को एक उचित दूरी की परिधि में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति

(राशि लाख में)

क्र.सं.	मानदण्ड	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार
1	खोले गए खाते	36.71
2	जारी किए गए रुपये कार्ड	35.68
3	जारी रुपये कार्ड का प्रतिशत	97.19%
4	शून्य शेष वाले खाते	4.01
5	शून्य शेष वाले खातों का प्रतिशत	10.92%
6	जारी पासबुको की संख्या	34.96
7	जारी पासबुको का प्रतिशत	95.23%
8	आधार संख्या के साथ खोले गए खाते	15.68
9	आधार सीडिंग वाले खातों का प्रतिशत	42.71%
10	खाते में जमा की गई राशि	304017.04

PART B – PERFORMANCE OF THE BANK

1. SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT TO PRIORITY SECTOR

Bank's advances to priority sector increased from ₹57112.93 crore in March 2015 to ₹62254.73 crore in March 2016 registering a growth of 9%. The Priority Sector Advances constituted 41.05% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 40%. The comparative position of advances under various segments under Priority Sector at the end of March 2015 and March 2016 is as follows:

(Amount ₹ in crore)

S.No.	Sectors	March 2015	March 2016
1.	Priority sector credit	57112.93	62254.73
2.	Agriculture	22541.44	25957.76
3.	MSME	26268.37	27511.84
4.	Educational Loan	1201.32	1214.62
5.	Housing Loan	6059.74	7427.22
6.	Other P.S.	1042.06	143.29

1.1 Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY)

PMMY was launched on April 08th, 2015 to fund the unfunded by bringing non-farm enterprises in Manufacturing, Trading and Services to the formal financial system and extending affordable credit upto ₹10 lakh to them. As against the disbursement targets of ₹1295 crores, the Bank has achieved ₹1309.25 crores.

1.2 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) & Financial Inclusion Initiatives

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojna, an ambitious programme on Financial Inclusion is aimed to ensure access to financial services to the unbanked population in the country at affordable costs within a reasonable distance. The progress under PMJDY is as under:

(Figures in lacs)

SN	Parameters	As on 31.03.16
1	No. of accounts opened	36.71
2	RuPay card issued	35.68
3	Percentage of RuPay card issued	97.19%
4	Accounts with zero balance	4.01
5	Percentage of Zero balance accounts	10.92%
6	No. of Passbooks issued	34.96
7	Percentage of Passbooks issued	95.23%
8	Accounts opened with Aadhaar numbers	15.68
9	Percentage of Aadhaar seeded accounts	42.71%
10	Amount of deposit in accounts	304017.04

वित्तीय समावेशन नवोन्मेष

बैंक ने राष्ट्र के दूरस्थ क्षेत्रों के ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिसंरचना तैयार की। हम कियोस्क एवं माइक्रो एटीएम डिवाइस के माध्यम से ई-सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये सेवाएं बैंक के वित्तीय समावेशन गेटवे (एफआईजी) और अनेकों बीसी एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। बैंक द्वारा भारत सरकार की पीएमजेडीवाई योजना एवं अन्य नवोन्मेष के अनुसार सेवाएं दी जा रही हैं। वित्तीय समावेशन योजना में ऑनलाइन खाता खोलना, नकदी जमा करना, नकदी आहरण, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेन, रुपे कार्ड लेनदेन तथा प्रमाणीकरण हेतु ई-केवाईसी सेवाएं शामिल हैं।

1.3 कृषि अग्रिम

कृषि खंड के अग्रिमों में 15.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए, जो 31.03.2015 के ₹22541.44 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 में ₹25957.76 करोड़ हो गए। कृषि ऋण बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 17.11% रहे। छोटे एवं मझौले कृषि ऋण का अंश निर्धारित 7% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 7.08% होकर ₹10739.57 करोड़ हो गया।

1.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

मार्च, 2016 के अंत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में बैंक का एक्सपोजर ₹27511.84 करोड़ रहा। 4.73% की वृद्धि के साथ ₹1243.47 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को ऋण निर्धारित 7% की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) के 7.96% होकर ₹12079.55 करोड़ हो गए।

1.5 ओरियन्टल ग्रीन कार्ड (ओजीसी) एवं ओरियन्टल किसान गोल्ड कार्ड (ओकेजीसी)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक द्वारा किसानों को फसल उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं संयंत्रों की मरम्मत हेतु ऋण आवश्यकता को पूरा करने, संबद्ध क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूंजी, गैर-संस्थागत साहूकारों से लिए गए पुराने कर्जों को चुकाने व उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए 67420 कार्ड जारी किए गए। इस वर्ष के दौरान, इन कार्डों के जरिए ₹1458.68 करोड़ के ऋण संवितरित किए गए। बैंक ने सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को एटीएम कार्ड जारी किए।

1.6 कमजोर वर्ग को अग्रिम

कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण शिल्पकार, सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं (पीएमईजीपी को छोड़कर) के लाभग्राही शामिल हैं, को दिए गए अग्रिम 31.03.2015 के ₹14899.73 करोड़ के मुकाबले 31.03.2016 को ₹16220.30 करोड़ हो गए। एएनबीसी के निर्धारित 10.00% के मानक के विरुद्ध कमजोर वर्ग को अग्रिम का प्रतिशत 10.69% रहा।

1.7 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि को लागू कर रहा है जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है अजा/अजजा एवं महिलाओं विशेष ध्यान दिया जाता है।

Financial Inclusion Initiatives

The bank has put in place the infrastructure for providing the banking facilities to the customers in remotest parts of the country. We are providing these services through KIOSK as well as through micro-ATM devices. The services are backed up by the Bank's Financial Inclusion Gateway (FIG) and the man power of numerous BC agents. Bank is providing services in line with the Government of India's PMJDY scheme and other initiatives. Various services provided by the bank to the customers under Financial Inclusion plan include online account opening, cash deposit, cash withdrawal, Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) transactions, Rupay Card transaction and e-KYC services for authentication.

1.3 Agriculture Advances

The advances to Agriculture segment increased from ₹22541.44 crores as on 31.3.2015 to ₹25957.76 crores as on 31.3.2016 registering a growth of 15.16%. The Agriculture Advances constituted 17.11 % of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The share of Small & Marginal farmers stood at ₹10739.57 crores as on 31.03.2016, which constituted 7.08% against the stipulated norms of 7% of ANBC.

1.4 Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Bank's exposure to Micro, Small & Medium Enterprises stood at ₹27511.84crores at the end of March, 2016. There is an increase of ₹1243.47 crores recording a growth of 4.73 %. The Micro Enterprises sector advances stood at ₹12079.55 crores which is 7.96% of ANBC against the stipulated norms of 7%.

1.5 Oriental Green Card (OGC) & Oriental Kisan Gold Card (OKGC)

During the Financial Year 2015-16, Bank has issued 67420 cards to farmers to meet their credit requirement for crop production, repairing of agricultural machinery & equipment, working capital for allied activities, to repay their old debts taken from non institutional money lenders and consumption needs. The total amount of loan disbursed through these cards during the year was ₹1458.68 crores. Bank has issued ATM cards to all eligible KCC holders.

1.6 Advances to Weaker Sections

Advances to weaker sections, consisting of beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes, small and marginal farmers, landless labourers, rural artisans, beneficiaries under Govt. Sponsored schemes (except PMEGP) are ₹16220.30 crore as on 31.03.2016 against ₹14899.73 crore as on 31.03.2015. The percentage of advances to weaker sections is 10.69% of ANBC against stipulated norm of 10.00%.

1.7 Government sponsored schemes

Bank is implementing various Government sponsored schemes such as Differential Rate of Interest (DRI), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), National Urban Livelihood Mission (NULM), National Rural Livelihood Mission (NRLM) etc., benefitting all sections of society with special focus on SC/ST and women.



1.8 राज्य स्तरीय बैंक समिति दायित्व

बैंक को नवंबर, 2011 से भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक का प्रतिष्ठित दायित्व सौंपा गया है। दिल्ली राज्य में इन सदस्य बैंकों की 3279 शाखाएं सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राज्य स्तरीय बैंकर समिति, दिल्ली ने डीबीटी योजना, जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समिति सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को लागू करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/राज्य सरकार के विभागों/सदस्य बैंकों के साथ निकट समन्वय भी बनाए हुए है।

1.9 अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

बैंक चार जिलों में अर्थात् पंजाब के फिरोजपुर, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हरियाणा के पलवल जिले और दिल्ली राज्य में उत्तर दिल्ली में अग्रणी बैंक का कार्य कर रहा है। इन सभी चार जिलों में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 98: से अधिक की उपलब्धि रही।

1.10 ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से ओरियन्टल बैंक ग्रामीण विकास न्यास (ओबीसी आरडीटी) नामक एक विशेष संस्थान की स्थापना की है। इस समय देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर और पलवल में पांच ओबीसीआरडीटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 149 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और विभिन्न कार्यक्रमों में 3810 उम्मीदवार लाभान्वित हुए। समेकित रूप से इन केंद्रों ने अपने आरंभ से 766 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 20875 उम्मीदवार लाभान्वित हुए, स्थापना से अब तक इनकी नियोजन (सेटलमेंट) दर 65% है।

2. रिटेल ऋण

रिटेल ऋण खंड के अंतर्गत रिटेल ऋण बढ़ाने पर निरंतर जोर दिया जाता है। हमारे सभी रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्रतिस्पर्धी हैं तथा इन्हें विशेषकर समाज के सभी वर्गों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है। 31.03.2015 को 10.66% की तुलना में, 31.03.2016 में रिटेल ऋण कुल अग्रिमों के 12.12% हैं और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इसमें 17.94% की वृद्धि हुई है।

i. गृह ऋण

आवासीय ऋण में वर्ष दर वर्ष 17.44% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान 15305 खातों में ₹2977.81 करोड़ के नए आवासीय ऋण स्वीकृत किए गए।

ii. कार/वाहन ऋण

कार/वाहन ऋण 31.03.2016 को ₹1560.47 करोड़ हो गए। बैंक के आरएम ऋण के अनुसार वाहन ऋण को पुनः समायोजित किया गया। (यदि मार्च 2015 के आंकड़ों को पुनः समायोजित किया जाता है तो वाहन ऋण में वृद्धि 8.81% हो जाएगी)। वर्ष के दौरान 19887 खातों में ₹1082.69 करोड़ के नए कार ऋण स्वीकृत किए गए।

iii. शिक्षा ऋण

बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2016 को ₹1344.71 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान शिक्षा ऋण खातों में ₹7.15 करोड़ की शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी जमा की गई है।

1.8 State Level Bankers Committee Responsibility

The Bank has been bestowed with prestigious assignment of Convener – State Level Bankers' Committee for Delhi State by the Government of India from November, 2011. Delhi State is served by 3279 branches of SLBC member banks. SLBC Delhi has played important role in implementation of DBT scheme, a flagship program of Government of India. It has also closely co-ordinated with DFS, MoF, GoI/ RBI/ State Govt. departments/ Member Banks for implementation of Government and RBI directions.

1.9 Lead Bank Responsibility

Bank is performing the functions of Lead Bank in four Districts namely Ferozpur in Punjab, Sriganganagar in Rajasthan, Palwal in Haryana and North Delhi in Delhi state. There is more than 98% achievement under ACP in all the four districts.

1.10 OBC Rural Development Trust

Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank Rural Development Trust (OBCRDT) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas. Presently, five OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur, Ferozpur and Palwal.

During the Financial Year 2015-16, a total of 149 Skill Development training programmes were conducted and 3810 candidates were benefitted under various programmes. Cumulatively these centres have conducted 766 Skill Development training programmes since inception benefiting 20875 candidates, the overall settlement rate of trainees since inception is more than 65%.

2. RETAIL CREDIT

Retail Credit segment continues to be the thrust area of lending. All our Retail Credit products are customer friendly, competitive and specifically designed to suit all sections of the society. The Retail Credit Portfolio constitutes 12.12% of total advances as on 31.03.2016 as against 10.66% as on 31.03.2015 and it has increased by 17.94% during FY 2015-16.

i. Home Loan

The Home Loan portfolio has shown YoY growth of 17.44%. During the year, fresh home loans of ₹2977.81 crore were sanctioned in 15305 accounts.

ii. Car/Vehicle Loan

Car/ Vehicle loan stood at ₹1560.47 crore as on 31.03.2016. Vehicle Loan has been re-adjusted as per Bank's RAM credit. (If the March 2015 figures are re-adjusted, the growth in Vehicle Loans shall be 8.81%). During the year fresh car loans of ₹1082.69 crore were sanctioned in 19887 accounts.

iii. Education Loan

Education Loan portfolio of the Bank stood at ₹1344.71 crore as on 31.03.2016. Education loan interest subsidy of ₹7.15 Crore has been credited in respective education loan accounts during the FY-2015-16.

भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों को आधार मानते हुए बैंक ने उच्च शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए आसान शर्तों पर शिक्षा ऋण देने के प्रयास जारी रखे। प्रमुख शिक्षण संस्थानों को श्रेणी क एवं ख के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिसमें ऋण सीमा, ब्याज दर, मार्जिन, प्रक्रिया शुल्क एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में विशेष लाभ प्रदान किए गए हैं।

iv. अचल सम्पत्त पर ऋण

अचल सम्पत्त के विरुद्ध ऋण के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष वृद्धि 97.00% है। वर्ष के दौरान 9235 खातों में ₹2193.20 करोड़ के नये ऋण स्वीकृत किए गए।

v. व्यक्तिगत ऋण

व्यक्तिगत ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 18.98% की वृद्धि हुई है, वर्ष के दौरान 12012 खातों में ₹299.22 करोड़ के नए व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किए गए।

वर्ष के दौरान किए गए नवोन्मेष कार्य :

क) आवास ऋण योजना, ओरियन्टल बंधक ऋण योजना (ओएमएलएस) एवं ओरियन्टल कारोबार ऋण योजना (ओबीएलएस) बंधक आधारित ऋणों की प्रोसेसिंग को व्यवस्थित करने एवं प्रतिक्रिया समय (टीएटी) को कम करने के लिए, ऐसे शहर जहां कम से कम 10 शाखाएं कार्यरत हैं, 24 समर्पित रिटेल ऋण प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है।

ख) इन योजनाओं को अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विभिन्न रिटेल क्रेडिट योजनाओं, जैसे आवास ऋण योजना, ओरियन्टल ऋण बंधक योजना, सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों के लिए ओरियन्टल वैयक्तिक ऋण योजना में संशोधन किए गए।

ग) तीन नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जैसे :

i). **पेंशनरों की वैयक्तिक ऋण** : हमारे समाज के पेंशनरों, वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जायज जरूरतों के लिए ऋण प्रदान करने पर ध्यान देने हेतु आकर्षक सुविधाओं वाली एक पृथक योजना यथा: पेंशनरों को वैयक्तिक ऋण लागू की गई है।

ii). **सबके लिए आवास (शहरी) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** : यह योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ निम्न आय समूह (एलआईजी) को आवास ऋण प्रदान करती है। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी के लाभार्थी 6.5% की दर से 15 वर्ष अथवा ऋण की अवधि, जो भी कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी के निवल वर्तमान मूल्य की गणना 9% की रियायती दर पर की जाएगी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी केवल ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए उपलब्ध रहेगी।

iii). **कौशल ऋण योजना** : मान्यता प्राप्त संस्थानों में विशेषीकृत कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हमारे बैंक में 07.10.2015 से प्रभावी कौशल ऋण योजना लागू की गई थी। इस योजना को पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा ऋण योजना के नाम से जाना जाता था।

3. अन्य पार्टी उत्पाद

i. जीवन बीमा कारोबार (संयुक्त उद्यम)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने रिटेल वैयक्तिक प्लेटफार्म पर ₹97.06 करोड़ के प्रथम प्रीमियम संग्रह के साथ 22999 पॉलिसियां बेचीं और

Bank continued its efforts for extending education loans for Higher Studies & Skill Development courses on soft terms as per IBA guidelines. Premier educational institutions have been categorized under Category A & B, wherein special benefits in terms of Loan Limit, Rate of Interest, Margin, Process Fee & Collateral Security have been granted.

iv. Loan against Immovable Property

The YoY growth under Loan Against Immovable Property is 97.00%. During the year fresh loans of ₹2193.20 crore were sanctioned in 9235 accounts.

v. Personal Loan

YoY growth in personal loan is 18.98%. During the year fresh personal loans of ₹299.22 crore were sanctioned in 12012 accounts.

New initiatives taken during the year are as follows:

a) In order to streamline the processing of mortgage based loans under Housing Loan Scheme, Oriental Mortgage Loan Scheme (OMLS) and Oriental Business Loan Scheme (OBLS) and to reduce the turnaround time (TAT), 24 dedicated Retail Credit Processing Centres have been set up at cities where minimum 10 branches are functioning.

b) Modification have been made in various retail credit schemes such as Home Loan Scheme, Oriental Loan Mortgage Scheme, Oriental Personal Loan Scheme or Govt. / PSU Employees in order to make these schemes more lucrative and competitive.

c) Three new schemes have been launched viz.:

i). **Personal Loan to Pensioners** : To give focus to loan to pensioners, senior citizens of our society for their legitimate needs, a separate scheme i.e. Personal Loan to Pensioners has been launched with attractive features.

ii). **Housing for All (Urban) Credit Linked Subsidy Scheme** : The scheme covers Housing loans to Economically Weaker Section (EWS) / Low Income Group (LIG) in Urban Area. Beneficiaries of EWS and LIG shall be eligible for an interest subsidy at the rate of 6.5% for tenure of 15 years or during tenure of the loan whichever is lower. The Net Present Value of the interest subsidy will be calculated at a discount rate of 9%. The credit linked subsidy will be available only for loan amounts upto ₹6 lakhs.

iii). **Skill Loan Scheme** : With the objective of providing need based financial support to students for undergoing specialized skill development programs in recognized institutes; Skill Loan Scheme was introduced in our Bank w.e.f 07.10.2015. Earlier the scheme was known as Education Loan Scheme for Vocational courses.

3. THIRD PARTY PRODUCTS

i. Life Insurance Business (JV)

During FY 2015-16, the Bank has sold 22999 policies on retail/Individual platform with First Premium Collection of



₹11.46 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने आवास एवं शिक्षा ऋण हेतु सुरक्षित समूह योजना (जी.एस.एस) के अंतर्गत 2758 बीमा प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए, जिससे ₹9.99 करोड़ का प्रीमियम संग्रह हुआ।

ii. सामान्य बीमा कारोबार

बैंक ने सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत ₹50.10 करोड़ का प्रीमियम जुटाते हुए ₹5.29 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

iii. ओरियंटल बैंक मेडिक्लेम पॉलिसी

हमारा बैंक देशभर की शाखाओं के माध्यम से 3 अक्टूबर, 2011 से ओरियन्टल मेडिक्लेम पॉलिसी बेच रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 51193 पालिसियां बेची एवं ₹23.41 करोड़ का प्रीमियम एकत्रित किया जिससे ₹3.43 करोड़ का शुद्ध कमीशन अर्जित किया है।

iv. म्युचुअल फंड कारोबार

हमारा बैंक म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरक है और इसने 7 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने म्युचुअल फंड के कारोबार से ₹37.72 लाख की कमीशन अर्जित की है।

v. डिमैट खाते

डिमैट कारोबार करने के लिए बैंक 207 अधिकृत शाखाओं के साथ एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों से निक्षेपागार सहभागी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में निक्षेपागार कारोबार से ₹2.60 करोड़ की आय हुई। हमारे डिमैट खाता धारकों को ऑनलाइन कारोबार सुविधा प्रदान कराने के लिए बैंक ने मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, मैसर्स कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड एवं मैसर्स जिओजित बीएनपी पारिबास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ गठबंधन किया है।

vi. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स-एसबीआई क्रेडिट कार्ड

हमारे बैंक ने को-ब्रांडिड क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग हेतु 22.10.2011 से एसबीआई कार्ड्स के साथ समझौता ज्ञापन किया। हम अपने शाखा नेटवर्क के जरिए सुरक्षित एवं असुरक्षित कार्डों का वितरण कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में, 13167 कार्ड जारी किए गए, जिससे ₹80.20 लाख का कमीशन अर्जित किया गया। प्रारंभ से कुल 50,541 कार्ड जारी किए गए हैं।

vii. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मई 2015 में प्रारंभ की गई इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ने 38,04,098 लोगों का नामांकन किया है जिनमें से पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई में क्रमशः 603,496 एवं 32,00,602 लोगों का नामांकन किया गया है।

viii. नकदी प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)

बैंक ने कुल ₹554 करोड़ का सीएमएस टर्नओवर पंजीकृत किया है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹2.20 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

4. सरकारी कारोबार

- **कर संग्रहण** : बैंक ओल्टास सिस्टम के माध्यम से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद कर और सेवा कर) के संग्रहण के लिए प्राधिकृत है। बैंक तमिलनाडु, सीमांध्रा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं ओडीशा राज्य में वाणिज्यिक कर (सरकारी राजस्व/सरकारी करों के ई-भुगतान) के लिए भी प्राधिकृत है।

₹97.06 Crores and has earned commission of ₹11.46 Crores.

Besides, the Bank has also sourced 2758 policies under Group Secure Scheme (GSS) for Housing & Education Loan thereby collecting a premium of ₹9.99 crores.

ii. General Insurance Business

In General Insurance Business, the Bank has collected a premium of ₹50.10 crores thereby earning a commission of ₹5.29 crores.

iii. Oriental Bank Mediclaim Policy

Our Bank has been selling Oriental Mediclaim Policy since 3rd October'2011 through all our branches across the country. During the FY 2015-16, the Bank has marketed 51193 policies and collected a premium of ₹23.41 crores thereby earning a commission of ₹3.43 crores.

iv. Mutual Fund Business

Our Bank is a distributor for Mutual Fund products and has Tie Up with 7 Asset Management Companies. During the Financial year 2015-16, the Bank has earned a commission of ₹37.72 Lacs from Mutual Fund Business.

v. Demat Accounts

The Bank is a Depository Participant for both NSDL and CDSL with 207 authorized Branches for doing Demat Business. The income from Depository Business in FY 2015-16 is ₹2.60 crores. For providing Online Trading facility to our Demat Account holders, Bank has tied up with the M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., M/s. Karvy Stock Broking Ltd. & M/s. Geojit BNP Paribas Financial Services Ltd

vi. Oriental Bank of Commerce-SBI Credit Cards

Our Bank has an arrangement with SBI Cards for marketing of Co-Branded credit cards since 22.10.2011. We are sourcing secured and unsecured cards through our branch network. In FY 2015-16, 13167 credit cards have been issued thereby earning a commission ₹80.20 Lacs. Since inception 50,541 credits cards have been issued.

vii. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY)

Under these Social Security Schemes launched by the Hon'ble Prime Minister in May 2015, our bank has enrolled a total of 38,04,098 persons in which 603,496 & 3200,602 enrolments have been done under PMJJBY & PMSBY respectively.

viii. Cash Management System (CMS)

The Bank has registered a CMS turnover of ₹554 Crores and earned a commission of ₹2.20 Crores during FY 2015-16.

4. GOVERNMENT BUSINESS

- **Collection of Taxes** : The Bank is authorized for collection of Direct taxes and Indirect taxes (Excise Duty & Service Tax) through OLTAS system. Bank is also authorized for collection of Commercial Taxes (Govt. Revenue/ e-payment of Govt. Taxes) in the state of Tamil Nadu, Seemandhra, Rajasthan, West Bengal, Delhi, Maharashtra and Odisha.

- **केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन** : बैंक का अपना केन्द्रीयकृत पेंशन संसाधन केन्द्र है जो केन्द्र सरकार, दूरसंचार, रेलवे, डाक तथा रक्षा पेंशनभोगियों को जीबीएम सिस्टम में पेंशन मोड्यूल के माध्यम से पेंशन संबंधी संवितरण करता है। बैंक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में रह रहे अन्य राज्यों के पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित करने के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में संबंधित शाखाओं के माध्यम से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का वितरण भी कर रहा है।
- **लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)** : बैंक 300 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से पीपीएफ तथा एससीएसएस कारोबार कर रहा है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा एनपीएस-लाइट/एपीवाई** : बैंक राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पीएफआरडीए में भी पंजीकृत है।
- **ई-स्टैमिंग** : गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली तथा राजस्थान राज्यों में स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के समन्वय से बैंक की नामित शाखाओं के माध्यम से ई-स्टैमिंग सेवाएं प्रदान की गई हैं।

5. राजकोषीय परिचालन

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक का गौण बाजार का टर्न ओवर ₹202684.82 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राजकोषीय परिचालन से निवल लाभ ₹484.83 करोड़ रहा। बैंक ने ₹10880.90 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस उसी लागत पर शिफ्ट किया। ₹10.32 करोड़ का मूल्यहास बुक करते हुए ₹1946.83 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम में शिफ्ट किया। ₹1.84 करोड़ का मूल्यहास बुक करते हुए ₹26.74 करोड़ की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में शिफ्ट किया। बैंक का निवेश 31.03.2015 को ₹62072.89 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹65805.00 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में निवेश आय में 7.55% से बढ़कर 7.57% हुई है (इसमें 31.03.2015 के अनुसार नॉन-एसएलआर निवेशों के अंतर्गत वर्गीकृत आरआईडीएफ जमाराशियों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया गया है)। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2015 से आरआईडीएफ राशि निवेश से अन्य आस्तियों में अंतरित हो गई हैं। ₹6401.74 करोड़ के आरआईडीएफ को निवेश से हटाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समुहित किया गया है।

6. विदेशी विनिमय कारोबार

राजकोषीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक का फॉरेक्स टर्नओवर ₹72,633 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विदेशी कारोबार से कुल आय ₹231 करोड़ रही। बैंक की 88 विशेषीकृत शाखाएँ विदेशी मुद्रा कारोबार कर रही हैं। दिनांक 31.03.2016 को बैंक का निर्यात ऋण ₹4051 करोड़ रहा। 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के ₹4360 करोड़ की तुलना में बैंक ने 31.03.2016 को ₹4992 करोड़ की अनिवासी जमाराशियां जुटाई और इस प्रकार गत वर्ष के मुकाबले 14.50% की वृद्धि दर्ज की। दुबई प्रतिनिधि कार्यालय के परिचालन के सात वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यह कार्यालय बैंक के

- **Pension to Central Govt. / State Govt. Pensioners** : The Bank has its own Centralized Pension Processing Centre which handles pension related disbursements for Central Civil, Telecom, Railways, Postal and Defence Pensioners through Pension Module in the GBM system. The Bank is disbursing the pension to State Govt. Pensioners through respective branches in the States of Haryana, Punjab, Rajasthan, Chattisgarh and West Bengal besides disbursing pension to other State Govt. pensioners residing in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Further, the Bank is disbursing pension to Freedom Fighters under Swatantra Sainik Samman Pension Scheme.
- **Public Provident Fund (PPF) and Senior Citizen Savings Scheme (SCSS)** : The Bank is doing PPF & SCSS business through 300 authorized Branches.
- **National Pension Scheme & NPS-Lite/APY** : The Bank is also registered with PFRDA for National Pension Scheme and Atal Pension Yojana.
- **E-Stamping** : e-Stamping services have been provided in States of Gujarat, Karnataka, Delhi and Rajasthan through designated branches in the Bank in coordination with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL).

5. TREASURY OPERATIONS

The Bank's secondary market turnover has been ₹202684.82 crore in FY 2015-16. The net profit from Treasury Operations has been ₹484.83 crore during FY 2015-16. The bank shifted SLR securities amounting to ₹10880.90 crore from HTM to AFS at cost. The bank also shifted SLR securities amounting to ₹1946.83 crore from AFS to HTM by booking depreciation of ₹10.32 crore. Non SLR securities amounting to ₹26.74 crore were shifted from HTM to AFS category by booking depreciation of ₹1.84 crore. The aggregate investment of the Bank has increased to ₹65805.00 crore as on 31.03.2016 from ₹62072.89 crore as on 31.03.2015. The yield on investments has increased to 7.57% from 7.55% last year (excluding income on RIDF deposits classified as Non-SLR investments as on 31.03.2015). With effect from 01.04.2015 the RIDF amount stand transferred from Investments to Other Assets as per RBI Guidelines. The figures for previous Financial Year have been regrouped to exclude RIDF amounting to Rs. 6401.74 crore from Investment.

6. FOREIGN EXCHANGE BUSINESS

During the fiscal year 2015-16, Bank achieved Forex turnover of ₹72,633 crore. The total earning from Foreign Exchange business for the financial year 2015-16 was ₹231 crore. Bank has 88 Specialized Branches to conduct Foreign Exchange Business. The Export Credit of the Bank stood at ₹4051 crore as on 31.03.2016. The Bank has mobilized Non Resident deposits to the tune of ₹4992 crore as on 31.03.2016 as against ₹4360 crore for the year ended 31.03.2015, thereby registering a growth of 14.50 % over the preceding financial year. The Dubai Representative Office has completed seven years of operations, acting as a catalyst to canvass Non-resident



अनिवासी ग्राहक आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से यू.ए.ई. में भारतीय प्रवासियों के अनिवासी खाते जुटाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। कुशल एवं त्वरित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने नई दिल्ली में केन्द्रीकृत लेनदेन केन्द्र (सीटीसी) की स्थापना की है, जहां तीन शाखाओं के विदेशी विनिमय परिचालनों का समेकन किया जाता है।

7. मर्चेन्ट बैंकिंग

बैंक पंजीकृत श्रेणी-I की हैसियत का मर्चेन्ट बैंकर और एक स्थाई प्रमाणपत्र धारक है। बैंक, बैंकर टू इश्यू के रूप में भी स्थाई रूप से पंजीकृत है। स्व-पंजीकृत सिंडिकेट बैंक (एस.सी.एस.बी.) के रूप में कार्य करते हुए बैंक ने अपने ग्राहकों को ए.एस.बी.ए. (ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन) सुविधाएँ प्रदान की हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 60 आईपीओ/अधिकार निर्गम का काम किया है।

8. वसूली

बैंक की सुपरिभाषित वसूली नीति है, जिसमें एनपीए प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसमें एनपीए प्रबंधन, निगरानी तथा अनुवर्ती उपाय, समझौता करार, सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने, डीआरटी एवं अन्य अदालतों के समक्ष वाद दायर करने, लोक अदालत आयोजित करने, वसूली/प्रवर्तन एजेंटों की नियुक्ति, एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ताओं की घोषणा करने से संबंधित सभी क्षेत्र सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वसूली कार्यनिष्पादन तथा एनपीए की स्थिति नीचे दी जा रही है:-

- नकद वसूली ₹1009.79 करोड़ से बढ़कर ₹1148.65 करोड़ हो गई है, अपग्रेडेशन ₹531.18 करोड़ से घटकर ₹519.62 करोड़ हो गए हैं और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों में वसूली भी ₹431.19 करोड़ से घटकर ₹233.58 करोड़ हो गई।
- रि कॉर्डिड ब्याज में वसूली ₹136.76 करोड़ से घटकर ₹60.08 करोड़ हो गई।
- सकल एनपीए ₹7666.22 करोड़ से बढ़कर ₹14701.78 करोड़ हो गया।
- निवल एनपीए ₹4816.24 करोड़ से बढ़कर ₹9932.15 करोड़ हो गया।
- बैंक का पीसीआर कम होकर 60.59% से 51.16% हो गया है।
- सकल एनपीए अनुपात 5.18% से बढ़कर 9.57% हो गया तथा निवल एनपीए अनुपात 3.34% से बढ़कर 6.70% हो गया।

9. जोखिम प्रबंधन

बैंक की अपेक्षित जोखिम प्रबंधन संरचना तथा प्रणाली है, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय आदि से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, समय-समय पर नियमित पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाता है। बैंक में जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। इसमें मण्डल की सहायता बोर्ड की उप समिति द्वारा की जाती है, जैसे कि जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षण समिति (एससीडीआरएम) जिसकी बैठकें तिमाही अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं।

कार्यपालक स्तर पर, पृथक समितियां जैसे; ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति तथा

accounts of Indian Expatriates in UAE to expand the Non-resident customer base of the Bank. To provide efficient and speedy Customer Service, Bank has opened a Centralized Transaction Centre (CTC) in New Delhi, where the Foreign Exchange operations of three branches have been consolidated.

7. MERCHANT BANKING

The Bank is a registered Category I Merchant Banker and holds permanent registration certificate. The Bank also holds permanent registration as Banker to an Issue. As a Self Certified Syndicate Bank (SCSB) it has made available ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility to its customers. During the year, Bank handled 60 IPO/Rights issues.

8. RECOVERY

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and follow-up measures, Compromise settlements, taking action under SARFAESI Act, Filing of recovery suit with DRTs and other courts of Law, organizing Lok Adalats, appointment of Recovery/Enforcement agents, Sale of assets to ARCs, declaring Willful Defaulters.

The position of recovery performance and NPA for the F.Y.2015-16 in comparison with F.Y. 2014-15 is given as under:

- Cash Recovery increased from ₹1009.79 crore to ₹1148.65 crore, Upgradation decreased from ₹ 531.18 crore to ₹519.62 crore and Recovery in T.W.O. accounts also decreased from ₹431.19 crore to ₹233.58 crore.
- Recovery in Recorded Interest decreased from ₹136.76 crore to ₹60.08 crore.
- Gross NPA has gone up from ₹7666.22 crore to ₹14701.78 crore.
- Net NPA has gone up from ₹4816.24 crore to ₹9932.15 crore.
- PCR of the Bank has gone down from 60.59% to 51.16%.
- Gross NPA ratio has increased from 5.18% to 9.57% and Net NPA ratio has also increased from 3.34% to 6.70%.

9. RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place requisite Risk Management Architecture and Systems which are reviewed and updated regularly in the light of guidelines received from time to time from Reserve Bank of India, SEBI and Ministry of Finance etc. The Risk Management Function in the Bank is supervised and managed by the Board of Directors of the Bank. The Board is assisted in this through a Sub-Committee of the Board viz. Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) which meets at quarterly intervals.

At the Executive Level, separate committees viz. Credit Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Asset Liability Management Committee have been formed

आस्ति देयता प्रबंधन समिति, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा विभागों के कार्यपरक कार्यपालकगण शामिल हैं, संबंधित जोखिम क्षेत्रों का प्रबंधन करती हैं। सभी नीतियों की समीक्षा, अनुपालनों की मान्यता, पोर्टफोलियो समीक्षा तथा बैंक के जोखिम नवोन्मेषों को लागू करने के लिए ये समितियां निर्धारित अवधि में बैठकें करती हैं।

बैंक में विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए बैंक के पास मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं, जिनमें ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा बाजार जोखिम नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, अनुपालन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, एकीकृत राजकोषीय नीति, तनाव परीक्षण नीति, ऋण जोखिम परिशमन तथा सम्पाश्विक प्रबंधन नीति, ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रदत्त शक्तियों की दिशानिर्देश नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, वसूली नीति, कारोबार निरंतरता योजना तथा आपदा वसूली नीति, लेखा-परीक्षा नीति, केवाईसी एवं एएमएल नीति, ग्राहक सेवा नीति इत्यादि सम्मिलित हैं।

बासेल-III का क्रियान्वयन

पिलर I:

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बासेल-III पूंजी विनियमन के अनुसार बासेल-III अनुपालक है। बासेल-III के अंतर्गत पिलर-1 प्रतिमानों के अनुसार बैंक ने ऋण, बाजार व परिचालन जोखिम के लिए 31.03.2016 की पूंजीगत आवश्यकताओं का परिकलन किया है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.76% रहा और 9.625% तथा 7.625% की न्यूनतम विनियामक के मुकाबले 31.03.2016 को क्रमशः टियर-I अनुपात का कुल 11.76% एवं 9.10% रहा।

पिलर II:

पिलर-2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) के एक भाग के रूप में बैंक के पास मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है। यह नीति पिलर-1 के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने में बैंक की सहायता करती है। तदनुसार, आन्तरिक पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के अन्तर्गत पूंजी मूल्यांकन प्रक्रिया की वार्षिक समीक्षा की जाती है, ताकि बैंक की कारोबार आयोजना, पूंजी तथा जोखिम के साथ कार्यनिष्पादन का एकीकरण किया जा सके।

पिलर III:

बासेल-III के पिलर-3 प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

आस्ति देयता प्रबंधन (एलएलएम) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा सभी प्रकार के बाजार जोखिमों, जैसे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी जोखिम तथा विदेशी विनिमय जोखिम का समाधान बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट नीतियों द्वारा किया जाता है, जैसे आस्ति देयता प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा एकीकृत राजकोषीय नीति।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) एवं बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) का गठन किया है। आल्को को तरलता जोखिम प्रबंधन, निधिगत एवं पूंजीगत योजना,

comprising of MD&CEO, ED and executives of functional departments looking after the respective business risk area. These committees meet periodically to monitor all policies, validate compliances, undertake portfolio review and implement risk initiatives of the Bank.

The Bank has Board approved policies in place for identifying, assessing, managing and mitigating various risks in the Bank which includes Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management, Liquidity Risk Management Policy and Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Disclosure Policy, Compliance Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Integrated Treasury Policy, Stress Testing Policy, Credit Risk Mitigations & Collateral Management Policy, Policy guidelines of Delegated Powers for loans & advances, Integrated Risk Management Policy, Recovery Policy, Business Continuity Plan & Disaster Recovery Policy, Audit Policies, KYC & AML Policy, Customer Service Policy etc.

Implementation of Basel III

Pillar I:

The Bank is Basel III compliant in terms of the Basel III-capital regulations issued by the Reserve Bank of India. In terms of the Pillar-1 norms under Basel III, Bank has computed its capital requirements for Credit, Market and Operational risk as on 31.03.2016. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank stood at 11.76% and Total Tier I ratio at 9.10% as on 31.03.2016 as against minimum regulatory requirement of 9.625% and 7.625% respectively.

Pillar II:

The Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) as a part of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) under Pillar-2. The Policy enables the Bank to identify and assess other risks which are not covered under Pillar-1. Accordingly, the Capital Assessment process under Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) is reviewed annually so as to integrate the Bank's Business Planning, Business performance with Capital & Risk.

Pillar III:

The disclosures required in terms of Pillar-3 norms of Basel III form part of the annual report of the Bank and are made available on Bank's website.

Asset Liability Management (ALM) and Market Risk Management

All forms of market risks, viz. Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Equity Risk and Foreign Exchange Risk are addressed by the Bank through a well-defined set of policies viz. Asset Liability Management, Market Risk Management Policy, Liquidity Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy approved by Bank's Board.

The Bank has constituted the Asset Liability Management Committee (ALCO) & Market Risk Management Committee (MRMC) in terms of RBI guidelines. The ALCO is entrusted with

वृद्धि पूर्वानुमान के सक्रिय पर्यवेक्षण, जबकि एमआरएमसी को बाजार जोखिम प्रबंधन, ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। बैंक के तुलन-पत्र पर बाह्य कारकों के प्रभाव का आकलन आवधिक रूप से किया जाता है ताकि अभीष्टतम लाभ की दृष्टि से बाजार में वर्तमान चल निधि स्थिति के मद्देनजर कारोबार नीति का निर्धारण किया जा सके।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) का गठन किया है जो आवधिक अंतरालों पर ऋण प्रशासन संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की समीक्षा एवं निगरानी करती है।

बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों द्वारा परिचालित है जैसे कि ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण समीक्षा तंत्र नीति, ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रदत्त शक्ति नीति, वसूली नीति इत्यादि। ऋण जोखिम प्रबंधन विभिन्न स्तरों पर जोखिम को नियंत्रित करता है, जैसे ऋण प्रारंभिकरण, ऋण अनुमोदन, ऋण संवितरण तथा ऋण संवितरण के पश्चात।

ऋण विनिर्देश की निगरानी तथा समीक्षा, एकल एवं समूह ऋणी जोखिम के लिए ऋण जोखिम सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों का जोखिम (स्थावर सम्पदा तथा पूंजी बाजार सहित) ऋण देने पर दबाव, प्रतिबंधित तथा सीमित क्षेत्रों का निर्धारण करके, ओद्योगिक जोखिम की सीमा, संभावित जोखिम तथा अंतर बैंक जोखिम के निर्धारण द्वारा ऋण जोखिम कम किया जाता है। बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ही सीलिंग लिमिट को निर्धारित कर दिया है (जैसे कि एएए, एए, ए, बीबीबी) ताकि एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखा जा सके और ट्रिगर प्वाइंट्स के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धिगत ऋणों की निगरानी की जा सके। ऋण संकेंद्रण की उद्योगवार, रेटिंग वार, क्षेत्र वार समीक्षा तिमाही आधार पर भी की जाती है।

ऋणियों के ऋण जोखिम का मूल्यांकन बड़े कॉरपोरेट, लघु कारोबार तथा सेवाएं, लघु एवं मध्यम उद्यमियों, बुनियादी संरचना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तथा रियल एस्टेट एवं रिटेल क्रेडिट जिसमें आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वैयक्तिक ऋण, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के ऋण शामिल हैं, के लिए निर्धारित विभिन्न ऋण रेटिंग मॉडलों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ऋण समीक्षा तंत्र जो, ऋण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के कार्य की स्वतंत्र समीक्षा करता है तथा समय-समय पर बैंक के बड़े ऋण एक्सपोजर को मॉनिटर करता है।

परिचालनपरक जोखिम प्रबंधन

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) है जो परिचालन जोखिम संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें करती है। बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में बैंक में परिचालन जोखिम के मापन, निगरानी और नियंत्रण की संरचना व रूपरेखा दी गई है।

जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के सभी क्षेत्रों के साथ समन्वय करता है और ससंगत सूचनाएं एकत्रित करता है ताकि संचलनात्मक कोण को ध्यान में रखते हुए इनका सारांश समेकित कर सके और इसे जोखिम प्रबंधन समिति

active supervision of Liquidity Risk Management, Funding and Capital Planning, Profit Planning and Growth Projection, where as the MRMC is entrusted with Market Risk Management, Trading Risk Management, monitoring of Investment portfolio of the Bank. The impact of external factors on the Bank's Balance Sheet is assessed periodically for determining business strategy in the light of prevailing liquidity position in the market with a view to optimize profits.

Credit Risk Management

The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the Policies, Procedures and Systems relating to Credit Administration and Monitoring at periodic intervals.

The Bank's Credit Risk Management process is articulated through various Board approved policies viz. Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Loan Review Mechanism Policy, Credit Monitoring Policy, Policy guidelines of Delegated Powers for loans & advances, Recovery Policy etc. The Credit Risk Management has risk controls at different stages viz. Loan Origination, Loan Approval, Loan Disbursement and Post Disbursement.

The Credit Risk Mitigation is undertaken by fixing, monitoring and reviewing of lending specifications, credit exposure limits in terms of Single & Group borrower exposure, fixing sub limits within single borrower exposure based on credit rating & constitution of the borrower, exposure to sensitive sectors (including real estate and capital market), laying down thrust and restricted areas of lending, ceiling for Industry exposure, Substantial exposure and Inter-Bank exposure. The Bank has prescribed ceiling limit at portfolio level (like AAA, AA, A, BBB) to maintain a healthy credit portfolio and monitor the growing exposure to various sectors by way of trigger points. Credit Concentration is also reviewed on quarterly basis industry wise, rating wise, region wise, etc.

The credit risk assessment of the borrowers is undertaken using different credit rating models for borrowers including Large Corporate, Emerging Corporate, Small Business & Services, Small & Medium Enterprises, Infrastructure, Greenfield project and Real Estate and for Retail Credit including Housing loan, Education Loan, Personal Loan and Agriculture & Allied activities. The Loan Review Mechanism, which functions independent of the Credit Department and Risk Management Department, reviews and monitors large credit exposures of the Bank on periodic basis.

Operational Risk Management

The bank has an Operational Risk Management Committee (ORMC) which meets on regular basis to review the existing as well as new products and process. The Operational Risk Management Policy of the bank outlines the structure and framework for measuring, monitoring and controlling the operational risk of the bank.

The Risk Management Department Co-ordinates with all areas of the Bank and collects relevant information, builds a

व अन्य इच्छुक पार्टियों को संप्रेषित कर सके। संचलनात्मक दृष्टि से जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है सिस्टम व प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए जैसे कि नियंत्रणकारी पद्धति आरंभ करके तथा इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करके इस प्रकार के जोखिमों को कम करने/रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाता है।

बैंक वर्तमान सिस्टम के उन्नयन हेतु एवं कार्यपद्धतियों में उच्च पहुँच बनाने की प्रक्रिया में है। इस विषय में, बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु जोखिम वहन रूपरेखा तथा जोखिम सहन सीमा, आरसीएसए रूपरेखा और केआरआई रूपरेखा तैयार की है। बैंक ने छः उत्पादों के लिए दो अवसरों पर, प्रत्येक समय तीन बार आरसीएसए का प्रयोग किया है। बैंक के विभिन्न उत्पादों हेतु आरसीएसए का प्रयोग करना एक निरंतर प्रक्रिया है। बैंक आईबीए द्वारा गठित ऋण तथा परिचालन जोखिम हानि डाटा एक्सचेंज (सीओआरडीईएक्स) के सदस्य है जो हानिग्रस्त डाटा अर्थात सदस्यों के मध्य धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी का आदान-प्रादान करता है।

10. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारी योगदान में आंतरिक लेखा कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) को दिनांक 01.10.2006 से पूरी तरह से अपना लिया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 2248 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। इसके साथ ही वर्ष 2015-16 के दौरान सभी पात्र 34 प्रादेशिक कार्यालयों की तथा सभी 10 प्रादेशिक निरीक्षणालयों की जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई। 2015-16 के दौरान प्रधान कार्यालय के 07 विभागों की प्रबंधन लेखापरीक्षा भी की गई।

बैंक ने अपने क्षेत्राधिकार की 34 प्रादेशिक कार्यालयों एवं उनकी अधीनस्थ शाखाओं के कार्यों की निगरानी के लिए विभिन्न स्थानों पर 10 प्रादेशिक निरीक्षणालय स्थापित किए हैं।

अनुपालन गुणवत्ता में सुधार करने हेतु दिनांक 01.04.2015 को प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर एक उप समिति रेस (कार्यपालकों की प्रादेशिक लेखापरीक्षा समिति) का गठन किया गया है। रेस का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा फाइलों की निगरानी एवं बंदी की समीक्षा करना है। रेस द्वारा निरीक्षण नियंत्रण से संबंधित अन्य मदों यथा, संगामी लेखापरीक्षा/आई.एस. लेखापरीक्षा/स्पेशलफोकस/आर.बी.आई. निरीक्षण/राजस्व लेखापरीक्षा/स्पेशल राजस्व लेखा परीक्षा इत्यादि की समीक्षा भी की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा शाखाओं की संगामी लेखापरीक्षा भी की जा रही है जिसमें 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बैंक की 85.03% जमा राशियों और 89.33% अग्रिमों और कुल कारोबार के 86.75% को कवर किया गया है। 31.03.2016 को कुल 926 शाखाओं, जिनमें विशेषीकृत शाखाएं, सेवा शाखाएं और प्रधान कार्यालय के कुछ चुने हुए विभाग शामिल हैं, की संगामी लेखा परीक्षा हुई।

consolidated view of operational risk, assembles summary of the same and communicates to the Risk Management Committees and other interested parties. The operational risk prone areas are identified and suitable steps are initiated to mitigate/ prevent such risks by reviewing systems and procedures, introducing control elements and imparting training to the staff so as to guard against such incidents.

The Bank is in the process of upgrading the existing system and practices to facilitate migration to higher approaches. In this regard, Bank has put in place the risk appetite framework for operational risk, risk tolerance limit for operational risk, RCSA framework and KRI framework. The Bank has carried out the RCSA exercise for six products on two occasions, three each time. The RCSA exercise for different products of the Bank is a continuous process. The Bank has engaged consultant for implementation of Integrated Risk Management Solution. Bank is also a member of Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX) incorporated by IBA, which shares the loss events e.g. frauds among its members.

10. RISK BASED INTERNAL AUDIT & INTERNAL CONTROL SYSTEM

A sound Internal Audit Functions plays an important role in contributing to effectiveness of the internal control system. The Bank fully migrated to Risk Based Internal Audit w.e.f 01.10.2006. Risk Based Internal Audit (RBIA) of all eligible 2248 branches was conducted during the year 2015-16. Besides, Risk Based Management Audit of all eligible 34 Regional Offices and all the 10 Regional Inspectorates have been conducted during the year 2015-16. Management Audit of 7 H.O departments was conducted during 2015-16.

Bank is having 10 Regional Inspectorates at different locations for internal audit and supervising the working of all 34 Regional Offices & Branches under their jurisdiction.

In order to improve quality of compliance, w.e.f. 01.04.2015 a sub-committee RACE (Regional Audit Committee of Executives) is formed at Regional Office level. The main objective of RACE is to review monitoring and closure of audit files with qualifications. RACE will also review other issues related to Inspection control viz., working of Concurrent Audit / I S Audit / Spl. Focus/RBI inspections/Revenue audit/Special Revenue audit etc.

In conformity with RBI directives, Concurrent Audit of the branches is also being conducted by CA Firms covering 85.03% of the Deposits and 89.33% of advances and 86.75% of total working as on 31.03.2015. A total number of 926 branches including Specialized Branches, Service Branches and certain Head Office Departments were under Concurrent Audit as on 31.03.2016.

11. ऋण निगरानी

क्रेडिट मॉनिटरिंग ऋण गतिविधि की आंतरिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता और समयानुसार देयराशियों की वसूली की निगरानी की जाती है। इसके लिए शीर्ष स्तर पर महाप्रबंधक द्वारा एक सशक्त विभाग सक्रिय है। ऐसे सभी ऋण खाते जो 5 मिलियन या इससे अधिक बकाया राशि के हैं उनकी निगरानी प्रधान कार्यालय स्तर से की जाती है। निगरानी के पक्ष को देखने के लिए प्रादेशिक कार्यालयों में भी ऐसा ही सेटअप है। इसके लिए बैंक ने बोर्ड से अनुमोदित एक क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रभावी नीति लागू कर रखी है जिसमें ऋण समीक्षा मशीनरी, स्टॉक ऑडिट तथा विशेष लेखा मॉनिटरिंग अधिकारियों द्वारा ऋण खातों पर लगातार नजर रखी जाती है।

12. सतर्कता तंत्र

बैंक का सतर्कता तंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी की संपूर्ण अगुवाई में कार्य कर रहा है और इसमें प्रधान कार्यालय में एक पूरा विभाग तथा फील्ड में कार्यरत 18 सतर्कता अधिकारी (चयनित प्रादेशिक मुख्यालयों में) मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के संरक्षण एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक सतर्कता के सभी क्षेत्रों अर्थात् निवारक, खोजपूर्ण व दण्डात्मक सतर्कता में पर्याप्त सुधार लाने के उपाय कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं पद्धित का अनुपालन स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने अधिकारिक कार्य निपटाने के दौरान किया जा रहा है, ऑफ-साइट तथा ऑन-साइट दोनों स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक के सभी कार्यालयों में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2015" मनाया गया, जिसमें 'सुशासन के लिए निवारक सतर्कता' पर जोर दिया गया। सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क रखता है और बैंक के अंदर भी विभिन्न विभागों से प्रभावशाली ढंग से समन्वय बनाए हुए है।

सतर्कता विभाग सतर्कता प्रशासन की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ ही बैंक के विभिन्न विभागों के साथ भी संपर्क एवं समन्वय बनाए रखता है।

13. वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

एटीएम – 31.03.2016 के अनुसार, बैंक में 2566 एटीएम (2214 ऑनसाइट, 350 ऑफसाइट एवं 2 मोबाइल एटीएम) हैं। बैंक द्वारा वर्ष के दौरान 14.38 लाख एटीएम/डेबिट कार्ड जारी किए गए। 31.03.2016 को कुल एटीएम कार्ड आधार 89.15% लाख रहा, जो 19.23% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के द्वारा निम्नलिखित उत्पाद/सेवाएं शुरू की गई हैं :-

- ग्रीन पिन सुविधा द्वारा वर्तमान ग्राहकों के साथ-साथ नए ग्राहकों को 'फॉरगॉट पिन विकल्प' के माध्यम से पुनः अपने एटीएम पिन प्राप्त करने के साथ-साथ नए ग्राहकों को बैंक के एटीएम से एटीएम पिन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है।
- सैनिकों के लिए वेतन खाता योजना से जुड़े विशेष रूप से डिजाइन किए गए रुपये प्लैटिनम कार्ड।

11. CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity to maintain the quality of assets and recover dues in time as per schedule. A full fledged department headed by General Manager at apex level is functional in the Bank. The bank has put in place an effective Board approved policy for Credit Monitoring which includes Loan Review Mechanism, Stock Audits, account specific monitoring officers to have constant watch over borrowal accounts.

12. VIGILANCE MACHINERY

The Vigilance set up of the Bank is under the overall supervision of the Chief Vigilance Officer and comprises full-fledged department at Head Office and 18 Vigilance Officers posted in the field (at selected Regional Headquarters) functioning directly under the control of the Chief Vigilance Officer.

The Bank, under the aegis of and as per guidelines of Central Vigilance Commission, is taking measures for substantial improvement in all areas of vigilance i.e. preventive, detective and punitive. Various initiatives are being taken, both off-site and on-site, to ensure that the systems & procedures laid down by the Bank are adhered to by the staff members while discharging their official duties. As per the directions of Central Vigilance Commission, 'Vigilance Awareness Week-2015' was observed at all the offices of the Bank with focus on "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance." The Vigilance Department maintains liaison with Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation and also co-ordinates with various departments within the Bank to ensure efficacy of vigilance administration.

The Vigilance Department maintains liaison with Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation and also co-ordinates with various departments within the Bank to ensure efficacy of vigilance administration.

13. ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

ATMs – As on 31.03.2016, Bank has 2566 ATMs (2214 Onsite, 350 Offsite and 2 Mobile ATMs). 14.38 Lac ATM / Debit Cards have been issued by the Bank during the year. Total card base as on 31.03.2016 stood at 89.15 Lacs, showing a Y-o-Y growth of 19.23%.

Following new products and services have been launched by the Bank, during the current Financial Year:-

- Green PIN Facility allows new customers to generate first time ATM PIN through Banks ATM apart from allowing existing customers to regenerate their ATM PIN through Forgot PIN option.
- Specially designed RuPay Platinum Card linked to Salary account scheme for Defense personals.

- पेंशन खाता योजना – ओरियन्टल प्रणाम एवं 10–18 वर्ष की आयु के अवयस्कों के खाते – ओरियन्टल युवा हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए रुपये कार्ड।
- एटीएम के बेहतर प्रबंधन एवं एटीएम अपटाइम को सुनिश्चित करने के लिए एटीएम के लिए प्रबंधित सेवाओं की शुरुआत।

इंटरनेट बैंकिंग – वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने वैयक्तिक एवं कारपोरेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को आई बैंकिंग प्लेटफॉर्म फेबा (फिनेकल ई-बैंकिंग) पर माइग्रेट किया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक का आई-बैंकिंग ग्राहक आधार 8.18 लाख से 13.68 लाख पहुँच गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक का मोबाइल-बैंकिंग ग्राहक आधार 0.81 लाख से 1.19 लाख पहुँच गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कूल लेन-देनों की प्रतिशतता के अनुसार डिजिटल माध्यम से किए गए लेन-देन 47.95% से बढ़कर 54.43% पहुँच गए हैं।

14. सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) एवं वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक के पास आधुनिकतम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तथा इसकी 2251 शाखाओं के नेटवर्क के जरिए 100% कार्य सीबीएस पर होता है और विभिन्न आईटी प्रोडक्ट व सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इन उत्पादों और सेवाओं को शाखाओं, एटीएम, नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दिया जाता है। बैंक द्वारा कोर बैंकिंग समाधान में आय पहचान, वर्गीकरण एवं प्रावधानन के मानदंड के अनुसार सिस्टम द्वारा खातों का वर्गीकरण किया जा रहा है। एमआईएस सॉफ्टवेयर को बड़ी संख्या में सांविधिक एवं सांख्यिकीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुकूल बनाया गया है जिससे सही सूचना प्राप्त हो सके।

आपदा वसूली सेट-अप (डीआरएस)

बैंक ने नवी मुम्बई में प्राइमरी डाटा केन्द्र के जरिए नियर लाइन साइट और ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में डिजास्टर रिकवरी साइट के जरिए त्रिआयामी डीआर ढांचा स्थापित किया है ताकि सीबीएस के लिए शून्य डाटा हानि सुनिश्चित की जा सके। प्राइमरी डाटा सेन्टर से डाटा की नियर लाइन साइट में अनुकृति निरंतर साथ-साथ होती रहती है और नियर लाइन साइट से डीआरएस में प्रतिलिप्यकरण होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्राइमरी डाटा सेन्टर पर बड़ी खराबी होने की स्थिति में सीबीएस का संपूर्ण डाटा यथासंभव कम से कम समय में डीआरएस में उपलब्ध कराया जा सके।

इलैक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति

बैंक की सभी शाखाएं आईडीआरबीटी द्वारा नियंत्रित एसएफएमएस के सुरक्षित चैनल का प्रयोग करते हुए आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए अंतर-बैंक प्रेषण की सुविधा दे रही हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को अंतर-बैंक प्रेषण के लिए आरटीजीएस तथा एनईएफटी की ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उपरोक्त इलैक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति में वर्ष दर वर्ष आधार पर लेन-देनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में आरटीजीएस तथा एनईएफटी के जरिए संव्यवहारों की कुल संख्या 88.30 लाख रही, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23% की वृद्धि दर्शाती है।

- Specially designed RuPay Cards for Pension account scheme-Oriental Pranam and accounts for Minors between the age 10-18 years-Oriental Yuva.
- Launch of Managed Services for ATM for ensuring better management of ATMs and ATM uptime

Internet Banking – During the financial year 2015-16, Bank has revamped the Internet Banking platform by migrating to new version of I-Banking platform FEBA (Finacle E-Banking) for Personal & Corporate Banking. I-Banking customers of the Bank have increased from 8.18 lacs to 13.68 lacs during FY 2015-16.

Mobile Banking customers have increased from 0.81 lacs to 1.19 lacs.

Transactions through digital channels as % of total transaction have increased to 54.43% from 47.95% during FY 2015-16.

14. INFORMATION TECHNOLOGY

Core Banking Solution (CBS) and Wide Area Network

The Bank has put in place state of the art IT Infrastructure with 100% working on CBS through Network of 2351 branches offering an array of various IT products and Services. These products and Services are offered through Branches, ATMs, Net-banking and Mobile Banking Channels. Bank has been using System driven classification of accounts in Core Banking Solution as per Income Recognition, Classification and Provisioning norms. The MIS software has been customized to generate large number of Statutory and Statistical Returns thereby ensuring correct generation of information.

Disaster Recovery Setup (DRS)

Bank has implemented-3-way DR architecture through Primary Data Centre (PDC), Near Line Site (NLS) at Navi Mumbai and Disaster Recovery Site at Greater Kailash, New Delhi for Zero Data Loss for CBS. The data is synchronously replicated from PDC to NLS and is asynchronously replicated from NLS to DRS. This ensures that in case of major problem at PDC, complete data of CBS can be made available at DRS within the shortest possible time.

Electronic Payment System

All the branches of the Bank offer inter-Bank remittances through RTGS and NEFT using secured channel of SFMS managed by IDRBT. Internet Banking subscribers of the Bank are encouraged to use online facility of RTGS and NEFT for inter-bank remittances. The above Electronic Payment System has triggered substantial increase in transactions on y-o-y basis. RTGS and NEFT Transactions have reached a cumulative figure of 88.30 Lacs for the year ended March 2016 showing an increase of 23% on year to year basis.



भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कारपोरेट एवं सरकार के लिए वेब आधारित समाधान दिया, राष्ट्रीय ओटोमेटेड समाधान गृह (एनएसीएच) को क्रियान्वित किया, ताकि एक ही प्रकार के और आवधिक प्रकृति वाले अंतर बैंक, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन किए जा सकें। बैंक ने प्रायोजक एवं लक्ष्य बैंक के रूप में एनएसीएच (क्रेडिट) तथा एनएसीएच (डेबिट) एवं रूटिन परिचालन में भाग लेने की दृष्टि से इसे क्रियान्वित किया है।

कॉरपोरेट वेबसाइट

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट के फीचरों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वृद्धि की है:-

बैंक ने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट पर ऋण आवेदन एवं ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया है। इसमें ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों आवेदनों की प्रविष्टि की जा सकती है और स्टेटस को अपडेट किया जा सकता है तथा ग्राहक अपने ऋण आवेदन के स्टेटस को ऑनलाइन देख सकते हैं।

बैंक ने वेबसाइट पर शाखाओं, एटीएम एवं ई-लाउंज के ब्यौरों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा की शुरुआत की है। अब एमएपी (मैप) के साथ जीईओ कोडिंग सिस्टम के नए फीचर को विकसित किया गया है। इससे वेबसाइट विजिटर वांछित मदों का पता लगा सकता है और उनको मैप पर पूर्ण मार्ग की जानकारी का मार्गदर्शन किया जा सकता है।

बैंक ने जागरूकता फैलाने हेतु अपने कॉरपोरेट वेबसाइट पर अलर्ट के साथ विभिन्न आईटी प्रॉडक्ट एवं सेवाओं के उपयोग का विवरण प्रदर्शित किया है।

15. ग्राहक सेवा

शाखा, प्रादेशिक कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर ग्राहक सेवा बैठकों का नियमित रूप से आयोजन होता है। ये बैठकें नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। ग्राहकों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए और बैंक की योजनाओं व सेवाओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव/व्यक्तिगत फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैंक ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहकों की शिकायतों के अविलंब निवारण के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण पद्धति उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों के खातों से संबन्धित जानकारी तथा अन्य शंकाओं के समाधान के लिए निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-180-1235 पर एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है और अलग से एक एसएलबीसी हेल्पलाइन संख्या 1800-180-0124 भी कार्य कर रही है। वर्तमान पद्धति एवं प्रक्रिया की समीक्षा करना बैंक कार्यसंचालन का एक आंतरिक भाग है। बैंक की वेबसाइट पर ग्राहकों से जो शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त होती हैं, बैंक द्वारा उनको मॉनिटर किया जाता है, प्राप्त प्रश्नों पर अविलंब प्रतिक्रिया दी जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के ग्राहकों को पेश आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान हो।

ग्राहक शिकायत निवारण पद्धति

बैंक में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक ग्राहक मित्र शिकायत निवारण तंत्र है। एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली (वेब आधारित) है जिसमें ग्राहक/शाखा/प्रादेशिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय

National Payments Corporation of India (NPCI) has implemented "National Automated Clearing House (NACH)" for Banks, Financial Institutions, Corporate and Government a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions which are repetitive and periodic in nature. Bank has implemented NACH (Credit) and NACH (Debit) as Sponsor and destination Bank and participating in routine operation.

Corporate Website

The Bank has enhanced features on its Corporate website during the financial year as per details submitted hereunder:-

Bank has deployed a Loan Application and Tracking system on Bank's Corporate Website. This allows online and offline both applications to enter and update its status so that customer can view the loan application status online.

Bank has launched the facility to search details of branches, ATMs and e-Lounge on website. Now a new feature with GEO CODING system with MAP has been developed. This allows website visitors to locate the desired items and guide him/her to identify with complete path on MAP.

Bank has displayed the details on the usage of various IT products and services along with Alerts, on the Bank's Corporate Website to create awareness among

15. CUSTOMER SERVICE

The Customer Service Committee Meetings are held regularly at Branch level, Regional Office level and Head Office level. These meetings ensure proper implementation of guidelines issued by regulatory authorities. The customers are invited to attend these meetings and give their valuable suggestions / feedback on bank's services and schemes. Web-based Customer Grievance Redressal System is provided for prompt redressal of customers grievances. A dedicated Customer Care Centre on toll free Number 1800-180-1235 has been working for clarifying the customers' account related and other general queries. A separate SLBC Helpline Number 1800-180-0124 has also been operational. The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning. The bank monitors the Queries and Suggestions received from the constituents on the website of the bank and gives prompt response to the queries received and ensures providing instant solutions to the problems faced by the customers of the bank.

Customer Grievance Redressal System

The Bank has a customer-friendly Grievance Redressal Mechanism in place, duly approved by the Board of Directors. An interactive online complaint registration system (web-

शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा शिकायत की स्थिति मॉनीटर कर सकते हैं। शिकायतों के कारणों की समीक्षा की जा रही है और निरंतर सिस्टम आधारित परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि पाई गई कमियां, यदि कोई हों, को दूर किया जा सके, जिससे विभिन्न प्रकार की शिकायतों के मामलों को कम किया जा सके।

16. मानव संसाधन विकास

आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक के मौजूदा मानव संसाधनों को विविध प्रशिक्षण चैनलों के माध्यमों से उनके कौशल को सुदृढ़ करके अधिकतम उपयोग करने की रणनीति बनाई है। वर्ष के दौरान बैंक ने 299 विशेषज्ञ अधिकारी, 428 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 1050 लिपिक एवं 396 अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती की है। मार्च 2016 के अंत में बैंक की कुल स्टाफ संख्या 21,469 थी जिसमें 11,414 अधिकारी, 7,013 गैर-अधीनस्थ तथा 3,042 अधीनस्थ कर्मचारी थे। आरक्षण, भर्ती तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईएक्सएसएम की प्रोन्नति के संदर्भ में, बैंक ने सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

औद्योगिक संबंध

बैंक प्रबंधन के साथ तालमेल के सिद्धान्त को जारी रखे हुए है। वर्कमैन यूनियन, ऑफिसर्स एसोशिएशन एवं प्रबंधन वर्ग संगठन के चौरफा समृद्धि के लिए एकसाथ मिलकर कार्य करते हैं। मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंधों के परिणामस्वरूप बैंक वर्ष-दर-वर्ष बेहतर प्रदर्शन दर्शाता रहा है। बैंक की शिकायत निवारण पद्धति अति प्रभावी है। कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हों, उनको नियमित रूप से आयोजित होने वाली श्रमिक संबंध बैठकों में परस्पर व द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अविलंब दूर किया जाता है।

17. अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) प्रतिमान एवं कालाधन शोधन निवारण (एएमएल) उपाय:

विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विधि विनियमों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों व मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए और मुख्यतः आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में बैंक का प्रयोग कालाधन शोधन कार्यों को रोकने के लिए, "ओबीसी केवाईसी नीति" बनाई गई है। इस नीति के चार प्रमुख तत्व हैं— ग्राहक स्वीकरण नीति, ग्राहक पहचान प्रक्रिया, लेनदेनों की मॉनिटरिंग तथा जोखिम प्रबंधन। इससे बैंक को ग्राहकों को व उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर ढंग से जानने – समझने में व जोखिम प्रबंधन अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करने में सहायता मिलती है। फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने हेतु विस्तृत मार्ग निर्देश एवं अनुवर्ती अनुदेशों की पुनरावृत्ति समय समय पर की जाती है।

18. अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों को आधार मानते हुए बैंक ने अनुपालन नीति को लागू किया है। अनुपालन से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में अनुपालन विभाग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समय समय पर सांविधिक/नियामक दिशा निर्देशों को लागू किया जा रहा है।

based) is in vogue where the customer/ branch/ regional office/ Head office can record the grievance and monitor the status of the complaint. Reasons for complaints are being analyzed and system level changes are being made on continuous basis to remove the bottlenecks observed, if any, so as to reduce the incidence of grievances of different nature.

16. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

In order to meet the challenges ahead, the Bank has planned strategies for optimum utilization of existing Human Resources by enhancing their skills through channels of Training. During the year, Bank recruited 299 Specialist Officers, 428 Probationary Officers, 1050 Clerks and 396 Sub-staff. As at the end of March, 2016, the Bank has a total staff strength of 21469, comprising 11414 Officers, 7013 Non-Subordinates and 3042 Subordinates. The Bank has complied with Government guidelines in respect of reservation, recruitment and promotion for SC/ST/OBC/PWD/EXSM besides extending concessions/relaxation as prescribed.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Bank continued to pursue the principle of Participative Management. The Workmen Union, Officers Association and the Management kept on working together for the all-round prosperity and growth of the organization. All over the year cordial and harmonious industrial relations were maintained. The Grievance Redressal Mechanism in the Bank is quite effective. The grievances of the employees, if any, are promptly resolved through mutual and bilateral discussions in the regularly held industrial relations meetings.

17. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) NORMS & ANTIMONEY LAUNDERING (AML) MEASURES

OBC 'KYC' Policy has been formulated to comply with the various laws and regulations, national as well as international, Govt. of India and Reserve Bank of India directives / instructions & guidelines, primarily to prevent the bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities,. The Policy comprises of four key elements viz. "Customer Acceptance Policy", "Customer Identification Procedures", "Monitoring of Transactions" and "Risk Management". This enables the bank to know / understand the customers and their financial dealings better and helps in managing risks prudently. The detailed guidelines and subsequent instructions are being reiterated from time to time for strict compliance by the field functionaries.

18. COMPLIANCE

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance Department headed by the Chief Compliance Officer monitors the compliance of the statutory / regulatory guidelines coming into force from time to time.

19. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएस के लिए शुरुआती दौर में 30 बैंकों का चयन किया है जिसमें एसबीआई एवं 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (ओबीसी सहित), 9 निजी तथा 13 विदेशी बैंक हैं जिसे अब सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार, पर्यवेक्षी चक्र से पर्यवेक्षण हेतु एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण के लिए एक संक्रमण लागू किया गया है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के अंतर्गत तिमाही आधार पर बैंक द्वारा आरबीआई के संरक्षित वेबसाइट पर दी समय सीमा के अंदर डाटा समेकित एवं अपलोड किया गया है।

20. बैंक में हिन्दी का प्रयोग

आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा भारत सरकार, संसदीय राजभाषा समिति और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों/निर्देशों का पालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। बैंक द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस एवं कारगर कदम उठाए गए।

बैंक की गृह पत्रिका "आधार" को रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड के तहत वर्ष 2013-14 के लिए द्विभाषी गृह पत्रिकाओं में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए मानव संसाधन विकास संस्थान, नोएडा को प्रथम तथा प्रादेशिक कार्यालय, कोलकाता को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही, विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से वर्ष 2013-14 के लिए प्रादेशिक कार्यालय, जोधपुर, करनाल, नई दिल्ली एवं लुधियाना ने क्रमशः प्रथम, तृतीय, प्रोत्साहन एवं विशेष पुरस्कार प्राप्त किए। केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली की कोलकाता इकाई द्वारा प्रादेशिक कार्यालय, कोलकाता को "उत्कृष्ट राजभाषा श्री" पुरस्कार प्रदान किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति

- ग्राहकों को एटीएम लेनदेन पर्यियों को हिंदी में भी जनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई है।
- कर्मचारियों की सुविधा के लिए बैंक के ओबीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अंग्रेजी-हिंदी बैंकिंग तथा मानक शब्दावलियों को लोड किया गया है।
- बैंक के खाताधारियों को हिंदी में एसएमएस अलर्ट भेजे गए।
- बैंक की वेबसाइट तथा ओबीसी पोर्टल अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी यूनिकोड में भी उपलब्ध है।
- राजभाषा विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा हेतु हिंदी में कार्य करने में सहायता देने के लिए बैंक के वेब पोर्टल पर रूटीन पत्रों के हिंदी टेम्पलेट, राजभाषा अधिनियम एवं नियम, यूनिकोड सेटिंग हेतु निर्देश, डाउनलोड हेतु द्विभाषिक सॉफ्टवेयर व हिंदी फॉन्ट, ई-परिपत्र, योजनाएं, नीतियां, फार्म, फिनेकल एवं जॉब कार्ड आदि हिंदी में उपलब्ध कराए गए।
- एमआईएस के अंतर्गत क्रिसमैक द्वारा हिंदी की तिमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण एवं समेकन बैंक में लागू किया गया।

19. RISK BASED SUPERVISION

Reserve Bank of India has identified 30 Banks for RBS rollout in the initial phase with SBI & 7 PSBs (including OBC), 9 Private and 13 Foreign Banks which has been extended to all commercial Banks at present. As per RBI directive a transition to a risk based approach for supervision from the supervisory cycle has been implemented. Under RBS, on quarterly basis, the data is compiled & uploaded by the bank on RBI secure website within the given timeline.

20. USE OF HINDI IN THE BANK

During the year under review, Bank continued its concerted efforts to accelerate use of Hindi in its working and to implement guidelines/directives received from Govt. of India, Parliamentary Committee on Official language and Reserve Bank of India. Concrete and effective steps were taken by the Bank to achieve the region wise targets set by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India in the Annual Programme- 2015-16.

Bank's House Magazine 'Aadhaar' was awarded Second Prize under Reserve Bank Rajbhasha Shield for FY 2013-14 in Bilingual House Magazines. Human Resource Development Institute, Noida & Regional Office, Kolkata received First prize & Third Prizes respectively from concerned Town Official Language Implementation Committees for FY 2014-15. And also, Regional Office, Jodhpur, Karnal, New Delhi & Ludhiana received First, Third, Consolation & Special Prizes respectively from concerned Town Official Language Implementation Committees for FY 2013-14. Regional Office, Kolkata was conferred with "Utkrishta Rajbhasha Shree" Puraskar by Kolkata chapter of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.

Progress made in use of Hindi in IT.

- Customers were provided facility to generate ATM transaction slip in Hindi also.
- Online English-Hindi Banking & Standard Glossaries have been loaded on Bank's OBC Portal for the convenience of employees.
- SMS Alerts in Hindi were sent to Bank's account holders.
- Bank's Website & OBC Portal are available in Hindi Unicode besides English.
- Rajbhasha Section is provided on Bank's Web Portal in which Hindi Templates of routine letters, Banking Glossary, Branch Directory, Job Cards in Hindi to work in Finacle in Hindi, Official Language Act & Rules, Hindi Unicode Settings, Various Forms, 'bilingual softwares & Hindi Fonts to download', E-circulars, Schemes, Policies were made available for the convenience of employees by Rajbhasha Department.
- Bank implemented online submission and consolidation of Quarterly & Annual Hindi Progress Report through CrisMac under MIS.

21. शाखा विस्तार

2015-16 के दौरान, बैंक ने 100 नई शाखाएं खोली। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, शाखाओं की संख्या 2251 थी जो 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अब 2351 हैं। जनसंख्या समूह अनुसार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्गीकरण	31.03.2016	31.03.2015
1.	ग्रामीण	606	589
2.	अर्ध- शहरी	642	610
3.	शहरी	601	576
4.	महानगरीय	502	476
	कुल	2351	2251

22. अवसर एवं चुनौतियां

बैंक की दुबई स्थिति विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय सहित देशभर में 2351 शाखाएं हैं। बैंक के पास देशभर में अछूते क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क को बढ़ाने का अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं की अधिक उपस्थिति से बैंक के पास कृषि एवं रिटेल पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने की असीम अवसर हैं।

कर्मचारी उत्पादकता एवं प्रति शाखा कारोबार की दृष्टि से यह बैंकिंग क्षेत्र में प्रायः सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक है। इसके सक्षम कर्मचारी शाखाओं और एटीएम का बड़ा नेटवर्क, बेहतर अधिसंरचना, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा एवं बेहतर तकनीक बैंक के आधार स्तंभ है जो इसे बैंकिंग जगत में सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक बनाते हैं। कई वर्षों की बेजोड़ ग्राहक सेवा बैंक के कारोबार के समग्र विकास के लिए इसके सुगठित उत्पाद एवं सेवाओं की क्रॉस सेलिंग का अवसर प्रदान करती है।

भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण संपूर्ण बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आ रहे हैं। रोज़मर्रा के कार्यसंचालन में बैंक क्रेडिट, मार्केट और परिचालनगत जोखिम से रुबरु होते हैं। नीतियों में परिवर्तन के कारण ब्याज विस्तार में होने वाली कमी से बैंक की लाभप्रदता प्रभावित होती है। नियामक मार्ग निर्देशों, नीतियों, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों आदि में कोई भी परिवर्तन होने से बैंक की संचलनात्मक व्यवहार्यता प्रभावित होती है जिसे आंतरिक प्रक्रिया में बदलाव लाकर ठीक किया जा सकता है।

23. आगामी रणनीति

बैंक का स्वप्न एवं लक्ष्य वक्तव्य है – “एक ग्राहक-हितैषी अग्रणी बैंक बनना जो स्टेकहोल्डरों के मूल्यवर्धन के लिए वचनबद्ध है। गुणवत्ता सुलभ करते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नवीनतम टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाकर निपुणता के साथ नई सेवाएं प्रदान करना। कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल एवं सामंजस्य-सुदृढ़ता में वृद्धि करना। ग्राहकों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए संपदा सृजन करना”। बैंक विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता का यथासंभव प्रयास करता है।

मण्डल के लिए उनकी ओर से

स्थान: गुडगाँव

(अनिमेष चौहान)

दिनांक: 11.05.2016

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

21. BRANCH EXPANSION

During 2015-16, the Bank has opened 100 new branches. As on 31.03.2016, the total number of branches stood at 2351 as against 2251 as on 31.03.2015. The population group - wise classification is as under:

SN	Classification	31.03.2016	31.03.2015
1.	Rural	606	589
2.	Semi-urban	642	610
3.	Urban	601	576
4.	Metropolitan	502	476
	Total	2351	2251

22. OPPORTUNITIES & THREATS

The Bank has pan-India presence with wide-spread 2,351 branches along with its foreign representative office at Dubai. The Bank has possibility for spreading out its branch network in untapped areas across the country. The extensive presence of the Bank's branches in rural areas of the country provides a great opportunity for the Bank for improving its Agriculture and Retail portfolio.

It is amongst the finest banks in the industry in terms of employee productivity and per branch business. Its highly competent workforce, large network of branches and ATMs, superior infrastructure, excellent customer service and a superior technology are strong pillars of the Bank which makes it one of the best in the industry. The positive brand image created out of years of unmatched customer service provides a great prospect for cross selling of its well designed products and services for the overall growth of the Bank's business.

Banking industry as a whole is undergoing a major transformation due to changes in world economic conditions. Banks are exposed to vast Credit, Market and Operational Risks in everyday operations. Diminishing Interest spreads due to change in policies affects the profitability components of the Bank. Frequent changes in the regulatory guidelines, policies, provisions by the Reserve Bank of India, etc., affects the operational feasibility of the Bank which need to be catered by making changes in internal procedures.

23. WAY FORWARD

The Bank's Vision and Mission Statement is “To be a customer friendly premier bank committed to enhancing stakeholders' value. Provide quality, innovative services with state-of-the-art technology in line with customer expectations. Enhance employees' professional skills and strengthen cohesiveness. Create wealth for customers and other stakeholders.” The bank strives hard to work to the best of its capacities to maximize growth opportunities.

For and on behalf of the Board

Place: Gurgaon

(ANIMESH CHAUHAN)

Date: 11.05.2016

MANAGING DIRECTOR & CEO



बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन – मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एक अनुसूचित बैंक है जिसकी स्थापना 19 फरवरी, 1943 को हुई। भारत सरकार द्वारा बैंक को दिनांक 15 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रीकृत किया गया। ओबीसी पहला राष्ट्रीकृत बैंक था, जिसने 1994 में सर्वप्रथम आईपीओ निकाला था तथा पहला राष्ट्रीकृत बैंक था, जिसने 2003-04 में कुल एनपीए शून्य घोषित किया था।
- बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 31 मार्च, 2009 से निर्धारित बासेल II पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बासेल III मार्गनिर्देश, 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हैं। 31 मार्च, 2019 तक बासेल III लागू करने के लिए परिपत्र संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.102/21.06.201/2013-14 दिनांक 27 मार्च, 2014 के माध्यम से संशोधित संक्रमण अनुसूची जारी की गई थी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया जा रहा है:

संक्रमणकालीन प्रबंध – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एलएबी तथा आरआरबी के अतिरिक्त)

(आरडब्ल्यू का %)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 अप्रैल, 2013	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
पूंजी परिमित बफर (सीसीबी)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी 1+ सीसीबी	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
न्यूनतम टियर 1 पूंजी	6	6.5	7	7	7	7	7
न्यूनतम टियर 1 पूंजी + सीसीबी	6	6.5	7	7.625	8.25	8.875	9.50
न्यूनतम कुल पूंजी*	9	9	9	9	9	9	9
न्यूनतम कुल पूंजी+सीसीबी	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी 1 से सभी कटौतियों का फेज-इन (%#) #	20	40	60	80	100	100	100

* 9% की न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता के मध्य के अंतर तथा टियर 1 की जरूरत को टियर 2 एवं पूंजी के उच्च स्वरूप से प्राप्त किया जा सकता है।

यही संक्रमणकालीन दृष्टिकोण अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 पूंजी के कटौतियों पर भी लागू होगा।

PILLAR III DISCLOSURES UNDER THE BASEL - III -YEAR ENDED – MARCH 2016

- Oriental Bank of Commerce is a scheduled commercial bank which was incorporated on 19th February 1943. Bank was nationalized by Government of India on April 15, 1980. OBC was the first nationalized bank to go for public with IPO in 1994 as well as the first nationalized bank to declare zero net NPA in 2003-04.
- Bank was subject to the Basel II capital adequacy guidelines stipulated by the Reserve Bank of India (RBI) from March 31, 2009. RBI issued Basel III guidelines, applicable with effect from April 1, 2013. The revised transition schedule issued through circular DBOD.No.BP.BC.102/21.06.201/2013-14 dated March 27, 2014 for Basel III implementation till March 31, 2019 is as shown in the below table.

Transitional Arrangements-Scheduled Commercial Banks (excluding LABs and RRBs)

(% of RWA)

Minimum capital ratios	April 1, 2013	March 31, 2014	March 31, 2015	March 31, 2016	March 31, 2017	March 31, 2018	March 31, 2019
Minimum Common Equity Tier 1 (CET1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Capital conservation buffer (CCB)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
Minimum CET1+ CCB	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
Minimum Tier 1 capital	6	6.5	7	7	7	7	7
Minimum Tier 1 capital+CCB	6	6.5	7	7.625	8.25	8.875	9.50
Minimum Total Capital*	9	9	9	9	9	9	9
Minimum Total Capital +CCB	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
Phase-in of all deductions from CET1 (in %) #	20	40	60	80	100	100	100

* The difference between the minimum total capital requirement of 9% and the Tier 1 requirement can be met with Tier 2 and higher forms of capital;

The same transition approach will apply to deductions from Additional Tier 1 and Tier 2 capital.

इसके अतिरिक्त, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15.2 की तालिका 25 में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं:

In addition, Table 25 of Paragraph 15.2 of the Master Circular is revised as under:

तालिका : व्यक्तिगत बैंक हेतु न्यूनतम पूंजी परिमित मानक			
चालू अवधि की आय सम्मिलित करने के बाद सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात			न्यूनतम पूंजी परिमित अनुपात (आय के % रूप में प्रदर्शित)
31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार	
5.5% - 5.65625%	5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.65625%- 5.8125%	>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>5.8125% - 5.96875%	>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>5.96875% - 6.125%	>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.125%	>6.75%	>7.375%	0%

Table: Minimum capital conservation standards for individual bank			
Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings			Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)
As on March 31, 2016	As on March 31, 2017	As on March 31, 2018	
5.5% - 5.65625%	5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	100%
>5.65625%- 5.8125%	>5.8125% - 6.125%	>5.96875% - 6.4375%	80%
>5.8125% - 5.96875%	>6.125% - 6.4375%	>6.4375% - 6.90625%	60%
>5.96875% - 6.125%	>6.4375% - 6.75%	>6.90625% - 7.375%	40%
>6.125%	>6.75%	>7.375%	0%

उपरोक्त परिमित तालिका के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को, बैंक को न्यूनतम 5.5% का सीईटी 1 पूंजी अनुपात, न्यूनतम 7% का टीयर- 1 पूंजी अनुपात तथा न्यूनतम 9% का कुल पूंजी अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंक को 9% सीआरएआर के न्यूनतम अनुबंध के अतिरिक्त 0.625% का सीसीबी बनाए रखना होगा।

As per the transition table above, at March 31st 2016, the Bank is required to maintain minimum CET1 capital ratio of 5.5%, minimum Tier-1 capital ratio of 7% and minimum total capital ratio of 9%. Bank has to maintain CCB of 0.625% over and above minimum stipulation of 9% CRAR.

बासेल III की रूपरेखा में तीन-पारस्परिक प्रबलन पिलर्स हैं :

The Basel III framework consists of three-mutually reinforcing pillars:

- (i) पिलर 1: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता
- (ii) पिलर 2 : पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा
- (iii) पिलर 3 : मार्केट अनुशासन

- (i) Pillar 1: Minimum capital requirements for credit risk, market risk and operational risk
- (ii) Pillar 2: Supervisory review of capital adequacy
- (iii) Pillar 3: Market discipline

मार्केट अनुशासन (पिलर 3) में, पूंजी पर्याप्तता पर प्रकटन, बैंक के आस्ति गुणवत्ता तथा बैंक में जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा के प्रकटन का सेट सम्मिलित है। ये प्रकटन निम्नलिखित क्षेत्रों में किए गए हैं :

Market discipline (Pillar 3) comprises set of disclosures on the capital adequacy, asset quality and risk management framework of the Bank. These disclosures have been set out in the following sections.

1. आवेदन तथा पूंजी पर्याप्तता की संभावना

1. SCOPE OF APPLICATION AND CAPITAL ADEQUACY

डीएफ-1 : आवेदन की संभावना

DF-1: Scope of Application

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम :- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

Name of the Head of the Banking Group:- Oriental Bank of Commerce

(I) गुणात्मक प्रकटन :-

(i) QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स पर लागू पिलर 3 प्रकटीकरण

- Pillar 3 disclosures apply to Oriental Bank of Commerce.

कंपनी / निगम के देश का नाम Name of the entity/Country of incorporation	क्या कंपनी समेकन की लेखा संभावना के अंतर्गत सम्मिलित है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under Accounting scope of consolidation (Yes / no)	समेकन की पद्धति बताएं Explain the method of consolidation	क्या कंपनी समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत सम्मिलित है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / no)	समेकन की पद्धति बताएं Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण बताएं Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि केवल एक संभावना के अंतर्गत समेकन किया गया है तो कारण बताएं Explain the reasons if consolidated under only one of of the scopes of consolidation
शून्य / NIL						



- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी कोई समनुषंगी नहीं है।
- पूंजी पर्याप्तता के समेकन हेतु विचाराधीन कंपनी में बैंक के समनुषंगी, सहायक तथा संयुक्त उपक्रम सम्मिलित हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समेकित विवेकसम्मत रिपोर्टें तैयार करने की संभावना में बताई गई बैंकिंग या वित्तीय प्रक्रिया संबंधी गतिविधियां करती है। बीमा कारोबार से जुड़ी कंपनियों तथा वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारोबार को पूंजी पर्याप्तता हेतु समेकन कार्य से बाहर रखा गया है। बैंकिंग की पूंजी में विशेष निवेश, वित्तीय तथा बीमा कंपनियों जो उन समेकन विनियामक की संभावना से बाहर हैं, जहां बैंक के पास जारीकर्ता कंपनी द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का स्वामित्व है, वहां भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सामान्य शेयर की प्रकृति में निवेश पर 250% का जोखिम भार है। (दिनांक 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र- बासेल-III पूंजी विनियामक के पैरा सं. 4.4.9.2 सी iii के अनुसार)।

क) समेकन हेतु विचाराधीन समूह कंपनियां

- 31 मार्च, 2016 को समेकन हेतु लेखा संभावना तथा समेकन हेतु विनियामक संभावना दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचारार्थ कोई समूह कंपनियां नहीं हैं।

ख). समेकन हेतु दोनों लेखा तथा विनियामक संभावना के अंतर्गत समेकन हेतु विचार ना की जाने वाली समूह कंपनियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	31 मार्च, 2016 को कुल तुलन पत्र इक्विटी (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित :	कंपनी की पूंजी प्रलेख में बैंक के निवेश का विनियामक उपचार	31 मार्च, 2016 को कुल तुलन पत्र आस्तियां (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि./ भारत	बीमा	₹ 1075.02 करोड़	23%	250% का भारित जोखिम	₹ 9687.00 करोड़

(ii) परिमाणत्मक प्रकटन :-

ग) समेकन की विनियामक संभावना हेतु विचारार्थ समूह कंपनियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम (जैसा ऊपर (i) क में दर्शाया गया है)	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्शाया गया है)
शून्य			

समेकन की लेखा संभावना तथा समेकन की विनियामक संभावना दोनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचारार्थ कोई समूह कंपनियां नहीं है।

- Oriental Bank of Commerce is a Public Sector Bank having no subsidiary.

- The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI. Entities engaged in insurance business and businesses not pertaining to financial services are excluded from consolidation for capital adequacy. Significant Investment in the capital of Banking, Financial and Insurance Entities which are outside the scope of regulatory consolidation where bank owns more than 10% of the issued common share capital of the issuing entity are risk weighted at 250% as stated by RBI as such investment is in the nature of common share. (As per para 4.4.9.2 C iii of Master circular- Basel-III Capital regulations dated July 1, 2015).

a) Group entities considered for consolidation

- As on March 31st 2016, there are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

b) Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.

Name of the entity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity at March 31 st 2016 (as per accounting balance sheet)	% of Bank's holding in total equity	Regulatory treatment of Bank's investment in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets at March 31 st 2016 (as per accounting balance sheet)
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd./India	Insurance	₹ 1075.02 Crore	23%	Risk Weighted at 250%	₹ 9687.00 Crore

(ii) QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

c) Group entities considered for regulatory scope of consolidation

Name of the entity / Country of incorporation (as indicated in (i)a above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL			

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

घ) समनुषंगियों में पूंजी संबंधी कमियां

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक कंपनी के लेखा तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %	पूंजी संबंधी कमियां
शून्य				

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लागू नहीं।

ङ). बीमा कंपनियों में बैंक का हित

बीमा कंपनियों में बैंक के हित का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है –

कंपनी / निगमन के देश का नाम	कंपनी की मुख्य गतिविधि	31 मार्च, 2016 को कुल तुलन पत्र इक्विटी (लेखा तुलन पत्र के अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक द्वारा धारित %	जोखिम भारत पद्धति के सापेक्ष पूर्ण कटौती पद्धति के प्रयोग करने पर विनयामक पूंजी पर गुणात्मक प्रभाव
केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	बीमा	₹1075.02 करोड़	23%	9 बीपीएस

च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा :

उपरोक्त मामले में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं :

- (i) अंतसमूह जोखिम सीमा, चुकता पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 10% तक प्रतिबंधित है।
- (ii) आगे, बैंक को डीबीएस, भारिबैं को उन समूह इकाइयों की सूची प्रस्तुत करनी होती है जिनके साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण लेन-देन रहा हो। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक का अपनी संयुक्त उपक्रम बीमा कंपनी, केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं है।

डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन :-

उद्देश्य

- अपने कारोबार में जोखिम, रेटिंग एजेंसियों, शेयरहोल्डरों एवं निवेशकों की अपेक्षाओं तथा पूंजी में वृद्धि के लिए उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर बैंक चालू एवं भावी कारोबार की जरूरतों को देखते हुए तथा नियामक प्रतिमानों की पूर्ति हेतु अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंध करता है। इसके लिए बैंक तिमाही आधार पर पूंजी योजना की समीक्षा करता है और आगामी तिमाही के लिए इसका परीक्षण करता है।

संगठनात्मक संरचना

- जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षक समिति तथा आईसीएपी पर कार्यपालक स्तर की समिति के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बैंक की पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क का संचालन किया जाता है।

(d) Capital deficiency in subsidiaries

Name of the entity/Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

(e) Bank's interest in insurance entities

Following table gives the details of the Bank's interest in insurance entity:

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity at March 31 st 2016 (as per accounting balance sheet)	% of bank's holding in the total equity	quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co Ltd.	Insurance	₹ 1075.02 Crore	23%	9 bps

f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

The following restriction is applicable in the aforesaid matter:

- (i) Intra group exposure limit is restricted to 10% of Paid-up Capital and Reserves.
- (ii) Further, the Bank is required to submit the list of group entities with which they have material transactions during last three years to DBS, RBI. However, the Bank does not have any such transactions with its joint venture insurance company, Canara HSBC OBC Life Insurance Company Limited during the last three years

DF-2 : Capital Adequacy

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

Objective

- The Bank actively manages its capital to meet regulatory norms and current and future business needs considering the risks in its businesses, expectation of rating agencies, shareholders and investors, and the available options of raising capital. Bank undertakes quarterly Capital planning exercise and back test the same for the preceding quarter.

Organisational set-up

- The capital management framework of the Bank is administered by the Risk Management Department under the supervision of the Executive level committee on ICAAP and Supervisory Committee of Directors on Risk Management.

नियामक पूंजी

बैंक को बासेल III पर भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता के प्रतिमानों का पालन करना होता है। बासेल III पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल पूंजी का टीयर-1 में 7% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ साथ जोखिम भारित आस्ति के लिए 9.0% का न्यूनतम अनुपात बनाए रखना होता है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 9.10% की टीयर-1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ एकल आधार पर बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.76% रही।

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नई पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासेल III के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने निम्न दृष्टिकोण अपनाया है :
 - ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण
 - बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण
 - परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

पूंजी का आंतरिक निर्धारण

- बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) व्यापक रूप से शामिल है जो वार्षिक रूप से की जाती है व जिसमें बैंक के लिए पर्याप्त स्तर पर पूंजी जुटाने का प्रयास किया जाता है ताकि दबाव के परिप्रेक्ष्य में नियामक के प्रतिमानों तथा चालू व भावी कारोबारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। आईसीएएपी की पूंजी आयोजना में आगामी तीन वर्षों की अवधि, भौतिक जोखिमों की नाप-तोल शिनाख्त, तथा जोखिम व पूंजी के बीच के संबंध को ध्यान में रखा जाता है। बैंक में स्वतंत्र आईसीएएपी समिति है जिसमें बैंक के सर्वोच्च कार्यपालक शामिल हैं और जो बैंक की पूंजी आवश्यकताओं और इसके अभीष्टतम प्रयोग पर नजर रखती है।
- जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, पूंजी प्रबंधन फ्रेमवर्क के लिए पूरक का कार्य करती है जिसमें भौतिक जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन सम्मिलित होता है।
- आईसीएएपी का मुख्य पक्ष दबाव परीक्षण और जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क रहता है जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजीगत स्थिति पर अति और मध्यम परिस्थितियों में पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के आधार पर, बैंक विविध पोर्टफोलियो में दबाव परीक्षण करता है और पूंजी अनुपातों, चालू और आगामी अवधियों में पूंजी बफर की पर्याप्तता पर इसके प्रभाव का निर्धारण करता है। बैंक आवधिक अंतरालों पर दबाव परीक्षणों का निर्धारण व इसमें सुधार करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं दबाव की परिस्थितियों में भौतिक जोखिम तो नहीं हैं व साथ ही साथ बाजार की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न बाजार की संभावित अति गतिविधि को भी प्रतिबिम्बित किया जा सके।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग

- ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मण्डल बैंक के पूंजी पर्याप्तता स्तरों पर सक्रिय दृष्टि रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता की स्थिति, जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी और जोखिम प्रबंधन पर बासेल III के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण तिमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। आगे, आईसीएएपी, जोकि एक वार्षिक प्रक्रिया है और बोर्ड को तीन वर्षों की अवधि हेतु बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के निर्धारण और निगरानी के लिए

Regulatory capital

The Bank is subject to the capital adequacy norms stipulated by the RBI guidelines on Basel III. The RBI guidelines on Basel III require the Bank to maintain a minimum ratio of total capital to risk weighted assets of 9.0%, with a minimum Tier-1 capital adequacy ratio of 7% for the year ended March 31st 2016. The total capital adequacy ratio of the Bank on standalone basis as on March 31st 2016 is 11.76% with Tier-1 capital adequacy ratio of 9.10%.

- In line with RBI guidelines Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel III.
 - Standardised Approach for Credit Risk
 - Standardised Duration Approach for Market Risk
 - Basic Indicator Approach for Operational Risk

Internal assessment of capital

- The Bank's capital management framework includes a comprehensive internal capital adequacy assessment process (ICAAP) conducted annually which determines the adequate level of capitalisation for the Bank to meet regulatory norms and current and future business needs, including under stress scenarios. The ICAAP encompasses capital planning for a three year time horizon, identification and measurement of material risks and the relationship between risk and capital. Bank has independent ICAAP Committee which meets every quarter constituting top Executives of the bank to oversee the optimum utilization of Capital and requirement of Capital.
- The capital management framework is complemented by the risk management framework, which includes a comprehensive assessment of material risks.
- Stress testing, which is a key aspect of the ICAAP and the risk management framework, provides an insight on the impact of extreme but plausible scenarios on the Bank's risk profile and capital position. Based on the Board-approved stress testing framework, the Bank conducts stress tests on its various portfolios and assesses the impact on its capital ratios and the adequacy of capital buffers for current and future periods. The Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that the stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of market conditions.

Monitoring and reporting

- The Board of Directors of Oriental Bank of Commerce maintain an active oversight over the Bank's capital adequacy levels. On a quarterly basis, an analysis of the capital adequacy position, the risk weighted assets and an assessment of the various aspects of Basel III on capital and risk management as stipulated by RBI, are reported to the Board. Further, the ICAAP which is an annual process also serves as a mechanism for the

सहायक के तौर पर एक मशीनरी के रूप में भी कार्य करता है। पूंजी आयोजना प्रयास में बैंक निम्न समीक्षा करता है:

- चालू पूंजीगत आवश्यकताएं
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम क्षमता के अनुरूप लक्षित एवं निरंतर पूंजी

गुणात्मक प्रकटन :-

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न जोखिमों हेतु बासेल III के अंतर्गत पूंजी आवश्यकताएं

क्रमांक	जोखिम क्षेत्र	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं	
	• मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो	12991.46
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ख)	बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं	
	- मानक अवधि दृष्टिकोण	871.98
	• ब्याज दर जोखिम	554.26
	• विदेशी मुद्रा (इसमें सोना शामिल है) जोखिम	2.25
	• इक्विटी स्थिति का जोखिम	315.47
(ग)	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं:	
	- मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण	1067.88
	कुल पूंजी आवश्यकताएं (क)+(ख)+(ग)	14931.32
	बैंक की कुल पूंजी निधि	19825.22
(घ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात	
	• बैंक का सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात	8.52%
	• बैंक की टियर 1 सीआरएआर	9.10%
	• बैंक की कुल सीआरएआर	11.76%

डीएफ -3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

3.1 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंधन, मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति द्वारा किया जाता है। बैंक को अपने ऋण परिचालनों में ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऋण जोखिम, बैंक के साथ किसी वित्तीय संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करने में किसी भी प्रतिपक्ष के असफल होने पर होने वाली हानि का जोखिम है, जो कि मुख्यतः अपेक्षित भुगतान न करने के कारण होता है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति है :

Board to assess and monitor the Bank's capital adequacy position over a three year time horizon. While undertaking the capital planning exercise, bank reviews:

- Current capital requirement.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

Capital requirements under Basel III for various risk areas as on March 31st, 2016

S. N.	Risk area	Amt (₹ in crore)
(a)	Capital Requirements for Credit risk	
	• Portfolio subject to standardized approach	12991.46
	• Securitisation exposure	Nil
(b)	Capital requirements for market risk	
	- Standardised duration approach;	871.98
	• Interest rate risk	554.26
	• Foreign exchange (including gold) risk	2.25
	• Equity position risk	315.47
(C)	Capital requirements for operational risk:	
	- Basic indicator approach	1067.88
	Total Capital Requirement (a)+(b)+(c)	14931.32
	Total Capital fund of the Bank	19825.22
(d)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios	
	• Common Equity Tier 1 ratio of the Bank	8.52%
	• Tier 1 CRAR of the bank	9.10%
	• Total CRAR of the bank	11.76%

DF-3 : CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

3.1. Credit Risk Management Policy and Processes

Management of credit risk in the Bank is governed by Board approved Loan Policy, Credit Risk Management Policy and Recovery Policy. The Bank is exposed to credit risk on account of its lending operations. Credit risk is the risk of loss that may occur from the failure of counterparty to abide by the terms and conditions of any financial contract with the Bank, principally the failure to make required payments. The broad objectives of Credit Risk Management process are to meet the following goals:



- भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मार्गनिर्देशों/नीतियों का पालन
- कारपोरेट, सरकारी, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, कृषि और रिटेल ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनना
- सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल एवं दक्षता पूर्वक करके उनसे सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक संबंध बनाए रखना
- जोखिम आधारित ऋण प्रदान करके और ऋण पोर्टफोलियो को सक्रिय बनाते हुए विविधीकृत गुणवत्ता परक आरिस्त पोर्टफोलियो बनाना
- उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ इष्टतम जोखिम प्रतिफल प्रोफाइल बनाना

इस नीति में कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम, रिटेल, ग्रामीण/कृषि और निवेश संबंधी ऋणों को शामिल किया गया है। इसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ एक संरचित और मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्तीय प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं और संबंधित उद्योग से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करता है। बैंक निम्नानुसार विचार करके उधारकर्ता के गुणात्मक तथा मात्रात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करता है :

- उधारकर्ता की वित्तीय विवरणियों, पिछले वित्तीय कार्यनिष्पादन, पूंजी जुटाने के लिए इसकी वित्तीय क्षमता और इसकी नकदी प्रवाह पर्याप्तता का आकलन करते हुए उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन
- उधारकर्ता की सापेक्ष बाजार स्थिति और परिचालन दक्षता
- प्रबंधन की गुणवत्ता जो उनके पिछले रिकार्ड, खाते के संचालन के विश्लेषण आदि द्वारा आंकी जाती है।

बैंक निम्नानुसार विचार करके उद्योग जोखिम का मूल्यांकन करता है :

- कतिपय औद्योगिक विशेषताएं जैसे अर्थव्यवस्था में उस उद्योग की महता, विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण, चक्रीयता और उस उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियां
- उद्योग की प्रतिस्पर्धा भावना और
- कतिपय औद्योगिक वित्तीय आंकड़े जिसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, परिचालन मार्जिन और आय स्थिरता शामिल है।

ऋण अनुमोदक प्राधिकारी :

निदेशक मंडल ने प्रधान कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर विभिन्न ऋण समितियों को निम्नानुसार प्राधिकार प्रत्यायोजित किए हैं :-

- प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति :
 - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की अध्यक्षता में मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी)
 - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की अध्यक्षता में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)
 - कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (एचएलसीसी)
- प्रादेशिक कार्यालय स्तरीय ऋण समितियां :
 - प्रादेशिक अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रादेशिक कार्यालय स्तरीय ऋण समिति (आरएलसीसी)

- Adhere to the guidelines / policies enunciated by RBI and other regulatory authorities.
- Be the preferred bank for Corporate, Government, Small and Medium Enterprises, Rural/Micro banking, Agriculture and Retail customers.
- Maintain cordial business relationship with all customers by servicing their needs promptly and efficiently.
- Build a diversified good quality asset portfolio through risk based lending and active churning of the portfolio.
- Optimise risk return profile with adequate exit options.

The policy covers Corporate, Small and Medium Enterprise, Retail, Rural/Agriculture and Investment related exposures. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry. Bank evaluates the qualitative and quantitative aspects of borrower by considering:

- The financial position of the borrower by analyzing the financial statements, its past financial performance, its financial flexibility in terms of ability to raise capital and its cash flow adequacy.
- The borrower's relative market position and operating efficiency
- The quality of management by analysing their track record and conduct of account, etc.

The Bank evaluates industry risk by considering:

- Certain industry characteristics, such as the importance of the industry to the economy, its growth outlook, cyclicity and government policies relating to the industry.
- The competitiveness of the industry and
- Certain industry financials, including return on capital employed, operating margins and earnings stability.

Credit Approval Authorities:

The Board of Directors has delegated the authority to the various Credit Committees at Head Office and Regional Office Level as under:

- Credit Committees at Head Office Level:
 - Management Committee of Board (MCB) headed by Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO).
 - Credit Approval Committee (CAC) headed by Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO).
 - Head Office Level Credit Committee (HLCC) headed by Executive Director.
- Regional Office Level Credit Committees:
 - Regional Office Level Credit Committee (RLCC) headed by Regional Head

उपर्युक्त ऋण समितियों के अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर शाखा प्रभारियों को, उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी देने के अधिकार दिए गए हैं।

अधिकारों के प्रत्यायोजन का ढांचा इस प्रकार बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च एक्सपोजर और जोखिम-स्तर के संव्यवहार उच्चतर मंच/समिति को अनुमोदन हेतु भेजे जाएं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यायोजित शक्तियां, बैंक की ऋण नीति तथा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित विभिन्न प्रसंविदाओं के आधार पर प्रदान की जाती हैं जैसे; ऋणी की प्रकृति पर आधारित प्रति ऋणी एक्सपोजर सीलिंग, ऋणी की बाह्य क्रेडिट जोखिम रेटिंग के आधार पर एक्सपोजर सीलिंग, ऋणी से संबंधित उद्योग/क्षेत्र, विशेष महत्व हेतु प्रवेश स्तर की रेटिंग, ऋण प्रदान करने का प्रतिबंधित तथा सामान्य क्षेत्र, अधिग्रहण दिशानिर्देश आदि।

प्रस्तावों की गुणवत्तापरक समीक्षा करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के निम्नलिखित मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाया जा सके:

1. बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग और सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्य, ऋण प्रस्ताव की प्रोसेसिंग/मूल्यांकन/मंजूरी से भिन्न है।
2. बैंक के प्रधान कार्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए बैंक की ऋण नीति के अनुरूप ऋण ग्रिड बनाए गए हैं। बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक, ऋण अनुमोदन ग्रिड के सदस्य हैं।
3. ग्रिड की बैठक के कोरम के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग और ऋण विभाग के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
4. बैंक में निम्नलिखित के अलावा सभी उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग करने की नीति है:
 - स्टाफ ऋण
 - मीयादी जमा, सरकारी प्रतिभूतियों, डाक प्रतिभूतियों इत्यादि की जमानत पर अग्रिम
 - सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं
 - प्रतिष्ठित बैंकों के साख पत्रों के अंतर्गत देशी बिलों का परक्रामण
 - राज्य/केन्द्र सरकार को अग्रिम
 - केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों/सरकारी संस्थापनों जैसे मंडी बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, नगर निगम तथा विश्वविद्यालय इत्यादि को वित्त।

इस ढांचे का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है। ऋण पोर्टफोलियो की संरचना का विश्लेषण (मूल्यांकन वार/उद्योगवार) ऋणकर्ताओं के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन सहित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीडीआरएम) के समक्ष रखा जाता है।

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए समेकित स्तर पर निर्धारित एक्सपोजर संबंधी मानदंडों का पालन करता है। बैंक की समेकित पूंजी निधियों/कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन्हें नियमित आधार पर मानीटर किया जाता

Apart from above mentioned Credit committees Branch Incumbents at various levels have also been delegated powers for sanction of credit facilities to various segments of borrowers.

The delegation structure has been designed to ensure that transactions with higher exposure and level of risk are delegated to the higher forum/committee for approval.

Further, the Delegated Powers are subject to various covenants prescribed in the Bank's Loan Policy and Credit Risk Management Policy viz. exposure ceiling per borrower based on the Constitution of the borrower, exposure ceiling based on External Credit Risk Rating of the borrower, industry/sector to which the borrower belongs, entry level rating for trust, restricted and general area of lending, takeover guidelines etc.

Following guidelines of Credit Risk Management Policy are being adopted for the purpose of screening of the proposals qualitatively so as to ensure healthy credit portfolio of the Bank

1. Credit Risk Management Department is set up at Head Office and Credit Risk Management Cell at all the Regional Offices of the Bank. The function of Risk Management Department is independent of processing/appraisal/sanction of the proposal.
2. Credit Grids for different sanctioning levels at Head Office of the Bank are set up in accordance with the Loan Policy of the Bank. The senior executives of the Bank are members of the Credit Grid.
3. The presence of the members from Risk Department and Credit Department is mandatory for quorum of the meeting of the Grid.
4. The Bank has a policy for undertaking Credit Risk Rating of all borrowers except the following :
 - Staff Loans.
 - Advance against Term Deposits, Govt. Securities, Postal Securities etc
 - Govt. Sponsored Schemes.
 - Negotiation of Inland Bills under L/C of reputed banks.
 - Advance to State/ Central Govt.
 - Finance to Central/ State Govt. Departments/ Undertakings / Govt. Establishments such as Mandi Boards, Improvement Trusts, Municipal Corporations and Universities etc.

The objective of this framework is to ensure healthy credit portfolio of the Bank by following the set principles of Risk Management. The analysis of the composition of the credit portfolio (Rating wise/Industry wise) is placed to the Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) along with the migration of rating of borrowers.

Bank complies with the exposure norms stipulated by RBI for both single borrower as well as borrower group at the consolidated level. Limits have been set up as a percentage of the Bank's consolidated capital funds/ aggregate advances



है। बैंक ने उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों पर (पर्याप्त एक्सपोजर सहित) आंतरिक रूप से भी विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की हैं।

पिछला देय तथा क्षतिग्रस्त ऋण :

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय होती है, यदि इसे बैंक द्वारा नियत की गई तारीख को अदा नहीं किया जाता। बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में करता है। गैर-निष्पादक आस्तित्व ऐसे ऋण अथवा अग्रिमों के रूप में परिभाषित है जहां :

- I. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है। किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब होगी यदि राशि बैंक द्वारा नियत की गई तारीख को अदा न की गई हो।
- II. ओवरड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) सुविधा के संबंध में खाता लगातार 90 दिनों तक 'अनियमित' बना रहता है। खाते को 'अनियमित' माना जाएगा यदि :
 - बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहे।
 - जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख को, लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा जमा की गई राशि लेखांकन अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो।
 - खाते में आहरण की अनुमति लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी स्टॉक विवरणियों के आधार पर परिकल्पित आहरण अधिकार के अनुसार की गई हो जो तीन माह से अधिक पुरानी हो चाहे यूनिट कार्य कर रही हो अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।
 - नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि के 180 दिनों के भीतर न किया गया हो।
- III. बैंक द्वारा खरीदे गए/भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो।
- IV. कृषि ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त, छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसली मौसम और लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहे।

इसके अतिरिक्त, गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अवस्तरीय, संदिग्ध और घाटे वाली आस्तियों के रूप में किया जाता है। अवस्तरीय आस्तित्व वह है, जो 12 माह से कम अथवा इसके बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी आस्तित्व रही हो। किसी आस्तित्व को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह 12 माह के लिए अवस्तरीय श्रेणी में रही हो। घाटे वाली आस्तित्व वह है, जहां घाटे का पता, बैंक अथवा इसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों को अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान लगा हो परंतु राशि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं डाली गई हो।

and are regularly monitored. Bank has also stipulated internal limits on exposure (including substantial exposure) to industries, sensitive sectors.

Loans Past Due and Impaired:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank. The Bank classifies its advances into performing and non-performing Assets(NPA) in accordance with the extant RBI guidelines.NPA is defined as a loan or an advance where:

- I. Interest and/ or instalment of principal remains overdue for more than 90 days in respect of a term loan. Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank;
- II. The account remains 'out of order' in respect of an overdraft/ cash credit (OD/CC) facility continuously for 90 days. An account is treated as 'out of order' if:
 - The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power
 - Where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of the balance sheet or, credits in the account are not enough to cover the interest debited during the accounting period
 - Drawings have been permitted in the account for a continuous period of 90 days based on drawing power computed on the basis of stock statements that are more than three months old even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory
 - The regular/ad-hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction.
- III. A bill purchased/discounted by the Bank remains overdue for a period of more than 90 days.
- IV. Interest and/or installment of principal in respect of an agricultural loan remain overdue for two crop seasons for short duration crops and one crop season for long duration crops.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months. A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

गुणात्मक प्रकटन :-

3.2 31 मार्च, 2016 को सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर तथा अन्य आस्तियां

श्रेणी		(₹ करोड़ में)
निधि आधारित सुविधाएं (क)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल नकदी तथा शेष राशि	9432.88
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग पर नकदी	529.55
	निवेश	44327.75
	अधिम	153639.38
	अन्य आस्तियां	10769.38
	कुल निधि आधारित सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर	218698.94
गैर निधि आधारित सुविधाएं (ख)	साख पत्र	10006.39
	बैंक गारंटियां	16708.54
	विनिमय संविदाएं	9895.15
	कुल गैर-निधि आधारित सकल ऋण जोखिम	36610.08
सकल योग (क+ख)		255309.02

3.3 31 मार्च, 2016 को ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण (₹ करोड़ में)

विवरण	निधि-आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
देशी	218698.94	36610.08	255309.02
विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	218698.94	36610.08	255309.02

3.4 31 मार्च, 2016 को एक्सपोजर का उद्योगवार संवितरण (डीएसबी विवरणी के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर-निधि आधारित बकाया	कुल
1	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	271.34	317.27	588.61
2	खाद्य प्रसंस्करण	5825.36	354.18	6179.54
2.1	जिसमें से चीनी	1075.36	34.36	1109.72
2.2	जिसमें से खाद्य तेल तथा वनस्पति	507.88	109.56	617.44
2.3	जिसमें से चाय	19.08	5.06	24.14
2.4	अन्य	4223.04	205.20	4428.24
3	मादक पेय पदार्थ (चाय एवं कॉफी को छोड़कर) तथा तम्बाकू	439.04	18.69	457.73
4	वस्त्र	7622.00	581.76	8203.76
4.1	जिसमें से कॉटन वस्त्र	1949.37	116.61	2065.98

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

3.2. Gross Credit Risk Exposure as on March 31st, 2016

Category		(₹ in crore)
Fund-based facilities (A)	Total Cash and Balances with Reserve Bank of India	9432.88
	Bal. with Banks and Money at Call	529.55
	Investments	44327.75
	Advances	153639.38
	Other Assets	10769.38
		Total Fund based Gross Credit Risk Exposure
Non-fund based facilities (B)	Letters of Credit	10006.39
	Bank Guarantees	16708.54
	Forward Exchange Contracts	9895.15
	Total Non Fund based Gross Credit Risk	36610.08
Grand Total (A+B)		255309.02

3.3 Geographic Distribution of Credit Exposures as on March 31st, 2016

(₹ in crore)

Particulars	Fund-based	Non-fund based	Total
Domestic	218698.94	36610.08	255309.02
Overseas	Nil	Nil	Nil
Total	218698.94	36610.08	255309.02

3.4 Industry-Wise Distribution of Exposures as on March 31st, 2016 (As per DSB returns)

(₹ in crore)

SN	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
1	Mining and Quarrying (Inc. Coal)	271.34	317.27	588.61
2	Food Processing	5825.36	354.18	6179.54
2.1	Of which Sugar	1075.36	34.36	1109.72
2.2	Of which Edible Oil and Vanaspati	507.88	109.56	617.44
2.3	Of which Tea	19.08	5.06	24.14
2.4	Others	4223.04	205.20	4428.24
3	Beverages (Exc. Tea and Coffee) and Tobacco	439.04	18.69	457.73
4	Textiles	7622.00	581.76	8203.76
4.1	Of Which Cotton Textiles	1949.37	116.61	2065.98

क्र.सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया	कुल
4.2	जिसमें से जूट वस्त्र	25.59	2.95	28.54
4.3	अन्य	5647.04	462.20	6109.24
5	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	376.72	14.52	391.24
6	लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	605.11	240.69	845.80
7	कागज तथा कागज उत्पाद	1525.10	78.75	1603.85
8	पेट्रोलियम (गैर इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) तथा न्यूक्लियर ईंधन	726.05	1.12	727.17
9	रसायन तथा रसायन उत्पाद (डाई, पेंट आदि)	1741.44	346.42	2087.86
10	रबड़, प्लास्टिक तथा इनके उत्पाद	267.56	12.89	280.45
11	कांच तथा कांच की वस्तुएं	342.06	71.21	413.27
12	सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	895.15	204.66	1099.81
13	मूल धातु तथा धातु उत्पाद	11724.01	2083.93	13807.94
13	जिसमें से लोहा तथा स्टील	10854.00	1802.60	12656.60
13	जिसमें से अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	870.00	281.33	1151.33
14	सभी इंजीनियरिंग	2952.36	1854.10	4806.46
15	वाहन, वाहन पुर्जे तथा परिवहन उपकरण	1882.91	417.10	2300.01
16	रत्न और आभूषण	917.59	47.25	964.84
17	निर्माण	1689.75	2472.58	4162.33
18	बुनियादी संरचना	21663.79	3095.37	24759.16
19	गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां	16812.25	43.71	16855.96
20	अन्य उद्योग	8240.66	1034.04	9274.70
21	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	67119.13	13424.70	80543.83
कुल जोड़		153639.38	26714.94	

3.5 उद्योग जिनमें 31 मार्च, 2016 को कुल ऋण जोखिम के 5% से अधिक एक्सपोजर है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग	निधि आधारित बकाया	गैर-निधि आधारित बकाया	कुल
1.	बुनियादी संरचना	21663.79	3095.37	24759.16
2.	एन.बी.एफ.सी.	16812.25	43.71	16855.96
3.	बेसिक धातु एवं धातु उत्पाद	11724.01	2083.93	13807.94

3.6 आस्तियों का अवशिष्ट संविदापरक परिपक्वता संबंधी विवरण 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का परिपक्वता ढांचा निम्न सारणी में दिया गया है

SN	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
4.2	Of Which Jute Textiles	25.59	2.95	28.54
4.3	Others	5647.04	462.20	6109.24
5	Leather and Leather Products	376.72	14.52	391.24
6	Wood and Wood Products	605.11	240.69	845.80
7	Paper and Paper Products	1525.10	78.75	1603.85
8	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	726.05	1.12	727.17
9	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	1741.44	346.42	2087.86
10	Rubber, Plastic and their Products	267.56	12.89	280.45
11	Glass and Glassware	342.06	71.21	413.27
12	Cement and Cement Products	895.15	204.66	1099.81
13	Basic Metal and Metal products	11724.01	2083.93	13807.94
13	Of Which Iron and Steel	10854.00	1802.60	12656.60
13	Of Which Other Metal and Metal Products	870.00	281.33	1151.33
14	All Engineering	2952.36	1854.10	4806.46
15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1882.91	417.10	2300.01
16	Gems and Jewellery	917.59	47.25	964.84
17	Construction	1689.75	2472.58	4162.33
18	Infrastructure	21663.79	3095.37	24759.16
19	NBFCs	16812.25	43.71	16855.96
20	Other Industries	8240.66	1034.04	9274.70
21	Residuary Other Advances	67119.13	13424.70	80543.83
Grand Total		153639.38	26714.94	180354.32

3.5 Industry Where Exposure Is More Than 5% Of Gross Credit Risk Exposure as on March 31st, 2016

(₹ in crore)

S. N.	INDUSTRY	Fund Based Outstanding	Non Fund Based Outstanding	Total
1.	Infrastructure	21663.79	3095.37	24759.16
2.	NBFCs	16812.25	43.71	16855.96
3.	Basic Metal and Metal products	11724.01	2083.93	13807.94

3.6 Residual Contractual Maturity Break-Down of Assets

The maturity pattern of assets as on March 31st, 2016 is detailed in the table below.

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता बकेट	कुल अग्रिम	कुल निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
अगले दिन	5,282.32	1,650.00	577.66
2-7 दिन	1,563.97	2,382.90	864.18
8-14 दिन	1,657.06	1,179.53	82.07
15-28 दिन	9,234.00	1,608.32	963.35
29 दिन-3 माह	11,175.99	1,434.98	1,090.22
> 3 माह-6 माह	12,105.01	334.19	1,909.96
> 6 माह-1 वर्ष	13,905.81	1,689.77	1,021.09
> 1 वर्ष-3 वर्ष	29,079.00	7,113.81	33.39
> 3 वर्ष-5 वर्ष	32,043.22	8,935.07	55.93
> 5 वर्ष	37,593.00	39,476.41	0.00
कुल	1,53,639.38	65,804.98	6,597.85

(₹ in crore)

Maturity Buckets	Gross Advances	Gross Investments	Foreign currency Assets
Next day	5,282.32	1,650.00	577.66
2 - 7 days	1,563.97	2,382.90	864.18
8 -14 days	1,657.06	1,179.53	82.07
15-28 days	9,234.00	1,608.32	963.35
29 days-3 months	11,175.99	1,434.98	1,090.22
>3 months - 6months	12,105.01	334.19	1,909.96
>6months-1 Yr	13,905.81	1,689.77	1,021.09
>1 Yr - 3 Yrs	29,079.00	7,113.81	33.39
>3 Yr - 5 Yrs	32,043.22	8,935.07	55.93
>5 Yrs	37,593.00	39,476.41	0.00
Total	1,53,639.38	65,804.98	6,597.85

3.7 31 मार्च, 2016 को गैर निष्पादनकारी आस्तियां

क्रम सं.	विवरण	राशि ₹ करोड़ में
(क)	कुल एनपीए	14701.78
	• अवस्तरीय	8439.46
	• संदिग्ध	6132.29
	• संदिग्ध-1	2425.78
	• संदिग्ध-2	3706.51
	• संदिग्ध-3	
	• हानि	130.03
(ख)	निवल एनपीए	9932.15
(ग)	एनपीए अनुपात	
	• कुल अग्रिमों में कुल एनपीए	9.57%
	• निवल अग्रिमों में निवल एनपीए	6.70%
(घ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (कुल)	
	• 01.04.15 को अथशेष	7666.22
	• जोड़े गए एनपीए	10371.43
	• कमी	3335.87
	• 31.03.16 को इतिशेष	14701.78
(ङ)	एनपीए हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव	
	• 01.04.15 को अथशेष	2778.33
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	3649.15
	• बट्टे खाते डाले गए	1667.60
	• अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	0.00
	• 31.03.16 को इतिशेष	4759.88

3.7 Non-Performing Assets as on March 31st, 2016

S.N.	Particulars	Amount ₹ in Crore
(a)	Gross NPAs	14701.78
	• Sub- standard	8439.46
	• Doubtful	6132.29
	• Doubtful-1	2425.78
	• Doubtful-2	3706.51
	• Doubtful-3	
	• Loss	130.03
(b)	Net NPAs	9932.15
(c)	NPA Ratios	
	• Gross NPAs to gross advances	9.57%
	• Net NPAs to net advances	6.70%
(d)	Movement of NPAs (Gross)	
	• Opening balance as on 01.04.15	7666.22
	• Additions	10371.43
	• Reductions	3335.87
	• Closing balance as on 31.03.16	14701.78
(e)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance as on 01.04.15	2778.33
	• Provisions made during the period	3649.15
	• Write-off	1667.60
	• Write-back of excess provisions	0.00
	• Closing balance as on 31.03.16	4759.88



क्रम सं.	विवरण	राशि ₹ करोड़ में
(च)	गैर-निष्पादनकारी निवेशों की राशि	148.75
(छ)	गैर-निष्पादनकारी निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	89
(झ)	निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	
	• 01.04.15 को अथशेष	34.18
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	112.98
	• बट्टे खाते/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	0.00
	• 31.03.16 को इतिशेष	147.16

डीएफ -4 – ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग

गुणात्मक प्रकटन

4.1 बाह्य मूल्यांकन

बासेल III मार्गनिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे विनिर्दिष्ट बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों (ईसीएआई) अर्थात् घरेलू प्रतिपक्षों हेतु क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिक वर्क्स तथा एस.एम.ई.आर.ए तथा विदेशी प्रतिपक्षों के लिए स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज एवं फिच द्वारा दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग करें। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेन्सियों का उपयोग किया जाए। यह मूल्यांकन निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों प्रकार के एक्सपोजर के लिए किया जाता है।

अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सियों के मूल्यांकनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर हेतु निम्नानुसार किया जाता है :

- एक वर्ष से कम या उसके बराबर संविदागत परिपक्वता वाले एक्सपोजर हेतु (नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी साख के अतिरिक्त), ईसीएआई द्वारा किया गया अल्पावधि मूल्यांकन लागू होगा।
- घरेलू नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साखों (अवधि कुछ भी हो) और / या एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण हेतु दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा।
- विदेशों में एक्सपोजर हेतु, संविदागत परिपक्वता कुछ भी हो, अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा किया गया दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा।
- एक कारपोरेट समूह के भीतर किसी संस्था विशेष को दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता।

पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रेटिंग का मापन, इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में बताई गई मापन प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

बैंक नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिम भार की गणना करने के लिए बाह्य मूल्यांकनों का प्रयोग करता है। बैंक के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने वाली विशेषीकृत एजेन्सी की सहायता से विकसित आंतरिक मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करके बैंक अपने ग्राहकों का आंतरिक मूल्यांकन भी करता है।

S.N.	Particulars	Amount ₹ in Crore
(f)	Amount of Non-Performing Investments	148.75
(g)	Amount of provisions held for non-performing investments	89
(h)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	• Opening balance as on 01.04.15	34.18
	• Provisions made during the period	112.98
	• Write Off/ Write back of excess provision	0.00
	• Closing balance as on 31.03.16	147.16

DF-4 – CREDIT RISK : PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

4.1 External Ratings

Basel III guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Assessment Agencies (ECAIs) namely CRISIL, CARE, ICRA, India Rating, Brickworks and SMERA for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties. The Credit Risk Management Policy prescribes for utilisation of RBI approved ECAIs. The rating is used for both fund based and Non-fund based exposure.

The ratings assigned by approved Rating Agencies are used for various types of exposures as follows:

- For Exposure with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short -Term Rating given by ECAIs will be applicable.
- For Domestic Cash Credit, Overdrafts and other Revolving Credits (irrespective of the period) and/ or Term Loan exposures of over one year, Long Term Rating will be applicable.
- For Overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Rating given by International Rating Agencies will be applicable.
- Rating assigned to specific entity within a corporate group cannot be used to risk weight the other entities within the same group.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.

Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework. Bank also rates its clients internally using an internal rating model developed with the assistance of specialised agency acting as Bank's consultant.

मात्रात्मक प्रकटन :-

4.2 जोखिम भार द्वारा ऋण एक्सपोजर

नीचे दी गई सारणी में तीन प्रमुख जोखिम श्रेणियों में, मानक दृष्टिकोण अपनाते हुए जोखिम न्यूनीकरण के बाद बैंक की कुल बकाया राशि (मूल्यांकित व अमूल्यांकित) दी गई है :

₹ करोड़ में

एक्सपोजर श्रेणी	बकाया राशि
100% से कम जोखिम भार	47892.25
100% जोखिम भार	54644.85
100% से अधिक जोखिम भार	50238.51
कटौती की गई *	8424.96
कुल	144350.65

*कटौती की गई राशि में ऋण जोखिम न्यूनीकृत तथा पूंजी से काटी गई राशि सम्मिलित है।

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण

गुणात्मक प्रकटन :-

5.1 नीतियां एवम् पद्धतियां, जिनसे पता चलता है कि बैंक तुलन पत्र की तथा तुलन पत्र से इतर मदों का समायोजन (नेटिंग) का उपयोग किस सीमा तक करे :

- बैंक तुलन पत्र की मदों का समायोजन, उसी ऋणी के लिए ऋण जोखिम को कम करने की (सीआरएम) तकनीक के रूप में करता है, चूंकि बैंक को समंजन का अधिकार है। बैंक द्वारा इसके उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ऋण दस्तावेज में यह खंड होता है कि बैंक का उधारकर्ता/गारंटीदाता, जैसा भी मामला हो, की सभी प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार, प्रभार व समंजन का अधिकार होगा तथा बैंक में उसके किसी भी खाते में जमा उससे संबंधित सभी राशियों को समायोजित/वसूल करने का अधिकार होगा तथा बैंक को प्रतिभूतियों से वसूल की गई राशि और उपर्युक्तानुसार उधारकर्ता/गारंटीदाता के खातों से वसूल की गई राशि में से ऋण खाते में देय राशि को समायोजित/परिसमाप्त करने का अधिकार होगा।

5.2 सम्पार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

- बैंक में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक (सीआरएम) और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसमें सम्पार्श्विक का चयन, सम्पार्श्विक के जोखिम, सम्पार्श्विक का मूल्यांकन व निरीक्षण, पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक, गारंटी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मार्जिन दिए गए हैं। बैंक द्वारा सम्पार्श्विक की परिभाषा ऋण सुविधा की प्रतिभूति के लिए ऋणी अथवा अन्य पक्ष द्वारा बैंक को दी गई आस्तियों या अधिकारों के रूप में दी गई है। ऋणी/बाध्यताधारी के दायित्वों हेतु प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों/संविदाओं के संबंध में बैंक को प्रतिभूत लेनदार के अधिकार होंगे।

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

4.2 Credit Exposures by Risk Weights

The table below classifies the bank's outstanding amount (rated and unrated), after risk mitigation subject to standardised approach, in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:

₹ in Crore

Exposure Category	Amount outstanding
Less than 100% risk weight	47892.25
100% risk weight	54644.85
More than 100% risk weight	50238.51
Deducted*	8424.96
Total	144350.65

*Deducted amount includes Credit Risk Mitigant and amount deducted from capital.

DF-5 CREDIT RISK MITIGATION

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

5.1 Policies and Processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off-balance sheet netting:

- Bank off-set the on-balance sheet exposure of the borrower using the Credit Risk Mitigation (CRM) technique as the right of set off is with the Bank. The loan documents obtained by the Bank from its borrowers carry a clause that the Bank shall have a lien, charge and right to set-off, adjust/ realize on all securities and all moneys belonging to the borrower/ guarantor, as the case may be, standing to their credit in any of the account with the Bank and the Bank shall have all rights, power and authority to adjust/ liquidate the dues in the loan accounts from the amount of the securities so realized and out of the proceeds recovered from the accounts of borrower/ guarantor as mentioned above.

5.2 Policies And Processes For Collateral Valuation And Management

- Bank has Board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, having detailed guidelines on selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts. The Bank defines collateral as the assets or rights provided to the Bank by the borrower or a third party in order to secure a credit facility. Bank shall have the rights of secured creditor in respect of the assets/ contracts offered as security for the obligations of the borrower/ obligor.



5.3 सम्पार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन रू भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट

- बैंक सम्पार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यांकन हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बासेल II मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट, पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा कम किए गए जोखिम की सीमा तक प्रतिपक्ष को दी जाने वाली ऋण राशि कम कर देता है। बासेल II मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक सम्पार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में भविष्य में संभावित उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के लिए प्राप्त हुई किसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य का समायोजन करता है। ये समायोजन, जिन्हें “मार्जिन” भी कहा गया है, सम्पार्श्विक प्रतिभूति हेतु अस्थिरता-समायोजित राशि निकालते हैं और लागू जोखिम भारों पर आधारित पूंजी प्रभार की गणना करते समय एक्सपोजर में से घटा दिए जाते हैं। रिटेल उत्पादों हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति, संबंधित उत्पादों की उत्पाद नीति में परिभाषित की गई है। आवास ऋणों और अन्य रिटेल ऋणों के लिए वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति/आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा किया जाता है। बैंक ऐसे उत्पाद भी प्रस्तुत करता है जो प्रमुखतया सम्पार्श्विक प्रतिभूति पर आधारित होते हैं, जैसे शेयर ए विनिर्दिष्ट सिक्क्योरिटीज़, भंडारित जिंस और स्वर्ण आभूषण। ये उत्पाद अनुमोदित योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों, मूल्यांकन और मार्जिन आदि भी होते हैं।
- बैंक उच्च श्रेणी के ग्राहकों और कुछेक उत्पादों जैसे डेरिवेटिव, व्यक्तिगत ऋणों आदि के लिए बेजमानती सुविधाएं भी प्रदान करता है। बेजमानती सुविधाओं के संबंध में ऋण सीमाओं का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। प्रत्येक संव्यवहार के लिए सम्पार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार और मात्रा के संबंध में निर्णय, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण अनुमोदन प्राधिकार के अनुसार, ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। अनुमोदित उत्पाद नीतियों के अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (रिटेल उत्पाद, शेयरों की जमानत पर ऋण आदि) के लिए उक्त नीति के अनुरूप सम्पार्श्विक प्रतिभूति ली जाती है।

5.4 ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें :-

ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण के अनुसार विनियामक पूंजी की गणना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीकें निम्नानुसार हैं :

1. सम्पार्श्विक लेन-देन
2. ऑन-तुलन पत्र नेटिंग
3. गारंटियां

5.5 बैंक द्वारा लिए गए सम्पार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरण

- बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित) की प्रतिभूति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां लेता है (जिन्हें सम्पार्श्विक भी कहा जाता है)। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम कम

5.3 Collateral valuation and management: As stipulated by the RBI guidelines,

- Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces the credit exposure to counterparty when calculating the capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible financial collateral as specified in the Basel II guidelines. In line with Basel II guidelines, Bank adjusts the value of any collateral received for possible future fluctuations in the value of the collateral. These adjustments, referred as 'haircuts', produce volatility-adjusted amounts for collateral, and are reduced from the exposure to compute the capital charge based on the applicable risk weights. For retail products, security to be taken is defined in the respective policy of the specific products. Housing loans and other retail loans are secured by the security of the property/ asset being financed. The valuation of the properties is carried out by an approved valuation agency. Bank also offers products, which are primarily based on collateral such as shares, specified securities, warehouse commodities and gold jewellery. These products are offered in line with the approved schemes, which also deal with types of collateral, valuation and margin.
- Bank extends unsecured facilities to high rated clients and for certain products such as derivatives, personal loans etc. The limit structure with respect to unsecured facilities has been approved by the Board of Directors. The decision on the type and quantum of collateral for each transaction is undertaken by the credit approval authority as per the Board approved credit approving authorisation. For facilities provided as per approved product policies (retail products, loan against shares etc.), collateral is taken in line with the policy.

5.4 Credit Risk Mitigation techniques:

Credit Risk Mitigation Techniques allowed by RBI for calculation of regulatory capital as per Standardised Approach for Credit Risk are as follows :

1. Collateralised Transactions
2. On-Balance Sheet Netting
3. Guarantees

5.5. Description of the main types of Collateral taken by the Bank

- Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of

करने के संबंध में एक्सपोजर में कमी करने का तरीका अपनाया है। जहां भी ऋण जोखिम को कम करने के लिए गारंटी उपलब्ध होती है, वहां उपलब्ध गारंटी की सीमा तक ऋण जोखिम गारंटीदाता का होता है। सामान्यतः निम्न प्रकार की प्रतिभूतियां (प्राथमिक प्रतिभूतियां या सम्पार्श्विक प्रतिभूतियां) ली जाती हैं :-

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेर
4. बैंक की अपनी जमाराशियां
5. एनएससी, किसान विकास पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां आदि।
6. ऋण प्रतिभूतियां – अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकित – कुछ शर्तों सहित।
7. ऋण प्रतिभूतियां – गैर-मूल्यांकित – बैंक द्वारा जारी – कुछ शर्तों सहित।
8. म्यूचुअल फंड के यूनिट
9. गैर-निधि आधारित सुविधाओं के प्रति नकद मार्जिन
10. स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण

क्रम संख्या 4 से 10 पर दी गई प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम के लिए बासेल मार्गनिर्देश-मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम कम करने में सक्षम माना जाता है।

5.6 गारंटीदाता प्रतिपक्षों के मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण योग्यता

- ऐसी गारंटियां जो प्रत्यक्ष, सुनिश्चित, अप्रतिस्तरणीय तथा बिना किसी शर्त की होती हैं, बैंक द्वारा पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए विचार में ली जाती हैं। पूंजी की गणना के प्रयोजन के लिए ऐसी गारंटियों का उपयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है।

बैंक के ऋण जोखिम के प्रति मुख्य प्रकार के गारंटर निम्नानुसार है :-

- एए(-) या बेहतर रेटिड कॉर्पोरेट्स
- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई
- सीआरजीएफटीएलआईएच

5.7 जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार अथवा साख) के बारे में जोखिम कम करने संबंधी सूचना

जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा प्रयोग किए जा रहे सम्पार्श्विक के प्रकार सहजता से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं तथा बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती हैं। अतः इस समय बैंक द्वारा पहचाने गए ऋण जोखिम न्यूनीकरण में जोखिम संकेन्द्रीकरण का सामना करने के लिए कोई सीमा/सीलिंग निर्धारित नहीं की गई है।

certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk remains with the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc.
2. Immovable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants under Basel guidelines- standardized approach for credit risk.

5.6 Main Types of Guarantor Counterparty and their Creditworthiness

- Guarantees, which are direct, explicit, irrevocable and unconditional, are taken into consideration by Bank for calculating capital requirement. Use of such guarantees for capital calculation purposes is strictly as per RBI guidelines on the subject.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Corporates rated AA (-) or better
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE
- CRGFTLIH

5.7. Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.



मात्रात्मक प्रकटन:-

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016
1	कुल एक्सपोजर, जो अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर प्राप्त हो (जहां लागू हो, ऑन या ऑफ तुलन पत्र नेटिंग के बाद)।	8424.93
2	कुल एक्सपोजर, जो अलग से प्रकट संविभाग के लिए गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित) मार्जिन द्वारा कवर प्राप्त हो (जहां लागू हो, ऑन या ऑफ, तुलन पत्र नेटिंग के बाद)।	16897.44

डीएफ – 6 प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन :-

- बैंक में मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रतिभूतिकरण नीति है। बैंक में 31 मार्च, 2016 को इसकी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है।
- प्रतिभूतिकरण के संबंध में कोई धारित एक्सपोजर नहीं है।

डीएफ – 7. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :-

- बाजार जोखिम वित्तीय लिखतों के मूल्य में परिवर्तन से होने वाली संभावित हानि है जो बाजार की विविधता के परिणामस्वरूप होती है जैसे ब्याज दर, विनिमय दर, ऋण विस्तार तथा अन्य आस्तियों का मूल्य।
- बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिम मॉनिटर तथा नियंत्रित किए जाते हैं। बैंक इस समय जिसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम को मॉनिटर करने के लिए दैनिक आधार पर अंतर विश्लेषण किया जाता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित विवेकपूर्ण सीमाएं मॉनिटर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार दैनिक और औसत मांग ऋण-अंतर बैंक देयताएं, खरीदी गई निधियों आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं हैं। निवेश समिति द्वारा दैनिक आधार पर उच्च मूल्य की बल्क जमाराशियां मॉनिटर की जाती हैं। तरलता स्थिति का जायजा लेने के लिए अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें कारोबार वृद्धि पर भी विचार किया जाता है। आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधीयन योजना बनी हुई है। योजना की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है। तरलता संकट होने और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां लेने की स्थिति में बैंक को होने वाली संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) भी किया जाता है।

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

₹ in Crore

S. No.	Particulars	31.03.2016
1	Total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio	8424.93
2	Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	16897.44

DF-6 SECURITISATION

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. The Bank does not have any case of its assets securitized as on March 31st, 2016.
- There is no case of retained exposure in respect of securitization.

DF-7: MARKET RISK IN TRADING BOOK

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- Market risk is the possibility of loss arising from changes in the value of a financial instrument as a result of changes in market variables such as interest rates, exchange rates, credit spreads and other asset prices.
- Under Market Risk Management, Liquidity risk, Interest rate risk, Foreign Exchange Risk and equity price risk are monitored and managed. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is undertaken for monitoring liquidity risk on daily basis. Prudential limits based on RBI guidelines for the short-term buckets are monitored. Besides prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc. High value bulk deposits are monitored on daily basis by the Investment Committee. Short- term dynamic liquidity statement is prepared on a monthly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is reviewed on monthly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

ब्याज दर जोखिम

अगले 12 माह के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। बैंक अवधि अंतराल विश्लेषण का भी प्रयोग करता है।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो अवधि विश्लेषण के आधार पर मॉनिटर किए जाते हैं।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, बाजार दर में 200 बेसिस प्वाइंट तक के परिवर्तन के आघात द्वारा दबाव परीक्षण किया जाता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम दिन व रात के (डेलाइट और ओवरनाइट) एक्सपोजर निर्धारित किए हैं। इसके साथ, डीलरों के फोरेक्स परिचालनों की मॉनिटरिंग के लिए हानि रोध सीमा और एकल सौदा सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश योजना ने इक्विटी डीलरों के लिए हानि रोध सीमाएं निश्चित की हैं। लेन-देनों तथा लाभ के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है।

- **बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन :**
- बैंक में जोखिम प्रबंधन का कार्य तीन स्तरों पर समर्थित है – (i) निदेशकों की जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति जो पर्यवेक्षण करती है और जहां आवश्यक हो, निर्देश जारी करती है/जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि का अनुमोदन करती है। (ii) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जो नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है और तरलता, लाभप्रदता तथा बाजार जोखिम पर विचार विमर्श करती है। (iii) जोखिम प्रबंधन विभाग जो आधारभूत स्तर पर सहायता प्रदान करता है।
- **जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा मापन पद्धति का क्षेत्र तथा स्वरूप :**

घरेलू कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जैसे, मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करना, ट्रेडिंग बुक निवेशों का दैनिक आधार पर अवधि विश्लेषण, तरलता जोखिम/बाजार जोखिम का तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण। घरेलू तुलनपत्र तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का तिमाही आधार पर अवधि विश्लेषण किया जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर अवधि विश्लेषण तथा प्रभाव मासिक आधार पर किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता की कारपोरेट स्तर पर आल्को द्वारा नियमित अंतरालों में पुनरीक्षा की जाती है। तरलता जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार उधार व ऋण के संबंध में विभिन्न विवेकपूर्ण प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं। संरचनात्मक तरलता विवरणी दैनिक आधार पर तैयार की जाती है और अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाती है और आल्को को रिपोर्ट की जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव पर किए गए तिमाही अध्ययन के परिणाम आल्को को रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रेडिंग बुक स्थिति के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन सूचित किया जाता है।

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.

Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing shock of change in market rate upto 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limits and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

- **Structure and Organisation of the Market risk management function:**
- Market Risk Management function in the Bank is supported at three levels- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Asset Liability Committee (ALCO) for considering policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.
- **Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:**

In respect of domestic business, the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as, Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis, Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis, conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. Duration analysis and impact on the Economic Value of Equity is done on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed at regular intervals by ALCO at the corporate level. Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a monthly basis and reported to ALCO. The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position is reported daily to Top Management.



• बचाव व्यवस्था और / अथवा जोखिम कम करने की नीतियां

निवेश प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियां लागू हैं, जिनमें बाजार जोखिम की मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं विस्तार से दी गई हैं।

मात्रात्मक प्रकटन :-

• बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
अपेक्षित पूंजी	871.98
- ब्याज दर जोखिम	554.26
- विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
- इक्विटी स्थिति जोखिम	315.46

डीएफ - 8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :-

- परिचालन जोखिम, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोग या सिस्टम या बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप हुई हानि का जोखिम है। परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम सम्मिलित है परंतु रणनीति एवं प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम सम्मिलित नहीं हैं। बैंक की देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की कारोबारी गतिविधियों में परिचालन जोखिम निहित है तथा यह मुद्दों के वृहद परिदृश्य को कवर करता है।
- परिचालन जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य :-**
- सामान्यतः परिचालन जोखिम को समझने की आवश्यकता को तथा उन विशेष बैंकिंग गतिविधियों/कारोबार लाइनों में समाहित परिचालन जोखिम को पहचानना, जिनमें बैंक संलिप्त है। परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य को इस प्रकार के जोखिम को समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं समझा जाए वरन् इस प्रकार के जोखिम को समझने, पहचानने, मॉनिटर तथा नियंत्रण करने के लिए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण समझा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में भाग ले तथा इस संबंध में अपने दायित्व को समझे।
- विशिष्ट कारोबारी इकाइयों/कारोबारी लाइनों के लिए आवधिक परिचालन जोखिम आंकड़ों के संग्रहण हेतु फार्मेट को अंतिम रूप दें तथा इस प्रकार के जोखिम को बढ़ाने वाले कारणों की समीक्षा करना ताकि इस प्रकार के जोखिम को मापा जा सके व इसकी निगरानी की जा सके।
- जोखिम के वास्तविक संग्रहीत आंकड़ों, उसकी तीव्रता तथा उसके रुझान के आधार पर परिचालन जोखिम की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारणों को जानने के लिए परिचालन जोखिम सीमाएं निर्धारित करना। परिचालन जोखिम घटनाएं घटित होने के पीछे छिपे कारणों को दूर करने/रोकने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है।
- विशेष कारोबारी लाइनों के लिए परिचालन जोखिम रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्धारण/संशोधन करना।

• Policies for hedging and / or mitigating risk.

Detailed policies are operational for Investment management, Asset Liability Management and Market Risk Management which deal in detail the various strategies and processes for monitoring and managing Market Risk.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

• Capital Requirement for Market Risk

Particulars	Amount (₹ in Cr)
Capital required	871.98
- for interest rate risk	554.26
- for foreign exchange (including gold) risk	2.25
- for equity position risk	315.46

DF - 8 : OPERATIONAL RISK

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk. Operational risk is inherent in the Bank's business activities in both domestic as well as overseas operations and covers a wide spectrum of issues.
- Objectives of Operational Risk Management:-**
- Recognise the need to understand Operational Risk in general and also in particular Operational Risk inherent in specific banking activities/business lines in which the Bank is engaged. Operational Risk Management Functions shall not be understood as a process of eliminating such risk but as a systematic approach to understand, identify, measure, monitor and control such risk. It shall be ensured that each individual employee of the Bank participates in the Operational Risk Management process and understands his/her responsibility in this regard.
- Finalise the format for collection of Operational Risk Data for specified business units/ business lines periodically and analyse causes influencing such risk so as to measure and monitor such risk.
- Set up Operational Risk Limits for various causes leading to Operational Risk event based on actual risk data collected, its severity and its trend. This approach would be necessary to eliminate/restrict the underlying causes for Operational Risk Event to occur.
- Devise/Modify Operational Risk Reporting System for specified business lines.

- संभावित परिचालन जोखिम घटनाओं तथा कारोबारी लाइनों द्वारा सुव्यवस्थित ट्रेकिंग परिचालन जोखिम आंकड़ों के द्वारा होने वाली हानि की नियमित आधार पर पहचान करने, निगरानी करने तथा नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक कारोबारी लाइन हेतु आंतरिक नियंत्रण सिस्टम संशोधित/पुनर्समायोजित करना।
- प्रभावी पहचान, मूल्यांकित निगरानी, नियंत्रण तथा परिचालन जोखिम घटनाओं को कम करने के लिए स्पष्ट दायित्वों के निर्धारण द्वारा बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन सिस्टम लागू करना।
- समय-समय पर भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर परिचालन जोखिम हेतु अपने दृष्टिकोण को मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से मानकीकृत दृष्टिकोण में बदलने का प्रस्ताव रखना।
- **परिचालन जोखिम प्रबंधन पद्धति का ढांचा एवं संगठन**

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य तीन स्तरों पर समर्थित है –

- (i) जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों को पर्यवेक्षी समिति जो जहां जरूरी हो निदेश देती है तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की देखरेख/अनुमोदन करती है। (ii) नीतिगत मुद्दों पर विचार करने तथा विभिन्न परिचालनपरक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा (iii) आधारभूत स्तर पर समर्थन देने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग।

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जो परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना, परिचालन जोखिमों और इन्हें कम करने के तत्वों, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं इत्यादि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इस नीति की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

- **जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा मापन पद्धति का स्वरूप एवं प्रकृति :**

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं जिसमें व्यक्तियों, प्रक्रियाओं, टेक्नॉलॉजी तथा बाहरी घटनाओं से संबंधित, बैंक को परिचालन जोखिम में डालने वाली घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

ख. बैंक, भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर, हानि डाटा एकत्रित करने के लिए “ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (CORDEX)” उद्यम में पहले से ही एक प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है।

- **पूँजी प्रभार की गणना**

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है और बासेल II के अंतर्गत अपेक्षित पूँजी प्रावधान कर रहा है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, जोखिम धारित आस्तियां निकालने के लिए तीन वर्षों की औसत को हिसाब में लिया जाता है।

- Modify/readjust the Internal Control System for each business line for identification, monitoring and control on a continuing basis of probable operational risk events and consequent losses by systematically tracking operational risk data by business lines.
- Integrate the operational risk management system into day to day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing monitoring, controlling and mitigating operational risk events.
- Propose to move from Basic Indicator Approach (BIA) to Standardized Approach for Operational Risk in due course in line with guidelines received from Govt. of India/Reserve Bank of India from time to time.
- **Structure and organization of operational risk management system**

Operational Risk Management function in the Bank is supported at three levels-

- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Operational Risk Management Committee (ORMC) for considering policy issues and deliberating on various operational issues and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

Bank has operational risk management policy that clearly defines operational risk management framework, operational risks and its mitigants, reporting requirements etc. The policy is reviewed on annual basis by the Board of Directors.

- **Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:**

a. The Operational Risk Management Committee meets at regular intervals wherein the incidents related to people, processes, technology and external events exposing the Bank to Operational risk are deliberated at length and suitable steps are initiated to check recurrence of such events.

b. The Bank has collaborated with IBA in a venture “Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX)” as one of the promoters.

- **Calculation of capital charge**

The Bank is following Basic Indicator Approach and providing for requisite capital under Basel II as per RBI guidelines. Under this approach, average annual positive gross income for the previous 3 years is taken into consideration for arriving at risk weighted assets.



डीएफ - 9 : बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन :-

- आईआरआरबीबी के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा
ब्याज दर जोखिम आय में तथा मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव से संबंधित जोखिम है। आईआरआरबीबी, किसी संस्थान की बैंकिंग बहियों में निर्धारित समय के भीतर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण स्थिति के खराब होने के जोखिम की जानकारी देती है। बैंक विभिन्न बाजारों में विविध परिपक्वता या पुनर्मूल्यांकन तिथियों के साथ आस्तियां, देयताएं तथा ऑफ तुलन-पत्र रखता है तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध रहता है जिससे इस प्रकार की मार्केट में ब्याज दरों के स्तर में अनपेक्षित परिवर्तनों के कारण जोखिम उत्पन्न होता है।
- बैंकिंग बही में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) संविभाग में रखे गए सभी अग्रिम तथा निवेश शामिल हैं।
- आईआरआरबीबी मापन में कार्यविधि तथा प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :
 - आईआरआरबीबी का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों पर आधारित है।
 - विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की दर संवेदनशीलता तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में विभिन्न समय-श्रेणियों में ब्याज दर संवेदनशील विवरणी तैयार की जाती है।
 - प्रत्येक आस्तित एवं देयता की अवधि, प्रत्येक समयावधि के मध्य बिन्दु को परिपक्वता तारीख के रूप में लेकर और औसत आय को कूपन के रूप में तथा बट्टे के उद्देश्य से मार्केट दर लेकर निकाली जाती है। निवेशों के लिए वास्तविक समयावधि निकाली जाती है और जोखिम निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है।
 - प्रत्येक श्रेणी के लिए देयताओं एवं आस्तियों की संशोधित अवधि निकाली जाती है और ब्याज दर पर 200 बेसिस प्वाइंट के परिवर्तन से उनके मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निकाला जाता है।
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन कार्यों की संरचना एवं संगठन :-
- बैंक में ब्याज दर प्रबंधन कार्य तीन स्तरों पर समर्थित हैं- (i) निदेशकों की जोखिम पर्यवेक्षी समिति जो जोखिम प्रबंधन नीतियों की देखरेख तथा जहां आवश्यक हो मार्गनिर्देश जारी करती है/अनुमोदन करती है (ii) नीतिगत मुद्दों तथा तरलता, लाभप्रदता एवं बाजार जोखिम पर विचार करने के लिए आस्तित देयता प्रबंधन समिति (आल्को) तथा (iii) आधारभूत स्तर पर समर्थन देने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग।

गुणात्मक प्रकटन :-

- आईआरआरबीबी मापने के लिए ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के आघातों के लिए आय तथा आर्थिक मूल्य में वृद्धि (कमी) निम्नानुसार है:-

DF-9 : INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

• Risk Management Framework for IRRBB

Interest rate risk is the risk of potential variability in earnings and capital value resulting from changes in market interest rates. IRRBB refers to the risk of deterioration in the positions held on the banking book of an institution due to movement in interest rates over time. The Bank holds assets, liabilities and off balance sheet items across various markets with different maturity or re-pricing dates and linked to different benchmark rates, thus creating exposure to unexpected changes in the level of interest rates in such markets.

- Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.
- The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:
 - IRRBB is assessed based on RBI guidelines.
 - Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
 - The duration for each asset and liability is arrived by taking the midpoint of each time bucket as the maturity date, the average yield as coupon and the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is arrived and used for risk assessment.
 - Modified Duration of Liabilities and Assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 Basis Points is arrived.
- **Structure and Organisation of Interest Rate Risk Management function:**
- Interest Rate Risk Management function in the Bank is supported at three levels- (i) Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies (ii) Asset Liability Committee (ALCO) for considering policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and (iii) Risk Management department providing support at the ground level.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

- The increase (decrease) in Earnings and Economic Value for upward and downward rate shocks for measuring IRRBB is as follows:-

विवरण	शर्तें	कुल (₹ करोड़ में)
1. अर्जन पर प्रभाव (एनआईआई)	1 वर्ष के लिए अपवर्ड 50 बीपीएस पर	47.58
	1 वर्ष के लिए डाउनवर्ड 50 बीपीएस पर	-47.58
2 जोखिम वाली ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बेसिस प्वाइंट अपवर्ड आघात	-1684.50
	200 बेसिस प्वाइंट डाउनवर्ड आघात	+1684.50
प्रतिशत के संदर्भ में ईक्विटी मूल्य में गिरावट		12.72%

Particulars	Condition	Total (₹ in Cr)
1. Impact on Earnings (NII)	At upward 50bps for 1 year	47.58
	At downward 50bps for 1 year	-47.58
2. Economic Value of Equity at Risk	200 basis point shock upwards	-1684.50
	200 basis point shock downwards	+1684.50
Drop in equity value in percentage terms		12.72%

डीएफ - 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित जोखिम हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन :-

- प्रतिपक्षकार जोखिम
- व्युत्पन्नी संविदा के मामले में प्रतिपक्षकार जोखिम, वायदा संविदा के कारण होता है। उसके उपरांत के ऋण जोखिम एक्सपोजर बाजार के तथ्यों के मूल्य पर आधारित होते हैं (उदा. ब्याज दरें तथा विदेशी विनिमय दरें), जो प्रकृति से अस्थिर तथा अनिश्चित हो सकते हैं। बैंक वायदा संविदा के अलावा व्युत्पन्नी संविदा नहीं करता है।
- ऋण सीमा
- नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, प्रतिपक्षकार बैंक हेतु ऋण सीमा उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है। सीमा निर्धारित करते समय विभिन्न वित्तीय मापदंड यथा एनपीए अनुपात, चलनिधि अनुपात आदि पर विचार किया जाता है। ऋण एक्सपोजर की दैनिक मॉनिटरिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनुमोदित ऋण सीमा से अधिक न हो। यह ऋण सीमाएं अनुमानित एक्सपोजर आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
- वायदा संविदा पर ऋण एक्सपोजर
- बैंक, कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में, स्थितिकरण तथा अंतरपणन उद्देश्य के लिए तथा साथ में अपनी स्वयं की जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए वायदा करार करता है जिसमें ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना शामिल है। व्युत्पन्नी जोखिम की गणना मौजूदा जोखिम पद्धति के अनुसार की जाती है।

गुणात्मक प्रकटन :-

- 31 मार्च, 2016 को वायदा संविदा पर ऋण एक्सपोजर :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित राशि	संभावित भविष्यगत जोखिम	करार का सकल सकारात्मक उचित मूल्य	कुल ऋण एक्सपोजर
वायदा संविदा	9895.15	204.01	120.12	324.14

- बैंक ऋण व्युत्पन्नों में कारोबार नहीं करता है।

DF-10 : GENERAL DISCLOSURES FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

QUALITATIVE DISCLOSURES:-

- **Counterparty exposure**
- Counterparty credit risk in case of derivative contracts arises from the forward contracts. The subsequent credit risk exposures depend on the value of underlying market factors (e.g., interest rates and foreign exchange rates), which can be volatile and uncertain in nature. The Bank does not enter into derivative transactions other than forward transactions.
- **Credit limits**
- The credit limit for counterparty bank is fixed based on their financial performance as per the latest audited financials. Various financial parameters such as NPA ratios, liquidity ratios, etc are taken into consideration while assigning the limit. Credit exposure is monitored daily to ensure it does not exceed the approved credit limit. These credit limits are set on the notional exposure basis.
- **Credit exposures on forward contracts**
- The Bank enters into the forward contracts in the normal course of business for positioning and arbitrage purposes, as well as for our own risk management needs, including mitigation of interest rate and foreign currency risk. Derivative exposures are calculated according to the current exposures method.

QUANTITATIVE DISCLOSURES:-

- **Credit exposure on forward Contracts as on March 31st 2016 :-**

(₹ in Cr)

Particulars	Notional Amount	Potential future exposure	Gross Positive fair value of contracts	Total credit exposure
Forward Contracts	9895.15	204.01	120.12	324.14

- The Bank does not deal in credit derivatives.

डीएफ 11 . पूंजी की संरचना				₹ करोड़ में
विनियामक समायोजनों के परिवर्तन के दौरान बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट प्रयुक्त किया जाए (अर्थात् 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसम्बर, 2019)			बासेल III पूर्व	संदर्भ संख्या
			उपचार के	
			अध्यधीन राशि	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधि				
1	प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	4033.64	-	ए+बी
2	प्रतिधारित अर्जन	0.64	-	सी
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	9688.05	-	डी
4	सीईटी1 से फेजआउट के अध्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)	-	-	
	सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजीगत सहायता जो 1 जनवरी 2018 तक प्राप्त होनी है	-	-	
5	समनुषंगियों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा रोकी गई सामान्य शेयर पूंजी (राशि समूह सीईटी 1 में स्वीकृत)	678.27	1507.26	ईई
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	14400.60		
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-	
8	साख (संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)	-	-	
9	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार के अलावा (संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)	-	-	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	वी+एक्स
11	नकदी- प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	-	-	
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधान की कमी	-	-	
13	बिक्री पर प्राप्त प्रतिभूतिकरण	-	-	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ एवं हानि	-	-	
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	0.00	एल
16	स्वयं के शेयरों में विनिधान (यदि प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र में प्रदत्त पूंजी पहले से नेटेड ऑफ नहीं है)	-		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	32.09	40.11	पी
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा में पूंजी विनिधान जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात्, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक)	0.00	0.00	क्यू
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण विनिधान जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात् (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक)	.	.	

DF 11 - COMPOSITION OF CAPITAL			₹ in crore	
Basel III Common Disclosure Template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to March 31, 2019)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	4033.64	-	a+b
2	Retained earnings	0.64	-	c
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	9688.05	-	d
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹)	-	-	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	678.27	1507.26	e
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	14400.60		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	-	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	-	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-	-	
10	Deferred tax assets	0.00	0.00	v+x
11	Cash- ow hedge reserve	-	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	-	
13	Securitisation gain on sale	-	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	-	
15	De ned-bene t pension fund net assets	0.00	0.00	l
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	32.09	40.11	p
18	Investments in the capital of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	q
19	Signi cant investments in the common stock of banking, nancial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	-	



20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक)	-	-	
21	आस्थिगत कर आस्तियां जो अस्थाई अंतर से उत्पन्न हुई हैं (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक, संबंधित कर देयताओं को घटाने के बाद)	-	-	
22	15% की न्यूनतम सीमा से अधिक राशि	-	-	
23	उसमें से : वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण विनिधान	-	-	
24	उसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार	-	-	
25	उसमें से : आस्थिगत कर आस्तियां जो अस्थाई अंतर से उत्पन्न हुई हैं	-	-	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-	-	
26 क	असमेकित बीमा समनुषंगियों की इक्विटी-पूंजी में विनिधान	-	-	
26 ख	असमेकित गैर-वित्तीय समनुषंगियों की इक्विटी-पूंजी में विनिधान	-	-	
26 ग	अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय इकाइयों की इक्विटी-पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है	-	-	
26 घ	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	-	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 न होने के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन लागू करना	-	-	
28	सामान्य इक्विटी टीयर 1 के कुल विनियामक समायोजन	32.09	-	
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	14368.51		
₹ करोड़ में				
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			बासेल III पूर्व उपचार के अध्यक्षीन राशि	संदर्भ सं.
30	प्रत्यक्ष जारी पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	-	
31	उसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-समेकित वरीयता शेयर)	-	-	
32	उसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर कर्ज लिखत)	-	-	
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज आउट के अध्यक्षीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	1010.00	-	एच

20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	-	-	
23	of which : significant investments in the common stock of financial entities	-	-	
24	of which : mortgage servicing rights	-	-	
25	of which : deferred tax assets arising from temporary differences	-	-	
26	National specific regulatory adjustments	-	-	
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	-	
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-	-	
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	-	
26d	Unamortised pension funds expenditures	-	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-	-	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	32.09	-	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	14368.51		
₹ in crore				
Additional Tier 1 capital : instruments			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	-	-	
31	of which : classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	-	
32	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-	-	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	1010.00	-	h

34	समनुषंगियो द्वारा जारी अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (व 5वीं पंक्ति में शामिल न किए गए सीईटी 1 लिखत) तथा अन्य पार्टी द्वारा धारित (राशि समूह ए.टी. 1 में स्वीकृत)	-	-	
35	उसमें से : फेज आउट के अध्यक्षीन समनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	-	-	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	1010.00	-	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में विनिधान	-		
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	37.12	46.40	आर
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा ईकाइयों में पूंजी विनिधान जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक)	0.00	0.00	एस
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जोकि विनियामक समेकन के क्षेत्र से इतर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-		
41क	असमेकित बीमा समनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में विनिधान	-		
41ख	अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय ईकाइयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जो बैंक के पास समेकित नहीं है	-		
	बासेल III पूर्व उपचार के अध्यक्षीन राशि के संबंध में अतिरिक्त टीयर 1 के लिए विनियामक समायोजन लागू			
	उसमें से: गैर-तरल स्थितियों हेतु पूंजी प्रभार			
	उसमें से: समेकन पर साख			
	उसमें से: आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	एम+डब्ल्यू+वाई
42	कटौतियों को कॅवर करने हेतु प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त टीयर 2 न होने के कारण लागू किया गया विनियामक समायोजन	-		
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के कुल विनियामक समायोजन	37.12		
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)	972.88		
44 क	पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए ली गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	-		
45	टीयर 1 पूंजी (टी1=सीईटी 1+एटी1)(पंक्ति 29+पंक्ति 44 क)	15341.39		
टीयर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान				

34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	-	
35	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	-	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	1010.00	-	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	37.12	46.40	r
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	s
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41	National specific regulatory adjustments	-		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which : capital charge for illiquid positions			
	of which : goodwill on consolidation			
	of which : deferred tax assets	0.00	0.00	m+w+y
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	37.12		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	972.88		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	-		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	15341.39		
Tier 2 capital : instruments and provisions				



46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखत जमा संबंधित स्टॉक आधिक्य	-		
47	टीयर 2 से फेज आउट के अध्यक्ष जारी पूंजी लिखत	3435.00	-	i
48	समनुषंगियों द्वारा जारी टीयर 2 लिखत(व सीईटी 1 व एटी 1 लिखत 5वीं अथवा 34वीं पंक्ति में सम्मिलित नहीं है) तथा अन्य पार्टी द्वारा धारित	-		
49	उसमें से : फेज आउट के अध्यक्षीन समनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	-		
50	प्रावधान	1099.39		एफ+के+पी
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर 2 पूंजी	4534.39		
₹ करोड़ में				
टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			पूर्व बासेल III के अध्यक्षीन राशि	संदर्भ सं.
52	स्वयं के टीयर 2 लिखतों में विनिधान	-		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	50.56	63.20	टी
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा ईकाइयों में पूंजी विनिधान जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाने के पश्चात, जहां बैंक के पास, जारी किए गए कुल शेयर का 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की न्यूनतम सीमा से अधिक)	0.00	0.00	यू
55	विनियामक समेकन (पात्र अधिविक्रय स्थिति) का निवल क्षेत्र से बाहर पूंजी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा ईकाइयों से महत्वपूर्ण विनिधान	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	-		
56 क	इनमें से : गैर-समेकित समुषंगियों की टीयर 2 पूंजी में विनिधान	-		
56ख	इनमें से : अधिकांशतः स्वाधिकृत वित्तीय ईकाइयों की टीयर 2 पूंजी में कमी, जो बैंक के पास समेकित नहीं है	-		
57	टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	50.56		
58	टीयर 2 पूंजी (टी2)	4483.83		
58 क	टीयर 2 पूंजी को पर्याप्तता हेतु माना जाए	4483.83		
58 ख	टीयर 2 पूंजी के रूप में ली गई अधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	-		
58 ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (पंक्ति 58 क + पंक्ति 58 ख)	4483.83		
59	कुल पूंजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)	19825.22		
: राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां पूर्व बासेल III के अध्यक्षीन उपचारित				

46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	-		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	3435.00	-	i
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties	-		
49	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
50	Provisions	1099.39		f+k+p
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	4534.39		
₹ in crore				
Tier 2 capital: regulatory adjustments			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
52	Investments in own Tier 2 instruments	-		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50.56	63.20	t
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	0.00	u
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-		
56a	of which: investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-		
56b	of which: shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	50.56		
58	Tier 2 capital (T2)	4483.83		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	4483.83		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	-		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	4483.83		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)	19825.22		
: Risk Weighted Assets in Respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment				



60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60 क + पंक्ति 60ख + पंक्ति 60 ग)	168598.94		
60 क	उसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	144350.68		
60ख	उसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	10899.78		
60 ग	उसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	13348.48		
पूंजी अनुपात				
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.52%		
62	टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.10%		
63	कुल पूंजी (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.76%		
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा + पूंजी परिमित एवं काउंटरसाइक्लिकल बफर अपेक्षा जिसे जोखिम धारित आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है)	6.125%		
65	उसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.625%		
66	उसमें से: बैंक की विशिष्ट काउंटरसाइक्लिकल बफर आवश्यकता	-		
67	उसमें से: जी-सिब बफर आवश्यकता	-		
68	बफर को पूरा करने हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम धारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	3.02%		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न है तो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न है)	9.00%		
₹ करोड़ में				
कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार से पहले)			पूर्व बासेल III के अध्वधीन राशि	संदर्भ सं.
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण विनिधान	-		
73	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण विनिधान	218.50		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयताओं को घटाने के पश्चात्)	-		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं को घटाने के पश्चात्)	-		
टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा (कैप)				

60	Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	168598.94		
60a	of which : total credit risk weighted assets	144350.68		
60b	of which : total market risk weighted assets	10899.78		
60c	of which : total operational risk weighted assets	13348.48		
Capital ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.52%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.10%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.76%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%		
65	of which : capital conservation buffer requirement	0.625%		
66	of which : bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67	of which : G-SIB buffer requirement	-		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.02%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
₹ in crore				
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
72	Non-significant investments in the capital of other financials	-		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	218.50		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	-		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				

76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन एक्सपोजर के संदर्भ में टीयर 2 में सम्मिलित होने योग्य प्रावधान (कैप के आवेदन से पूर्व)	1099.39		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों के सम्मिलित होने पर कैप	1804.38		
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के अध्यक्षीन एक्सपोजर के संदर्भ में टीयर 2 में सम्मिलित होने योग्य प्रावधान (कैप लागू करने से पूर्व)	-		
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों के सम्मिलित होने पर कैप	-		
फेज-आउट व्यवस्था के अध्यक्षीन पूंजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 एवं 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)				
80	फेज-आउट व्यवस्था के अध्यक्षीन सीईटी1 लिखत पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
81	कैप की वजह से सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक)	लागू नहीं		
82	फेज-आउट व्यवस्था के अध्यक्षीन एटी1 लिखत पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
83	कैप की वजह से सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक)	लागू नहीं		
84	टी2 लिखत पर चालू कैप फेज-आउट व्यवस्था की शर्तों के अधीन	लागू नहीं		
85	कैप की वजह से टी2 से बाहर रखी गई राशि (शोधन एवं परिपक्वता के पश्चात कैप से अधिक राशि)	लागू नहीं		
टेम्पलेट के लिए नोट्स				
टेम्पलेट की पंक्ति #	विवरण	₹ करोड़ में		
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर	-		
	आस्थगित कर आस्तियां (उनके अतिरिक्त, जो संचित हानियों से संबद्ध हैं) (आस्थगित कर देयताओं को घटा कर)	0		
19	यदि बीमा समनुषंगियों में किए गए विनिधान को पूर्णतया नहीं घटाया गया है बल्कि इन्हें कटौती हेतु 10% की न्यूनतम सीमा में लिया गया है, तो बैंक की पूंजी में परिणामतः होने वाली वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें से : अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
	उनमें से: टीयर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं		
26 ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय समनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में विनिधान नहीं घटाया गया है और इसके बावजूद जोखिम धारित किया गया है	लागू नहीं		
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर1 पूंजी में वृद्धि			
	(ii) जोखिम धारित आस्तियों में वृद्धि	0		

76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1099.39		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1804.38		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	-		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT 1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
Notes to the Template				
Row # of template	Particular	₹ in crores		
10	Deferred tax associated with accumulated losses	-		
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	0		
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	NA		
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	NA		
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	NA		
	of which: Increase in Tier 2 capital	NA		
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non- financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	NA		
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital			
	(ii) Increase in risk weighted assets	0		



44 क	आधिक्य, अतिरिक्त टीयर1 पूंजी को पूंजी पर्याप्तता नहीं माना गया है (पंक्ति 44 में प्रस्तुत की गई अतिरिक्त टीयर1 पूंजी एवं पंक्ति 44 क में प्रस्तुत की गई स्वीकार्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में अंतर)	-		
	उनमें से : आधिक्य अतिरिक्त टीयर1 पूंजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टीयर2 की पूंजी माना गया है	-		
50	टीयर 2 पूंजी में सम्मिलित पात्र प्रावधान	1087.85		
	टीयर 2 में पूंजी में सम्मिलित पात्र पुर्नमूल्याकन आरक्षित निधि	0.00		
	50 पंक्ति का कुल	1087.85		
58 क	आधिक्य, अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी जो पूंजी पर्याप्तता के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है (पंक्ति 58 में प्रस्तुत अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी एवं पंक्ति 58 क में प्रस्तुत टी2 पूंजी में अंतर)	-		



44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	-		
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	-		
50	Eligible provisions included in Tier 2 capital	1087.85		
	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	0.00		
	Total of row 50	1087.85		
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	-		



डीएफ-12- पूंजी का संघटन – समाधान आवश्यकताएं				
बैंक का समेकन				
डीएफ-12 (चरण-1) :-नियामक समेकन एवं लेखांकन में कोई अन्तर नहीं है				₹ करोड़ में
डीएफ-12 (चरण-2) :-				
क. पूंजी एवं देयताएं		समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	नियामक समेकन की आवश्यकताओं के अनुसार तुलन-पत्र	संदर्भ सं.
		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	
i	पूंजी	15241.13	15241.13	
	प्रदत्त पूंजी	321.39	321.39	
	उसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	321.39	321.39	ए
	आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	14919.74	14919.74	
	उसमें से: सीईटी 1 – शेयर प्रीमियम खाता हेतु पात्र राशि	3712.25	3712.25	बी
	उसमें से: सीईटी 1-प्रतिधारित आय खाता हेतु पात्र राशि	0.64	0.64	सी
	उसमें से: सीईटी 1 – सांविधिक आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि, राजस्व आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षित निधि हेतु पात्र राशि	9688.05	9688.05	डी
	विशिष्ट आरक्षित निधि पर कर	0.00	0.00	
	उसमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	एक्स
	उसमें से : एटी -1 से कटौती	0.00	0.00	वाई
	उसमें से : टीयर II पूंजी – पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि हेतु पात्र राशि	1507.26	678.27	ई
	उसमें से टीयर-II पूंजी – विनिधान उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि हेतु पात्र राशि	11.54	11.54	एफ
	उसमें से : बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0	828.99	जी
	अल्पांश हित	0	0	
ii	जमाराशियां	208914.82	208914.82	
	उसमें से : बैंकों से जमाराशियां	202.27	202.27	
	उसमें से : ग्राहक जमाराशियां	208712.55	208712.55	
	उसमें से : अन्य जमाराशियां	0.00	0.00	

DF-12- COMPOSITION OF CAPITAL - RECONCILIATION REQUIREMENTS				
consolidation of the Bank.				
DF 12 (Step-1) :-There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			₹ in crore	
DF 12 (Step-2) :-				
A Capital and Liabilities		Balance sheet as in consolidated financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on 31-March-16	As on 31-March-16	
i	Capital	15241.13	15241.13	
	Paid-up capital	321.39	321.39	
	of which: Amount Eligible for CET1	321.39	321.39	a
	Reserves & surplus	14919.74	14919.74	
	of which: Amount Eligible for CET1-Share Premium Account	3712.25	3712.25	b
	of which: Amount Eligible for CET1-Retained earning Account	0.64	0.64	c
	of which: Amount Eligible for CET1-Statutory Reserve, Capital Reserve, Revenue Reserve & other Reserves	9688.05	9688.05	d
	Tax on Special Reserve	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	x
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	y
	of which: Amount Eligible for Tier-II Capital- Revaluation Reserve	1507.26	678.27	e
	of which: Amount Eligible for Tier-II Capital- Investment Revaluation Reserve	11.54	11.54	f
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0	828.99	g
	Minority interest	0	0	
ii	Deposits	208914.82	208914.82	
	of which: Deposits from banks	202.27	202.27	
	of which: Customer deposits	208712.55	208712.55	
	of which: Other deposits	0.00	0.00	

iii	उधार	7897.42	7897.42	
	उसमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00	
	उसमें से: बैंकों से	6.09	6.09	
	उसमें से: अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	753.17	753.17	
	उसमें से: अन्य (भारत के बाहर बैंकों से)	563.16	563.16	
	उसमें से: पूंजीगत लिखत- अतिरिक्त टीयर-I बॉण्ड	1350.00	1010.00	एच
	उसमें से: पूंजीगत लिखत- टीयर-II बॉण्ड	5225.00	3435.00	आई
उसमें से: बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0.00	2130.00	जे	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधानन	5488.17	5488.17	
	(क) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान	1064.00	1064.00	के
	(ख) द्वितीय पेन्शन फण्ड हेतु देयता	0.00	0.00	
	(ग) अरक्षित एक्सपोजर के लिए प्रावधान	23.85	23.85	पी
	उसमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	एल
	उसमें से : एटी -1 से कटौती	0.00	0.00	एम
	उसमें से : अन्य देयताएं	4400.32	4400.32	
	उसमें से : वार्षिक लाभ	0.00	0.00	एन
	उसमें से : बैसल-III के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में न आने वाली पूंजी	0.00	0.00	ओ
कुल पूंजी एवं देयताएं		237541.54	237541.54	
ख. आस्तियां				
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं आरक्षित निधि	9432.88	9432.88	
	बैंकों के पास शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	529.55	529.55	
	कुल	9962.43	9962.43	
ii	विनिधान	65657.84	65657.84	
	उसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	50328.31	50328.31	
	उसमें से : अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.15	0.15	
	उसमें से : शेयर	960.54	928.45	
	उसमें से : डिबेन्चर एवं बॉण्ड	7716.76	7629.08	
	उसमें से : अनुषंगी, साझा उद्यम, सहयोगी कंपनियां	218.50	218.50	
	उसमें से : अन्य (कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मुचुअल फंड, वेन्चर फंड इत्यादि.)	6580.74	6580.74	
	उसमें से : सीईटी 1 में से पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	32.09	पी
	उसमें से : सीईटी 1 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु विनिधान	0.00	0.00	क्यू
	उसमें से : टीयर-1 में से पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	37.12	आर
	उसमें से : एटी-1 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु विनिधान	0.00	0.00	एस
	उसमें से : टीयर-2 हेतु पारस्परिक हिस्सा पूंजी की कटौती	0.00	50.56	टी
	उसमें से : टीयर-2 में से वित्तीय कंपनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु विनिधान	0.00	0.00	यू

iii	Borrowings	7897.42	7897.42	
	of which: from RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	6.09	6.09	
	of which: From other institutions & agencies	753.17	753.17	
	of which: Others(Borrowing Outside India from Banks)	563.16	563.16	
	of which: Capital instruments- Add. Tier-I Bonds	1350.00	1010.00	h
	of which: Capital instruments- Tier-II Bonds	5225.00	3435.00	i
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	2130.00	j
iv	Other liabilities & provisions	5488.17	5488.17	
	(a) Provision for Standard Assets	1064.00	1064.00	k
	(b) Liability for Ind pension fund	0.00	0.00	
	(c) Provision for Unhedged Exposure	23.85	23.85	p
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	l
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	m
	of which: other Liabilities	4400.32	4400.32	
	of which: Pro t for the ear	0.00	0.00	n
	of which: Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	0.00	o
Total Capital and Liabilities		237541.54	237541.54	
B Assets				
i	Cash and balances with RBI	9432.88	9432.88	
	Balance with banks and money at call and short notice	529.55	529.55	
	Total	9962.43	9962.43	
ii	Investments	65657.84	65657.84	
	of which: Government securities	50328.31	50328.31	
	of which: Other approved securities	0.15	0.15	
	of which: shares	960.54	928.45	
	of which: Debentures & Bonds	7716.76	7629.08	
	of which: Subsidiaries, Joint Ventures, Associates	218.50	218.50	
	of which: Others (including Commercial Papers, Certificate of Deposits, Mutual Funds, Venture Funds etc.)	6580.74	6580.74	
	of which: Deduction from CET-1 for Reciprocal holdings	0.00	32.09	p
	of which: Deduction from CET-1 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	q
	of which: Deduction from Add. Tier-1 for Reciprocal holdings	0.00	37.12	r
	of which: Deduction from AT-1 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	s
	of which: Deduction from Tier-2 for Reciprocal holdings	0.00	50.56	t
	of which: Deduction from Tier-2 for Investment in the capital of Financial Entities	0.00	0.00	u



	उसमें से : विनिधान में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	147.16	147.16	
iii	ऋण एवं अग्रिम	148879.99	148879.99	
	उसमें से: बैंकों को	0.00	0.00	
	उसमें से: ग्राहकों को	148879.99	148879.99	
iv	अचल परिसंपत्तियां	2271.90	2271.90	
v	अन्य आस्तियां	10769.38	10769.38	
	उसमें से:			
	(क) साख एवं अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	
	(ख) आस्थगित आयकर आस्तियां	0.00	0.00	
	उसमें से: सीईटी-1 से कटौती	0.00	0.00	वी
	उसमें से: एटी-1 से कटौती	0.00	0.00	डब्ल्यू
vi	समेकन पर साख	0.00	0.00	
vii	अन्य समस्त परिसंपत्तियां	10769.38	10769.38	
vii	लाभ एवं हानि खाते में खड़ी नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल परिसंपत्तियां	2,37,541.54	2,37,541.54	

	of which: provisions for Depreciation in Investment	147.16	147.16	
iii	Loans and Advances	148879.99	148879.99	
	of which: to banks	0.00	0.00	
	of which: to customers	148879.99	148879.99	
iv	Fixed assets	2271.90	2271.90	
v	Other assets	10769.38	10769.38	
	of which:			
	(a) goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
	(b) deferred Income tax assets	0.00	0.00	
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	v
	of which : deduction from AT-1	0.00	0.00	w
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	All Other Assets	10769.38	10769.38	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	2,37,541.54	2,37,541.54	



DF-13 : DISCLOSURE TEMPLATE FOR MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

	Issuer	Equity	Lower-tier-I	Lower-tier-II	Lower-tier-III	IPDIBonds	IPDIBonds	IPDIBonds	IPDIBonds	Upper-tier-II	Upper-tier-III	Upper-tier-IV	Tier-II	IPDIBonds	Tier-II
1	Issuer	Equity	Lower-tier-I	Lower-tier-II	Lower-tier-III	IPDIBonds	IPDIBonds	IPDIBonds	IPDIBonds	Upper-tier-II	Upper-tier-III	Upper-tier-IV	Tier-II	IPDIBonds	Tier-II
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE 141A01014	INE 141A09082	INE 141A09058	INE 141A09068	INE 141A09116	INE 141A09108	INE 141A09074	INE 141A09090	INE 141A09124	INE 141A09066	INE 141A08019	INE 141A08027	INE 141A08035	
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws													
	Regulatory treatment														
4	Transitional Base III rules	CET-1	Tier-II	Tier-II	Tier-II	Tier-I	Tier-I	Tier-I	Tier-I	Tier-II	Tier-II	Tier-II	Tier-II	Tier-I	Tier-I
5	Post-transitional Base III rules	CET-1	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible solo/group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Equity	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds	Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (in million, as of most recent reporting date)	2998.49	1000	0	6150	1800	1800	1500	3000	1200	3000	3000	5000	10000	10000
9	Par value of instrument (%)	10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	Accounting classification	Shareholder's Equity	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various Dates	23.04.2007	20.04.2006	30.11.2012	17.09.2010	17.12.2009	07.12.2006	12.02.2009	20.09.2010	20.09.2010	21.07.2006	27.10.2014	10.02.2015	26.10.2015
12	Perpetual or dated	NA	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Perpetual	Dated
13	Original maturity date	NA	23.04.2017	20.04.2016	30.11.2022	No Maturity	No Maturity	No Maturity	12.02.2024	20.09.2025	12.02.2024	21.07.2021	27.10.2024	No Maturity	26.10.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No	No	No	17.09.2020	17.12.2019	07.12.2016	12.02.2019	20.09.2020	20.09.2020	21.07.2016	No	10.02.2020	No
16	Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	N.A.	Yes	N.A.
17	Coupons/dividends	Dividends	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Coupons
18	Fixed or floating dividend/coupon	Floating	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
19	Coupon rate and any related index	NA	9.95%	8.50%	8.93%	9.05%	9.10%	9.40%	8.75%	8.68%	8.68%	9.25%	9.20%	9.48%	8.34%
20	Existence of a dividends topper	No	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Yes	N.A.
21	Fully discretionary, partially discretionary/mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
22	Existence of step up or other incentives to redeem	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
23	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
24	Convertible or non-convertible	N.A.	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible	Non convertible
25	If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26	If convertible, fully or partially convertible	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27	If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28	If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29	If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

डीएफ-14: विनियामक पूंजीगत लिखतों हेतु सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें

लिखत का प्रकार	सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें
लोअर टियर-II अधीनस्थ बॉण्ड 23.04.2007	प्रॉमिसरी नोट के रूप में अधीनस्थ लोअर टियर-II। बॉण्ड-अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड। कॉल ऑप्शन - कोई नहीं, स्टेप अप-कोई नहीं। अन्य विवरण: राशि: ₹500 करोड़, अवधि: 120 माह 23.04.2017 को परिपक्व होगी। कूपन: 9.95%, वार्षिक भुगतान। रेटिंग: केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए
लोअर टियर-II अधीनस्थ बॉण्ड 20.04.2006	प्रॉमिसरी नोट के रूप में अधीनस्थ लोअर टियर-II। बॉण्ड-अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड। कॉल ऑप्शन - कोई नहीं, स्टेप अप -कोई नहीं। अन्य विवरण: राशि: ₹500 करोड़, अवधि: 120 माह 20.04.2016 को परिपक्व होगी। कूपन: 8.50%, वार्षिक भुगतान। रेटिंग: केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए
लोअर टियर-II अधीनस्थ बॉण्ड 30.11.2012	प्रॉमिसरी नोट के रूप में अधीनस्थ लोअर टियर-II। बॉण्ड-अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड। कॉल ऑप्शन - कोई नहीं, स्टेप अप - कोई नहीं। अन्य विवरण: राशि: ₹1025 करोड़, अवधि: 120 माह 30.11.2022 को परिपक्व होगी। कूपन: 8.93% वार्षिक भुगतान। रेटिंग: केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए
सतत - अधीनस्थ बॉण्ड 17.09.2010	लिखत का प्रकार: प्रॉमिसरी नोट के रूप में सतत, अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड। कॉल ऑप्शन: 10 साल के बाद अर्थात् 17.09.2020 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधधीन)। अन्य विवरण: राशि: ₹300 करोड़, अवधि: सतत कूपन: 9.05% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.55% वार्षिक। बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग: केयर द्वारा एए-एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए-
सतत - टियर I अधीनस्थ बॉण्ड 17.12.2009	लिखत का प्रकार: प्रॉमिसरी नोट के रूप में सतत, अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड। कॉल ऑप्शन 10 साल के बाद यानि 17.12.2019 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधधीन)। अन्य विवरण: राशि: ₹300 करोड़ अवधि: सतत कूपन: 9.10% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.60% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग केयर द्वारा एए-एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए-
सतत - टियर I अधीनस्थ बॉण्ड 07.12.2006	लिखत का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट के रूप में सतत, अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड। कॉल ऑप्शन: 10 साल के बाद यानि 17.12.2016 या उसके बाद (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधधीन)। अन्य विवरण: राशि: ₹250 करोड़ अवधि: सतत कूपन: 9.40% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं स्टेप अप रेट: 9.60% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग: केयर द्वारा एए-एवं इकरा द्वारा एए-
अपर - टियर II अधीनस्थ बॉण्ड 12.02.2009	लिखत का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II। बॉण्ड। कॉल ऑप्शन: 12.02.2019 को सममूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधधीन)। अन्य विवरण : राशि: ₹500 करोड़ अवधि: 180 माह परिपक्वता: 12.02.2024 कूपन: 8.75% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.25% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग : केयर द्वारा एए-एवं इकरा द्वारा एए-
अपर - टियर II अधीनस्थ बॉण्ड 20.09.2010	लिखत का प्रकार: प्रॉमिसरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II। बॉण्ड। कॉल ऑप्शन : 20.09.2020 को सममूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधधीन)। अन्य विवरण: राशि: ₹200 करोड़ अवधि: 180 माह परिपक्वता: 20.09.2025 कूपन: 8.68% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं 9.18% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग : केयर द्वारा एए-एवं ब्रिकवर्क द्वारा एए-
अपर - टियर II अधीनस्थ बॉण्ड 21.07.2006	लिखत का प्रकार : प्रॉमिसरी नोट के रूप में अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II। बॉण्ड। कॉल : 10 साल के बाद यानि 21.07.2016 को (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधधीन)। अन्य विवरण: राशि : ₹500 करोड़ अवधि: 180 माह परिपक्वता: 21.07.2021 कूपन: 9.25% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) पहले 10 वर्षों के लिए एवं स्टेप अप रेट: 9.75% वार्षिक बाद के वर्षों के लिए यदि कॉल ऑप्शन 10वें वर्ष के अन्त में नहीं लिया जाता है। रेटिंग : केयर द्वारा एए-एवं इकरा द्वारा एए-
टियर II अधीनस्थ बॉण्ड 27.10.2014	लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III नियामक, टियर-II : डिबेंचरों के स्वरूप में बांड अन्य विवरण : राशि ₹1000 करोड़ अवधि : 120 माह परिपक्वता 27.10.2024 कूपन : 9.20% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षों के लिए रेटिंग : केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए (हाइब्रिड), हानि वहनीयता खंड
सतत - टियर I बॉण्ड 10.02.2015	लिखत का प्रकार: अप्रतिभूत, प्रतिदेय बासेल III नियामक सतत ऋण लिखत (एटी 1 बांड) बैंक के लिए अतिरिक्त टियर -I पूंजी जुटाने हेतु डिबेंचरों के रूप में जारी। कॉल ऑप्शन: हां जारी होने की तिथि के पांचवें वर्ष अर्थात् 10.02.2015 से पांचवें वर्ष अर्थात् पांचवीं कूपन भुगतान तिथि अथवा किसी भी कूपन के भुगतान की तिथि के बाद से। अन्य विवरण : राशि ₹500 करोड़ अवधि : सतत कूपन 9.48% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) रेटिंग : केयर द्वारा ए+ एवं इकरा द्वारा ए+ (हाइब्रिड), हानि वहनीयता खंड
टियर II अधीनस्थ बॉण्ड 26.10.2015	लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III नियामक, टियर-II : डिबेंचरों के स्वरूप में बांड अन्य विवरण : राशि ₹1000 करोड़ अवधि : 120 माह परिपक्वता 26.10.2025 कूपन : 8.34% (स्थायी, वार्षिक भुगतान) 10 वर्षों के लिए रेटिंग : केयर द्वारा एए एवं इकरा द्वारा एए (हाइब्रिड), हानि वहनीयता खंड



DF-14:FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Type of Instrument	Full terms & conditions
Lower Tier-II Subordinated Bonds 23.04.2007	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes .Call option- none and step-up- none. Other details: Amount:Rs.500cr. Tenor : 120months maturingon 23.04.2017 Coupon: 9.95% payable annually. Ratings: AA by CARE and AA by ICRA
Lower Tier-II Subordinated Bonds 20.04.2006	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option- none. Step-Up- none. Other details: Amount:Rs.500cr. Tenor : 120 months maturing on 20.04.2016 Coupon: 8.50% payable annually. Ratings: AA by CARE and AA by ICRA
Lower Tier-II Subordinated Bonds 30.11.2012	Unsecured, redeemable, non-convertible, subordinated Lower Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option- none and step-up-none. Other details: Amount:Rs.1025 cr. Tenor : 120 months maturing on 30.11.2022 Coupon: 8.93% payable annually. Ratings: AA by CARE and AA by ICRA
Perpetual - I Subordinated Bonds 17.09.2010	Type of Instrument: Unsecured, non-convertible Subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option :After 10years i.e. on 17.09.2020 or thereafter (subject to prior approval from RBI). Other details: Amount:Rs.300 cr Tenor : Perpetual Coupon: 9.05% (fixed, payable annually) for first 10year and 9.55%p.a.for subsequent year if call option is not exercised atthe end of10thyear Ratings: AA- by CARE AA- by Brickwork
Perpetual - Tier ISubordinated Bonds 17.12.2009	Type of Instrument: Unsecured, non-convertible Subordinated, Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call: After 10years i.e. on 17.12.2019 or thereafter (subject to prior approval from RBI). Other details: Amount: Rs. 300cr Tenor : Perpetual Coupon: 9.10% (fixed, payable annually) for first 10 years and 9.60% p.a. for subsequent years if call option is not exercised at the end of the 10 year. Ratings: AA- by CARE AA- by Brickwork
Perpetual -Tier I Subordinated Bonds 07.12.2006	Type of Instrument : Unsecured, non-convertible Subordinated , Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option:After 10 years i.e. on 07/12/2016 thereafter at every annual interest payment date (subject to RBI permission at the time). Other details: Amount : Rs.250 cr Tenor : Perpetual Coupon : 9.40% (fixed, payable annually) for 1st 10 years and step up rate of 9.90%, if call option is not exercised at the end of 10th year Ratings: AA- by CARE and AA- by ICRA
Upper Tier-II Subordinated Bonds 12.02.2009	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option: On 12/02/2019 at par subject to RBI approval. Other details: Amount: Rs.500 cr Tenor : 180 months maturing on: 12.02.2024 Coupon : 8.75% (fixed, payable annually) for 10 years & 9.25% after 10 years if call option is not exercised at the end of 10th year. Ratings: AA- by CARE and AA- by ICRA
Upper Tier-II Subordinated Bonds 20.09.2010	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call option :At par on 20/09/2020.(subject to prior approval from RBI) . Other details: Amount : Rs.200 cr Tenor : 180 months maturing on: 20.09.2025 Coupon : 8.68% (fixed, payable annually) p.a. for first 10 years and 9.18% p.a. for subsequent year if call option is not exercised at the end of 10th year Ratings: AA- by CARE and AA- by Brickwork
Upper Tier-II Subordinated Bonds 21.07.2006	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. Call: After 10 years i.e. on 21/07/2016 (subject to RBI permission at the time). Other details: Amount : Rs.500 cr Tenor : 180 months maturing on: 21.07.2021 Coupon : 9.25% (fixed, payable annually) for 10 years and step up rate of 9.75% if call option is not exercised at the end of 10th year Rating : AA- by CARE and AA- by ICRA
Tier-II Subordinated Bonds 27.10.2014	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Other details: Amount : Rs.1000 cr Tenor : 120 months maturing on: 27.10.2024 Coupon : 9.20% (fixed, payable annually) for 10 years Ratings: AA by CARE and AA (Hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause
Perpetual -Tier I Bonds 10.02.2015	Type of Instrument: Unsecured Non-Convertible Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments (AT1 Bonds) issued in the nature of debentures for inclusion in Additional Tier 1 Capital of the Bank. Call option: Yes.The Bank may or may not exercise Call Option on the fifth anniversary from the Date of Allotment viz. 10.02.2015 i.e. the fifth Coupon Payment Date or on any Coupon Payment Date thereafter. Other details: Amount:Rs.500cr Tenor: Perpetual Coupon: 9.48% (fixed, payable annually) Ratings: A+ by CARE and A+ (Hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause
Tier-II Subordinated Bonds 26.10.2015	Type of Instrument : Unsecured, redeemable, non-convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds in the nature of Debentures. Other details: Amount : Rs.1000 cr Tenor : 120 months maturing on: 26.10.2025 Coupon : 8.34% (fixed, payable annually) for 10 years Ratings: AA by CARE and AA (Hyb.) by ICRA Loss Absorbency Clause

तालिका डीएफ - 15 : पारिश्रमिक हेतु प्रकटन

भारत में परिचालित सभी निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को जारी परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीसी. 72 / 29.67.001 / 2011-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 जो कि पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/अन्य रिस्क टेकर्स को क्षतिपूर्ति दिशानिदेश के मास्टर परिपत्र – बासेल III पूंजी विनियमन के परिशिष्ट 18 के पैरा 3.6 के अनुरूप जारी किया गया है। इस परिपत्र के अनुसार भारत में परिचालित सभी निजी और विदेशी बैंकों को मास्टर परिपत्र में दिए गए नमूने के अनुरूप अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणी में वार्षिक आधार पर कम से कम एक बार पारिश्रमिक का प्रकटन करना आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र का बैंक होने के कारण ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स को डीएफ-15 के अंतर्गत प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

तालिका डीएफ - 16 : ईक्विटी : बैंकिंग बुक स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन
ईक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन, इसमें शामिल है:-
1). वे होल्डिंग जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है के बीच अंतर और वे जो संबंध और अन्य रणनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्य हेतु लिए गए हैं।
संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी CHOICE में बैंक ने 218.50 करोड़ रु. निवेश किए हैं, इसका कारण दीर्घकालिन पूंजीगत लाभ के साथ-साथ इसके रणनीतिक कारण भी हैं ताकि ग्राहकों को एक ही छत के नीचे बीमा उत्पाद खरीदने की सुविधा दी जा सके, ताकि ग्राहक बैंक के साथ जुड़े रहे।
2). महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार-विमर्श जिसमें बैंकिंग बुक भी ईक्विटी होल्डिंग का मूल्यांकन और लेखांकन शामिल है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन कार्यविधि शामिल है, इसमें मूल्यांकन के साथ व्यवहार में हुए महत्वपूर्ण बदलावों को प्रभावित करने वाले मुख्य अनुमान और व्यवहार शामिल हैं।
क) "परिपक्वता तक धारिता" वर्ग के अंतर्गत निवेश अधिग्रहण लागत अथवा परिशोधन लागत पर किया जाता है। यदि अंकित मूल्य के प्रीमियम पर अर्जित किया गया है। जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।
ख) संयुक्त उद्यम में निवेश का मूल्यांकन मूल्य में हास की घटाकर रख-रखाव लागत पर किया जाता है, यदि कोई हो, अस्थायी स्वरूप को छोड़कर।

TABLE DF-15 : DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION

As per para 3.6 of Annex 18 of Master Circular - Basel III Capital regulations Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Other Risk Takers issued vide circular DBOD.No.BC.72/29.67.001/2011-12 dated January 13, 2012 addressed to all private sector and foreign banks operating in India. Private sector and foreign banks operating in India are required to make disclosure on remuneration on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements in the template provided with Master circular.

Oriental Bank of Commerce being a Public Sector Bank is not required to make Disclosure under DF-15.

TABLE DF-16 : EQUITIES:-DISCLOSURES FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosures
The general qualitative disclosures requirement with respect to equity risk, including:-
1). Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons.
The Bank has invested Rs. 218.50 Crores in the Joint Venture Insurance Company, CHOICE, where the Bank is expecting capital gains in longer term as well for strategic reason of giving the facility to the customers for purchasing insurance products under one roof and thus to increase the customer retention.
2). Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.
a) Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost or amortized cost if acquired at a premium over face value. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
b) Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.

गुणात्मक प्रकटन			
		बही मूल्य 31.03.2016	उचित मूल्य 31.03.2016
1.	मूल्य प्रकार और स्वरूप		
2.	गुप्त रूप से धारित ₹	218,50,00,000	218,50,00,000
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और लिविक्वडेशन से प्राप्त संचित वास्तविक लाभ (हानि)		शून्य
4.	कुल लाभ (हानि)		शून्य
5.	कुल पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)		शून्य
6.	टीयर-1 और /अथवा टीयर-2 पूंजी में शामिल उपर्युक्त कोई भी		शून्य
7.	बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप पूंजी उचित ईक्विटी गुपिंग द्वारा विभाजित पूंजी आवश्यकताओं के साथ ही, समग्र राशि और ईक्विटी निवेश का प्रकार विनिमय पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित किसी पर्यवेक्षी अंतरण अथवा प्रमुख प्रावधानों के अधीन है।	निवेश राशि 250% पर जोखिम भारित है।	
8.	तुलनपत्र में शामिल लेकिन लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं किए गए अवास्तविक लाभ (हानि)		शून्य
9.	न तो तुलन पत्र और न ही लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए अवास्तविक लाभ (हानि)		शून्य

Quantitative Disclosures			
		BOOK VALUE 31.03.2016	FAIR VALUE 31.03.2016
1.	Value Type & Nature *Privately held.***		
2.	JVs (In India) in ₹	218,50,00,000	218,50,00,000
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.		NIL
4.	Total unrealized gains (losses)		NIL
5.	Total latent revaluation gains (Losses)		NIL
6.	Any amounts of the above included in Tier-1 and/or Tier 2 capital		NIL
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and type of equity investment subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.		The investment amount is Risk weighted at 250%.
8.	Unrealised gains (losses) recognized in the balance sheet but not through the profit and loss account.		NIL
9.	Unrealised gains (losses) not recognized either in the balance sheet or through the profit and loss accounts.		NIL

लीवरेज अनुपात

बासेल III लीवरेज अनुपात को पूंजी मानक (गणक) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त अनुपात के साथ एक्सपोजर मानक (भाजक) द्वारा विभाजित किया जाता है।

	टीयर - I पूंजी
बासेल ननन के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लीवरेज अनुपात	बैंक का ऑन और ऑफ बैलेन्स शीट एक्सपोजर
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम लीवरेज अनुपात	4.50%

वर्तमान में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली 4.5% से अधिक लीवरेज अनुपात पर परिचालित है। अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात 2017 के अंत तक बासेल समिति द्वारा निर्धारित अंतिम नियमों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश बैंकों द्वारा समानांतर रुख के लिए और प्रकटन के उद्देश्य से आधार प्रदान करते हैं। इस अवधि के दौरान, रिजर्व बैंक 4.5% लीवरेज अनुपात आधार पर प्रत्येक बैंक की निगरानी करेगा। हमारे बैंक का लीवरेज अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है।

पूंजी उपाय

विभिन्न विनियामक समायोजनों / कटौतियों और संक्रमण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, लीवरेज अनुपात हेतु पूंजी मानक जोखिम आधारित पूंजीगत ढांचा की टीयर - I पूंजी है। अन्य शब्दों में, किसी खास समय में लीवरेज अनुपात

LEVERAGE RATIO

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (the numerator) divided by the exposure measure (the denominator), with this ratio expressed as a percentage.

	Tier-I Capital
Leverage Ratio prescribed by RBI under Basel-III	Bank's On & Off balance sheet exposure
Minimum Leverage Ratio prescribed by RBI	4.50%

Currently, Indian banking system is operating at a leverage ratio of more than 4.5%. The final minimum leverage ratio will be stipulated taking into consideration the final rules prescribed by the Basel Committee by end-2017. In the meantime, RBI guidelines serves as the basis for parallel run by banks and also for the purpose of disclosures below. During this period, Reserve Bank will monitor individual banks against an indicative leverage ratio of 4.5%. Our bank's leverage ratio is well above the RBI prescribed limit.

Capital Measure

The capital measure for the leverage ratio is the Tier 1 capital of the risk-based capital framework, taking into account various regulatory adjustments/deductions and the transitional arrangements. In other words, the capital measure used for the



हेतु पूंजी मानक जोखिम आधारित ढांचे के अंतर्गत उस समय लागू टीयर 1 पूंजी मानक है।

एक्सपोजर उपाय

सामान्य माप नियम

एक बैंक का कुल एक्सपोजर मानक निम्नलिखित एक्सपोजर का योग होता है :

- क) ऑन-बैलेन्स शीट एक्सपोजर
- ख) व्युत्पन्नी एक्सपोजर
- ग) प्रतिभूति वित्तीय लेन-देन एक्सपोजर (एसएफटी); और
- घ) ऑफ बैलेन्स शीट (ओबीएस) मदें।

डीएफ-17 : लेखा आस्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मानक की सारांश तुलना 31.03.2016 के अनुसार

	मद	(₹ करोड़ में)
1	वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां प्रकाशित	2375415
2	बैंकिंग वित्तीय बीमा अथवा वाणिज्यक ईकाइयों में निवेश हेतु समायोजन, जिनको लेखा उद्देश्य से समेकित किया गया है लेकिन, विनियामक समेकन के बिना	(692)
3	तुलन पत्र में दिए गए परिचालित लेखा ढांचे के अनुरूप प्रत्ययी आस्तियों हेतु समायोजन, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मानक को छोड़ कर	0.00
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों हेतु समायोजन	4442
5	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देन हेतु समायोजन (अर्थात रेपो और जमानती ऋण)	5460
6	तुलन पत्र मदों हेतु समायोजन	232200
7	अन्य समायोजन	0
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	2616825

leverageratio at any particular point in time is the Tier 1 capital measure applying at that time under the risk-based framework.

Exposure Measure

General Measurement Principles

A bank's total exposure measure is the sum of the following exposures:

- (a) on-balance sheet exposures;
- (b) Derivative exposures;
- (c) Securities financing transaction (SFT) exposures; and
- (d) Off- balance sheet (OBS) items.

DF-17 : SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

AS ON 31.03.2016

	Particulars	(₹ in millions)
1.	Total consolidated assets as per published financial statements	2375415
2.	Adjustment for investments in banking financial insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(692)
3.	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4.	Adjustments for derivative financial instruments	4442
5.	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	5460
6.	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	232200
7.	Other adjustments	0
8.	Leverage Ratio Exposure	2616825

डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

टेबल 2 – सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

क्र.सं.	मंदे	लीवरेज अनुपात ढांचा
1	ऑन बैलेन्स शीट मदे (व्युत्पन्नी और एसएफटी के बिना पर सम्पारिवक सहित)	2375415
2	बासेल ननन टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने में घटाई गई आस्ति राशि	-692
3	कुल ऑन बैलेन्स शीट एक्सपोजर (व्युत्पन्नी और एसएफटी के बिना) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	2374723
4	सभी व्युत्पन्नी लेन-देन से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद विचरण मार्जिन का निवल)	1201
5	सभी व्युत्पन्नी लेन-देन से संबंधित पीएफई हेतु वर्धित राशि	3241
6	व्युत्पन्नी सम्पारिवक हेतु ग्रास-अप बशर्ते तुलन पत्र आस्तियों से कटौती परिचालित लेखा ढांचे के अनुरूप हो	-
7	व्युत्पन्नी लेन-देन में प्रदत्त नकद विचरण मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती	-
8	(क्लाईट- क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी अंश)	-
9	लिखित ऋण व्युत्पन्नी हेतु समायोजित प्रभावी राष्ट्रीय राशि	-
10	लिखित ऋण व्युत्पन्नी हेतु समायोजित प्रभावी राष्ट्रीय ऑफसेट्स और वर्धित कटौतियां	-
11	कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	-
12	सकल एसएफटी आस्तियां, (नेटिंग के बिना) विक्रय हेतु लेखा लेन-देन के समायोजन के पश्चात	4442
13	सकल एसएफटी आस्तियों की नकद प्राप्य और नकद देय नेटड राशि	2396
14	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	-1850
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तीय लेन-देन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)	5460
17	सकल राष्ट्रीय राशि पर तुलन पत्र एक्सपोजर	521871
18	(ऋण समतुल्य राशि तक कनवर्जन हेतु समायोजन)	-289671
19	तुलन पत्र मदे (पंक्ति 17 और 18 का योग)	232200
20	टीयर 1 पूंजी	15,3412
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	2616825
22	बासेल ननन लीवरेज अनुपात	5.86%

DF-18 : Leverage Ratio Common Disclosure Template

Table 2 – Leverage ratio common disclosure template

S.No.	Items	Leverage Ratio Framework
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2375415
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-692
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2374723
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1201
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	3241
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	-
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	4442
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	2396
14	CCR exposure for SFT assets	-1850
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	5460
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	521871
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-289671
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	232200
20	Tier 1 capital	15,3412
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2616825
22	Basel III leverage ratio	5.86%



कम्पनी अभिशासन

1. कम्पनी अभिशासन संहिता पर बैंक की अवधारणा

हमारी कंपनी अभिशासन नीतियां, हमारे सभी घटकों जिसमें जमाकर्ता, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी और विनियामक प्राधिकारी शामिल हैं, के प्रति मंडल के उत्तरदायित्व और इसके निर्णयों के महत्व को मानती हैं और यह दर्शाती हैं कि शेयरधारक ही हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतिम लाभग्राही हैं। मंडल तथा कार्यपालक प्रबंधन के कार्य सुपरिभाषित हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सदैव सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वेच्छा से प्रयास किए हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनकी बैठकें नियमित अंतरालों पर होती हैं व बैंक के कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर किए जाने वाले कार्यों को मानीटर करती है और सुनिश्चित करती हैं कि निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप-समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन, समय-समय पर यथासंशोधित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान में, मंडल में अन्य निदेशकों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

मंडल के अन्य सदस्यों में भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि, कर्मकार व गैर-कर्मकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निदेशक तथा केन्द्र सरकार से भिन्न – शेयरधारकों द्वारा चुने गए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा निदेशक शामिल हैं।

विवरण निम्नानुसार है:

CORPORATE GOVERNANCE

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Our Corporate Governance policies recognize the accountability of the Board and the importance of its decisions to all our constituents including depositors, lenders, customers, employees and the regulatory authorities, and to demonstrate that the shareholders are the ultimate beneficiaries of our economic activities. The functions of the Board and the executive management are well defined and are distinct from one another. Oriental Bank of Commerce has always voluntarily made efforts to implement sound governance practices. Oriental Bank of Commerce has set up various Committees of the Board which meet at regular intervals and monitor the activities of the Bank, which are being carried out on a daily basis by the Executives of the Bank and ensure that the Bank implements the decisions taken at the meetings of the Board of Directors/Sub-Committee of Board of Directors.

2. BOARD OF DIRECTORS

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended from time to time.

Presently, the Board comprises Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director as whole time Directors appointed by the Government of India besides other Directors.

The other members of the Board include Representative of Government of India, Representative of Reserve Bank of India, Directors nominated by the Government of India to represent the interests of workmen and non-workmen and Part time Non official Directors as well as Directors elected by the shareholders – other than the Central Government.

The details are as follows:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	आर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
1	श्री अनिमेष चौहान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	58	बी.कॉम, जेएआईआईबी	शून्य	1. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) 2. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि. उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : 1	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 5. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन समिति 8. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 9. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 10. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 11. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 12. चुनाव विवाद समिति 13. सीएसआर समिति 14. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 15. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 5. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन समिति 8. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 9. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 10. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 11. शेयर निर्गम और आबंटन समिति 12. चुनाव विवाद समिति 13. सीएसआर समिति 14. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति	लागू नहीं
2	श्री भूपिन्दर नैय्यर कार्यकारी निदेशक	60	एम.कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी	शून्य	1. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि. (CHOICe) उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : 7	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की प्रबंध समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. स्टैकहोल्डर संबंध समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 15. सीएसआर समिति	शून्य	लागू नहीं



SI	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committees	Sitting Fees paid during the Financial Year 2015-16
1	Sh. Animesh Chauhan Managing Director & Chief Executive Officer	58	B.Com, JAIB	NIL	1. India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) 2. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) Member / Chairperson of sub-committees: 1	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 3. Special Committee of Board on Large Value Frauds 4. Committee of Board on Customer Service 5. Disciplinary Action Committee 6. Credit Approval Committee 7. HR Committee 8. PR & Publicity Committee 9. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 10. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 11. Share Issue & Allotment Committee 12. Election Disputes Committee 13. CSR Committee 14. Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 15. IT Strategy Committee	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 3. Special Committee of Board on Large Value Frauds 4. Committee of Board on Customer Service 5. Disciplinary Action Committee 6. Credit Approval Committee 7. HR Committee 8. PR & Publicity Committee 9. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 10. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 11. Share Issue & Allotment Committee 12. Election Disputes Committee 13. CSR Committee 14. Review Committee of the Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters	N.A
2	Sh. Bhupinder Nayyar Executive Director	60	M. Com, LLB, CAIIB	NIL	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) Member / Chairperson of sub-committees: 7	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Stakeholders Relationship Committee 6. Special Committee of Board on Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. HR Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue & Allotment Committee 15. CSR Committee	NIL	N.A

क्र.सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	आर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
3	श्री सुरेश एन पटेल कार्यकारी निदेशक	58	बी.एससी, एलएलबी, सीएआईआईबी	शून्य	1. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि. (CHOICe) उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : 7	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. स्टकहोल्डर संबंध समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम एवं आर्बटन समिति 15. सीएसआर समिति	शून्य	लागू नहीं
4	श्री राजकिरण राय जी. कार्यकारी निदेशक	53	बी.एससी, (एग्री.) सीएआईआईबी	शून्य	1. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि. (CHOICe) उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : 7	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. स्टकहोल्डर संबंध समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. अनुशासनिक कार्रवाई समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति 11. जन संपर्क एवं प्रचार समिति 12. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति 13. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 14. शेयर निर्गम एवं आर्बटन समिति 15. सीएसआर समिति	शून्य	लागू नहीं



SI	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committees	Sitting Fees paid during the Financial Year 2015-16
3	Sh.Suresh N Patel Executive Director	58	B.Sc., LLB, CAIIB	NIL	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) Member / Chairperson of sub-committees: 7	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Stakeholders Relationship Committee 6. Special Committee of Board on Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. H R Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue & Allotment Committee 15. CSR Committee	NIL	N.A
4	Sh. Rajkiran Rai G Executive Director	53	B Sc. (Agri), CAIIB	NIL	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICe) Member / Chairperson of sub-committees: 7	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Stakeholders Relationship Committee 6. Special Committee of Board on Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Disciplinary Action Committee 9. Credit Approval Committee 10. H R Committee 11. PR & Publicity Committee 12. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 13. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 14. Share Issue & Allotment Committee 15. CSR Committee	NIL	N.A

क्र.सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	आर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
5	श्री राजन कुमार भारत सरकार के नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी)	59	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.फिल (अर्थशास्त्र) गेट सेक्रेटेरिएट, जिनेवा, स्विटजरलैंड और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एडवॉरंड स्कूल, टोक्यो, जापान से अर्थशास्त्र में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स, डीडीपीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम से एम.एससी. (मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी एण्ड प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज)	शून्य	शून्य	<ol style="list-style-type: none"> मंडल की लेखापरीक्षा समिति बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति अनुशासनिक कार्रवाई समिति पारिश्रमिक समिति मानव संसाधन समिति एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति नामांकन समिति चुनाव विवाद समिति जनसंपर्क एवं प्रचार समिति सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 	<ol style="list-style-type: none"> पारिश्रमिक समिति नामांकन समिति मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 	लागू नहीं
6	श्री अरुणीश चावला भारत सरकार के नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी)	47	एम.एससी., पीएचडी	शून्य	शून्य	<ol style="list-style-type: none"> मंडल की लेखापरीक्षा समिति बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति अनुशासनिक कार्रवाई समिति पारिश्रमिक समिति नामांकन समिति मानव संसाधन समिति एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति चुनाव विवाद समिति जनसंपर्क एवं प्रचार समिति सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 	<ol style="list-style-type: none"> पारिश्रमिक समिति नामांकन समिति मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 	लागू नहीं
7	श्री एस. गणेश कुमार भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी)	56	बी.एससी., एमबीए, पीजीडीबीएम, बैंकिंग में पीजी डिप्लोमा, सीएआईआईबी, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	शून्य	शून्य	<ol style="list-style-type: none"> मंडल की प्रबंध समिति मंडल की लेखापरीक्षा समिति अनुशासनिक कार्रवाई समिति पारिश्रमिक समिति मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति चुनाव विवाद समिति नामांकन समिति 	शून्य	लागू नहीं



SI	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committees	Sitting Fees paid during the Financial Year 2015-16
5	Sh. Rajan Kumar Government of India Nominee Director (Non-Executive)	59	M.A(Economics) M.Phil (Economics) Diploma/ Certificate Courses in Economics from GATT Secretariat, Geneva, Switzerland and Institute of Developing Economics Advanced School, Tokyo, Japan, M.Sc. (Macroeconomic Policy and Planning in developing countries) from DDPC University of Bradford, United Kingdom	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. Nomination Committee 6. HR Committee 7. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 8. Appellate & Reviewing Authority 9. Election Disputes Committee 10. PR & Publicity Committee 11. IT Strategy Committee	1. Remuneration Committee 2. Nomination Committee 3. Appellate and Reviewing Authority Committee of Board	N.A
6	Sh. Arunish Chawla Government of India Nominee Director (Non-Executive)	47	Msc, PhD	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. Nomination Committee 6. HR Committee 7. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 8. Appellate & Reviewing Authority 9. Election Disputes Committee 10. PR & Publicity Committee 11. IT Strategy Committee	1. Remuneration Committee 2. Nomination Committee 3. Appellate and Reviewing Authority Committee of Board	N.A
7.	Sh.S Ganesh Kumar RBI Nominee Director (Non-Executive)	56	B Sc, MBA, PGDBM, PG Diploma in Banking, CAIIB, Diploma in IT	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Disciplinary Action Committee 4. Remuneration Committee 5. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 6. Election Disputes Committee 7. Nomination Committee	NIL	N.A

क्र.सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	आर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
8	श्री किंगशुक भट्टाचार्य कर्मकार निदेशक (गैर-कार्यकारी)	58	बी.ए.	शून्य	शून्य	1. मानव संसाधन समिति 2. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति	शून्य	4,45,000 / -
9	श्री नरेन्द्र जे कोटियावाला अधिकारी कर्मचारी निदेशक (गैर-कार्यकारी)	57	एम.कॉम, सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. मानव संसाधन समिति 2. एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति 3. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति 4. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 5. मंडल की प्रबंध समिति	शून्य	4,25,000 / -
10	श्री पारस मल चोपड़ा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी)	57	एम. कॉम, एलएलबी, एएमआईएमए, एएमएसपीआई, एफसीए	शून्य	मेडिट्री फार्मसी इंडिया (प्रा) लि. उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : शून्य	1. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 2. स्टेकहोल्डर संबंध समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति 5. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 6. नामांकन समिति 7. असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 8. अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति	शून्य	3,75,000 / -
11	श्री देश दीपक खेत्रपाल शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी)	60	बी.कॉम (ऑनर्स), एमबीए, सीएआईआईबी	100	1. ओरिएन्ट सीमेंट लि., 2. एचआईएल लि. उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : 6	1. मानव संसाधन समिति 2. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु मंडल की विशेष समिति 5. जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति 6. पारिश्रमिक समिति 7. सीएसआर समिति 8. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 9. मंडल की प्रबंध समिति 10. शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 11. स्टेकहोल्डर संबंध समिति	1. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	4,45,000 / -



SI	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committees	Sitting Fees paid during the Financial Year 2015-16
8	Sh.Kingshuk Bhattacharya Workmen Employee Director (Non-Executive)	58	B.A	NIL	NIL	1. HR Committee 2. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 3. Committee of Board on Customer Service	NIL	4,45,000/-
9	Sh. Narendra J Kotiawala Officer Employee Director (Non-Executive)	57	M.Com, CAIIB	NIL	NIL	1. HR Committee 2. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 3. IT Strategy Committee 4. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 5. Management Committee of Board	NIL	4,25,000/-
10	Sh. Paras Mal Chopda Part-Time Non-Official Director (Non-Executive)	57	M.Com, LLB, AMIMA, AMSPI, FCA	NIL	Meditree Pharmacy India (P) Ltd. Member / Chairperson of sub-committees: NIL	1. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 2. Stakeholders Relationship Committee 3. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 4. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 5. Share Issue & Allotment Committee 6. Nomination Committee 7. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 8. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies	NIL	3,75,000/-
11	Sh. Desh Deepak Khetrapal Shareholder Director (Non-Executive)	60	B.Com(Hons) MBA,CAIIB	100	1. Orient Cement Ltd., 2. HIL Ltd. Member / Chairperson of sub-committees: 6	1. HR Committee 2. IT Strategy Committee 3. Customer Service Committee 4. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 5. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 6. Remuneration Committee 7. CSR Committee 8. Audit Committee of Board 9. Management Committee of Board 10. Share Issue and Allotment Committee 11. Stakeholders Relationship Committee	1. IT Strategy Committee	4,45,000/-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	आयु (वर्ष)	आर्हता	ओबीसी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त कार्य शुल्क
12	श्री अशोक कुमार शर्मा शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी)	64	बी.कॉम, एलएलबी, एफसीए	1100	शून्य	<ol style="list-style-type: none"> मंडल की लेखापरीक्षा समिति सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति जनसंपर्क एवं प्रचार समिति ग्राहक सेवा समिति अन्य कंपनियों में शेयरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के निर्णय हेतु समिति जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति स्टेकहोल्डर संबंध समिति बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति 	मंडल की लेखापरीक्षा समिति	4,95,000 / -
13	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी)	40	बी.कॉम, एलएलबी, एफसीए	1000	<ol style="list-style-type: none"> ग्लोबल स्पेरेंपाटर्स प्रा. लि. कैंडीडलेक्स एड्वाइजर्स एलएलपी फर्स्ट ग्लोबल बिज़नेस चेंबर्स <p>उप समितियों में सदस्य/अध्यक्ष : शून्य</p>	<ol style="list-style-type: none"> मंडल की अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति स्टेकहोल्डर संबंध समिति एनपीए की मॉनीटरिंग हेतु मंडल की उप समिति बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु मंडल की विशेष समिति पारिश्रमिक समिति सीएसआर समिति मंडल की प्रबंध समिति असहयोगी उधारकर्ता एवं इरादतन चूककर्ता पर मंडल की समीक्षा समिति शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति 	स्टेकहोल्डर संबंध समिति	5,85,000 / -



SI	Name of the Director	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committees	Sitting Fees paid during the Financial Year 2015-16
12	Sh. Ashok Kumar Sharma Shareholder Director (Non-Executive)	64	B.Com, LLB, FCA	1100	NIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of Board 2. IT Strategy Committee 3. PR & Publicity Committee 4. Customer Service Committee 5. Committee to decide candidature of Shareholder Director in other companies 6. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 7. Stakeholders Relationship Committee 8. Special Committee of Board on Large Value Frauds 9. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 10. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Committee of Board 	4,95,000/-
13	Sh. Dinesh Kumar Agrawal Shareholder Director (Non-Executive)	40	B.Com, LLB, FCA	1000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Global Sparenparts Pvt Ltd. 2. Candidlex Advisors LLP, 3. First Global Business Chambers <p>Member / Chairperson of sub-committees: 0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appellate & Reviewing Authority Committee of Board 2. Stakeholders Relationship Committee 3. Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs 4. Special Committee of Board for monitoring of Large Value Frauds 5. Remuneration Committee 6. CSR Committee 7. Management Committee of Board 8. Review Committee of Board on Non-Cooperative Borrowers & Wilful Defaulters 9. Share Issue and Allotment Committee 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stakeholders Relationship Committee 	5,85,000/-

3. वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के मंडल में हुई नियुक्तियां

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों की सूची :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि/ कार्यग्रहण तिथि	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री राजकिरण राय जी.	कार्यकारी निदेशक	22.01.2016	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत
02.	श्री अरुणीश चावला	भारत सरकार के नामित निदेशक	15.06.2015	धारा 9 (3) (ख) के अंतर्गत

श्रीमती माला श्रीवास्तव, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 6/23/2015 बीओ-1 के माध्यम से नामित की गई हैं।

4. वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशक:

वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशकों की सूची:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यमुक्त	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री भूपिन्दर नैय्यर	कार्यकारी निदेशक	30.06.2015	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत
02.	श्री सुरेश एन पटेल	कार्यकारी निदेशक	02.11.2015	धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत
03.	श्री राजन कुमार	भारत सरकार के नामित निदेशक	14.06.2015	धारा 9 (3) (ख) के अंतर्गत
04.	श्री पारस मल चोपड़ा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	17.01.2016	धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत

5. निदेशकों का प्रोफाइल

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पदभार ग्रहण करने वाले तथा मंडल में नियुक्त हुए निदेशकों का प्रोफाइल नीचे दिया जा रहा है :

- राजकिरण राय जी.,** कार्यकारी निदेशक ने 22 जनवरी, 2016 को अपना पदभार ग्रहण किया। ये विज्ञान से स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित सदस्य हैं। इन्हें लगभग तीन दशकों को बैंकिंग का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में करी। इन्हें विविध शाखाओं (कॉरपोरेट वित्त शाखा सहित), प्रदेशों तथा जोनल कार्यालयों की अध्यक्षता का वृहद अनुभव प्राप्त है। आईएमआई, दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इन्होंने यूरोप का दौरा किया। 18.06.2012 को महाप्रबंधक पद पर पदोन्नत होने पर इन्हें बैंक के मानव संसाधन विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया।
- श्री अरुणीश चावला,** भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक ने अपना कार्यभार 15 जून, 2015 को ग्रहण किया। आप विज्ञान परास्नातक एवं पी.एचडी. हैं। आप इस समय व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

3. APPOINTMENTS ON THE BOARD OF THE BANK DURING THE YEAR 2015-16

List of Directors appointed during the year: -

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment / Assumption of Office	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980
01.	Sh. Rajkiran Rai G	Executive Director	22.01.2016	U/s 9 (3) (a)
02.	Sh. Arunish Chawla	Gol Nominee Director	15.06.2015	U/s 9 (3) (b)

Smt. Mala Srivastava, Part Time Non Official Director, has been nominated by Central Government vide notification No F.No. 6/23/2015 BO-I dated 25th April 2016.

4. OUTGOING DIRECTORS DURING THE YEAR 2015-16

List of Outgoing Directors during the year: -

S. No.	Name of Director	Designation	Vacation of Office	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980
01	Sh. Bhupinder Nayyar	Executive Director	30.06.2015	U/s 9 (3) (a)
02	Sh. Suresh N Patel	Executive Director	02.11.2015	U/s 9 (3) (a)
03	Sh. Rajan Kumar	Gol Nominee Director	14.06.2015	U/s 9 (3) (b)
04	Sh. Paras Mal Chopda	Part Time Non Official Director	17.01.2016	U/s 9 (3) (h)

5. PROFILE OF THE DIRECTORS

The profile of the Directors who were appointed on the Board of the Bank and assumed office during the Financial Year 2015-16 is furnished hereunder:

- Sh. Rajkiran Rai G,** Executive Director, assumed charge on 22nd January 2016. He is a graduate in Science and a certified member of Indian Institute of Bankers. He has around three decades of rich Banking experience. He started his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India. He has wide experience of heading various Branches (including Corporate Finance Branch), heading Regions and Zonal Offices. He has visited Europe as part of the training conducted by IIM, Delhi. On his elevation as General Manager 18-06-2012 he was given the responsibility of heading Human Resource Development Department of the Bank.
- Sh. Arunish Chawla,** Government of India Nominee Director assumed charge on 15th June 2015. He has done his M.Sc. and Ph.D. in Economics from London School of Economics. He is presently Joint Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.



श्रीमती माला श्रीवास्तव को दिनांक 25 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 6/23/2015 बीओ-। के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक नामित किया गया। उनके पास पटना विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) तथा बरमिन्घम विश्वविद्यालय, यू.के. से सोशल साइन्स में स्नातकोत्तर की डिग्री है। ये सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, जिन्हें संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के पद का 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। इन्हें 02.11.2002 को संयुक्त सचिव स्तर (एसएजी ग्रेड) पर नियुक्त किया गया तथा इन्होंने 30.11.2014 को सदस्य (सीबीईसी) एवं भारत सरकार के विशेष सचिव के रूप में भारतीय राजस्व सेवा (कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज) से सेवानिवृत्ति प्राप्त की।

6. मण्डल की बैठकें

वर्ष 2015-16 के दौरान, मण्डल की 11 बैठकें :

25 अप्रैल, 2015; 14 मई, 2015; 25 जून, 2015; 30 जुलाई, 2015; 22 अगस्त, 2015; 28 सितंबर, 2015; 02 नवम्बर, 2015; 30 नवम्बर, 2015; 28 दिसंबर, 2015; 11 फरवरी, 2016 एवं 28 मार्च, 2016 को हुई।

मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण उनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या के साथ इस रिपोर्ट में दिया गया है।

7. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार, निदेशकों की विभिन्न समितियां गठित की गई हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया तीव्र हो सके तथा उनके विचारार्थ विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके। मंडल/वरिष्ठ कार्यपालकों की महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :

7.1 मंडल की प्रबंध समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए, निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13 का पालन करते हुए ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, वाद/अपील दायर करना, निवेश, दान आदि जैसे विभिन्न कारोबारी मामलों पर विचार करने के लिए मंडल की प्रबंध समिति गठित की गई है। इस समिति में इस समय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक श्री एस. गणेश कुमार, तथा तीन गैर-कार्यपालक निदेशक, श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं श्री नरेन्द्र जे कोटियावाला शामिल हैं, जो प्रत्येक छह माह के लिए रोटेशन आधार पर हैं। वर्ष के दौरान समिति की कुल 17 बैठकें हुई। प्रबंध समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

7.2 मंडल की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

Smt. Mala Srivastava, Part Time Non Official Director, has been nominated by Central Government vide notification No F.No. 6/23/2015 BO-I dated 25th April 2016. She holds BA (Hons) degree from Patna University and Masters in Social Science from University of Birmingham, U.K. She is a retired government officer with more than 10 years experience at Joint Secretary level and above, having been appointed to the Joint Secretary level (SAG grade) on 02.11.2002 and having superannuated from Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) as Member (CBEC) & Special Secretary to the Govt. of India on 30.11.2014

6. BOARD MEETINGS

During the year 2015-16, 11 Board Meetings were held on:

April 25, 2015; May 14, 2015; June 25, 2015; July 30, 2015; August 22, 2015; September 28, 2015; November 02, 2015; November 30, 2015; December 28, 2015; February 11, 2016 and March 28, 2016.

The details of the attendance of the Directors in the Board Meetings along with number of meetings held during their tenure is given in the Report.

7. COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Various Committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India directives and listing provisions in order to ensure quicken decision-making, proper monitoring and follow-up of the various activities falling within their terms of reference. The important Committees of the Board/Senior Executives are as under:

7.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition of premises, investments, donations etc. The Committee presently consists of Managing Director & CEO, Executive Director, RBI Nominee Director, Sh S Ganesh Kumar and three Non Executive Directors, Sh Desh Deepak Khetrpal, Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Narendra J Kotiawala on rotation basis for every six months. In all, 17 meetings of the Management Committee of Board were held during the year. The details of the attendance of the Directors in the meetings of Management Committee of Board along with number of meetings held during their tenure are given elsewhere in the Report.

7.2 AUDIT COMMITTEE OF BOARD

The Audit Committee of Board has been constituted by the Bank as per the guidelines of the Reserve Bank of India, comprising of the following members:

1.	श्री अशोक कुमार शर्मा	शेयरधारक निदेशक
2.	श्री राजकिरण राय जी.	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री अरुणीश चावला	भारत सरकार के नामिती निदेशक
4.	श्री एस. गणेश कुमार	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
5.	श्री देश दीपक खेत्रपाल	शेयरधारक निदेशक

इस समिति की बैठक की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की नौ बैठकें हुईं। कंपनी सचिव, सेबी सूचीकरण विनियमन, 2015 के विनियम 18 के अनुसार मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों को भी देखती है, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण पद्धति की व्यवस्था, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
2. यह समिति आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा कार्यों का पुनरीक्षण करती है तथा लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए. आर.) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है और लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में बाहरी लेखापरीक्षकों से संपर्क करती है।
3. समिति लेखांकन मानदंडों, रिपोर्टिंग पद्धति, वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की भी समीक्षा करती है।
4. यह समिति बैंक की प्रबंध लेखापरीक्षा रिपोर्टों, आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों व उनके अनुपालन की पुनरीक्षा करती है। यह आंतरिक व्यवस्था तथा अंतर-शाखा समाधान की स्थिति का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ असंतोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं की रिपोर्टों की पुनरीक्षा भी करती है।
5. यह अंतर बैंक खातों, नोशनल खातों तथा नोस्ट्रो खातों में काफी समय से मिलान न की गई प्रविष्टियों तथा बैंक में हुई धोखाधड़ी पर भी ध्यान देती है।
6. मंडल की लेखापरीक्षा समिति बैंक के तिमाही, छमाही व वार्षिक परिणामों की समीक्षा करती है और मंडल को अपनी संस्तुति देती है। यदि लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई शर्त रखी जाती है तो इस पर केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करती है और मंडल को इसकी सूचना देती है।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या निम्नानुसार है:-

1.	Sh. Ashok Kumar Sharma	Shareholder Director
2.	Sh. Rajkiran Rai G	Executive Director
3.	Sh. Arunish Chawla	Government of India Nominee Director
4.	Sh. S Ganesh Kumar	Reserve Bank of India Nominee Director
5.	Sh. Desh Deepak Khetrpal	Shareholder Director

The meetings of the Committee are chaired by the Non Executive Director, Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee met nine times during the year 2015-16. The Company Secretary is the Secretary to the Audit Committee of the Board in terms of Regulation 18 of SEBI Listing Regulations, 2015.

The main functions of the Audit Committee of Board inter alia include:-

1. The Audit Committee of Board provides directions, and also oversees the operations of the total audit functions of the Bank, which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the statutory/external audit of the Bank and Annual Financial Inspection/Risk based Supervision by Reserve Bank of India.
2. The Committee reviews internal inspection reports/audit functions, follow-up of all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with external auditors in respect of the LFAR.
3. The Committee also reviews the compliance of accounting standards, reporting process, disclosure of financial information and compliance of other statutory requirements.
4. It reviews the Management Audit Reports of the Bank, Internal Inspection Reports and its compliance. It also reviews inspection reports of branches with unsatisfactory ratings, besides reviewing the position of housekeeping and inter-branch reconciliation.
5. It also focuses on un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts, notional accounts and nostro accounts and any fraud perpetuated in the Bank.
6. The Audit Committee of Board reviews the quarterly, half-yearly and annual results of the Bank and gives its recommendations to the Board. If any qualification/modified opinion is given by the Auditors in their report, it discusses the same with Central Statutory Auditors and report the same to the Board.

The details of the attendance of the Directors in the meetings of Audit Committee of Board along with number of meetings held during their tenure are as follows:-



वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित मंडल/मंडल की उप समिति की बैठकों में उपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट
REPORT IN RESPECT OF ATTENDANCE IN MEETINGS OF BOARD/SUB-COMMITTEES OF BOARD HELD DURING FINANCIAL YEAR 2015-16

Sl.	निदेशक का नाम Name of the Director	मंडल की बैठक Board Meeting		मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of Board		मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of Board	
		आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED	आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED	आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED
	अध्यक्ष CHAIRMAN	श्री अनिमेष चौहान Sh. Animesh Chauhan (01.04.15 - 31.03.16)		श्री अनिमेष चौहान Sh. Animesh Chauhan (01.04.15 - 31.03.16)		श्री अशोक कुमार शर्मा Sh. Ashok Kumar Sharma (01.04.15 - 31.03.16)	
1	श्री अनिमेष चौहान Sh. Animesh Chauhan (01.04.15-31.03.16)	11	11	17	17	N.A	-
2	श्री भूपिन्दर नैय्यर Sh. Bhupinder Nayyar (01.04.15-30.06.15)	03	03	04	04	02	02
3	श्री सुरेश एन. पटेल Sh. Suresh N. Patel (01.04.15-02.11.15)	07	06	09	08	05	04
4	श्री राजकिरण राय जी. Sh RajKiran Rai G. (22.01.16-31.03.16)	02	02	03	03	02	02
5	श्री राजन कुमार Sh. Rajan Kumar (01.04.15-14.06.15)	02	02	N.A	-	01	01
6	श्री अरुणीश चावला Sh Arunish Chawla (15.06.15-31.03.16)	09	09	N.A	-	08	07
7	श्री एस गणेश कुमार Sh. S Ganesh Kumar (01.04.15-31.03.16)	11	09	17	14	09	07
8	श्री किंगशुक भट्टाचार्य Sh. Kingshuk Bhattacharya (01.04.15-31.03.16)	11	11	09	09	N.A	-
9	श्री नरेन्द्र जे. कोटिवाला Sh. Narendra J Kotiawala (01.04.15-31.03.16)	11	11	08	07	N.A	-
10	श्री पारस मल चोपड़ा Sh. Paras Mal Chopda (01.04.15-17.01.16)	09	09	10	10	-	-
11	श्री देश दीपक खेत्रपाल Sh. Desh Deepak Khetrpal (01.04.15-31.03.16)	11	09	11	07	09	06
12	श्री अशोक कुमार शर्मा Sh. Ashok Kumar Sharma (01.04.15-31.03.16)	11	11	-	-	09	09
13	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल Sh. Dinesh Kumar Agrawal (01.04.15-31.03.16)	11	11	13	13	-	-

.लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / N.A. : Not a Member of the Committee

आयोजित बैठकें : निदेशक की कार्य अवधि के दौरान आयोजित बैठक / Meetings Held : Meetings Held during the tenure of the Director

7.3 ऋण अनुमोदन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13ए के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा ऋण अनुमोदन समिति गठित की गई है। समिति एक उधारकर्ता को ₹250 करोड़ के अधिकतम एक्सपोजर हेतु ऋण प्रस्तावों को मंजूरी करने तथा ₹4 करोड़ की अधित्याग की राशि हेतु प्रत्यायोजित अधिकारों के साथ ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करती है। इस समिति में इस समय प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, बड़े कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक,

7.3 CREDIT APPROVAL COMMITTEE

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Credit Approval Committee is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13A of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980. The Committee considers sanctioning of credit proposals upto ₹250 crore for single borrower exposure and loan compromise/write-off proposals with sacrifice amount upto ₹4 crore. The Committee presently consists of Managing Director & CEO, Executive Director, General Manager in-charge of the Large Corporate

मध्य कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक, लेखा के महाप्रबंधक / मुख्य वित्तीय अधिकारी, जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महाप्रबंधक, ऋण निगरानी के प्रभारी महाप्रबंधक, वसूली एवं विधि के प्रभारी महाप्रबंधक तथा निरीक्षण एवं नियंत्रण के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की कुल 37 बैठकें हुईं।

7.4 मंडल की स्टेक होल्डर संबंध समिति

बैंक ने, शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण हेतु तथा शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त ना होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त ना होने से संबंधित शिकायतों सहित सिक्वोरिटी धारकों की शिकायतों के निवारण के तंत्र पर विचार करने की दृष्टि से सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक, 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में, इस समिति का गठन किया। इस समय, समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल तथा सदस्य के रूप में कार्यकारी निदेशक के अलावा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री देश दीपक खेत्रपाल हैं। इस समिति की वर्ष में चार बैठकें हुईं और इस समिति ने वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, शेयरों के हस्तांतरण, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, लाभांश वारंटों की पुनर्वैधता, आदि जैसी शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी मामले देखे।

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों की शिकायतों का निपटान समयबद्ध तरीके से किया जाए तथा जिन शिकायतों में अंतिम निपटान के लिए जांच की आवश्यकता होती है उनका अंतरिम उत्तर/सूचना दी जाती है। बैंक को 408 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 01 शिकायत पिछली तिमाही में लम्बित थी, जिसका निपटान हो गया है।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	13.05.2015	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री भूपिन्दर नेय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री पारस मल चोपड़ा 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
2.	29.07.2015	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री पारस मल चोपड़ा 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
3.	01.11.2015	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री पारस मल चोपड़ा 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4.	10.02.2016	1. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अशोक कुमार शर्मा 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल	शून्य

7.5 मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक सूचना सुरक्षा कार्यदल के परिपत्र सं. भारिबैं/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं 6/31.02.2008/2010-2-11 दिनांक 29.04.2011 द्वारा की गई संस्तुति के अनुपालन में किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी

Credit, General Manager in-charge of the Mid Corporate Credit, General Manager in-charge of the Priority Sector Credit, General Manager in-charge of Accounts/CFO, General Manager in-charge of Risk Management, General Manager in-charge of Credit Monitoring, General Manager in-charge of Recovery & Law and General Manager in-charge of Inspection & Control. In all, 37 meetings of the Credit Approval Committee were held during the year 2015-16.

7.4 STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE OF BOARD

The Bank has constituted this Committee pursuant to Regulation 20 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with a view to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders and to consider and resolve the grievances of the security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of annual report and non receipt of declared dividends. The Committee at present consists of Non executive Director, Sh. Dinesh Kumar Agrawal, as the Chairman of the Committee and two other Non executive Directors, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Desh Deepak Khetrapal, apart from Executive Director as the member. The Committee met four times in the year and looked after the redressal of Investors complaints like non receipt of Annual Reports, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared, revalidation of dividend warrants etc.

The Bank ensures that shareholder's complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which need investigation for final disposal are attended with immediate interim reply / information. During the year under review, Bank received 408 complaints out of which 01 complaint was pending in the last quarter, since redressed.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	13.05.2015	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Paras Mal Chopda 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
2	29.07.2015	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Paras Mal Chopda 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
3	01.11.2015	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Paras Mal Chopda 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4	10.02.2016	1. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Ashok Kumar Sharma 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal	NIL

7.5 IT STRATEGY COMMITTEE OF BOARD

The Committee is constituted to review the implementation of IT projects of the Bank pursuant to RBI Working Group Information Security recommendations vide Circular No. RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.2008/2010-2-11 dated 29.04.2011. The Committee at present comprises of Managing Director & CEO, Executive Director

निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक श्री अरुणीश चावला, श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला एवं श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। श्री देश दीपक खेत्रपाल समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की पांच बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	25.04.2015	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री नरेंद्र जे कोटियावाला 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
2.	29.07.2015	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री नरेंद्र जे कोटियावाला 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल
3.	28.09.2015	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री नरेंद्र जे कोटियावाला 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4.	30.11.2015	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अरुणीश चावला 3. श्री नरेंद्र जे कोटियावाला 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
5.	10.02.2016	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल 2. श्री अनिमेष चौहान 3. श्री राजकिरण राय जी. 4. श्री अरुणीश चावला 5. श्री नरेंद्र जे कोटियावाला 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री अरुणीश चावला

7.6 जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के नीतियों की वार्षिक समीक्षा, एएलसीओ/सीआरएमसी/ओआरएमसी तथा अन्य समितियों, पूंजी योजना, जोखिम प्रबंधन कार्यशैली की समीक्षा/बासेल III लागू करने, हेतु बैंक ने मंडल स्तर की समिति का गठन किया है जिसमें वर्तमान में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष), कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री अशोक कुमार शर्मा तथा श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला शामिल हैं। इस समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार वर्ष के दौरान चार बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	25.06.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री पारस मल चोपड़ा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री सुरेश एन पटेल
2.	22.08.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री पारस मल चोपड़ा 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
3.	30.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री पारस मल चोपड़ा 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4.	28.03.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री अशोक कुमार शर्मा 5. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल

alongwith Sh. Arunish Chawla, Sh. Desh Deepak Khetrpal, Sh. Narendra J Kotiawala and Sh. Ashok Kumar Sharma, Non Executive Directors of the Bank. The Committee is headed by Sh. Desh Deepak Khetrpal. During the year IT Strategy Committee met five times.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.04.2015	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
2	29.07.2015	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Narendra J Kotiawala 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal
3	28.09.2015	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Narendra J Kotiawala 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4	30.11.2015	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal 2. Sh. Arunish Chawla 3. Sh. Narendra J Kotiawala 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
5	10.02.2016	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal 2. Sh. Animesh Chauhan 3. Sh. Rajkiran Rai G 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla

7.6 SUPERVISORY COMMITTEE OF DIRECTORS ON RISK MANAGEMENT

To oversee the annual review of the policies of Integrated Risk Management System, effectiveness of ALCO/CRMC/ORMC & other committees, Capital Planning, review of Risk Management function/Basel III implementation, the Bank has formed a Board level committee which presently comprises of Managing Director & CEO as Chairman, Executive Director alongwith Sh. Desh Deepak Khetrpal, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Narendra J Kotiawala, the Non Executive Directors of the Bank. The Committee met four times during the year as per the prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the Meeting
1	25.06.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Paras Mal Chopda 5. Sh. Desh Deepak Khetrpal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Suresh N Patel
2	22.08.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Paras Mal Chopda 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
3	30.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Paras Mal Chopda 3. Sh. Desh Deepak Khetrpal 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4.	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Desh Deepak Khetrpal 4. Sh. Ashok Kumar Sharma 5. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal

7.7 बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मण्डल की विशेष समिति

₹1 करोड़ और इससे अधिक की बड़ी राशि की धोखाधड़ी को मॉनिटर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.01.2004 के परिपत्र के अनुसार मंडल की एक विशेष समिति का गठन किया गया। वर्तमान में, यह समिति प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है जिसमें कार्यकारी निदेशक के साथ भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री अरुणीश चावला तथा तीन अन्य गैर कार्यपालक निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की नौ बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	25.04.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री पारस मल चोपड़ा 6. श्री देश दीपक खेत्रपाल 7. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
2	25.06.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री अरुणीश चावला 5. श्री पारस मल चोपड़ा 6. श्री देश दीपक खेत्रपाल 7. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री सुरेश एन पटेल
3	29.07.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री पारस मल चोपड़ा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री अरुणीश चावला 2. श्री देश दीपक खेत्रपाल
4	22.08.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री पारस मल चोपड़ा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
5	28.09.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री पारस मल चोपड़ा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल
6	01.11.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री पारस मल चोपड़ा 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री अरुणीश चावला
7	28.12.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री अरुणीश चावला 3. श्री पारस मल चोपड़ा 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
8	10.02.2016	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री अरुणीश चावला
9	28.03.2016	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.7 SPECIAL COMMITTEE OF BOARD OF LARGE VALUE FRAUDS

Special Committee of Board was constituted as per the Reserve Bank of India vide Circular dated 14.01.2004 for monitoring and following up/review of cases of frauds of ₹1 crore & above. The Committee at present is headed by the Managing Director & CEO and consists of Executive Director alongwith Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla and three other Non-Executive Directors, Sh. Desh Deepak Khetrpal, Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee met nine times during the year.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.04.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Paras Mal Chopda 6. Sh. Desh Deepak Khetrpal 7. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
2	25.06.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Arunish Chawla 5. Sh. Paras Mal Chopda 6. Sh. Desh Deepak Khetrpal 7. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Suresh N Patel
3	29.07.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Paras Mal Chopda 5. Sh. Desh Deepak Khetrpal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. Desh Deepak Khetrpal
4	22.08.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Paras Mal Chopda 5. Sh. Desh Deepak Khetrpal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
5	28.09.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Paras Mal Chopda 5. Sh. Desh Deepak Khetrpal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal
6	01.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Paras Mal Chopda 5. Sh. Desh Deepak Khetrpal 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla
7	28.12.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Arunish Chawla 3. Sh. Paras Mal Chopda 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
8	10.02.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
9	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal

7.8 बैंक में ग्राहक सेवा पर मंडल की समिति

इस समिति का गठन बैंकिंग प्रणाली में कॉरपोरेट अभिशासन संरचना को सशक्त करने तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार लाने की दृष्टि से नीतियों तथा अनुपालन का मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए किया गया था। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक श्री किंगशुक भट्टाचार्य, श्री देश दीपक खेत्रपाल और श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार चार बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	25.06.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री देश दीपक खेत्रपाल 6. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री सुरेश एन पटेल
2.	28.09.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
3.	30.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
4.	28.03.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.9 मंडल की पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 20/1/2005 बीओ 1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का निर्धारण करने हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें भारत सरकार की नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक एवं दो अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। वर्तमान में, समिति में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री अरुणीश चावला (समिति के अध्यक्ष), भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक, श्री एस. गणेश कुमार तथा दो अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल एवं श्री देश दीपक खेत्रपाल शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पूर्णकालीन निदेशकों के कार्यनिष्पादन आधारित पारिश्रमिक के बारे में निर्णय करने हेतु आलोच्य वर्ष में समिति की एक बैठक 29.07.2015 को हुई।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	29.07.2015	1. श्री अरुणीश चावला 2. श्री एस. गणेश कुमार 3. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.10 नामांकन समिति

“नामांकन समिति” का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(झ) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों पर चुने गए मौजूदा निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए सक्षम व उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित/निश्चित करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3क) और (3ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना

7.8 COMMITTEE OF BOARD ON CUSTOMER SERVICE IN BANK

The Committee was constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the corporate governance structure in the banking system and bring about ongoing improvements in the quality of customer service. The Committee presently comprises of Managing Director & CEO, Executive Director alongwith Sh. Kingshuk Bhattacharya, Sh. Desh Deepak Khetrpal and Sh. Ashok Kumar Sharma, Non-Executive Directors of the Bank. During the year the Committee met four times, as per the prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.06.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Desh Deepak Khetrpal 6. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Suresh N Patel
2	28.09.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Kingshuk Bhattacharya 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
3	30.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Kingshuk Bhattacharya 3. Sh. Desh Deepak Khetrpal 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
4	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Kingshuk Bhattacharya 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal

7.9 REMUNERATION COMMITTEE OF BOARD

A Remuneration Committee was constituted to evaluate the performance-linked incentive of Whole time Directors as per the notification No. 20/1/2005-Bo.I dated 09.03.2007 from Ministry of Finance, Government of India, consisting of Govt. of India Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Non-Executive Directors. At present the composition of Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla as its Chairman, RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar and two other Non-Executive Directors, Sh. Dinesh Kumar Agrawal & Sh. Desh Deepak Khetrpal. The Committee, during the year, met once on 29.07.2015 to decide upon the performance-linked incentive of Whole Time Directors for the Financial Year 2014-15.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	29.07.2015	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. S Ganesh Kumar 3. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal

7.10 NOMINATION COMMITTEE

“Nomination Committee” was constituted vide Reserve Bank of India notification DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for laying down/determining ‘Fit & Proper’ Criteria for existing elected directors/the person to be elected as a

डीबीओडी.बीसी. सं. 46 / 29.39.001 / 2007-08 द्वारा किया गया। समिति में दो गैर-कार्यपालक निदेशक हैं अर्थात् भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री अरुणीश चावला (समिति के अध्यक्ष), भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार शामिल हैं। शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सक्षम एवं उपयुक्त स्तर/पात्रता का निर्धारण करने के लिए समिति की बैठक हुई।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1	25.06.2015	1. श्री अरुणीश चावला 2. श्री एस. गणेश कुमार 3. श्री पारस मल चोपड़ा	शून्य

7.11 चुनाव विवाद समिति

यह समिति ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैंडकें) विनियामक 1998 के विनियम 67 के अनुकरण में, निर्वाचित घोषित अथवा माने गए व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में होने वाली किसी शंका अथवा विवाद के समाधान के लिए गठित की गई है। इस समिति में इस समय प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, भारत सरकार के नामित निदेशक श्री अरुणीश चावला तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान चुनाव विवाद समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7.12 मानव संसाधन समिति

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मंडल की मानव संसाधन समिति के गठन के बारे में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एफ नं. 9/18/2009-आई आर दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा मंडल की 27.03.2012 को हुई बैठक में औद्योगिक संबंधों/मानव संसाधन संबंधी मामलों/क्षमता निर्माण तथा उत्तराधिकार योजना/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता/तथा विनियामक दिशा-निर्देशों को लागू करने संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन समिति बनाई गई। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री अरुणीश चावला तथा बैंक के निदेशक श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री किंगशुक भट्टाचार्य एवं श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला शामिल हैं। वर्ष के दौरान निर्धारित समयावधि के अनुसार समिति की चार बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	15.06.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 6. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 7. श्री देश दीपक खेत्रपाल	शून्य
2.	22.08.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 6. श्री देश दीपक खेत्रपाल	शून्य
3.	01.11.2015	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 6. श्री देश दीपक खेत्रपाल	1. श्री अरुणीश चावला
4.	28.03.2016	1. श्री अनिमेश चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 6. श्री देश दीपक खेत्रपाल	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल

director under Sec 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/80 on the Boards of Nationalized Banks. The Committee comprises of two Non-Executive Directors viz., Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla as its Chairman & RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. The Committee met to decide the fit and proper status of existing elected Shareholder Directors.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.06.2015	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. S Ganesh Kumar 3. Sh. Paras Mal Chopda	NIL

7.11 ELECTION DISPUTES COMMITTEE

It is a Committee constituted in pursuance of Regulation 67 of Oriental Bank of Commerce (Shares & Meetings) Regulations 1998, for resolving of any doubt or dispute arising as to qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected or as to the validity of the election of a director. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. During the year 2015-16, no meeting of the Election Disputes Committee was held.

7.12 HR COMMITTEE

Pursuant to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India Gazette Notification No. F.No.9/18/2009-IR dated 21st March 2012 relating to the constitution of the HR Committee of the Board in all Public Sector Banks, HR Committee has been constituted by the Board of Directors in the Board Meeting dated 27.03.2012 in order to review Industrial relations/HR Related Issues/Capacity Building and Succession Planning / Efficacy of Training Programmes / and implementation of regulatory guidelines. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Director alongwith Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla and Non-Executive Directors, Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. Kingshuk Bhattacharya and Sh. Narendra J Kotiawala. During the year the Committee met four times, as per prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	15.06.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Kingshuk Bhattacharya 6. Sh. Narendra J Kotiawala 7. Shri Desh Deepak Khetrapal	NIL
2	22.08.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Desh Deepak Khetrapal	NIL
3	01.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Desh Deepak Khetrapal	1. Sh. Arunish Chawla
4	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G. 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Desh Deepak Khetrapal 5. Sh. Kingshuk Bhattacharya 6. Sh. Narendra J Kotiawala	1. Sh. Desh Deepak Khetrapal

7.13 जनसंपर्क एवं प्रचार समिति

जनसंपर्क एवं प्रचार समिति का गठन दिनांक 30.04.2012 की बैठक में मंडल के निदेशों के अनुसरण में किया गया था। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक और दो गैर कार्यपालक निदेशक, श्री अरुणीश चावला एवं श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। समिति बैंक की जनसंपर्क छवि को निखारने के लिए कार्यनीति बनाती है और बैंक की सुदृढ़ ब्रांड छवि बनाने पर ध्यान देती है। यह देश भर में बैंक की पहचान को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देती है। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित समयावधि के अनुसार चार बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	25.04.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नेय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य
2.	29.07.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री अरुणीश चावला
3.	01.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री अरुणीश चावला
4.	10.02.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी. 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	1. श्री अरुणीश चावला

7.14 अन्य कंपनियों में शेरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के बारे में निर्णय लेने हेतु समिति

अन्य कंपनियों में शेरधारक निदेशक की उम्मीदवारी के बारे में निर्णय लेने हेतु समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र सं. 16/11/2012-बीओ-I, दिनांक 03.04.2012 के अनुसार किया गया। मंडल ने उक्त परिपत्र के अनुसरण में दिनांक 30.04.2012 की बैठक में इस समिति के गठन का अनुमोदन किया। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, एक गैर कार्यपालक निदेशक, श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। समिति अन्य कंपनियों में, जहां बैंक कंपनी का इक्विटी धारक है और बैंक से अपेक्षित है कि वह शेरधारक निदेशक के चुनाव हेतु चुनाव प्रक्रिया में भाग ले, शेरधारक निदेशकों के चुनाव में, उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय लेती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7.15 गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की मानीटरिंग हेतु मंडल की उप-समिति

एनपीए की मानीटरिंग के लिए मंडल की उप समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त परिपत्र सं 7/112/2012-बीओए दिनांक 21.11.2012 के अनुसरण में दिनांक 23.11.2012 को किया गया। वर्तमान में, इस समिति में

7.13 PR & PUBLICITY COMMITTEE

The PR & Publicity Committee was constituted pursuant to directions of the Board in the meeting dated 30.04.2012. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Director and two Non-Executive Directors, Sh. Arunish Chawla and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee formulates the Strategy Plan for improving the Public image of the Bank and focus on strong brand building exercise of the Bank. It also suggests various measures for improvement of visibility of the Bank across the country. During the year the Committee met four times, as per prescribed frequency.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.04.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL
2	29.07.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
3	01.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla
4	10.02.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	1. Sh. Arunish Chawla

7.14 COMMITTEE TO DECIDE CANDIDATURE OF SHAREHOLDER DIRECTOR IN OTHER COMPANIES

The 'Committee to decide candidature of the Shareholder Director in other companies' was constituted in terms of Circular No. 16/11/2012-BO-I dated 03.04.2012 from Ministry of Finance. Pursuant to the aforementioned circular, the Board approved constitution of this Committee in the meeting dated 30.04.2012. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Director, one Non-Executive Director, Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee decides on supporting the candidates, after careful consideration of qualification, experience, profile and background of the candidates in the Election of Shareholder Directors in other companies where Bank is the equity holder of the company and is required to participate in the election process. During Financial Year 2015-16, no meeting of this Committee was held.

7.15 SUB-COMMITTEE OF BOARD FOR MONITORING OF NPAs

The Sub-Committee of Board for monitoring of NPAs was constituted on 23.11.2012 pursuant to the Circular No.7/112/2012-BOA dated 21.11.2012 from Ministry of

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ भारत सरकार के नामिति निदेशक श्री अरुणीश चावला, तीन गैर-कार्यपालक निदेशक, श्री किंगशुक भट्टाचार्य, श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। महाप्रबन्धक (वसूली एवं विधि) समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को मानीटर करती है तथा एनपीए की स्थिति और वसूली की प्रगति की समीक्षा करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	25.04.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 7. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
2	13.05.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 7. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री नरेन्द्र जे कोटियावाला
3	15.06.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 6. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 7. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
4	29.07.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री अरुणीश चावला
5.	22.08.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
6	28.09.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
7	01.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री अरुणीश चावला
8	30.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री अरुणीश चावला 3. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 4. श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य

Finance. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Director alongwith Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla, three Non-Executive Directors, Sh. Kingshuk Bhattacharya, Sh. Narendra J Kotiawala and Sh. Dinesh Kumar Agrawal. The General Manager (Recovery & Law) is the Member Secretary of the Committee. The Committee monitors the Non-Performing Assets and reviews the NPA position and progress of recovery. During the year 2015-16, eleven meetings of the Committee were held.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	25.04.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Kingshuk Bhattacharya 6. Sh. Narendra J Kotiawala 7. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
2	13.05.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Kingshuk Bhattacharya 6. Sh. Narendra J Kotiawala 7. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Narendra J Kotiawala
3	15.06.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. Kingshuk Bhattacharya 6. Sh. Narendra J Kotiawala 7. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
4	29.07.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla
5	22.08.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
6	28.09.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
7	01.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla
8	30.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Arunish Chawla 3. Sh. Kingshuk Bhattacharya 4. Sh. Narendra J Kotiawala 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL

9	28.12.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री अरुणीश चावला 3. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 4. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
10	10.02.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री अरुणीश चावला
11	28.03.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री किंगशुक भट्टाचार्य 5. श्री नरेंद्र जे. कोटियावाला 6. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य

7.16 सीएसआर समिति

मंडल की सीएसआर समिति दिनांक 29.10.2014 को हुई मंडल की बैठक में गठित की गई। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा शेष पात्र मंडल सदस्यों में से, जनसंपर्क एवं प्रचार समिति के सदस्य निदेशकों के अलावा दो गैर कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री देश दीपक खेत्रपाल एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। समिति, बैंक द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों की निगरानी/समीक्षा के लिए गठित की गई। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	13.05.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नेय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री देश दीपक खेत्रपाल 5. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
2.	22.08.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
3.	30.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री देश दीपक खेत्रपाल 3. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
4.	28.03.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री देश दीपक खेत्रपाल 4. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	1. श्री देश दीपक खेत्रपाल

7.17 शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति

इस समिति का गठन बैंक के इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन संबंधी सभी मामलों का निर्णय लेने के लिए दिनांक 18.07.2014 को हुई बैठक में मंडल द्वारा किया गया। वर्तमान में, इस समिति में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा दो गैर कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री देश दीपक खेत्रपाल एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान शेयर निर्गम एवं आबंटन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। तथापि, परिचालन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर ₹82.79 के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर 2,15,48,758 इक्विटी शेयर निर्गमन तथा आबंटन को 30.03.16 को पारित संकल्प के द्वारा अनुमोदित किया गया।

9	28.12.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Arunish Chawla 3. Sh. Kingshuk Bhattacharya 4. Sh. Narendra J Kotiawala 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
10	10.02.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Arunish Chawla
11	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. Kingshuk Bhattacharya 5. Sh. Narendra J Kotiawala 6. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	Nil

7.16 CSR COMMITTEE

The CSR Committee of Board was constituted in the Board meeting dated 29.10.2014. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Director and two Non-Executive Directors other than the member Directors of PR & Publicity Committee, from the remaining eligible Board members viz., Sh. Desh Deepak Khetrpal and Sh. Dinesh Kumar Agrawal. The Committee was constituted for focusing/ reviewing the CSR activities being undertaken by the Bank. During the year 2015-16, four meetings were held of the Committee.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	13.05.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Desh Deepak Khetrpal 5. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
2	22.08.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Desh Deepak Khetrpal 4. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
3	30.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Desh Deepak Khetrpal 3. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
4	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Desh Deepak Khetrpal 4. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	1. Sh. Desh Deepak Khetrpal

7.17 SHARE ISSUE AND ALLOTMENT COMMITTEE

This Committee has been constituted by the Board in the Meeting held on 18.07.2014 for deciding all matters in regard to issue and allotment of Equity Shares of the Bank. The Committee at present comprises of Managing Director and CEO, Executive Director and two Non-Executive Directors viz., Sh. Desh Deepak Khetrpal and Sh. Dinesh Kumar Agrawal. During the year 2015-16, no meeting of the Share Issue and Allotment Committee was held. However, the issue and allotment of 2,15,48,758 equity shares at an issue price (including premium) of ₹82.79 to Life Insurance Corporation of India on preferential basis was approved by the Committee through resolution passed by circulation on 30.03.2016.

7.18 अनुशासनिक कार्रवाई समिति

यह समिति दिनांक 24.10.1990 के सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक की अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा के लिए गठित की गई। समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री अरुणीश चावला तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	15.06.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री भूपिन्दर नैय्यर 3. श्री सुरेश एन पटेल 4. श्री राजन कुमार 5. श्री एस. गणेश कुमार	शून्य
2.	22.08.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री सुरेश एन पटेल 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री एस. गणेश कुमार	शून्य
3.	30.11.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री अरुणीश चावला 3. श्री एस. गणेश कुमार	श्री एस. गणेश कुमार
4.	10.02.2016 (स्थगित)	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री एस. गणेश कुमार	1. श्री अरुणीश चावला 2. श्री एस. गणेश कुमार
5.	28.03.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री राजकिरण राय जी 3. श्री अरुणीश चावला 4. श्री एस. गणेश कुमार	शून्य

7.19 अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति

यह समिति दिनांक 30.04.2014 को मंडल की बैठक में गठित हुई, जिसमें अनुशासनिक मामलों में समीक्षा तथा विचार हेतु दिनांक 28.05.2014 की बैठक में संशोधन हुआ। इस समय समिति में भारत सरकार के नामिती निदेशक श्री अरुणीश चावला और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री एस. गणेश कुमार तथा दो गैर कार्यपालक निदेशक अर्थात् श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। समिति अनुशासनिक मामलों में अपीलों की समीक्षा करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान अपीलीय एवं समीक्षा प्राधिकारी समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	28.03.2016	1. श्री अरुणीश चावला 2. श्री एस. गणेश कुमार 3. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 4. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य

7.20 असहयोगी उधारकर्ताओं एवं इरादतन चूककर्ताओं पर मंडल की समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 01.07.2014 एवं 22.12.2014 के अनुसरण में गठित की गई। समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो गैर कार्यपालक अधिकारी अर्थात् श्री दिनेश कुमार अग्रवाल और श्री अशोक कुमार शर्मा शामिल हैं। समिति चूककर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता घोषित करने और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में

7.18 DISCIPLINARY ACTION COMMITTEE

This Committee has been constituted pursuant to Government Guidelines dated 24.10.1990 to review the Disciplinary cases and departmental enquiries of the Bank. The Committee comprises of Managing Director and CEO, Executive Director, Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar. During the year 2015-16, five meetings of the Committee were held.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	15.06.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Bhupinder Nayyar 3. Sh. Suresh N Patel 4. Sh. Rajan Kumar 5. Sh. S Ganesh Kumar	NIL
2	22.08.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Suresh N Patel 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. S Ganesh Kumar	NIL
3	30.11.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Arunish Chawla 3. Sh. S Ganesh Kumar	1. Sh. S Ganesh Kumar
4	10.02.2016 (adjourned)	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. S Ganesh Kumar	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. S Ganesh Kumar
5.	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Rajkiran Rai G 3. Sh. Arunish Chawla 4. Sh. S Ganesh Kumar	NIL

7.19 APPELLATE AND REVIEWING AUTHORITY COMMITTEE

This Committee has been constituted by the Board in its Meeting dated 30.04.2014 with amendments in the meeting dated 28.05.2014 for reviewing and considering appeals in disciplinary cases. The Committee at present comprises of Government of India Nominee Director, Sh. Arunish Chawla and RBI Nominee Director, Sh. S Ganesh Kumar and two other Non-Executive Directors viz., Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee reviews the appeals in the Disciplinary cases. During the year 2015-16, one meeting of the Appellate and Reviewing Authority Committee was held.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	28.03.2016	1. Sh. Arunish Chawla 2. Sh. S Ganesh Kumar 3. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 4. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL

7.20 REVIEW COMMITTEE OF THE BOARD ON NON-COOPERATIVE BORROWERS AND WILFUL DEFAULTERS

This Committee has been constituted pursuant to RBI Circulars dated 01.07.2014 and 22.12.2014. The Committee comprises of Managing Director and CEO and two Non-Executive Directors viz., Sh. Dinesh Kumar Agrawal and Sh. Ashok Kumar Sharma. The Committee reviews the declaration of



उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति के निर्णय की समीक्षा करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्य	बैठक में अनुपस्थित सदस्य
1.	29.07.2015	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री पारस मल चोपड़ा 3. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल	शून्य
2.	28.03.2016	1. श्री अनिमेष चौहान 2. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल 3. श्री अशोक कुमार शर्मा	शून्य

7.21 निवेश समिति

यह प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता वाली बैंक के कार्यपालकों की समिति है तथा जिसकी प्रतिदिन होने वाली बैठक में मौजूदा निवेशों, सांविधिक चलनिधि, गैर-सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों के संबंध में नए निवेश संबंधी निर्णयों, सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग और बैंक की निधियों की स्थिति सहित कई अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार किया जाता है।

7.22 शेयर हस्तांतरण समिति

शेयर हस्तांतरण समिति, जिसमें तीन महाप्रबन्धक, एक उप महाप्रबन्धक और एक मुख्य प्रबन्धक हैं, साप्ताहिक आधार पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, नाम हटाना, शेयरों का पुनःमूर्तिकरण आदि शेयरों के अंतरण व प्रसारण का अनुमोदन करती है। शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयरों अंतरणों को तिमाही आधार पर सूचनार्थ मण्डल के समक्ष तथा अनुसमर्थन हेतु मंडल की स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान शेयर अंतरण समिति की 34 बैठकें आयोजित की गईं। बैंक प्रस्तुत किए गए सभी अंतरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर विधिवत् रूप से प्रभावी करना सुनिश्चित करता है।

8. शेयरधारक सूचना

8.1 आम बैठक

पिछली वार्षिक आम बैठकों की तारीख एवं स्थल		
बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थल
उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक	17 जून, 2013 को प्रातः 10.00 बजे	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4 / 2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
बीसवीं वार्षिक आम बैठक	19 जून, 2014 को प्रातः 10.00 बजे	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4 / 2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक	26 जून, 2015 को प्रातः 10.00 बजे	पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4 / 2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

बैंक की 19वीं, 20वीं, 21वीं वार्षिक आम बैठकें बैंक के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा लेखों में ली गई अवधि हेतु बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लाभांश की घोषणा के लिए आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, पिछली दो वार्षिक आम बैठकों में शेयरधारकों ने बैंक द्वारा पूंजी जुटाने को अनुमोदन प्रदान किया।

defaulters as Non-cooperative borrowers and the decision of Screening Committee headed by Executive Director on classification of Borrowers as Wilful Defaulters. During the year 2015-16, two meetings of the Committee were held.

S. No.	Date of Meetings	Members of the Committee	Members Absent in the meeting
1	29.07.2015	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Paras Mal Chopda 3. Sh. Dinesh Kumar Agrawal	NIL
2	28.03.2016	1. Sh. Animesh Chauhan 2. Sh. Dinesh Kumar Agrawal 3. Sh. Ashok Kumar Sharma	NIL

7.21 INVESTMENT COMMITTEE

It is Committee of Executives of the Bank headed by Managing Director & CEO, which meets daily to take a view on existing investments, fresh investments decisions with regard to SLR, Non-SLR Securities, G-Sec trading and other allied matters including funds position of the Bank.

7.22 SHARE TRANSFER COMMITTEE

The Share Transfer Committee comprising of three General Managers, one Dy. General Manager and one Chief Manager approves the transfer and transmission of shares, issue of duplicate share certificate, deletion of names, rematerialisation of shares etc. on weekly basis. The share transfers approved by the Share Transfer Committee are placed before the Board for information and Stakeholders' Relationship Committee of Board for ratification. 34 meetings of the Share Transfer Committee were held during April 1, 2015 to March 31, 2016. The Bank ensures that all the transfers are duly effected within a period of 15 days from the date of their lodgment.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 GENERAL BODY MEETINGS

Date and Venue of Previous Annual General Meetings		
Nature of Meeting	Date and Time	Venue
Nineteenth Annual General Meeting	17th June, 2013 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016.
Twentieth Annual General Meeting	19th June, 2014 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016.
Twenty First Annual General Meeting	26th June, 2015 at 10.00 a.m.	PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016.

The 19th, 20th and 21st Annual General Meetings of the Bank were held to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank and to declare dividend. Further, in the last two Annual General Meetings, the shareholders also approved raising of Capital by the Bank through special resolution.

दिनांक 26 जून, 2015 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में श्री अरुणीश चावला, श्री एस. गणेश कुमार एवं श्री किंगशुक भट्टाचार्य, जो पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए, के अलावा सभी निदेशकों ने भाग लिया।

8.2 असाधारण आम बैठक

वर्ष के दौरान बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 को निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की गई :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी इस संबंध में यथापेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन अन्य लागू विधि/दिशानिर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले सेबी आईसीडीआर विनियामक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अधिमानी आधार पर ₹178,40,21,674.82/- (रुपए एक सौ अठहत्तर करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार छः सौ चौहत्तर और बयासी पैसे मात्र) की सीमा तक सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित ₹82.79 (रुपए बयासी और उन्नासी पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु ₹10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के बैंक के 2,15,48,758 इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु।

पोस्टल मत – इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी पोस्टल मत का आयोजन नहीं किया है।

8.3 वित्तीय कैलेंडर

लेखा परीक्षित वित्तीय लेखों का अनुमोदन और लाभांश की संस्तुति करने हेतु मंडल की बैठक	11 मई, 2016
वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय और स्थान	गुरुवार, 23 जून, 2016 को प्रातः 10.00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
बही बंद होने की तारीख	17 जून, 2016 से 23 जून, 2016
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	18 जून, 2016
ई-वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख	16 जून, 2016
ई-वोटिंग अवधि	19 जून, 2016 से 22 जून, 2016
लाभांश के भुगतान की तारीख	15 जुलाई, 2016

8.4 सूचीकरण

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में और कॉरपोरेट कार्यालय, गुडगांव में है। मार्च, 2016 की समाप्ति पर, देश के सभी भागों में इसके नेटवर्क में 2351 शाखाएं और 34 प्रादेशिक कार्यालय हैं।

बैंक के शेयर (ISIN NO. INE 141A01014) निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और इक्विटी शेयर निम्नलिखित कोड के अंतर्गत उद्धृत हैं :

The last Annual General Meeting held on 26th June 2015 was attended by all the directors except Sh. Arunish Chawla, Sh. S. Ganesh Kumar and Sh. Kingshuk Bhattacharya who could not attend the meeting due to preoccupation.

8.2 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

During the year ended 31st March, 2016, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Tuesday, 29th March 2016, to transact the following business:

To create, offer, issue and allot 2,15,48,758 equity shares of the Bank of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an Issue price (including premium) of ₹82.79 (Rupees eighty two and paise seventy nine only) per equity share, as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹178,40,21,674.82 (Rupees One hundred seventy eight crore forty lakhs twenty one thousand six hundred seventy four and eighty two paise only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC) pursuant to the provisions of SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and other applicable laws/guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank of India, SEBI or any other authority as may be required in this regard.

Postal Ballot – The Bank has not conducted any postal ballot during the financial year.

8.3 FINANCIAL CALENDAR

Board Meeting for approving Audited Financial Accounts and recommending Dividend.	11th May, 2016
Date, Time and Venue of the AGM	Thursday, 23rd June 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.
Book Closure dates	17th June 2016 – 23rd June 2016
Last Date for receipt of proxy forms	18th June 2016
Cut-off Date for E-voting	16th June 2016
E-Voting period	19th June 2016 to 22nd June 2016
Date of payment of dividend	15th July 2016

8.4 LISTING

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at New Delhi and Corporate Office at Gurgaon. The Bank has its presence in all parts of the country with network of 2351 Branches and 34 Regional Offices as at end of March 2016.

The Bank's shares (ISIN No.INE141A01014) are listed on the following major Stock Exchanges and the Equity Shares are quoted under the following codes:



स्टॉक एक्सचेंज	स्क्रिप कोड	रायटर्स कोड	ब्लूमबर्ग कोड
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001	500315	ORBC.BO	OBC:IB
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. एक्सचेंज प्लॉजा, 5वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को आज तक के सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

8.5 अनुपालन अधिकारी

सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार बैंक की श्रीमती एकता पसरिचा, कंपनी सचिव बैंक की अनुपालन अधिकारी हैं।

8.6 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य डिमैट सूची में हैं और बैंक के शेयरों का अमूर्तीकरण कराने के लिए बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किए हैं। शेयरधारक एनएसडीएल से या फिर सीडीएसएल से शेयर अमूर्त करा सकते हैं।

31 मार्च, 2016 के अनुसार, बैंक के पास नीचे दिए गए विवरणानुसार निम्नलिखित संख्या में ईविटडी शेयर मूर्त तथा अमूर्त रूप में हैं :

धारिता का स्वरूप	शेयरधारकों का रिकॉर्ड / संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
मूर्त	31669	3465683	1.08
एनएसडीएल (अमूर्तीकृत)	72535	131312152	40.86
सीडीएसएल (अमूर्तीकृत)	32368	186619666	58.06
कुल	136572	321397501	100.00

8.7 31 मार्च, 2016 को निलंब/उचंत खाते में रखे हुए शेयरों की स्थिति

(अमूर्त शेयर – अवितरित वापस हुए)

दिनांक 01.04.2015 को अथशेष		वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जमा हुए शेयर	31 मार्च, 2016 को इति शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या			शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या
21	1400	6	750	15	650

Stock Exchange	Scrp Code	Reuters Code	Bloomberg Code
Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001.	500315	ORBC.BO	OBC:IB
National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	

Listing fee has been paid to both the Stock Exchanges till date.

8.5 COMPLIANCE OFFICER

Smt. Ekta Pasricha, Company Secretary of the Bank is the Compliance Officer in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

8.6 DEMATERIALIZATION OF SECURITIES

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2016 the Bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form as per detail given hereunder:-

Nature of Holding	Records / No. of shareholders	No. of Shares	Percentage
Physical	31669	3465683	1.08
NSDL (Dematerialized)	72535	131312152	40.86
CDSL (Dematerialized)	32368	186619666	58.06
Total	136572	321397501	100.00

8.7 Status of Shares lying in Escrow / Suspense Account as on 31st March 2016

[Demat shares – returned undelivered]

Opening Balance as on 01.04.2015		No. of requests received during the financial year 2015 -16	Shares credited during the financial year 2015 -16	Closing Balance as on 31st March 2016	
No. of shareholders	No. of shares			No. of shareholders	No. of shares
21	1400	6	750	15	650

(मूर्त शेयर – अवितरित वापस हुए)

दिनांक 01.04.2015 को अथशेष	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त हुए अनुसंधानों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जमा हुए शेयर	31 मार्च, 2016 को इति शेष
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयर के मालिक द्वारा शेयरों पर दावा करने तक, एस्करो/उचंत खाते में रखे गए शेयरों पर मताधिकार अवरुद्ध रहेंगे।

8.8 निम्नलिखित अदावाकृत लाभांश राशि का शेष नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के प्रावधानों के अंतर्गत निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा और तत्पश्चात् शेयरधारकों की ओर से इस संबंध में भुगतान हेतु कोई भी दावा न तो बैंक के पास और न ही आईईपीएफ में रहेगा।

क्र. सं.	अप्रदत्त लाभांश खातों का विवरण	घोषणा की तारीख	31.03.2016 को शेष (₹ में)	आईईपीएफ में अंतरण की नियत तारीख
1	अप्रदत्त लाभांश खाता 2008-09	23.06.2009	12889288.80	29.07.2016
2	अप्रदत्त लाभांश खाता 2009-10	23.06.2010	13621378.20	29.07.2017
3	अप्रदत्त लाभांश खाता 2010-11	23.06.2011	16432644.80	29.07.2018
4	अप्रदत्त लाभांश खाता 2011-12	13.06.2012	14327914.00	19.07.2019
5	अप्रदत्त लाभांश खाता 2012-13	17.06.2013	17832036.20	23.07.2020
6	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013-14 (अंतरिम)	11.01.2014*	8514032.00	16.02.2021
7	अप्रदत्त लाभांश खाता 2013-14 (अंतिम)	19.06.2014	7724893.20	27.07.2021
8	अप्रदत्त लाभांश खाता 2014-15	26.06.2015	7872717.60	29.07.2022

* निदेशक मण्डल की बैठक की तारीख जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई।

वर्ष 2008-09 के लिए अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश दिनांक 29.07.2016 को प्रेषण करने से पहले, सभी संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र, इस अनुसंधान के साथ भेजा गया था कि वे अपना दावा 20.07.2016 तक भेज दें। यदि दिनांक 20.07.2015 तक दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते में बकाया शेष राशि आईईपीएफ के खाते में अंतरित कर दी जाएगी और इसके बाद शेयरधारकों को किसी भी प्रकार का दावा नहीं दिया जाएगा।

8.9 शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण
बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयर से संबंधित सभी अंतरण शेयर जमा कराए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर विधिवत् रूप से प्रभावी कर दिए जाएं। मंडल ने एक शेयर अंतरण समिति बनाई है जिसकी बैठक बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है। रजिस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट, लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान और

[Physical shares – returned undelivered]

Opening Balance as on 01.04.2015	No. of requests received during the financial year 2015-16	Shares credited during the financial year 2015-16	Closing Balance as on 31st March 2016
nil	nil	nil	nil

The voting rights on the shares lying in the Escrow / Suspense Account shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

8.8 The balance of the following Unclaimed Dividend amount will be transferred as per details mentioned below to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF by the shareholders:-

Sl. No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2016 (in ₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Unpaid Dividend A/c 2008-09	23.06.2009	12889288.80	29.07.2016
2	Unpaid Dividend A/c 2009-10	23.06.2010	13621378.20	29.07.2017
3	Unpaid Dividend A/c 2010-11	23.06.2011	16432644.80	29.07.2018
4	Unpaid Dividend A/c 2011-12	13.06.2012	14327914.00	19.07.2019
5	Unpaid Dividend A/c 2012-13	17.06.2013	17832036.20	23.07.2020
6	Unpaid Dividend A/c 2013-14 (Interim)	11.01.2014*	8514032.00	16.02.2021
7	Unpaid Dividend A/c 2013-14 (Final)	19.06.2014	7724893.20	27.07.2021
8	Unpaid Dividend A/c 2014-15	26.06.2015	7872717.60	29.07.2022

* Date of meeting of Board of Directors in which interim dividend was declared.

Prior to remittance of Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2008-09 on 29.07.2016, reminder letters have been sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 20.07.2016. If not claimed, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect thereof shall be available to the shareholders.

8.9 Share Transfer System & Redressal of Investors Grievances

The Bank ensures that all transfers are duly effected within the period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee, which meets on regular intervals for transacting the business of all matters relating to shares issued by the Bank. Share transfers, dividend payment and all other investor related requests/complaints are attended to and processed at the office of the Registrar &



अनुरोधों/शिकायतों से संबंधित कार्रवाई की जाती है। शेयरधारक अंतरण विलेख और अन्य कोई दस्तावेज, शिकायतें और कठिनाइयां निम्न में से किसी को भी भेज सकते हैं :

(क) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल,
नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1
निकट पीवीआर नारायणा, नई दिल्ली-110028
फोन : 011-41410592/93/94, फैक्स : 011-41410591
ई-मेल : delhi@linktime.co.in

(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय
मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग
दूसरी मंजिल, प्लॉट सं. 5
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया
गुडगांव-122001 (हरियाणा)
फोन : 0124-4126285/4176918, फैक्स: 0124-4126574
ई-मेल : mbd@obc.co.in

Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Limited. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints either to:

(a) Registrar & Share Transfer Agent
Link Intime India Pvt. Ltd.
44, Community Centre, 2nd Floor,
Naraina Industrial Area,
Phase-I, Near PVR Naraina,
New Delhi-110028
Phone: 011-41410592/93/94; Fax: 011-41410591
Email id: delhi@linkintime.co.in

(b) Oriental Bank of Commerce
Corporate Office
Merchant Banking Department
Second Floor, Plot No. 5
Sector – 32, Institutional Area,
Gurgaon-122001 (Haryana)
Ph: 0124-4126285 / 4176918
Fax: 0124-4126574
Email id: mbd@obc.co.in

8.10 31 मार्च 2016 को शेयरधारिता की स्थिति

क्र.सं.	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयर	शेयरों का %
1.	भारत सरकार*	1	177309043	55.17
2.	बैंक/वित्तीय संस्थाएं तथा बीमा कंपनियां	30	52792671	16.42
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अनिवासी भारतीय	1260	29311362	9.12
4.	म्यूचुअल फंड/यूटीआई/ट्रस्ट	42	24068716	7.49
5.	अन्य	135239	37915709	11.80
कुल		136572	321397501	100.00

31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार बैंक के पांच सर्वोच्च शेयरधारक

क्र.सं.	शेयर धारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या	कुल धारिता का %
1	भारत के राष्ट्रपति*	17,73,09,043	55.17
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,51,78,035	14.06
3	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. खाता रिलायंस इक्विटी ऑपरचुनिटी फंड	51,00,376	1.59
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कं. लि.-एचडीएफसी इक्विटी फंड	39,78,035	1.24
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. खाता रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड इक्विटी ऑप्शन	33,00,000	1.03
कुल		23,48,65,489	73.09

*आज की तिथि के अनुसार, 24772914 शेयरों के अधिमानी आबंटन के फलस्वरूप भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की शेयरधारिता बढ़कर 58.38% हो गई।

8.10 Share Holding Pattern as on 31st March, 2016

S. No.	Category	No. of Holders	Shares	% to Shares
1.	Government of India*	1	177309043	55.17
2.	Banks / Fls & Insurance Companies	30	52792671	16.42
3.	FPIs & NRIs	1260	29311362	9.12
4.	Mutual Fund / UTI/Trusts	42	24068716	7.49
5.	Others	135239	37915709	11.80
TOTAL		136572	321397501	100.00

Top five shareholders of the Bank as on 31st March, 2016

Sr. No.	Category of Shareholders	No. of Shares	% to total holding
1	President of India*	17,73,09,043	55.17
2	Life Insurance Corporation of India	4,51,78,035	14.06
3	Reliance Capital Trustee Co. Ltd. A/c Reliance Equity Opportunities Fund	51,00,376	1.59
4	HDFC Trustee Company Limited-HDFC Equity Fund	39,78,035	1.24
5	Reliance Capital Trustee Co. Ltd. A/c Reliance Regular Savings Fund Equity Option	33,00,000	1.03
Total		23,48,65,489	73.09

*As on date, the shareholding of Govt. of India (President of India) stands increased to 58.38%, consequent to Preferential Allotment of 24772914 shares of the Bank.

31.03.2016 की स्थिति अनुसार सवितरण अनुसूची
प्रत्येक शेयर का सांकेतिक मूल्य – ₹10/-

शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	धारिता वर्ग	शेयरों की संख्या	कुल का %
128287	93.94	1 से 5000	13907438	4.33
4360	3.19	5001 से 10000	3432742	1.07
3182	2.33	10001 से 50000	6760242	2.10
342	0.25	50001 से 100000	2405742	0.75
401	0.29	100001 और अधिक	294891337	91.75
136572	100.00	कुल	321397501	100.00

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय प्रलेख जारी नहीं किए हैं।

8.11 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर भाव, खरीदे-बेचे गए शेयरों की संख्या

एनएसई (निफ्टी के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे – बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	लेन देन किए गए शेयरों की संख्या	उच्च (₹)	निम्न (₹)
	अप्रैल 2015	235.30	200.35	34324795	8844.80
मई 2015	216.85	183.30	58304093	8489.55	7997.15
जून 2015	218.95	165.05	37794462	8467.15	7940.30
जुलाई 2015	188.65	155.05	46885176	8654.75	8315.40
अगस्त 2015	186.80	125.10	58763807	8621.55	7667.25
सितम्बर 2015	139.85	121.30	48473886	8055.00	7539.50
अक्टूबर 2015	149.50	129.30	31781412	8336.30	7930.65
नवम्बर 2015	157.50	130.15	47687995	8116.10	7714.15
दिसम्बर 2015	157.25	131.00	33346790	7979.30	7551.05
जनवरी 2016	145.50	100.50	47885102	7972.55	7241.50
फरवरी 2016	114.00	75.15	88292299	7600.45	6825.80
मार्च 2016	93.35	77.05	58856256	7777.60	7035.10

एनएसई (बीएसई सेन्सेक्स के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे – बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

माह	बीएसई			सेन्सेक्स	
	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	लेन देन किए गए शेयरों की संख्या	उच्च (₹)	निम्न (₹)
	अप्रैल 2015	235.20	200.80	3769578	29094.61
मई 2015	216.80	183.50	7260137	28071.16	26423.99
जून 2015	218.80	165.20	3979255	27968.75	26307.07
जुलाई 2015	189.00	155.15	4850005	28578.33	27416.39
अगस्त 2015	186.75	125.10	6916829	28417.59	25298.42
सितम्बर 2015	139.75	121.45	6870982	26471.82	24833.54
अक्टूबर 2015	149.45	129.50	4039169	27618.14	26168.71
नवम्बर 2015	157.50	130.30	6531108	26824.30	25451.42

Distribution Schedule as on 31st March, 2016
Nominal Value of Each Share - ₹10/-

NO. OF SHARE-HOLDERS	% TO TOTAL	HOLDING RANGE	NO. OF SHARES	% TO TOTAL
128287	93.94	1 To 5000	13907438	4.33
4360	3.19	5001 To 10000	3432742	1.07
3182	2.33	10001 To 50000	6760242	2.10
342	0.25	50001 To 100000	2405742	0.75
401	0.29	100001 and above	294891337	91.75
136572	100.00	TOTAL	321397501	100.00

Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.

8.11 Share Price, Volume of Shares traded in Stock Exchanges during FY 2015-16

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of the Bank with Nifty) are as under:

Month	NSE				
	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	NSE Nifty	
				High (₹)	Low (₹)
April 2015	235.30	200.35	34324795	8844.80	8144.75
May 2015	216.85	183.30	58304093	8489.55	7997.15
June 2015	218.95	165.05	37794462	8467.15	7940.30
July 2015	188.65	155.05	46885176	8654.75	8315.40
August 2015	186.80	125.10	58763807	8621.55	7667.25
September 2015	139.85	121.30	48473886	8055.00	7539.50
October 2015	149.50	129.30	31781412	8336.30	7930.65
November 2015	157.50	130.15	47687995	8116.10	7714.15
December 2015	157.25	131.00	33346790	7979.30	7551.05
January 2016	145.50	100.50	47885102	7972.55	7241.50
February 2016	114.00	75.15	88292299	7600.45	6825.80
March 2016	93.35	77.05	58856256	7777.60	7035.10

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (with comparison of share price of the Bank with Sensex) are as under:

Month	BSE				
	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	Sensex	
				High (₹)	Low (₹)
April 2015	235.20	200.80	3769578	29094.61	26897.54
May 2015	216.80	183.50	7260137	28071.16	26423.99
June 2015	218.80	165.20	3979255	27968.75	26307.07
July 2015	189.00	155.15	4850005	28578.33	27416.39
August 2015	186.75	125.10	6916829	28417.59	25298.42
September 2015	139.75	121.45	6870982	26471.82	24833.54
October 2015	149.45	129.50	4039169	27618.14	26168.71
November 2015	157.50	130.30	6531108	26824.30	25451.42



बीएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	लेन देन किए गए शेयरों की संख्या	सेन्सेक्स	
				उच्च (₹)	निम्न (₹)
दिसम्बर 2015	157.10	131.00	4693485	26256.42	24867.73
जनवरी 2016	145.30	100.60	6438327	26197.27	23839.76
फरवरी 2016	113.80	75.30	13468035	25002.32	22494.61
मार्च 2016	93.25	77.00	9420243	25479.62	23133.18

	बीएसई	एनएसई
बंद मूल्य – 31.03.2016	91.65	91.65
बाजार पूंजीकरण – 31.03.2016 (₹ करोड़ में)	2945.61	2945.61

एनएसई (बीएसई बैंकेक्स के साथ बैंक के शेयर भाव की तुलना सहित) में मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन तथा खरीदे – बेचे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

एनएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	लेन देन किए गए शेयरों की संख्या	बैंकेक्स	
				उच्च (₹)	निम्न (₹)
अप्रैल 2015	235.30	200.35	34324795	21926.18	20361.25
मई 2015	216.85	183.30	58304093	21589.35	19797.98
जून 2015	218.95	165.05	37794462	21647.65	19711.27
जुलाई 2015	188.65	155.05	46885176	22068.70	20850.50
अगस्त 2015	186.80	125.10	58763807	21972.82	19090.53
सितम्बर 2015	139.85	121.30	48473886	20256.05	18009.10
अक्टूबर 2015	149.50	129.30	31781412	20592.32	19561.94
नवम्बर 2015	157.50	130.15	47687995	20008.88	18923.84
दिसम्बर 2015	157.25	131.00	33346790	20003.96	18473.93
जनवरी 2016	145.50	100.50	47885102	19497.90	16713.33
फरवरी 2016	114.00	75.15	88292299	17674.87	15224.26
मार्च 2016	93.35	77.05	58856256	18546.65	15921.52

8.12 पत्राचार हेतु पता

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग
कॉरपोरेट कार्यालय
दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 5,
सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुडगांव-122001 (हरियाणा)
दूरभाष नं: 0124-4126285 / 4176918
फैक्स नं: 0124-4126574
ईमेल: mbd@obc.co.in

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	Sensex	
				High (₹)	Low (₹)
Dec. 2015	157.10	131.00	4693485	26256.42	24867.73
January 2016	145.30	100.60	6438327	26197.27	23839.76
February 2016	113.80	75.30	13468035	25002.32	22494.61
March 2016	93.25	77.00	9420243	25479.62	23133.18

	BSE	NSE
Closing price - 31.03.2016	91.65	91.65
Market Capitalization - 31.03.2016 (₹ in crore)	2945.61	2945.61

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of the Bank with BSE Bankex) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	Volume of Shares Traded	Bankex	
				High (₹)	Low (₹)
April 2015	235.30	200.35	34324795	21926.18	20361.25
May 2015	216.85	183.30	58304093	21589.35	19797.98
June 2015	218.95	165.05	37794462	21647.65	19711.27
July 2015	188.65	155.05	46885176	22068.70	20850.50
August 2015	186.80	125.10	58763807	21972.82	19090.53
September 2015	139.85	121.30	48473886	20256.05	18009.10
October 2015	149.50	129.30	31781412	20592.32	19561.94
November 2015	157.50	130.15	47687995	20008.88	18923.84
December 2015	157.25	131.00	33346790	20003.96	18473.93
January 2016	145.50	100.50	47885102	19497.90	16713.33
February 2016	114.00	75.15	88292299	17674.87	15224.26
March 2016	93.35	77.05	58856256	18546.65	15921.52

8.12 Address For Correspondence

Oriental Bank of Commerce
Merchant Banking Department
Corporate Office
Second Floor, Plot No.5,
Sector – 32, Institutional Area,
Gurgaon – 122001 (Haryana)
Tel No(s): 0124-4126285 / 4176918
Fax No(s): 0124-4126574
Email: mbd@obc.co.in

8.13 31.03.2016 के अनुसार, बैंक के टीयर I एवं II बॉन्डों संबंधी डिबेंचर ट्रस्टी निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	श्रृंखला विवरण	डिबेंचर ट्रस्टी
1	8.50% निम्नतम टीयर II बांड*	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
2	9.25% उच्चतम टीयर II बांड	एशियन बिल्डिंग,
3	9.40% स्थाई टीयर I बांड	17, भूतल,
4	9.95% निम्नतम टीयर II बांड	आर. कमानी मार्ग,
5	8.75% उच्चतम टीयर II बांड	बल्लार्ड एस्टेट,
6	9.48% बासेल-III अनुपालक स्थाई टीयर I बांड	मुंबई - 400001 दूरभाष नं. 022-40807037
7	9.10% स्थाई टीयर I बांड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
8	9.05% स्थाई टीयर I बांड	दूसरा तल, एक्सिस हाउस,
9	8.68% उच्चतम टीयर II बांड	वाडिया इंटरनेशनल सेंटर,
10	8.93% निम्नतम टीयर II बांड	पांडुरंग बुधकर मार्ग,
11	9.20% बासेल-III अनुपालक टीयर II बांड	वरली, मुंबई - 400025 महाराष्ट्र
12	8.34% बासेल-III अनुपालक टीयर II बांड	दूरभाष नं. 022-24255227

*आज की तिथि के अनुसार, न्यूनतम टीयर-II बांड कम होकर 8.50% हो गया।

9. संचार साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी एवं अंग्रेजी), इकॉनॉमिक टाइम्स (हिन्दी एवं अंग्रेजी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किए गए। वित्तीय परिणाम तथा विश्लेषकों को की गई प्रस्तुति, सामान्य शेरधारक सूचना तथा शेरधारिता पैटर्न बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

10. घोषणा एवं प्रमाणपत्र

- सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियामक, 2015 के अनुसार सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों से वर्ष 2015-16 के लिए बैंक में कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी प्रमाणपत्र ले लिया गया है और यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।
- बैंक ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंध वर्ग के लिए आचार संहिता अपनाई है जो बैंक की वेबसाइट <http://www.obcindia.co.in> पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंध वर्ग ने समीक्षा वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि से संबंधित सर्टीफिकेट रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।
- बैंक ने बैंक की प्रतिभूतियों की भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए अपने निदेशकों, लेखापरीक्षकों और नामित कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता बनाई है।

8.13 The Debenture Trustees in respect of Bank's Tier I & II Bonds as on 31.03.2016 are:

Sr. No.	Series Particulars	Debenture Trustees	
1	8.50% Lower Tier II Bonds*	IDBI Trusteeship Services Limited Asian Building, 17, Gr. Floor, R. Kamani Marg Ballard Estate, Mumbai-400001 Phone no. 022-40807037	
2	9.25% Upper Tier II Bonds		
3	9.40% Perpetual Tier I Bonds		
4	9.95% Lower Tier II Bonds		
5	8.75% Upper Tier II Bonds		
6	9.48% Basel III Compliant Additional Tier I (Perpetual) Bonds		
7	9.10% Perpetual Tier I Bonds		Axis Trustee Services Limited 2nd Floor, Axis House Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli- Mumbai - 400025 Maharashtra Phone no. 022-24255227
8	9.05% Perpetual Tier I Bonds		
9	8.68% Upper Tier II Bonds		
10	8.93% Lower Tier II Bonds		
11	9.20% Basel III Compliant Tier II Bonds		
12	8.34% Basel III Compliant Tier II Bonds		

*8.50% lower Tier II Bonds stand redeemed as on date

9. Means of Communication

The quarterly, half-yearly & annual financial results of the Bank were published in Business Standard (Hindi & English) Economic Times (Hindi & English) Financial Express (English) and Jansatta (Hindi). The financial results as well as presentation made to analysts, general shareholder information and shareholding pattern are also displayed on Bank's website at <https://www.obcindia.co.in>.

10. DECLARATIONS AND CERTIFICATES

- In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance of the Bank for the year 2015-16 and the same is annexed to the Report.
- The certificate of CEO & CFO has been submitted to the Board of Directors and is annexed to this Report.
- The Bank has adopted a code of conduct for the Board of Directors and Senior Management, the text of which is available on the website of the Bank <https://www.obcindia.co.in>. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the year under review and a certificate affirming compliance is given at the end of report.
- The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors, Auditors and Designated employees for prevention of insider trading in Bank's securities.

11. प्रकटीकरण

- बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 द्वारा बैंक किसी निदेशक को या ऐसी किसी फर्म, जिसमें निदेशक हितबद्ध हैं या ऐसी किसी कम्पनी, जिसमें बैंककारी कम्पनी का कोई निदेशक-निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी या गारंटीदाता है या जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, को ऋण व अग्रिम दिए जाने का निषेध करती है। इसलिए बैंक का अपने निदेशकों, प्रबन्ध वर्ग, और / या रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ जिसके सामान्य तौर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है।
- आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने टीयर I / टीयर II पूंजी एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेख जारी किए हैं:

प्रलेख विवरण	जारी बांड्स/ शेयरों की संख्या	अभिदाता का नाम	जारी करने की तिथि	निर्गम मूल्य (₹ करोड़ में)	एकत्रित राशि (₹ करोड़ में)
बासेल III शिकायत टीयर II बांड्स	10000	विविध	26.10.2015	₹10 लाख प्रति बांड	₹1000.00 करोड़
₹10/- प्रति के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का अधिमानी आवंटन	21548758	भारतीय जीवन बीमा निगम	30.03.2016	₹82.79 प्रति शेयर	₹178.40 करोड़

बासेल III पूंजी विनियम के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को सशक्त करने हेतु टीयर – I एवं टीयर II पूंजी को बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से निधियां एकत्रित की गईं। एकत्रित की गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए तथा बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया।

- मंडल में महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति से संबंधित सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 17(1)(क) के गैर-अनुपालन हेतु एनएसई एवं बीएसई द्वारा दंड लगाया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी मामलों के संबंध में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर इसके अलावा कोई अर्थदंड/जुर्माना नहीं लगाया गया।
- 'जनहित प्रकटन तथा सूचना देने वाले का संरक्षण (पीआईडीपीआई) पर सेबी सूचीकरण विनियम तथा भारत सरकार के संकल्प के अनुसार बैंक ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है ताकि बैंक के हितधारकों के लिए अनैतिक व्यवहार, बैंक की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नियमों का उल्लंघन अथवा वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सूचित करने के लिए एक सतर्क पद्धति स्थापित की जा सके। व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/WBP.pdf> पर उपलब्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को बैंक की लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।
- बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम के अनुपालन में संबंधित पार्ट्टी लेन-देन पर एक नीति बनाई है, जो बैंक की वेबसाइट

11. DISCLOSURES

- Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949, prohibits grants of loans and advances by the bank to directors or to any firm in which the directors are interested or to any company of which any of the director of the Banking Company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management, and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.
- During the year under review, the Bank has issued the following instruments to raise the Tier-I / Tier-II capital:-

Instrument details	Number of Bonds/ Shares Issued	Name of Subscribers	Date of Issue	Issue Price	Amount Raised (₹ in crore)
Basel III Compliant Tier II Bonds	10000	Various	26.10.2015	₹10 Lakhs per Bond	₹1000.00 crore
Preferential Allotment of equity shares of face value of ₹10/-each	21548758	Life Insurance Corporation of India	30.03.2016	₹82.79 per share	₹178.40 crore

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I & II Capital for strengthening Capital Adequacy requirements of the Bank in terms of Basel III Capital Regulations. The capital raised was utilized to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank.

- A fine was imposed by NSE & BSE for non-compliance of Regulation 17(1)(a) of SEBI Listing Regulations w.r.t non-appointment of woman director on Board. No other penalties/strictures were imposed on the Bank by SEBI/ Stock Exchanges in respect of matters related to Capital Market during the last three years.
- In terms of the SEBI Listing Regulations and Government of India Resolution on "Public Interest Disclosures & Protection of Informer" (PIDPI) the Bank has framed a Whistle Blower Policy to establish a vigil mechanism for stakeholders to report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower Policy is available on the Bank's website at <https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/WBP.pdf> It is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee of Board.
- The Bank has formulated a Policy on Related Party Transactions in compliance with the SEBI Listing Regulations which is available on the Bank's website at

<https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/RPT%20Policy%20-%20September%202015%20review.pdf> पर उपलब्ध है। इस नीति का उद्देश्य सेबी के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में बैंक तथा इसके संबंधित पार्टियों के बीच हुए लेन-देन का उपयुक्त अनुमोदन तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा आईसीएआई के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के संबंधित पार्टियों लेन-देन 31.03.2016 के तुलन पत्र की अनुसूची 18 में लेखा टिप्पणियों में उजागर किए गए हैं।

6. कंपनी अभिशासन पर सेबी सूचीकरण विनियामक के बैंकिंग पर्यवेक्षण तथा प्रावधानों पर बासेल समिति द्वारा जारी कंपनी अभिशासन के सिद्धांतों पर आधारित बैंक ने कंपनी अभिशासन नीति तैयार की है।
7. निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/MainMenuEnglishLevel-2_DTP_03122015.pdf पर दिया गया है।
8. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस, जो भारत सरकार के परिपत्र सं० 15/1/2011-बीओ.-। दिनांक 18.10.2011 के अनुसार मंडल की प्रति बैठक ₹20,000. तथा समिति की प्रति बैठक ₹10,000 है, के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है।
9. वरिष्ठ प्रबन्ध वर्ग के महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिनमें उनका निजी हित निहित है और जिनसे समग्रतः बैंक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की सूचना समय-समय पर मंडल को दी गई है।
10. बैंक में यह एक सुस्थापित कार्यप्रणाली है कि निदेशक जब उनसे या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है, मंडल और मंडल की उप समिति के विचारविमर्श में भाग नहीं लेते हैं।
11. बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सांविधिक समय-सीमा के भीतर पात्र शेरधारकों को लाभांश का भुगतान किया।
12. विदेशी विनिमय जोखिम तथा वायदा कारोबार संबंधी प्रकटीकरण लेखा टिप्पणी में दिया गया है।
13. बैंक के बोर्ड में निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के उप-पैरा (2) से (10) की कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है। बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित एक कॉरपोरेट निकाय है। निदेशक मण्डल अधिनियम की धारा 9(3) के द्वारा संचालित होते हैं, जहां, शेरधारकों में से चयनित केन्द्र सरकार से इतर, तीन निदेशकों को छोड़कर, शेष सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित होते हैं। मण्डल की उपसमितियां भारतीय

<https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/RPT%20Policy%20-%20September%202015%20review.pdf>
The Policy intends to ensure proper approval and reporting of transactions between the Bank and its Related Parties pursuant to SEBI guidelines. The Related Party Transactions of the Bank as per RBI / ICAI guidelines are disclosed in the Notes to Accounts in Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2016.

6. The Bank has a Policy on Corporate Governance based on the Principles of Corporate Governance issued by the Basel Committee on Banking Supervision and provisions of the SEBI Listing Regulations on Corporate Governance.
7. Details of familiarisation programmes for Directors have been given on the Bank's website at https://www.obcindia.co.in/obcnew/upload/obc/MainMenuEnglishLevel-2_DTP_03122015.pdf
8. The remuneration of the MD & CEO and EDs is fixed by the Govt. of India. The Bank does not pay any remuneration to the non-executive directors except sitting fee fixed by Govt. of India which is ₹20000/- per Board Meeting and ₹10000/- per Committee meeting in terms of Govt. of India Circular No.15/1/2011-BO.I dated 20.07.2015
9. Material financial and commercial transactions of the Senior Management where they have personal interest that may have conflict with the interest of the Bank at large have been reported to the Board from time to time.
10. It is an established practice in the Bank that the directors do not take part in the deliberations of the Board and other sub-committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.
11. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory timeframe.
12. The disclosure as to foreign exchange risk & hedging activities is given under notes to accounts.
13. There is no inter se relationship amongst the Directors on the Board of the Bank.

The Bank has complied with the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI listing regulations. The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The composition of the Board of Directors is governed by Section 9(3) of the Act, wherein all the directors are appointed / nominated by Govt. of India except three directors elected from amongst the



रिजर्व बैंक/भारत सरकार/सेबी के दिशानिर्देशानुसार गठित की गई हैं। अतः इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 से 27 तथा 46(2)(बी) से (आई) में उल्लिखित अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है।

प्रकटन हेतु अनिवार्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 27(1) के गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:-

अपेक्षा	अनुपालन
मंडल : गैर-कार्यकारी अध्यक्ष इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाने और अपने कर्तव्यों के निर्वाह पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पाने का पात्र हो सकता है।	मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है, अतः यह अपेक्षा लागू नहीं होती।
शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी जा सकती है।	बैंक के तिमाही/छमाही पुनरीक्षित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत : सूचीबद्ध इकाई गैर-संशोधित लेखापरीक्षा अभिमत सहित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की दिशा में कदम उठा सकती है।	बैंक वित्तीय विवरणियों में गैर-संशोधित अभिमत को प्राप्त करने की दिशा में जोरदार प्रयास कर रहा है।
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अलग पद: सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को (क) अध्यक्ष और (ख) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद के रूप में विभाजित किया गया है।
आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बैंक की सभी शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। असाधारण रूप से बड़ी/उच्च जोखिम/विशेषीकृत शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति को भेजी जाती हैं। एसीई के कार्यवृत्त मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

shareholders, other than Central Government. Further, the constitution and scope of the sub-committees of Board is as per extant RBI / GOI and other applicable guidelines, as detailed in the report above. As such, the provisions of Companies Act, 2013 in this regard are not applicable to the Bank. The Bank has complied with all other Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 and 46(2) (b) to (i) of SEBI listing Regulations.

Besides the mandatory requirements for disclosure, the status of compliance of non-mandatory requirements of Regulation 27(1) of the SEBI Listing Regulations is furnished below:-

Requirement	Compliance
The Board: A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by Managing Director & CEO and as such this requirement is not applicable.
Shareholder's Rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Bank's Quarterly / Half yearly / Annual Financial results are displayed on the Bank's Website along with mandatory disclosure to Stock Exchanges. The same are also published in Newspapers.
Modified opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is continuously making efforts towards achieving unmodified opinion in the financial statements.
Separate posts of Chairman and CEO: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The post of Chairman and Managing Director has been split into a) Chairman and b) Managing Director and CEO.
Reporting of Internal Auditor: The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	The Risk Based Internal Audit of all the branches of the Bank is carried out by the Internal Auditors of the Bank. The Internal Audit Reports of the Exceptionally Large/High Risk/ Specialized Branches are submitted to Audit Committee of Executives. The Minutes of ACE are placed before Audit Committee of Board for information

13. कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, बैंक अपनी सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता है। बैंक ने जनता से निधियां प्राप्त की हैं और इसमें जनहित की भावना निहित है, जो न केवल शेयरधारकों हेतु बल्कि पूरे समाज, जो इसके हितधारक हैं, को भी उत्तरदायी बनाता है।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है :-

- कारोबार के संचालन में नैतिक व्यवहार
- कर्मचारियों का कल्याण तथा कौशल बढ़ाना/विकास करना
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति पहल करना
- वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना
- समाज कल्याण योजनाओं आदि के माध्यम से वित्तीय लाभ का संवितरण

अभी तक यथासंशोधित, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 34 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2016-17 से कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : गुडगाँव
दिनांक : 11.05.2016

(अनिमेष चौहान)
प्रबन्ध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

शेयरधारक,

निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता से संबंधित प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेबी सूचीकरण विनियम के अनुसार बैंक के सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है, जो भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित आचार संहिता के समान है। मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(अनिमेष चौहान)
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

13. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

The Bank being a listed entity is fully aware of its Social, Environmental and Economic Responsibilities. Bank has accessed funds from the public and has an element of public interest involved which makes it accountable not only to the shareholders but also to the society as a whole, which is also its stakeholder.

The Bank is committed to:-

- Ethical practices in the conduct of business
- Welfare of Employees and skill enhancement / development
- taking initiatives towards Corporate Social Responsibility
- Promoting inclusive growth through financial inclusion
- Disbursal of financial benefits through Social Welfare Schemes etc.

The Business Responsibility Report shall form part of Bank's Annual Report w.e.f. FY 2016-17 in terms of Regulation 34 of SEBI Listing Regulations, as amended till date.

For and on behalf of Board of Directors

Place: Gurgaon
Date:11.05.2016

(ANIMESH CHAUHAN)
Managing Director & CEO

The Shareholders,

CERTIFICATE RELATED TO CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

This is to certify that pursuant to the SEBI Listing Regulations, the Code of Conduct has been laid down for all the Board Members and Senior Management of the Bank which is in line with the Code of Conduct framed by Indian Bank's Association. The Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Bank's code of conduct for the year 2015-16.

(ANIMESH CHAUHAN)
Managing Director & CEO



सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियम 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ एवं
सीएफओ प्रमाणपत्र

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations 2015

निदेशक मंडल
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
नई दिल्ली

The Board of Directors
Oriental Bank of Commerce
New Delhi

यह प्रमाणित किया जाता है कि

This is to certify that

- क) हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों तथा नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- (i) इन विवरणियों में कोई वास्तविक असत्य कथन नहीं हैं या वास्तविक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन नहीं हैं जो गुमराह करते हों।
- (ii) ये विवरणियां एक साथ बैंक के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्रण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के अनुसार है।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान कुल 117 मामलों को छोड़कर ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए गए जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रक पद्धति की प्रभावात्मकता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा अथवा कार्यचालन में कमी यदि कोई हो, जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या प्रस्ताव करते हैं, को लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकट कर दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नानुसार सूचित कर दिया है :
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन ;
- (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उन्हें वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा
- (iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों जिसकी हमें जानकारी हो गई है, के उदाहरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक की आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंध वर्ग या किसी कर्मचारी का उसमें लिप्त होना।

- a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2016 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct, other than 117 cases.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:-
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दिनांक : 11.05.2016

Chief Financial Officer
Dated 11.05.2016

Managing Director & CEO

कॉरपोरेट अभिशासन के संबंध में लेखापरीक्षकों
का प्रमाण पत्र

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE
GOVERNANCE

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सदस्य,

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यथाविनिर्दिष्ट, कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह बैंक के वित्तीय विवरणियों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उसके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 17(1) के अतिरिक्त उपर्युक्त सेबी सूचीकरण विनियम 2015 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो बैंक के मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति की शर्त तथा कम से कम आधे निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक होने से संबंधित है। तथापि, यहां यह बताना आवश्यक है कि बैंककारी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) तथा (3-क) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.04.2016 से सुश्री माला श्रीवास्तव को अंशकालीन गैर-कार्यकारी निदेशक नामित किया है।

हमारा कथन है कि शेरधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेशक की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है जो एक माह से अधिक समय से लंबित हो।

हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति, न ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंध वर्ग ने बैंक के कार्यों का संचालन किया, के प्रति एक आश्वासन है।

To the Members of Oriental Bank of Commerce

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance for the year ended 31st March, 2016 as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned SEBI Listing Regulations, 2015 except Regulation 17(1) of the SEBI Listing Regulations relating to the condition of appointment of atleast one woman director on the Board of the Bank and that atleast half of the Board of Directors should comprise of independent directors. However, it is pertinent to mention here that Government of India has nominated Ms. Mala Srivastava as Part-time Non-Official Director under sub-section 3(h) and (3-A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/80 on the Board of the Bank, w.e.f. 25.04.2016.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते ए. बाफना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003660सी

For A. BAFNA & CO.
Chartered Accountants
FRN 003660C

(अनिल बाफना)
भागीदार
सदस्य सं. 071288

(Anil Bafna)
Partner
M. No. 071288

कृते लुनावत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000629एन

For LUNAWAT & CO.
Chartered Accountants
FRN 000629N

(रमेश कु. भाटिया)
भागीदार
सदस्य सं. 080160

(Ramesh K. Bhatia)
Partner
M. No. 080160

कृते वी. के. ढिंगरा. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन

For V. K. DHINGRA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000250N

(विपुल गिरोत्रा)
भागीदार
सदस्य सं. 084312

(Vipul Girotra)
Partner
M. No. 084312

कृते सुदित के पारीख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 110512 डब्ल्यू

For SUDIT K. PAREKH & CO.
Chartered Accountants
FRN 110512W

(दुर्गाप्रसाद एस. खत्री)
भागीदार
सदस्य सं. 016316

(Durgaprasad S. Khatri)
Partner
M. No. 016316

कृते वी. के. लढा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002301सी

For V. K. LADHA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002301C

(वी. के. लढा)
भागीदार
सदस्य सं. 071501

(V K Ladha)
Partner
M. No. 071501

स्थान : गुडगाँव

दिनांक : 11 मई, 2016

Place : Gurgaon

Dated : 11th May, 2016



31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

अनुसूची Schedule	31.03.2016 को As on 31.03.2016 चालू वर्ष (Current Year)	31.03.2015 को As on 31.03.2015 पिछले वर्ष (Previous Year)	
पूंजी और दायित्व/CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी/Capital	1	321,39,75	299,84,87
शेयर आबंटन के लिए लंबित आवेदन राशि/ Share Application Money pending allotment	1A	300,00,00	0
आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि/Reserves & Surplus	2	14619,74,60	13479,49,76
निक्षेप/Deposits	3	208914,81,68	204009,69,57
उधार/Borrowings	4	7897,41,61	6545,01,54
अन्य दायित्व और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	5488,16,82	6179,51,91
कुल/Total		237541,54,46	230513,57,65
अस्तियां/ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	9432,88,22	10188,38,21
बैंकों में अधिशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि Balances with Banks and Money at Call & Short Notice	7	529,54,72	587,42,34
विनिधान/Investments	8	65657,83,81	62038,70,54
अग्रिम/Advances	9	148879,98,91	145261,30,20
स्थायी आस्तियां/Fixed Assets	10	2271,90,14	1352,53,11
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	10769,38,66	11085,23,25
कुल/Total		237541,54,46	230513,57,65
आकस्मिक दायित्व/Contingent Liabilities	12	40369,62,88	49449,03,80
संग्रहण हेतु बिल/Bills for Collection		9293,14,69	11653,97,38
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
लेखा टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न भाग है।

Schedules 1 to 18 form an integral Part of the Accounts.

महेश धवन
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Mahesh Dhawan
Dy.General Manager(Accounts)

सीएचएसएस मल्लिकार्जुन राव
महाप्रबंधक (लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
CH SS Mallikarjuna Rao
General Manager (Accounts) & CFO

राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Rajkiran Rai G.
Executive Director

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Animesh Chauhan
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक
DIRECTORS

(एस गणेश कुमार)
(S Ganesh Kumar)

(अशोक कुमार शर्मा)
(Ashok Kumar Sharma)

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
(Dinesh Kumar Agrawal)

(देश दीपक खेत्रपाल)
(Desh Deepak Khetrapal)

(किंग्शुक भट्टाचार्य)
(Kingshuk Bhattacharya)

(नरेन्द्र जे कोटियावाला)
(Narendra J Kotiawala)

(माला श्रीवास्तव)
(Mala Srivastava)

स्थान/Place : गुर्गांव/Gurgaon

दिनांक/Dated : 11 मई, 2016/11th May, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

अनुसूची Schedule	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
I. आय/INCOME		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	20058,71,03
अन्य आय / Other Income	14	1766,28,19
कुल/Total	21824,99,22	22082,77,69
II. व्यय/EXPENDITURE		
अपचित ब्याज / Interest Expended	15	14684,14,43
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	3458,77,90
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		3525,99,07
कुल/Total	21668,91,40	21305,27,42
III. अपवाद स्वरूप मद से पूर्व वर्ष का निवल लाभ/NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE EXCEPTIONAL ITEM	156,07,82	777,50,27
घटाएं: अपवादस्वरूप मद {नोट सं.09 (ग) देखें} / Less: Exceptional Item {Refer note no.9(c)}	0	280,42,74
अपवादस्वरूप मद पश्चात वर्ष का निवल लाभ / Net Profit for the year after exceptional item	156,07,82	497,07,53
आगे ले जाया गया लाभ / Add: Profit brought forward	14,45	96,50
विनिधान भत्ता आरक्षित निधि / Investment Reserve	42,26,02	0
कुल/Total	198,48,29	498,04,03
IV. विनियोजन/ APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	40,00,00	124,00,00
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Revenue & Other Reserves	0	3,00,00
विनिधान आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Investment Reserve Account	0	53,80,18
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Special Reserves	112,00,00	198,00,00
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	187617	0
अंतरिम लाभांश / Interim Dividend	0	0
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend	22,49,78	98,95,01
लाभांश पर कर / Tax on Dividend	4,58,00	20,14,39
तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष / Balance Carried over to Balance Sheet	64,34	14,45
कुल/Total	198,48,29	498,04,03
प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share	5.20	16.58
मूल और ह्रासित (₹ में) / Basic & Diluted (In ₹)		

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date annexed.

कृते ए बाफना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003660सी
For A Bafna & Co
Chartered Accountants
FRN 003660C

कृते लुनावत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000629एन
For Lunawat & Co
Chartered Accountants
FRN 000629N

कृते वी. के. धिंगरा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन
For V. K. Dhingra & Co.
Chartered Accountants
FRN 000250N

कृते सुदित कु. पारेख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 110512डब्ल्यू
For Sudit K. Parekh & Co.
Chartered Accountants
FRN 110512W

कृते वी. के. लड़ा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002301सी
For V. K. Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

(अनिल बाफना)
भागीदार
सदस्य सं. 071288
(Anil Bafna)
Partner
M.No.071288

(रमेश कु. भाटिया)
भागीदार
सदस्य सं. 080160
(Ramesh K. Bhatia)
Partner
M.No. 080160

(विपुल गिरोत्रा)
भागीदार
सदस्य सं. 084312
(Vipul Girotra)
Partner
M.No.084312

(दुर्गाप्रसाद एस खत्री)
भागीदार
सदस्य सं. 016316
(Durgaprasad S. Khatri)
Partner
M.No.016316

(वी. के. लड़ा)
भागीदार
सदस्य सं. 071501
(V. K. Ladha)
Partner
M.No.071501



(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31.03.2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 1 / SCHEDULE 1:		
पूंजी/CAPITAL		
अधिकृत पूंजी/AUTHORISED CAPITAL	3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL	321,39,75	299,84,87
₹10/-प्रत्येक के 29,98,48,743 (पिछले वर्ष 29,98,48,743) इक्विटी शेयर [इसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित 17,73,09,043 (पिछले वर्ष 17,73,09,043) शामिल हैं]/ 32,13,97,501 (Previous Year 29,98,48,743) equity shares of ₹ 10/- each [Includes 17,73,09,043 (Previous year 17,73,09,043) held by the Central Govt.]		
कुल/Total	321,39,75	299,84,87
अनुसूची 1ए / SCHEDULE 1A		
शेयर के आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि / Share Application Money Pending Allotment [नोट संख्या 6(II) देखें] / [Refer note no. 6(II)]	300,00,00	0
अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि/SCHEDULE 2: RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि/ STATUTORY RESERVES		
अथशेष/Opening Balance	3423,00,00	3299,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	40,00,00	124,00,00
कुल/Total	3463,00,00	3423,00,00
II पूंजी आरक्षित निधि/CAPITAL RESERVES		
क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि/a) REVALUATION RESERVE		
अथशेष/Opening Balance	621,89,70	651,31,66
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	929,99,85	0
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन अंश के प्रति तथा पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की बिक्री के कारण हुए प्रत्यावर्तन पर मूल्यहास)/Deductions during the year (being depreciation on revalued portion of property & reversals on account of sale of revalued assets)	44,62,79	29,41,96
कुल (क)/Total (a)	1507,26,76	621,89,70
ख) अन्य / b) Others		
अथशेष/Opening Balance	571,68,59	571,68,59
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	18,76,16	0
कुल (ख)/Total (b)	590,44,75	571,68,59
कुल (क+ख)/Total (a+b)	2097,71,51	1193,58,29
III शेयर प्रीमियम/SHARE PREMIUM		
अथशेष/Opening Balance	3555,38,94	3555,38,94
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	156,85,34	0
कुल /Total	3712,24,28	3555,38,94
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां/REVENUE & OTHER RESERVES		
क) राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां/a) Revenue & Other Reserves		
अथशेष/Opening Balance	3780,57,90	3777,46,48
वर्ष के दौरान वृद्धि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से अंतरण सहित)/ Additions during the year (including transfer from revaluation reserve)	0	3,11,42
वर्ष के दौरान कटौतियां/Deductions during the year	30,97,60	0
कुल (क)/Total (a)	3749,60,30	3780,57,90
ख) विनिधान आरक्षित निधि लेखा/b) Investment Reserve Account		
अथशेष/Opening Balance	53,80,18	0
वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कटौती (-)/Additions(+)/drawdown(-) during the year	-42,26,01	53,80,18
कुल (ख)/Total (b)	11,54,17	53,80,18
ग) आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/ c) Special Reserve u/s 36(1) (viii) of I-T Act		
अथशेष/Opening Balance	1473,00,00	1275,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि/Additions during the year	112,00,00	198,00,00
कुल (ग)/Total (c)	1585,00,00	1473,00,00
कुल (क+ख+ग)/Total (a+b+c)	5346,14,47	5307,38,08
V. लाभ एवं हानि खाते में अथशेष/BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	64,34	14,45
कुल (I,II,III, IV एवं V)/TOTAL (I,II,III, IV & V)	14619,74,60	13479,49,76

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 3/SCHEDULE 3:		
निक्षेप/DEPOSITS		
क I. मांग निक्षेप/A. I. Demand Deposits		
i) बैंकों से/i) From Banks	96,95,75	29,70,64
ii) अन्यो से/ii) From Others	12724,09,53	12809,82,68
	12821,05,28	12839,53,32
II. बचत बैंक निक्षेप/II. Saving Banks Deposits*	39869,19,67	36525,54,76
III. आवधिक निक्षेप/III. Term Deposits		
i) बैंकों से/i) From Bank	105,31,67	29,31,65
ii) अन्यो से/ii) From Others	156119,25,06	154615,29,84
	156224,56,73	154644,61,49
कुल (I, II एवं III)/Total (I, II & III)	208914,81,68	204009,69,57
ख i) भारत में शाखाओं का निक्षेप/ B. i) Deposits of Branches in India	208914,81,68	204009,69,57
ii) भारत से बाहर शाखाओं का निक्षेप/ii) Deposits of Branches outside India	-	-
कुल/Total	208914,81,68	204009,69,57

अनुसूची 4/SCHEDULE 4:

उधार/BORROWINGS

I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/i) Reserve Bank of India	0	0
ii) अन्य बैंक/ii) Other Banks	747,08,40	1018,24,56
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेन्सियां/iii) Other Institutions and Agencies	6587,16,46	4558,01,98
कुल/Total	7334,24,86	5576,26,54
II. भारत के बाहर से उधार/Borrowings Outside India	563,16,75	968,75,00
कुल (I एवं II)/Total (I & II)	7897,41,61	6545,01,54

प्रतिभूति उधार (I और II में सम्मिलित) / Secured Borrowings (Included in I and II)

* ₹1350.00 करोड़ रुपये के बेमियादी ऋण लिखत (टीयर I बॉण्ड) (पिछले वर्ष ₹1350.00 करोड़) तथा ₹5225.00 (पिछले वर्ष ₹4225.00 करोड़) के ऋण पूंजी लिखत (टीयर II बॉण्ड) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उधार के अंतर्गत रखे गए हैं।

* Perpetual Debt Instruments (Tier I Bonds) ₹1350.00 crore (Previous year ₹1350.00 crore) and Debt Capital Instruments (Tier II Bonds) amounting to ₹ 5225.00 crore (Previous year ₹ 4225.00 crore) classified under Borrowing as per RBI guidelines.

बेमियादी लिखतों में बासले III अनुपालक टीयर II बॉण्ड के रूप में जारी ₹500.00 करोड़ शामिल है जबकि ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II बॉण्ड) में बासले III अनुपालक टीयर II बॉण्ड के रूप में जारी ₹2000.00 करोड़ शामिल है।

The Perpetual Debt instruments includes ₹ 500 crore issued as Basel III Compliant Additional Tier I Bonds while Debt Capital Instruments (Tier II Bonds) includes ₹ 2000.00 crore issued as Basel III Compliant Tier II Bonds."

बचत जमा राशियों पर ₹367.58 करोड़ की राशि का उपचित ब्याज शामिल है। (पिछले वर्ष ₹334.28 करोड़)

* Includes Interest on Saving Bank deposits amounting to ₹ 367.58 crore (Previous year ₹ 334.28 crore) .



(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--	--

अनुसूची 5/SCHEDULE 5:

अन्य दायित्व एवं प्रावधान/OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल/Bills Payable	50,22,81	61,26,13
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (net)	554,35,36	548,39,90
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	348,23,16	274,13,56
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)/Others (Including Provisions)	4535,35,49	5295,72,32
कुल/Total	5488,16,82	6179,51,91

अनुसूची 6/SCHEDULE 6:

**नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes)	694,73,81	638,18,12
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष Balance with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में /i) In Current Account	8738,14,41	9550,20,09
ii) अन्य खातों में /ii) In other Accounts	-	-
कुल (I एवं II)/Total (I & II)	9432,88,22	10188,38,21

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--

अनुसूची 7/SCHEDULE 7:

**बैंकों के पास अधिशेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**

I. भारत में/IN INDIA

i) बैंकों के पास अधिशेष/Balances with Banks

क) चालू खातों में

a) In Current Accounts

65,82,73

74,75,52

ख) अन्य निक्षेप खातों में

b) In other Deposit Accounts

200,00,00

0

ii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि/Money at Call & Short Notice

क) बैंकों में

a) With Banks

0

350,00,00

ख) अन्य संस्थाओं में

b) With Other Institutions

0

0

कुल (i एवं ii)/Total (i & ii)

265,82,73

424,75,52

II भारत से बाहर/OUTSIDE INDIA

i) चालू खातों में

In Current Accounts

98,08,24

162,66,82

ii) अन्य निक्षेप खातों में

In Other Deposit Accounts

0

0

iii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

Money at Call & Short Notice

165,63,75

0

कुल (i, ii एवं iii)/Total (i, ii & iii)

263,71,99

162,66,82

कुल जोड़ (I एवं II)/Grand Total (I & II)

529,54,72

587,42,34



(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--	--

अनुसूची 8 / SCHEDULE 8:

विनिधान/INVESTMENTS

क. I./A. I. भारत में विनिधान/Investment in India in

i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	50328,30,00	51811,86,07
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	15,00	15,00
iii) शेयर Shares	828,43,77	703,75,06
iv) डिबेंचर और बांड Debentures & Bonds	7701,71,36	4167,45,83
v) सहयोगी संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	218,50,00	218,50,00
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एवं म्युचुअल फंड के यूनिट)* Others (Commercial paper, Indira Vikas Patras, Units of UTI & Mutual Funds)*	6580,73,68	5136,98,58

कुल/Total

65657,83,81

62038,70,54

II. भारत से बाहर विनिधान/Investments Outside India

-

-

कुल जोड़ (I एवं II)/Grand Total (I & II)

65657,83,81

62038,70,54

ख./B. क) भारत में कुल विनिधान/a) Gross Investments in India

65804,99,61

62072,88,47

घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधान

Less : Provisions for depreciation

147,15,80

34,17,93

निवल विनिधान/Net Investments

65657,83,81

62038,70,54

ख) भारत से बाहर विनिधान/b) Investments outside India

-

-

*With effect fom 01.04.2015, the RIDF amount stand transferred from 'Investments' to 'Other Assets' as per RBI guidelines. The figures for previous financial year have been regrouped to exclude RIDF amounting to ₹ 6401.74 crore from investments.

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

		31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
अनुसूची 9/SCHEDULE 9:			
अग्रिम/ADVANCES			
क)/A)	i) खरीदे गए एवं मितीकाटे पर दिए गए बिल Bills Purchased and Discounted	1548,44,18	2145,20,59
	ii) मांग पर देय नकदी उधार, ओवरड्राफ्ट एवं ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	65975,47,83	59724,14,95
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	81356,06,90	83391,94,66
	कुल/Total	148879,98,91	145261,30,20
ख)/B)	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों के प्रति दिए गए अग्रिमों सहित) Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	132074,91,08	129463,17,82
	ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित Covered by Banks/Govt. Guarantees	3903,49,79	6758,23,50
	iii) अप्रतिभूत Unsecured	12901,58,04	9039,88,88
	कुल/Total	148879,98,91	145261,30,20
ग)/C)	I. भारत में अग्रिम Advances in India		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	55844,24,74	50841,54,60
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	8505,11,07	12746,46,18
	iii) बैंक Banks	5,85	0
	iv) अन्य Others	84530,57,25	81673,29,42
	कुल/Total	148879,98,91	145261,30,20
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances Outside India	-	-
	कुल जोड़ ग (I एवं II)/Grand Total C (I & II)	148879,98,91	145261,30,20



(₹ हजार में / ₹ in thousands)

31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--

अनुसूची 10/SCHEDULE 10:

स्थायी आस्तियां/FIXED ASSETS

I. परिसर/Premises

पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	1242,05,43	1155,13,38
वर्ष के दौरान वृद्धि	970,60,33	87,08,84

Additions during the year (including addition on account of revaluation of ₹ 929,99,85 thousand during the year 2015-16)

वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	-50,00	-16,79
--	--------	--------

उप-जोड़/Sub-total	2212,15,76	1242,05,43
--------------------------	-------------------	-------------------

घटाएं: अद्यतन अवक्षयण Less: Depreciation to date	405,00,69	344,04,95
---	-----------	-----------

जोड़िए: चल रहा निर्माण कार्य Add: Construction work in Progress	24,90,24	10,14,89
--	----------	----------

I का कुल /Total of I	1832,05,31	908,15,37
-----------------------------	-------------------	------------------

II. अन्य स्थायी आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)

Other Fixed Assets (Including Furnitures & Fixtures)		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	1426,06,48	1217,47,54

वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	138,33,65	235,63,20
---	-----------	-----------

वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	26,17,39	27,04,26
--	----------	----------

अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	1098,37,91	981,68,74
--	------------	-----------

II का कुल/Total of II	439,84,83	444,37,74
------------------------------	------------------	------------------

जोड़ (I एवं II) Total (I & II)	2271,90,14	1352,53,11
---	-------------------	-------------------

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31-03-2016 को As on 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31-03-2015 को As on 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--	--

अनुसूची 11/SCHEDULE 11:

अन्य आस्तियां/OTHER ASSETS

i) उपचित ब्याज/Interest Accrued	1422,13,81	1449,73,43
ii) स्रोत पर काटा गया कर / वसूली योग्य आय कर Tax deducted at source/Income Tax Recoverable	2432,50,52	2005,91,43
iii) लेखन सामग्री और टिकट Stationery and Stamps	1,09,91	2,13,75
iv) गैर-बैंककारी आस्तियां, जो दावों की तुष्टि में अर्जित की गई हैं Non-banking Assets acquired in satisfaction of claims	30,38,91	30,38,91
v) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	0	0
vi) अन्य/Others *	6883,25,51	7597,05,73
कुल/Total	10769,38,66	11085,23,25
* इसमें स्टाफ को बिना ब्याज दिए ऋण तथा अग्रिम शामिल है। * Includes non-interest bearing loans and advances to staff	2,46	1,94

अनुसूची 12/SCHEDULE 12:

आकस्मिक देयताएं/CONTINGENT LIABILITIES

I बैंक के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकृत न हुए दावे (अपील, संदर्भ आदि के तहत विवादास्पद आयकर और ब्याज कर दायित्व सहित) Claims against the bank not acknowledged as debts (Including disputed Income tax and Interest tax liability under Appeal, Reference etc.) [संदर्भ: लेखा टिप्पणी – बिन्दु सं. 15 (त)] [Refer `Notes to Accounts-point no.15 (I)']	3281,21,14	2463,44,96
II अंशतः प्रदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liabilities for partly paid investments	0	0
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	9895,15,30	19804,26,94
IV ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
क) भारत में/ a) In India	14102,56,51	13433,63,02
ख) भारत से बाहर/ b) Outside India	2605,98,09	2162,65,45
V स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	10006,39,14	11576,66,53
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the bank is contingently liable	478,32,70	8,36,90
कुल/Total	40369,62,88	49449,03,80



(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	---	---

अनुसूची 13 /SCHEDULE 13:

अर्जित ब्याज/INTEREST EARNED

i) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज /मितीकाटा Interest/Discount on Advances/Bills	14794,05,75	15144,99,25
ii) विनिधान पर आय Income on Investments	4774,99,24	4315,66,50
iii) भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेषों और अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and inter-Bank funds	54,72,79	94,60,56
iv) अन्य/Others	434,93,25	406,11,74
कुल/Total	<u>20058,71,03</u>	<u>19961,38,05</u>

अनुसूची 14 /SCHEDULE 14:

अन्य आय/OTHER INCOME

I कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, Exchange & Brokerages	900,47,25	910,79,21
II विनिधानों की बिक्री पर लाभ Profit on Sale of Investments	501,71,54	621,44,65
घटाएं: विनिधानों की बिक्री हानि Less: Loss on Sale of Investments	16,79,45	7,93,49
	<u>484,92,09</u>	<u>613,51,16</u>
III विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएं: विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
IV स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on Sale of Fixed Assets	10,91,41	96,84
घटाएं: स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Fixed Assets	59,73	88,45
	<u>10,31,68</u>	<u>8,39</u>
V विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) (इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन पर लाभ के संबंध में ₹11988.53 लाख गत वर्ष ₹16307.05 लाख शामिल हैं) Profit on Exchange Transactions (Net) (Including ₹10492.39 Lac-Previous year ₹11988.53 lac on account of profit on valuation of Foreign Currency Assets & Liabilities)	106,00,94	120,10,47
VI विविध आय Miscellaneous Income	264,56,23	476,90,41
कुल/Total	<u>1766,28,19</u>	<u>2121,39,64</u>

(₹ हजार में / ₹ in thousands)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	---	---

अनुसूची 15:/SCHEDULE 15:

अपचित ब्याज/INTEREST EXPENDED

I	निक्षेपों पर ब्याज Interest on Deposits	14050,67,39	14302,57,11
II	भारतीय रिजर्व बैंक एवं अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India and inter-Bank Borrowings	39,86,30	139,10,06
III	अन्य/Others	593,60,74	435,51,28
	कुल/Total	<u>14684,14,43</u>	<u>14877,18,45</u>

अनुसूची 16:/SCHEDULE 16:

परिचालन व्यय/OPERATING EXPENSES

I	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provision for employees	2031,67,66	1637,45,59
II	भाड़ा, कर और रोशनी Rent, Taxes & Lighting	332,45,47	312,57,57
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing & Stationery	31,02,81	33,62,05
IV	विज्ञापन और प्रचार Advertisement & Publicity	18,16,00	26,18,10
V	बैंक की संपत्ति पर अवक्षयण/परिशोधन Depreciation/Amortisation on Bank's Property	200,19,58	190,35,03
	घटाएं: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित Less: Adjusted with Revaluation Reserve	<u>44,33,84</u>	<u>21,29,51</u>
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे Directors' fees, allowances and expenses	50,44	95,57
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fee and expenses (including Branch Auditors)	24,07,59	20,57,55
VIII	विधि प्रभार/Law Charges	25,53,81	30,20,67
IX	डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/Postage, Telegram, Telephones etc.	53,88,29	43,40,10
X	मरम्मत एवं रखरखाव/Repairs & Maintenance	64,99,61	52,69,65
XI	बीमा/Insurance	210,28,19	171,41,02
XII	अन्य व्यय/Other Expenditure	510,32,29	480,38,96
	कुल/Total	<u>3458,77,90</u>	<u>2978,52,35</u>

अनुसूची-17**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां****1 तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत अवधारणा तथा लेखांकन के उपाय आधार के तहत तैयार की गई हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो तथा सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हो और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत हो। यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (RBI) के अनुकूल है जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियां तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

2 प्राक्कलन का उपयोग

प्रबंध वर्ग को वित्तीय विवरणियां तैयार करने में प्राक्कलन तथा धारणाएं करनी होती है जो वित्तीय विवरणियों की तारीख को आरिस्त व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की यथासूचित राशि में और रिपोर्टिंग अवधि के लिए यथासूचित आय व व्यय में लिए जाते हैं। प्रबंध वर्ग का विश्वास है कि वित्तीय विवरणियां तैयार करने में प्रयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण तथा सुसंगत हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन प्राक्कलन में कोई संशोधन, वर्तमान तथा भावी अवधि में प्रत्याषित प्रभाव से माना जाता है।

3 राजस्व मान्यता

3.1 राजस्व और व्यय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है किन्तु प्राप्त/प्रदत्त कमीशन, लॉकर किराया, वाद दायर खातों पर कानूनी व्यय और इनमें हुई वसूली, विनिधान पर लाभांश, अतिदेय बिलों पर ब्याज, आवास ऋणों पर प्रदत्त बीमा प्रीमियम तथा ब्याज की कर-वापसी की वसूली/भुगतान आधार पर हिसाब में लिया गया है।

3.2 गैर-निष्पादनकारी आरिस्तियों/विनिधानों के मामले में आय के संग्रहण की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसी आय को वसूली होने पर ही हिसाब में लिया जाता है।

3.3 अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का प्राक्कलन बचत बैंक दर पर किया गया है और शेष को नवीकरण के समय हिसाब में लिया गया है।

4 विनिधान

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के विनिधानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

- परिपक्वता तक धारित (परिपक्वता तक धारित किए जाने हेतु आशयित विनिधान)
- व्यापार हेतु धारित (अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर बिक्री हेतु धारित विनिधान)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्गीकृत न किए गए विनिधान)

SCHEDULE -17**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. BASIS OF PREPARATION**

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with statutory provisions and generally accepted accounting principles. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Banking Regulation Act, 1949 Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods

3. REVENUE RECOGNITION

3.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis except commission received / paid, locker rent, legal expenses for suit filed accounts and recoveries there against, dividend on investments, interest on overdue bills, insurance premium paid on Housing Loans and interest on tax refunds are accounted for on realization/payment basis.

3.2 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.

3.3 Interest on overdue deposits is provided for at the Saving Bank Deposit Rate and the balance is accounted for at the time of renewal.

4. INVESTMENTS

4.1 In accordance with RBI guidelines, investments are classified into three categories.

- Held to Maturity (*Investments intended to be held till maturity*)
- Held for Trading (*Investments held for sale within 90 days from the date of acquisition*)
- Available for Sale (*Investments not classified in (i) and (ii) above*)

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटीकरण हेतु, विनिधानों को निम्नलिखित 6 शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड (ड) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा (च) अन्य।

4.2 मूल्यांकन:

i) परिपक्वता तक धारित:

- क. 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत विनिधानों को अभिग्रहण लागत अथवा यदि अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम मूल्य पर लिया गया हो तो परिशोधित लागत पर लिया गया है। जहां बही मूल्य, अंकित मूल्य/प्रतिदेय मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया।
- ख. संयुक्त उद्यम में विनिधानों को, अस्थायी स्वरूप के विनिधानों को छोड़कर, रखाव लागत घटा मूल्य में हास, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।
- ग. जोखिम पूंजी में विनिधान रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

ii) बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित

1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	स्थायी आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव संघ (एफ.आई. एम.एम.डी.ए.) द्वारा दी गई कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
2.	राज्य विकास ऋण /अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	फिमडा के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय के आधार पर
3.	राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा-प्रमाण पत्र	रखाव लागत पर
4.	ईक्विटी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए :जहां नवीनतम तुलन.पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, ब्रेक-अप मूल्य (अर्थात् अमूर्त आस्तियां तथा आरक्षित निधियों का पुनर्मूल्यांकन द्वारा कम किए हुए ईक्विटी पूंजी तथा आरक्षित पूंजी को ईक्विटी शेयरों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त) पर अन्यथा प्रति कम्पनी 1/-रुपए
5.	अधिमानी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : फिमडा के मार्गनिर्देश के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय पर
6.	डिबेंचर/बाण्ड	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए :रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर परिपक्वता पर उपयुक्त आय पर
7.	म्यूचुअल फंड के यूनिट	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए :पुनर्खरीद मूल्य/निवल आस्ति मूल्य पर

However, for disclosure in the Balance Sheet, Investments are classified under the following six heads. (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures and Bonds (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

4.2 Valuation:

i) Held to Maturity: -

- a. Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost or amortized cost if acquired at a premium over face value. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- b. Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.
- c. Investment in venture capital is valued at carrying cost

ii) Available for Sale and Held for Trading

1.	Government of India Securities	At market prices as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
2.	State Development Loans /Other Approved Securities	At appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
3.	Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits	At carrying cost
4.	Equity Shares	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At break-up value(means Equity Capital and Reserves as reduced by Intangible Assets and Revaluation Reserves divided by number of equity shares), where latest balance sheet is available (Not more than one year old), otherwise at Re. 1/-per company
5.	Preference Shares	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: On appropriate yield to maturity as per FIMMDA guidelines
6.	Debentures / Bonds	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity based on rating assigned by Rating Agencies as per FIMMDA guidelines
7.	Units of Mutual Funds	(i) Quoted: At market price (ii) Unquoted: At repurchase price/ Net Asset Value

8.	असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी/एसआर) की प्रतिभूति रसीदें	एआरसी/एसआर में निवेश के मामले में एआरसी/एसआर द्वारा घोषित आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर
----	--	--

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन शेयर-वार किया गया है तथा प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यहास/मूल्यवृद्धि को जोड़ा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल वृद्धि को छोड़ते हुए निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है।

4.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम होए पर लिया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, का पूरा प्रावधान किया गया है।

4.4 भारतीय रिजर्व बैंक के पास तरलता समायोजन सुविधा (एलएफ) के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया और संव्यवहार की परिपक्वता पर इसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया। उस पर उपचित/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया गया।

4.5 अन्य :

- अभिदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लाभ व हानि खाते में दर्ज किया गया है।
- विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में दी गई दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का अपफ्रंट व्यय किया जाता है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया।
- प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री पर खंडित अवधि के प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है।
- विनिधानों पर, गैर निष्पादनकारी विनिधानों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमान लगाए गए हैं तथा गैर-निष्पादनकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- किसी भी श्रेणी के विनिधान की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में लिया गया है। तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ, कर पश्चात् अवशिष्ट राशि और सांविधिक आरक्षित निधि को पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित किया गया है।
- व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग (एएफएस) का मूल्यांकन क्रमशः दैनिक तथा तिमाही आधार पर किया जाता है और यदि कोई मूल्यहास हो तो उसका प्रावधान तिमाही आधार पर लिया जाता है।
- बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन हेतु "विवेकपूर्ण मानदंड" पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के तहत बैंक ने निवेश बही में खरीद एवं बिक्री के लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए "सेटलमेंट तिथि" लेखा का पालन किया है।

8.	Security receipts of Asset Reconstruction Company (ARC/SR)	In case of investment in ARC/SR at NAV declared by ARC/SR or net book value whichever is lower.
----	--	---

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored.

4.3 Transfer of securities from one category to another is done in conformity with the RBI guidelines. Such transfers are accounted for the lower of the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 Securities purchased/sold under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expanded/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

4.5 Others:

- Brokerage/commission received on subscription is booked in Profit and Loss Account.
- Brokerage, Commission, securities transaction tax etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.
- Broken period interest paid / received on purchase /sale of securities is recognized as interest expense / income.
- Prudential norms of RBI for non performing investment Classification are applied to Investments and appropriate provisions are made in respect of non performing securities.
- Profit/Loss on sale of any Investment in any category is taken to Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of Investments under 'Held to Maturity' category, the residual amount after taxes and amount transferred to statutory reserve is appropriated to Capital Reserve Account.
- Valuation of HFT and AFS portfolio is done on daily basis and depreciation if any is provided on monthly and quarterly basis respectively.
- In line with RBI Master Circular on "Prudential norms for classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks", bank has followed "Settlement date" accounting for recording purchase and sale of transactions in Investment book.

viii) गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में, डीमैट खाते में प्रतिभूति के आबंटन तक निवेश की राशि "उचत निवेश" के अंतर्गत दर्शाई गई है।

4.6 व्युत्पन्न लेन-देन व्यापारिक या बचाव व्यवस्था प्रयोजनों से किए जाते हैं। व्यापारिक लेन-देन बाजार मूल्य पर अंकित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार स्वैप की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i) बचाव स्वैप : ब्याज दर संबंधी स्वैप सौदों, जो ब्याज वाली आस्ति या देयता का बचाव करते हैं, को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, केवल ऐसे विनिमय सौदे को छोड़कर, जो बाजार मूल्य पर ली गई आस्ति या देयता के लिए हैं या वित्तीय विवरणी में लागत से कम पर ली गई आस्ति या देयता के साथ विनिर्दिष्ट है।

स्वैप सौदे समाप्त होने पर हुए लाभ या हानि को स्वैप की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो कम हो, उसके आधार पर लिया जाता है।

ii) व्यापारिक स्वैप: व्यापारिक स्वैप लेन-देनों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और संबंधित परिवर्तनों को वित्तीय विवरणी में दर्ज किया जाता है।

5. अग्रिम / प्रावधान / वसूली

5.1 अग्रिमों को निष्पादनकारी/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों के लिए किए गए निवल प्रावधान तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि शामिल है।

5.3 निष्पादनकारी आस्तियों हेतु प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

5.4 गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और तत्पश्चात् ब्याज के प्रति विनियोजित किया गया है।

6. अचल परिसंपत्तियां तथा मूल्यहास

6.1 परिसरों तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पर दिखाया गया है किंतु इसमें पुनः मूल्यांकित परिसर शामिल नहीं हैं जिन्हें पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि में जमा किया गया है और पुनर्मूल्यांकित राशि के कारण हुए वृद्धिशील मूल्यहास को इसमें से घटाया गया है। स्थाई आस्तियों की लागत में खरीद की लागत तथा उनमें व्यय किए गए संबंधित खर्च उनके उपयोग में लाने की समयावधि तक शामिल हैं।

6.2 परिसरों में भूमि का मूल्य शामिल है।

6.3 किराए पर लिए गए परिसरों के फिक्सचरों व फिटिंग को अस्थायी ढांचा माना गया है।

6.4 जहां भूमि का मूल्य अलग नहीं है (नीचे पैरा 6.5 में किए गए उल्लेख के अलावा), वहां परिसरों सहित अचल संपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान आय कर नियमों, 1962 में निर्धारित दरों पर अपलिखित मूल्य पर किया गया है।

viii) In case of investment in Non-SLR securities, till the allotment of security in the Demat account, the amount of investment is shown under "Suspense Investment".

4.6 The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

i) Hedge swaps: Interest rate swaps which hedges interest bearing asset or liability is accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost in the financial statement.

Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swaps: Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

5. ADVANCES / PROVISIONS / RECOVERIES

5.1 Advances are classified as performing/ non-performing assets and provisions are made in accordance with prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India.

5.2 Advances are net of provisions and technical write-offs made for Non-Performing Assets.

5.3 Provision for performing Assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions" in terms of RBI guidelines.

5.4 Recoveries in Non-Performing assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

6. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is deducted there from. Cost of fixed assets include cost of purchase and relevant expenditure incurred thereon till the time it is put to use.

6.2 Premises include cost of land.

6.3 Fixtures and fittings in rented premises are treated as Temporary Erection.

6.4 Depreciation on Fixed assets including premises where value of land is not separable (other than those referred in paragraph 6.5 given below) is provided on the Written Down Value at the rates prescribed in the Income Tax Rules, 1962.

- 6.5 कंप्यूटर एवं एटीएम पर मूल्यहास के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार 33.33% वार्षिक की दर से सीधी कटौती प्रणाली से किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अखंड भाग नहीं है, को सीधे लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- 6.6 बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग 180 या अधिक दिनों के लिए किया गया है तो अचल आस्तियों के परिवर्धन पर मूल्यहास का प्रावधान मूल्यहास के लिए निर्धारित दर का 100% है और यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ति का उपयोग 180 से कम दिनों के लिए किया गया है तो मूल्यहास का प्रावधान मूल्यहास के लिए निर्धारित दर का 50% है।
- 6.7 पट्टाधारी भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया।
- 7. विदेशी मुद्रा लेन-देन**
- 7.1 मौद्रिक आस्तियां और देयताएं, वित्त वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित की गई हैं और इससे हुए लाभ/हानि को राजस्व में लिया गया है।
- 7.2 आय तथा व्यय मदों को, लेन-देन की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।
- 7.3 वायदा विनिमय संविदाओं तथा बिलों को, वायदे की तारीख को प्रभावी विनिमय दर पर लिया गया है। बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं और बिलों का पुनर्मूल्यांकन फेडाई की दरों के अनुसार किया गया है और परिणामतः उन पर हुए लाभ/हानि को राजस्व में लिया गया है।
- 7.4 वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य देयताओं का उल्लेख फेडाई दरों पर किया गया है।
- 7.5 100% गैर-ह्रासित टीयर-। पूंजी के अंतर्गत पात्रता के अनुसार रुपया निधि को बढ़ाने के लिए उधार ली हुई विदेशी मुद्रा को कवर करने के लिए बचाव स्वैप के मामले में, मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा स्वैप को कवर करने के लिए प्रीमियम भुगतान परिशोधित है।
- 8. कर्मचारी हित**
- 8.1 भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान है क्योंकि बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत अंशदान अदा करता है। बैंक का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तक समिति है। ये अंशदान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।
- 8.2 उपदान तथा पेंशन देयता, परिभाषित लाभ दायित्व है और इसके लिए प्रावधान, वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इन योजनाओं का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और प्रबंध विभिन्न ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर लागू नई पेंशन योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्वनिर्धारित दर पर नियत अंशदान अदा करता है। बैंक का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तक सीमित है। यह अंशदान, लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- 6.5 Depreciation on Computers and ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum as per the guidelines of RBI. Computers software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss account.
- 6.6 No depreciation is provided in the year of sale/disposal. Depreciation on additions to Fixed Assets during the financial year is provided at 100% of the prescribed rate of depreciation, if asset is put to use for 180 days or more during the financial year and at 50% of the prescribed rate of depreciation, if the asset is put to use for less than 180 days during the year.
- 6.7 Premium paid on leasehold land is amortized over the period of lease
- 7. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS**
- 7.1 Monetary assets and liabilities are revalued at exchange rates advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the close of the financial year and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- 7.2 Income and expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- 7.3 Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- 7.4 Foreign currency guarantees, acceptances, endorsement and other obligations are stated at FEDAI rates at the close of the financial year.
- 7.5 In case of Hedge swap to cover the foreign currency borrowing to raise Rupee fund as per eligibility under 100% of Un-impaired Tier-I capital, the premium paid to cover the foreign currency swap is amortized on monthly basis.
- 8. EMPLOYEE BENEFITS**
- 8.1 Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss account.
- 8.2 Gratuity and pension liability are defined benefit obligation and are provided for on the basis of Actuarial Valuation made at the end of the financial year. The schemes are funded by the Bank and are managed by separate trusts. New Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

- 8.3** अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी का नकदीकरण, छुट्टी किराया रियायत तथा बीमारी की छुट्टी का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।
- 8.4** अल्पावधि कर्मचारी लाभों को उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों, के लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।
- 9. आय पर कर**
- 9.1** आय कर व्यय चालू कर और आस्थगित कर, दोनों की कुल राशि है।
- 9.2** चालू कर का निर्धारण, वर्ष की कर-योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि पर किया गया है तथा तदनुसार कर का प्रावधान किया गया है।
- समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं, जिनका प्रत्यावर्तन बाद की अवधि में किया जा सकता हो, को तुलनपत्र की तारीख तक या बाद में लागू होने वाली कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है। समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है यदि भविष्य में ऐसी आस्तियों की वसूली होने की वास्तविक निश्चितता हो।
- 10. आस्तियों की अनर्जकता**
- पुर्नमूल्यांकित आस्तियों सहित अचल आस्तियों पर अनर्जक घाटे, यदि कोई हो, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 – “आस्तियों की अनर्जकता” के अनुसार हिसाब में लिए गए हैं और इन्हें लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- 11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां**
- 11.1** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 – “प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां” के अनुरूप बैंक ऐसे प्रावधानों को तभी मानता है जबकि पिछली घटना के परिणामतः इनका वर्तमान दायित्व हो। ऐसी संभावना है कि इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो।
- 11.2** वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया गया है क्योंकि इससे ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जिसकी कभी भी वसूली न हो सके।
- 12. प्रति शेयर अर्जन**
- बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसरण में मूल तथा ह्रासित प्रति इक्विटी शेयर अर्जन की सूचना देता है। मूल अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना, निवल आय को आलोच्य अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है। ह्रासित अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा आलोच्य अवधि के दौरान बकाया ह्रासित संभाव्य इक्विटी शेयर की संख्या का प्रयोग करके की गई है।
- 8.3** Other Employee benefits such as leave encashment, leave fare concessions are provided for based on actuarial valuation.
- 8.4** Short term employee benefits are recognized as an expense in the profit and loss account of the year in which the related services are rendered.
- 9. TAXES ON INCOME**
- 9.1** Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax.
- 9.2** Current tax is determined the amount of tax payable for the year and accordingly provision for tax is made.
- Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future.
- 10. IMPAIRMENT OF ASSETS**
- Impairment losses, if any, on Fixed Assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 “Impairment of Assets” issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged to Profit and Loss Account.
- 11. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS**
- 11.1** In conformity with Accounting Standard 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- 11.2** Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.
- 12. EARNINGS PER SHARE**
- The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची-18
लेखा टिप्पणियां

- 1) ₹0.26 करोड़ रु. (पिछले वर्ष ₹0.26 करोड़) की लागत के दो परिसरों के संबंध में बैंक के पक्ष में दस्तावेजों का पंजीकरण/निष्पादन अभी पूरा होना बाकी है। इसके अतिरिक्त ₹0.04 लाख (पिछले वर्ष ₹1.98 करोड़ रु.) की लागत की 1 सम्पत्तियों का बिक्री विलेख/हक-विलेख अभी निष्पादित और पंजीकृत नहीं हुआ है और उसे निष्पादित करना लंबित है।
- 2) कुछ अग्रिमों में प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से संबंधित सूचना के अभाव में, रिकार्ड पर उपलब्ध मूल्य को लिया गया है, जो अग्रिमों के छोटे हिस्से के रूप में है।
- 3) मीयादी जमाओं और बचत जमाओं पर प्रोद्भूत किन्तु अदेय ब्याज को संबंधित जमाराशियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 4) **प्रस्तावित लाभांश**
प्रदत्त पूंजी पर 7% की दर से प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान किया गया है।
- 5) **कराधान हेतु प्रावधान**
- क) अपीलीय प्राधिकारी/कानूनी मतों के आदेश पर विचार करने के बाद, वर्ष 2015-16 हेतु ₹115.00 करोड़ का आयकर का प्रावधान किया गया है।
- ख) ₹2344.49 करोड़ रु. (पिछले वर्ष ₹1543.99 करोड़) की विवादग्रस्त आयकर बकाया मांग को अनुसूची 12 में 'आकस्मिक देयताओं' के अंतर्गत दिखाया गया है।
विवादग्रस्त आयकर के पक्ष में ₹2145.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1712.77 करोड़) सहित अन्य आस्तियां अनुसूची 11(ii) बैंक द्वारा अदा की गईं/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित की गईं। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं/कानूनी मतों के आधार पर उक्त विवादग्रस्त मांग के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया।
- 6) **पूंजी**

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात (%)	8.52%	8.09%
ii)	टियर-1 पूंजी अनुपात (%)	9.10%	8.73%
iii)	टियर-2 पूंजी अनुपात (%)	2.66%	2.68%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.76%	11.41%
v)	बैंक में भारत सरकार की शेरधारिता का प्रतिशत	55.17%	59.13%
vi)	जुटाए गई इक्विटी पूंजी की राशि	178.40*	शून्य
vii)	जुटाए गई अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें पीएनसीपीएस : शून्य	शून्य	500.00

SCHEDULE -18
NOTES TO ACCOUNTS

- 1) In respect of two premises costing ₹0.26 Crores (previous year ₹0.26 crores), registration of title deeds in favour of the Bank is pending. Further, sale deeds/title deeds have not yet been executed and registered in respect of 1 property costing ₹0.04 lacs (previous year ₹1.98 crores) and same is pending for execution.
- 2) In the absence of information as to the realizable value of securities in certain advances, the value as per records has been considered, which forms a small portion of advances.
- 3) Interest accrued but not due on term deposits and saving deposits has been included under the relevant deposits.
- 4) **PROPOSED DIVIDEND**
Proposed Dividend @ 7% on the paid up capital has been provided for.
- 5) **PROVISION FOR TAXATION**
 - a) Provision for Income Tax of ₹115.00 crores has been made for the year 2015-16 after due consideration of orders of Appellate authorities / opinion of counsels.
 - b) The disputed tax demands outstanding as at 31.03.2016 amount to ₹2344.49 crores (previous year ₹1543.99 crores) has been shown in Schedule No 12 – under Contingent Liabilities.
Other assets {Schedule 11 (ii)} include asset ₹2145.52 crores (previous year ₹1712.77 crores) towards disputed Income Tax paid by the Bank / adjusted by the authorities. Provision is not considered necessary in respect of aforesaid disputed demands based on several judicial pronouncements/counsels opinions.
- 6) **CAPITAL**

(Amount in ₹Crore)

S. No.	Particulars	Current year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	8.52%	8.09%
ii)	Tier 1 Capital ratio (%)	9.10%	8.73%
iii)	Tier 2 Capital ratio (%)	2.66%	2.68%
iv)	Total Capital ratio (CRAR)(%)	11.76%	11.41%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	55.17%	59.13%
vi)	Amount of equity capital raised	178.40*	Nil
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised; of which PNCPS: Nil	Nil	500.00

	पीडीआई : शून्य 8.34% वार्षिक की दर से डिबेंचर के रूप में जारी बासेल III कंप्लेंट अतिरिक्त टीयर-1 बाँड		
viii)	जुटाए गई टीयर-2 पूंजी की राशि, जिसमें जमा पूंजी लिखत : 8.34% वार्षिक की दर से डिबेंचर के रूप में जारी बासेल III कंप्लेंट टीयर-2 बाँड अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : शून्य [शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)], आईपीडीआई जारी करके जुटाई गई राशि	1000.00	1000.00

*बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹82.79 प्रति शेयर के निर्गमन मूल्य पर 2,15,48,758 इक्विटी शेयर द्वारा पूंजी जुटाई।

- क) वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर ₹82.79 प्रति शेयर (₹72.79 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर, कुल ₹178.40 करोड़ पर ₹10/- प्रति के 2,15,48,758 इक्विटी शेयर आबंटित किए। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान, बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी ₹21.55 करोड़ से बढ़कर ₹321.40 करोड़ हो गई तथा शेयर प्रीमियम ₹156.85 से बढ़कर ₹3712.24 करोड़ हो गया।
- ख) बैंक के इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के जरिए बैंक ने भारत सरकार के अंशदान के रूप में 30 मार्च, 2016 को ₹300.00 करोड़ की राशि प्राप्त की। लम्बित आबंटन, की राशि शेयर आवेदन लम्बित निधि आबंटन के रूप में दर्शायी गई है। 02.05.2016 को हुई असामान्य आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों ने विशेष संकल्पना के माध्यम से अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹121.10 (₹111.10 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गमित मूल्य पर नकदी हेतु ₹10 प्रति शेयर के 2,47,72,914 इक्विटी शेयर जारी तथा आबंटित करने को अनुमोदन प्रदान किया। 06.05.2016 को मंडल की शेयर निर्गमन तथा आबंटन समिति ने भारत सरकार को ऊपर उल्लिखित शेयर्स जारी करने तथा आबंटित करने को अनुमोदन प्रदान किया।
- ग) वर्ष के दौरान, बैंक ने स्थायी आस्तियां अनुसूची के भाग के रूप में परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया। ये परिसर, बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकित किए गए हैं तथा ये रिपोर्टें मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹929.99 करोड़ की बढ़ी हुई राशि को आरक्षित तथा अधिशेष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित आरक्षित के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार टीयर-1 पूंजी माना गया है।

	PDI: Nil Basel III Compliant Additional Tier I Bonds issued in the nature of Debentures @8.34% p.a.		
viii)	Amount of Tier II capital raised; of which Debt capital instrument: Basel III Compliant Tier 2 Bonds issued in the nature of Debentures @8.34% p.a. Preference Share Capital Instruments: Nil [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)] Amount raised by issue of IPDI	1000.00	1000.00

*Bank raised 2,15,48,758 equity shares at issue price of ₹ 82.79/- per share from Life Insurance Corporation of India.

- a.) During the year, the Bank allotted 2,15,48,758 Equity Shares of ₹10/- each at issue price of ₹82.79 per share (including premium of ₹72.79 per share) to Life Insurance Corporation of India on preferential basis to the tune of ₹178.40 Crore. As a result, during the year, equity share capital of the Bank has increased by ₹21.55 Crore to ₹321.40 Crore and share premium by ₹156.85 Crore to ₹3712.24 Crore.
- b.) The Bank received ₹300 Crore on 30th March 2016 as contribution of the Government of India towards preferential allotment of Equity Shares of the Bank. Pending allotment, the amount has been shown as "Share Application Money Pending Allotment". The share holders of the Bank at the extra ordinary meeting held on 02.05.2016 approved, through special resolution, the issue and allotment of 2,47,72,914 equity shares of ₹10 each for cash at an issue price of ₹121.10 (including premium of ₹111.10 per share) to the Government of India on preferential basis. On 06.05.2016 the shares issue and allotment committee of the Board approved the issue and allotment of the aforesaid shares to the Government of India.
- c.) During the year, the Bank has revalued the premises forming part of its fixed assets schedule. These premises are revalued based on the reports of external independent valuers and said reports have been approved by the Board. The surplus arising from the revaluation amounting to Rs. 929.99 crores is shown as "Revaluation Reserves" under "Reserves and Surplus" and the same has been considered in Tier I capital as per RBI guidelines.



बैंक द्वारा टीयर-2 बाण्डों से जुटाई गई पूंजी का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष के दौरान जुटाई गई	राशि (₹ करोड़ में)	दर (%)
2006-07	500.00	8.50
2006-07	500.00	9.25
2007-08	500.00	9.95
2008-09	500.00	8.75
2009-10	-	-
2010-11	200.00	8.68
2011-12	-	-
2012-13	1025.00	8.93
2013-14	-	-
2014-15	1000.00	9.20
2015-16	1000.00	8.34

The detail of Tier 2 Bonds raised by the Bank is given as under:-

Raised during the year	Amount (₹ in Crore)	Rate (%)
2006-07	500.00	8.50
2006-07	500.00	9.25
2007-08	500.00	9.95
2008-09	500.00	8.75
2009-10	-	-
2010-11	200.00	8.68
2011-12	-	-
2012-13	1025.00	8.93
2013-14	-	-
2014-15	1000.00	9.20
2015-16	1000.00	8.34

7. विनिधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. विनिधानों का मूल्य		
i) विनिधानों का सकल मूल्य		
क) भारत में	65805.00	62072.89
ख) भारत के बाहर	-	-
iii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
क) भारत में	147.16	34.18
ख) भारत के बाहर	-	-
iii) विनिधानों का निवल मूल्य		
क) भारत में	65657.84	62038.71
ख) भारत के बाहर	-	-
2. विनिधानों पर मूल्यह्रास के प्रति किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथ शेष	34.18	152.76
ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	112.98	-
iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते जाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	-	118.58
iv) इति शेष	147.16	34.18

*इसके अतिरिक्त, 2015-16 के दौरान विभिन्न प्रतिभूतियों के अंतर - पोर्टफोलियो अंतरण पर ₹12.16 करोड़ की राशि का मूल्यह्रास संबंधित प्रतिभूतियों के बही मूल्य में विनियोजित किया गया है।

*गैर-निष्पादित निवेश तथा इक्विटी/अधिमानी शेयरों में निवेशों तथा अग्रिमों की पुनर्संरचना के अंतर्गत आर्बिट्रि बांड्स/डिबेंचर्स का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मानक निवेश पोर्टफोलियो के साथ एमटीएम लाभ/हानि को जोड़े बिना अलग-से किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक को गैर-निष्पादित निवेशों पर ₹14.19 करोड़ की सीमा तक तथा अग्रिमों की पुनर्संरचना के अंतर्गत आर्बिट्रि निवेशों पर ₹44.35 करोड़ का मूल्यह्रास दिखाना पड़ा है।

7) INVESTMENTS

(Amount in ₹Crore)

Particulars	Current year	Previous year
1. Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	65805.00	62072.89
b) Outside India	-	-
ii) Provisions for Depreciation		
a) In India	147.16	34.18
b) Outside India	-	-
iii) Net value of Investments		
a) In India	65657.84	62038.71
b) Outside India	-	-
2. Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
i) Opening balance	34.18	152.76
ii) Add: Provisions made during the year*	112.98	-
iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	118.58
iv) Closing Balance	147.16	34.18

* Further, depreciation amounting to ₹12.16 crores on interportfolio shifting of various securities during 2015-16, has been appropriated in Book Value of respective securities.

*Valuation of Non performing investments and investments made in equity/ preference shares and bonds/ debentures allotted under restructuring of advances is being done separately without clubbing MTM gain/loss with standard Investment portfolio as per RBI guidelines. On account of this, the Bank has to provide depreciation to the extent of ₹14.19 crores on non performing investments and ₹44.35 crores on Investments allotted under restructuring of advances.

क) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यानुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया राशि	31 मार्च 2016 के अनुसार बकाया राशि
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां*				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	5618.08 (5102.24)	1602.97 (2172.48)	2179.48 (3117.92)
ii. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	2444.00 (1820.00)	391.91 (287.88)	1716.00 (1768.00)
ii. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
मार्केट रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
मार्केट रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	10.00 (1573.94)	4.60 (10.39)	0.00 (0.00)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तथा आरबीआई की मीयादी रेपो के अंतर्गत आने वाली रेपो सम्मिलित है।

ख) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i) गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गम संरचना

क्रम सं० Sl. No.	निर्गम कर्ता Issuer	राशि Amount	निजी स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	"निवेश ग्रेड से कम प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	"गैर मूल्यांकित" प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	"गैर सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	1501.80 (2118.02)	1148.20 (1981.83)	0.00 (0.00)	334.22 (1353.54)	1145.40 (1891.20)
ii	वित्तीय संस्थान / FIs	2445.21 (438.64)	1110.99 (221.07)	0.00 (0.00)	150.81 (111.74)	1501.98 (59.16)
iii	बैंक / Banks	3076.54 (3495.41)	432.40 (2733.13)	0.00 (0.00)	32.56 (24.71)	2607.37 (2931.91)
iv	निजी कंपनियां / Private Corporates	1560.51 (1287.97)	1182.09 (1084.03)	53.88 (39.00)	844.43 (616.86)	504.37 (391.20)
v	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries / Joint Ventures	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)	0.00 (0.00)	218.50 (218.50)	218.50 (218.50)
vi	अन्य / Others	6673.99 (2702.34)	5023.99 (1001.99)	0.00 (0.00)	6405.87 (2117.26)	2235.39 (2117.26)
vii	कुल / Total (i - vi)	15476.55 (10260.88)	9116.17 (7240.55)	53.88 (39.00)	7986.39** (4462.61)	8213.01*** (7609.23)
viii	घटाएं: मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान / Less: Provision held towards depreciation	147.16 (34.18)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल / Total* (vii-viii)	15329.39 (10260.88)	9116.17 (7240.55)	53.88 (39.00)	7986.39** (4462.61)	8213.01*** (7609.23)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) (Figures in brackets are for the previous year)

a) Repo Transactions (in face value terms)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum Outstanding During the Year	Maximum Outstanding During the Year	Daily Average Outstanding During the Year	Outstanding as on March 31, 2016
Securities Sold Under Repo*				
i. Government securities	0.00 (0.00)	5618.08 (5102.24)	1602.97 (2172.48)	2179.48 (3117.92)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities Purchased under Reverse Repo				
i. Government securities	0.00 (0.00)	2444.00 (1820.00)	391.91 (287.88)	1716.00 (1768.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities sold under Market Repo	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Market Reverse Repo	0.00 (0.00)	10.00 (1573.94)	4.60 (10.39)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are for the previous year)

* Includes Repo under Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF) and Term Repo of RBI.

b) Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ Crore)



टिप्पणी :-

- (1) * कालम 3 के अंतर्गत कुल योग का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत सम्मिलित विनिधानों के योग के साथ होना चाहिए :
- क). शेयर
ख). ऋणपत्र एवं बांड्स
ग). समनुषंगी / संयुक्त उपक्रम
घ). अन्य

- (2) कालम सं. 4, 5, 6 व 7 में दी गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।
- (3) **अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों में ₹7986.39 करोड़ के कुल विनिधान में से ₹7898.17 करोड़ छूट प्राप्त विनिधान में हैं जिनमें ₹815.65 करोड़ के ईक्विटी शेयर, ₹252.76 करोड़ की उद्यम निधि, ₹159.51 करोड़, की प्रतिभूति प्राप्ति, ₹218.50 करोड़ का संयुक्त उद्यम बीमा, ₹61.99 करोड़ के अपरिवर्तनीय डिबेंचर की छूट, ₹96.67 करोड़ के अधिमानी शेयर, ₹299.49 करोड़ के पीएसयू बांड्स, ₹4343.00 करोड़ के विशेष बॉण्ड तथा प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत ₹1650.00 करोड़ की प्रतिभूतियां शामिल हैं।

इसलिए अश्रेणीकृत विनिधान ₹88.22 करोड़ (₹48.22 करोड़ के अधिमानी शेयर और ₹40.00 करोड़ बाण्ड एवं डिबेंचर में) है।

- (4) ***कुल असूचीबद्ध में सीडी ₹2607.38 करोड़, सीपी ₹1642.98 करोड़, छूट प्राप्त निवेश एनसीडी ₹1108.46 करोड़ तथा जेवी ₹218.50 करोड़, ₹252.76 करोड़ के वीसीएफ., ₹332.62 करोड़ के एसआर तथा प्रतिवर्ती रेपो के अंतर्गत ₹1650.00 की प्रतिभूतियां तथा ₹352.09 करोड़ के शेयर शामिल हैं (₹255.42 करोड़ ईक्विटी शेयरों में तथा ₹96.67 करोड़ अधिमानी शेयरों में)।

इसलिए गैर सूचीकृत विनिधान ₹48.22 करोड़ (अधिमानी शेयर में) है।

- (5) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.31/21/04.018/2015-16 दिनांक 16.07.2015 के माध्यम से दिए गए दिशा-निर्देशानुसार बैंक ने नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में किए गए निवेश को निवेश के रूप में अपने पूर्व के वर्गीकरण की अपेक्षा अन्य आस्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तदनुसार, 31.03.2015 को वित्तीय सस्थानों (एफआई) के अंतर्गत सम्मिलित करने की अपेक्षा नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में निवेश से संबंधित ₹6401.74 करोड़ की राशि को अलग करने के लिए पूर्व के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। इस प्रकार की जमा राशियों से संबंधित आय को निवेशों पर आय की बजाय अन्य अर्जित ब्याज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (6) अन्य सम्मिलित विनिधान म्यूचुअल फंड, वेंचर फंड, सिक्योरिटी रसीद, राज्य सरकारी विशेष बॉण्ड तथा रिवर्स रेपो में हैं।

ii) गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	85.85	34.42
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	82.28	54.61
उक्त अवधि के दौरान कमी	19.38	3.18
इति शेष	148.75	85.85
कुल धारित प्रावधान	89.00	21.60

NOTE: -

- (1) * Total under column 3 should tally with the total of investments included under the following categories in Schedule 8 to the Balance Sheet:
- a) Shares
b) Debentures & Bonds
c) Subsidiaries/ Joint Ventures
d) Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

- (3) ** Out of total investment of ₹7986.39 crore in Unrated securities, ₹7898.17 crore is in exempted investment consisting of equity shares of ₹815.65 crores, venture fund ₹252.76 crore, security receipt ₹159.51 crore, JV-INS ₹218.50 crore, NCDs of ₹61.99 Crore, preference shares of ₹96.67 crore, PSU bonds of ₹299.49 crore, Special Bonds of ₹4343.60 and Securities under Reverse Repo of ₹1650.00 crore.

Hence Investment in unrated securities is ₹ 88.22 crore (₹ 48.22 crore preference share & ₹ 40.00 crore in Bonds & debenture)

- (4) ***Total investment in unlisted securities include exempted investments in CD ₹2607.38 crore, CP ₹ 1642.98 crore, NCDs ₹1108.46 crore and JV ₹218.50 crore, VCF ₹252.76 crore, SR ₹332.62 crore, Securities under reverse repo ₹1650.00 crore and Shares ₹352.09 crore. (₹255.42 crore in Equity shares and ₹ 96.67 crore in Pref. shares)

Hence investment in unlisted securities is ₹48.22 crore (in preference shares)

- (5) In accordance with RBI guidelines vide circular no. DBR.BP.BC.No.31/21/04.018/2015-16 dated 16.07.2015 the Bank has classified the investment with NABARD/SIDBI/NHB under 'Other Assets' (Schedule 11) as against their earlier classification as investment. Accordingly previous figures have been regrouped to exclude the amount of ₹6401.74 crore pertaining to Investment in NABARD/SIDBI/NHB as was included under Financial Institutions (FIs) as on 31.03.2015. The related income on such deposits has been classified as 'interest earned others' instead of 'income on investments'.

- (6) Others include Investment in Mutual Fund, Venture Fund, Security Receipt, State Govt. Special Bonds and Reverse repo.

ii) Non performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	85.85	34.42
Additions during the year since 1st April	82.28	54.61
Reductions during the above period	19.38	3.18
Closing Balance	148.75	85.85
Total Provisions held	89.00	21.60

ग) विनिधानों का वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और लेखांकन नीति सं. 4 के अनुसार विनिधान संविभाग को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

c) CATEGORISATION OF INVESTMENTS

In accordance with Reserve Bank of India guidelines and as stated in Accounting Policy No. 4, investment portfolio has been categorized as under:

(राशि ₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

प्रतिभूति Security	31 मार्च, 2016 के अनुसार स्थिति Position as on March 31, 2016				31 मार्च, 2015 के अनुसार स्थिति Position as on March 31, 2015			
	एचटीएम HTM	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	कुल Total	एचटीएम HTM	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	कुल Total
सरकारी प्रतिभूतियां Govt. Securities	39612.60	0.00	10715.71	50328.31	43009.79	0.00	8802.07	51811.86
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15
शेयर Shares	30.66	0.56	929.32	960.54	30.66	1.01	706.26	737.93
डिबेंचर / बॉण्ड Debentures / Bonds	4348.60	0.00	3368.16	7716.76	10.00	0.00	4157.46	4167.46
अन्य वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, यूटीआई, म्यूचुअल फंड आदि Other- Commercial Paper, IVP, UTI, Mutual Funds etc.	117.39	0.00	6463.35	6580.74	120.78	636.67	4379.54	5136.99
अन्य (संयुक्त उद्यम बीमा) Others (Jt. Venture – Insurance)	218.50	0.00	0.00	218.50	218.50	0.00	0.00	218.50
कुल / Total	44327.75	0.56	21476.69	65805.00	43389.73	637.68	18045.48	62072.89

एचटीएम-परिपक्वता तक धारित, एचएफटी-ट्रेडिंग हेतु धारित, एएफएस-बिक्री हेतु उपलब्ध

HTM – Held to Maturity; HFT – Held for Trading; AFS – Available for Sale

घ) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों के संबंध में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रीमियम राशि ₹81.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹71.45 करोड़) है और इसे अनुसूची 13 में 'विनिधानों पर आय' में से कटौती के रूप में 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के तहत लिया गया है।

ङ) विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान :

31 मार्च, 2016 के अनुसार 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग हेतु धारित' श्रेणियों के अंतर्गत विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु ₹147.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹34.18 करोड़) का प्रावधान किया गया।

च) बैंक ने वर्ष के दौरान "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी से "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी में ₹10907.64 करोड़ की प्रतिभूति अंतरित (पिछले वर्ष ₹4387.55 करोड़) और "व्यापार के लिए उपलब्ध" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में शून्य अंतरित (पिछले वर्ष ₹59.12) किए और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में ₹1946.83 करोड़ अंतरित (पिछले वर्ष ₹736.72 करोड़) किए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है। उपर्युक्त प्रतिभूतियों के अंतरण पर बाजार मूल्य पर अंकित मूल्यह्रास ₹12.16

d) In respect of investments under Held to Maturity category, the premium amount amortized during the year is ₹81.44 crores (previous year ₹71.45 crores) and the same has been accounted for in Schedule No.13 under the head 'Interest Earned' as deduction from 'Income on Investments'.

e) **Provision for Depreciation on Investments:**

Provision for depreciation on investments under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories as on March 31, 2016, is ₹147.16 crore (previous year ₹34.18 crore).

f) The Bank has transferred Securities amounting to ₹10907.64 crores (Previous year ₹4387.55 crores), from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category, transferred Nil (Previous year ₹59.12) from 'Held for Trade' category to 'Available for Sale' category and ₹1946.83 crore (Previous year ₹736.72) from 'Available for Sale' to 'Held to Maturity' category during the year which is in accordance with RBI guidelines. The total Mark to Market depreciation on shifting of above mentioned securities was ₹12.16 crore (previous year



करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.90 करोड़) था और उसे लाभ व हानि खाते में नामे डाला गया है।

- छ) 31.03.2016 के अनुसार, जीवन बीमा कारोबार हेतु केनरा बैंक और एचएसबीसी के साथ 'केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड' नाम एवं स्वरूप की संयुक्त उद्यम कम्पनी में पूंजी अंशदान में ₹218.50 करोड़ का निवेश किया गया जो बैंक द्वारा 23% का पूंजी अंशदान है। तथापि, पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं है।

बैंक द्वारा किए गए उक्त निवेश को संयुक्त उद्यमों में विनिधान शीर्ष के तहत 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया है क्योंकि इसे संयुक्त उद्यम निवेश के रूप में धारित करने की मंशा है, यद्यपि यह धारिता भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित 25% से कम है। बैंक ने 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त कर ली है। प्रबंध वर्ग के मतानुसार आरंभिक घाटों के कारण उक्त विनिधानों के मूल्य का प्रभाव स्थायी स्वरूप का नहीं है इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

- ज) अग्रिमों की पुनर्संरचना से, अत्यधिक ब्याज की दरों से सूची से इतर तथा असूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर बनाए गए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिभूति की आईआरआर को ध्यान में रखते हुए भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) की मूल्यांकन पद्धति के द्वारा भिन्नकालिक मोचन अनुसूची, प्रीमियम पर मोचनीय का मूल्यांकन किया गया है।
- झ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कंपनियों में रणनीति ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) अपनाई तथा एसडीआर के इनवोकेशन के अनुसरण में शेयरों का अधिग्रहण किया। अधिग्रहित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर के तहत अधिग्रहित शेयरधारित	शेयरधारिता का प्रतिशत
i.	मोनेन्ट इस्पात एण्ड एनर्जी लि.	4,511,695	2.25%
ii.	गैमन इंडिया लि	12,389,240	3.39%
iii.	कोस्टल प्रोजेक्ट्स लि.	8,441,961	2.33%

8. डेरिवेटिव्स

बैंक ने वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर में स्वपूंजी ट्रेडिंग की। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार करेंसी फ्यूचर में बकाया स्थिति शून्य है। करेंसी ऑप्शन, ब्याज दर स्वैप/ओआईएस और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कोई लेन-देन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं और 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया वायदा संविदा ₹9895.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹19804.26 करोड़) है। बैंक ने चालू वर्ष (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान ₹634.60 करोड़ (औसत मूल) की राशि के उतार-चढ़ाव ब्याज दर का लेनदेन किया है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार आईआरएफ की बकाया स्थिति शून्य है।

₹9.90 crores), and the same has been debited to Profit and Loss Account.

- g) Investment towards capital contribution in Joint Venture Company for Life Insurance Business with Canara Bank and HSBC under the name and style of "Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited" as on 31.03.2016 is ₹218.50 crores which amounts to 23% Capital contribution by the Bank. Further, there is no investment during the current year as well as in previous year.

The said investment made by the Bank has been classified under 'Held to Maturity' category under the head investment in joint ventures, as the intention is to hold as joint venture investment although the holding is less than 25% as required under RBI norms. The Bank has obtained permission of RBI to classify the same under HTM category. In the opinion of the management the impact in the value of the said investment on account of initial losses is not permanent in nature and hence no provision is considered necessary.

- h) Unquoted and unrated NCDs created out of restructuring of advances, carrying ballooning rate of interest and staggered redemption schedule, redeemable at premium, have been valued using FIMMDA valuation methodology, as per RBI guidelines, by taking into account the IRR of the security.
- i) During the year the Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) as per RBI guidelines in the following companies and acquired shares pursuant to invocation of SDR. The details of shares acquired are as under:-

S.No.	Name of the Company	Shares acquired under SDR	%age of Share holding
i.	Monnet Ispat & Energy Ltd.	4,511,695	2.25%
ii.	Gammon India Ltd.	12,389,240	3.39%
iii.	Coastal Projects Ltd.	8,441,961	2.33%

8) DERIVATIVES

The Bank has undertaken Derivative Transactions in Currency Futures. The outstanding position in Currency Future as on 31.03.2016 is NIL. No transaction is undertaken in Currency Options, Interest Rate Swap/OIS and Credit Default Swap. Also, transactions under Foreign Exchange Forward Contracts have been undertaken on behalf of various clients and total outstanding Forward Contracts as on 31.03.2016 is ₹9895.15 crores (previous year ₹19804.26 crores). The Bank has undertaken Interest Rate Fluctuation (IRF) transactions amounting to ₹634.60 crore (Notional Principal) during the current Year (Previous Year Nil). The outstanding position of IRF as on 31-03-2016 is NIL.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i.	स्वैप व्यवस्थाओं का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii.	यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है तो होने वाली हानि	शून्य	शून्य
iii.	स्वैप करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक	शून्य	शून्य
iv.	स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
v.	स्वैप बुक का सही मूल्य	शून्य	शून्य

ख) एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) 1) 759GS2026 2) 772GS2025 3) 788GS2030 4) 840GS2024	10.00 594.60 10.00 20.00	शून्य
2.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि 31 मार्च 2016 को बकाया (लिखतवार)	शून्य	शून्य
3.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि-बकाया एवं 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (लिखतवार)	शून्य	शून्य
4.	एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर बकाया डेरिवेटिव्स जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं हैं, का 'बाजार को अंकित मूल्य' (लिखतवार)	शून्य	शून्य

ग) डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन:-

i) गुणात्मक प्रकटन:

ट्रेजरी विभाग में परिचालनों को तीन कार्यक्षेत्रों में बांटा गया अर्थात् फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस तथा बैक ऑफिस, जिनमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जिनके उत्तरदायित्व सुपरिभाषित हैं।

बैंक की राजकोषीय नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों के प्रकारों, प्रयोग क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। व्युत्पन्न लेनदेनों में ब्याज दर जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, बाजार जोखिम, मुद्रा जोखिम, निपटान जोखिम, खुली स्थिति जोखिम तथा परिचालनपरक जोखिम रहते हैं। राजकोषीय नीति में आंतरिक नियंत्रण सीमाओं जैसे क्रय-विक्रय की खुली स्थिति सीमाओं, सौदे की सीमाओं, हानि रोध सीमाओं, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग/बचाव के लिए सौदा प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके और व्युत्पन्न लेनदेनों से अधिक से अधिक आय हो सके।

मिड ऑफिस व्यापारिक बहियों में लेनदेनों को मॉनिटर करता है और प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) स्थिति की गणना द्वारा व्यापारिक बही में दैनिक आधार पर लेनदेनों में वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। मिड ऑफिस की निगरानी तथा नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।

a) Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(Amount in ₹crore)

S.No.	Particulars	Current year	Previous year
i.	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii.	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii.	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v.	The fair value of the swap book	NIL	NIL

b) Exchange Traded Interest rate derivatives

(Amount in ₹crore)

S.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) 1) 759GS2026 2) 772GS2025 3) 788GS2030 4) 840GS2024	10.00 594.60 10.00 20.00	NIL
2.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March, 2016 (instrument-wise)	NIL	NIL
3.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument-wise)	NIL	NIL
4.	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'(instrument-wise)	NIL	NIL

c) Disclosure on Risk Exposure in derivatives:-

i) Qualitative Disclosures:-

Operations in the Treasury Department are segregated into three functional areas, i.e. Front Office, Mid Office and Back Office equipped with necessary infrastructure and trained Officers, whose responsibilities are well defined.

The Treasury Policy of the Bank clearly lays down the types of financial derivative instruments, scope of usage, approval process. Derivative transactions contain interest rate risk, counterparty risk, market risk, currency risk, settlement risk, open position risk and operational risk. Treasury Policy specifies the internal control limits like open position limits, deal size limits, stop-loss limits, deal initiating authority for trading/hedging in approved instruments to contain the risk and maximize return on the derivative transactions.

The mid office monitors the transactions in the trading books and also measures the financial risks for the transactions in the trading book on a daily basis by way of calculating Mark to market (MTM) of positions. The Mid Office is monitored and controlled by Risk Management Department.



बैंक में अपने तुलनपत्र में लिए गए एक्सपोजर के बचाव की नीति है। बैंक की राजकोषीय नीति में एक्सपोजर के बचाव हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। बचावकारी लेनदेनों को नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है।

बचावकारी/व्यापारिक लेनदेन अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं। बचावकारी लेनदेनों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। समस्त व्यापारिक संविदाएं बाजार को अंकित की जाती हैं तथा परिणामतः सकल हानि को विवेकसम्मत आधार पर लाभ की अनदेखी करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का व्यापारिक एवं निकासी (क्लीयरिंग) सदस्य है। बैंक करेंसी फ्यूचर्स/आईआरएफ में स्वामित्व लेनदेन कर रहा था। बैंक ने फ्रंट, मिड तथा बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित की है, विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) तथा मार्जिन दायित्वों का निपटान एक्सचेंजों के साथ किया जाता है।

राजकोषीय नीति भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार तैयार की गई है :

ii) मात्रात्मक प्रकटन:

The Bank also has a policy for hedging its balance sheet exposures. The treasury policy of the Bank spells out the approval process for hedging the exposures.

The hedging/trading transactions are recorded separately. The hedge transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are marked to market and resultant gross loss is accounted for ignoring the gain on a prudence basis.

The Bank is Trading & Clearing Member of National Stock Exchange (NSE). The Bank undertakes proprietary trading in currency futures/IRF. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back Office operations, daily mark to market (MTM) and margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the regulators.

Treasury Policy has been drawn up in accordance with RBI guidelines.

ii) Quantitative Disclosure

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current year		पिछले वर्ष / Previous Year	
	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate Derivatives
i) डेरिवेटिव (अनुमानित मूलधन)				
क) बचाव व्यवस्था हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य	95.13*	शून्य
i). Derivatives (Notional Principal Amount)				
a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b) For trading	NIL	NIL	95.13*	NIL
ii) प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों की स्थिति				
क) आस्तियां (+)	शून्य	शून्य	0.04	शून्य
ख) देयताएं (-)	शून्य	शून्य	0.39	शून्य
II) Marked to market Positions				
a) Assets (+)	NIL	NIL	0.04	NIL
b) Liabilities (-)	NIL	NIL	0.39	NIL
iii) ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
क) बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापारिक डेरिवेटिव्स पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a) On hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
b) On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
v) वर्ष के दौरान देखा गया 100*पीवी01 अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभाव				
क) बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अधिकतम	शून्य	0.0132	शून्य	शून्य
न्यूनतम	शून्य	0.0002	शून्य	शून्य
V) Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a) On hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
b) On trading	NIL	NIL	NIL	NIL
Maximum	NIL	0.0132	NIL	NIL
Minimum	NIL	0.0002	NIL	NIL

* अंतर बैंक बाजार में कवर की गई स्थिति / Position covered in inter-bank market

iii) बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

कॉरपोरेट क्षेत्र जिसमें एसएमई भी शामिल है, के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रबंधन और निगरानी के लिए बैंक ने बोर्ड अनुमोदित नीति अधिकथित की है। आरबीआई के परिपत्र डीबीओडी सं. बी.पी. बी.सी. 85/21.06.200/2013-14, दिनांक 15 जनवरी, 2014 और परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बी.पी. बी.सी. 116/21.06.200/2013-14, 3 जून, 2014 के तदनुसंग स्पष्टीकरण के अनुरूप उपलब्ध आंकड़ों और विवरणियों तथा उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर, 31.03.2016 को बैंक ने ₹23.85 करोड़ की देयता का आंकलन किया है। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹11.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.85 करोड़) का प्रावधान किया गया।

9. आस्ति गुणवत्ता (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I)	निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए. (%)	6.70%	3.34%
II)	एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	क) अथ शेष	7666.22	5617.86
	ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	10371.43	4514.27
	ग) वर्ष के दौरान कमी	3335.87	2465.91
	घ) इति शेष	14701.78	7666.22
III	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
	क) अथ शेष	4816.24	3904.42
	ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	10371.43	4514.27
	ग) वर्ष के दौरान कमी	5255.52	3602.45
	घ) इति शेष	9932.15	4816.24
IV	एनपीए हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव (स्तरीय आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	क) अथ शेष	2778.33	1712.01
	ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3649.15	1991.26
	ग) बट्टे खाते डाली गई राशि/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	1667.60	924.94
	घ) इति शेष	4759.88	2778.33

क) गैर-निष्पादनकारी आस्तियां:

एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव, में बैंक द्वारा एन.पी.ए. पोर्टफोलियो के मद में दिनांक 31.03.2016 को ₹24.12 करोड़ अस्थायी प्रावधान का प्रभाव शामिल है।

31.03.2016 को बैंक का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 51.16% (पिछले वर्ष 60.59%) है जिसकी गणना बैंक द्वारा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई कुल राशि को हिसाब में लेकर की गई।

बैंक विनयामक अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर.) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक डीबीएस.सीओ.पीपीडी/एक्यूआर/6371/11.01.02/2015-16 दिनांक 02 दिसंबर, 2015 तथा तदोपरांत पत्रांक डीबीएस.सीओ.पीपीडी/एक्यूआर/8060/11.01.02/2015-16 दिनांक 15 जनवरी, 2016 के अनुपालन में, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावानुसार अग्रिमों तथा प्रावधानीकरण को वर्गीकृत किया है, जो 31 मार्च 2016 को किया जाना अपेक्षित था।

iii) Unhedged Foreign Currency Exposure

Bank has laid down Board approved policy for managing and monitoring Un-hedged Foreign Currency Exposure of corporate including SMEs. Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability of ₹23.85 crores as on 31.03.2016 on unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. NO. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No. BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June 2014. The outstanding provision on Unhedged Exposure as on 31/03/2016 is ₹23.85 crores (previous year ₹11.13 crore)

9) ASSET QUALITY

(Amount in ₹crore)

Particulars		Current Year	Previous Year
I)	Net NPAs to Net Advances (%)	6.70%	3.34%
II)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening balance	7666.22	5617.86
	b) Additions during the year	10371.43	4514.27
	c) Reductions during the year	3335.87	2465.91
	d) Closing balance	14701.78	7666.22
III	Movement of Net NPAs		
	a) Opening balance	4816.24	3904.42
	b) Additions during the year	10371.43	4514.27
	c) Reductions during the year	5255.52	3602.45
	d) Closing balance	9932.15	4816.24
IV	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	2778.33	1712.01
	b) Provisions made during the year	3649.15	1991.26
	c) Write-off/ write-back of excess provisions	1667.60	924.94
	d) Closing balance	4759.88	2778.33

a) Non-Performing Assets:

The Movement of Provisions for NPAs as on 31.03.2016 includes the effect of floating provision of ₹24.12 Crore made by the Bank towards NPA portfolio.

The Provisioning Coverage Ratio (PCR) for the Bank as on 31.03.2016 is 51.16% (previous year 60.59%), which is calculated taking into account the total technical write offs.

In compliance with RBI Letter No. DBS.CO.PPD/AQR/6371/11.01.02/2015-16 dated 2nd December, 2015 and subsequent letter no. DBS.CO.PPD/AQR/8060/11.01.02/2015-16 dated 15th January, 2016 pursuant to Asset Quality Review (AQR) under section 35 of Banking Regulation Act, 1949 carried out by the Reserve Bank of India, the Bank has made the classification of advances and provisioning which was required to be done by 31st March, 2016 as suggested by the Reserve Bank of India.

ख) पुनःसंरचित खातों के विवरण
b) Particulars of Accounts Restructured



पुनःसंरचित खातों का प्रकटन / Disclosure of Restructured Accounts																					
क्र. सं. / Sl. No.	पुनःसंरचना का प्रकार / Type of Restructuring →	सीडीआर पद्धति के अंतर्गत / Under CDR Mechanism				एसएमई ऋण पुनः संरचना के अंतर्गत / Under SME Debt Restructuring Mechanism				अन्य / Others				कुल / Total							
		स्तरीय / Standard	अव स्तरीय / Sub-Standard	संदिग्ध / Doubtful	घाटा / Loss	कुल / Total	स्तरीय / Standard	अव स्तरीय / Sub-Standard	संदिग्ध / Doubtful	घाटा / Loss	कुल / Total	स्तरीय / Standard	अव स्तरीय / Sub-Standard	संदिग्ध / Doubtful	घाटा / Loss	कुल / Total					
	आस्ति वर्गीकरण / Asset Classification → विवरण / Details ↓																				
1	वित्तीय वर्ष 2015 के 1 अप्रैल को पुनःसंरचित खातों (प्रारंभिक आंकड़े) / Restructured Accounts as on April 1 of the FY 2015 (opening figures)*	58	7	20	0	85	189	25	152	0	366	20,422	285	1,212	0	21,899	20,669	297	1,384	0	22,350
		6,031.18	583.25	1,597.47	0	8211.90	677.66	137.86	111.60	0	927.12	13,376.79	218.33	770.81	0	14,365.93	20,085.63	939.44	2,479.88	0	23,504.95
	क्रिया गया प्रावधान / Provision thereon	438.39	30.63	0	0	469.02	12.20	6.93	2.04	0	21.17	331.87	10.96	4.92	0	347.75	782.46	48.52	6.96	0	837.94
2	वर्ष के दौरान नई पुनःसंरचना / Fresh restructuring during the year	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	22,463	18	0	0	22,481	22,465	18	0	0	22,483
		25.79	0	0	0	25.79	7.55	0	0	0	7.55	1,615.09	1.85	0	0	1,616.94	1,648.43	1.85	0	0	1,650.28
	क्रिया गया प्रावधान / Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.83	0	0	0	36.83	36.83	0	0	0	36.83



पुनः संरचना के प्रकार Type of Restructuring →	सीडीआर प्रकृति के अंतर्गत / Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनः संरचना के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total		
	पुनः संरचना के प्रकार Type of Restructuring →	संरक्षित Standard	अव स्वीय Sub- Standard	संदिग्ध Doubtful	घाटा Loss	कुल Total	संरक्षित Standard	अव स्वीय Sub- Standard	संदिग्ध Doubtful	घाटा Loss	कुल Total	संरक्षित Standard	अव स्वीय Sub- Standard	संदिग्ध Doubtful	घाटा Loss	कुल Total	संरक्षित Standard	अव स्वीय Sub- Standard	संदिग्ध Doubtful	घाटा Loss	कुल Total
3	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ऋणियों की संख्या में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY 2015-16	1	0	(1)	0	0	6	(3)	0	0	10	(9)	(1)	0	0	17	(12)	(5)	0	0	0
	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ऋणियों की संख्या में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY 2015-16	251.62	0	(251.62)	0	0	19.08	(7.73)	0	0	138.91	(136.54)	(2.53)	0	(0.16)	409.77	(144.27)	(265.50)	0	0	0
	किया गया प्रावधान Provision thereon	1.85	0	(1.85)	0	0	0.53	(0.01)	0	0	10.59	(10.59)	0	0	0	12.97	(10.60)	(2.37)	0	0	0
4	पुनर्संरचित स्वीय अधिम विनियम विनियम वर्ष 2015-16 के अंत में उच्च प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोड़ना पर बंद कर दिया है तथा उच्च जोड़ने वाले ऋणियों को पुनः उन्नयन में संरक्षित मानक अधिमों के रूप में स्थानों की आवरकला नहीं है। Restructured standard advances which cease to be shown as restructured standard and/or additional risk weight at the end of FY 2015-16 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of next FY	9	17			9	17			17	154				154	180					180
	पुनर्संरचित स्वीय अधिम विनियम विनियम वर्ष 2015-16 के अंत में उच्च प्रावधान और/अथवा अतिरिक्त जोड़ना पर बंद कर दिया है तथा उच्च जोड़ने वाले ऋणियों को पुनः उन्नयन में संरक्षित मानक अधिमों के रूप में स्थानों की आवरकला नहीं है। Restructured standard advances which cease to be shown as restructured standard and/or additional risk weight at the end of FY 2015-16 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of next FY	605.32	51.32			605.32	51.32			51.32	1325.58				1325.58	1,982.22					1,982.22
	किया गया प्रावधान Provision thereon	84.92	0.30			84.92	0.30			0.30	79.9				79.9	165					165.12
5	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्संरचित खातों को अद्यतन Downgradations of restructured accounts during the FY 2015-16	-15	5	10	0	0	-25	9	16	14	-189	178	10	1	0	-229	192	36	1	0	0
	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्संरचित खातों को अद्यतन Downgradations of restructured accounts during the FY 2015-16	(2151.05)	1034.88	1116.17	0	0	(329.54)	185.81	143.73	(0.00)	(2,248.80)	1,699.80	174.00	375.00	0	(4,725.39)	2,920.49	1,433.30	375.00	0	0
	किया गया प्रावधान Provision thereon	(5.88)	(4.28)	10.16	0	0	0	(2.72)	2.72	0	0	0	0	0	0	(5.88)	(7.00)	12.88	0	0	0
6	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बट्टे खाते जाले गए पुनः संरक्षित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY 2015-16	0	(1)	5	0	4	(61)	9	35	(17)	13,915	148	197	(3)	14,257	13,854	156	237	(3)	14,244	
	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बट्टे खाते जाले गए पुनः संरक्षित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY 2015-16	(200.55)	103.27	61.38	0	(35.90)	(72.90)	(151.78)	(34.21)	0	(258.89)	3,877.15	295.95	9.01	4,055.06	3,603.70	(175.56)	323.12	9.01	3,760.11	
	किया गया प्रावधान Provision thereon	117.86	26.35	8.31	0	152.52	2.32	4.20	4.24	10.76	115.44	0.37	4.92	0	120.73	235.62	30.92	17.47	0	284.01	
7	31 मार्च 2015 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आवक) Restructured Accounts as on 31st March 2016 (Closing Figures)	36	13	24	0	73	215	22	130	367	28637	304	1024	4	29969	28888	339	1178	4	30409	
	31 मार्च 2015 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आवक) Restructured Accounts as on 31st March 2016 (Closing Figures)	3752.77	1514.86	2400.64	0	7668.27	396.33	467.72	278.19	0	1,142.24	7,679.42	1,910.49	646.33	365.98	10,602.23	11,828.52	3,893.07	3,325.16	365.99	19,412.74
	किया गया प्रावधान Provision thereon	231.58	0	0	0	231.58	10.11	0	0	10.11	183.95	0	0	0	183.95	425.64	0	0	0	425.64	



ग) आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनः संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

i) बिक्री का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	खातों की संख्या	16	22
ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटा कर)	280.20	64.18
iii)	कुल प्रतिफल	306.08	213.20
iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि)	25.88	149.02

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र स. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी-2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसरण में पुर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण आई कमी को 2 वर्षों की अवधि के भीतर परिशोधित किया जा रहा है। तदोपरान्त, ₹13.44 करोड़ की राशि परिशोधित की गई है तथा 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की गई है। 31.03.2016 को इन खातों में गैर-परिशोधित राशि ₹40.33 करोड़ है।

ii) प्रतिभूति रसीदों में किए गए विनिधान के बही मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा बेचे गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए अंतर्निहित एनपीए द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रतिभूति रसीदों में किए गए विनिधान का बही मूल्य	332.62	143.96	0.00	0.00	332.62	143.96

घ) अन्य बैंकों से/को खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

i) खरीदी गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

c) Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

i) Detail of Sales

(Amount in ₹crore)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	No. of Accounts	16	22
ii)	Aggregate value (Net of Provisions) of Accounts sold to SC/RC	280.20	64.18
iii)	Aggregate consideration	306.08	213.20
iv)	Additional consideration realized in respect of Accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v)	Aggregate gain/(loss)over net book value	25.88	149.02

Pursuant to RBI circular no. DBR.NO.BP.BC.2/21.04.048/2015-16 dated 01.07.2015, the shortfall on account of sale of assets to Reconstruction Companies is being amortized over a period of 2 years. Consequently, ₹13.44 crores has been amortized and charged to the Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2016. The unamortized amount on these accounts as on 31.03.2016 is ₹40.33 crore.

ii) Details of Book Value of investments in Security Receipts

(In ₹ Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Book value of investments in security receipts	332.62	143.96	0.00	0.00	332.62	143.96

D) Details of non-performing financial assets purchased / sold from/ to other banks

I) Details of non-performing financial assets purchased

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹crore)

क्रं सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2	क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्रुसंरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ii) बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	कुल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

ड) स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
स्तरीय आस्तियों निर्मुक्त हेतु प्रावधान	(1.80)	318.00

बैंक द्वारा धारित स्तरीय आस्तियों के लिए किया गया संचित प्रावधान, जो वर्ष की समाप्ति पर ₹1169.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1170.80 करोड़) है, को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के तहत शामिल किया गया है।

10. कारोबार अनुपात

क्रं सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	8.78%	9.21%
ii	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय	0.77%	0.98%
iii	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ	1.61%	1.95%
iv	आस्तियों पर आय	0.07%	0.23%
v	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां अग्रिम) (₹ लाख में)	1688.73	1742.82
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	0.73	2.46

S.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	a) No. of Accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

ii) Details of non-performing financial assets sold:

(Amount in ₹crore)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	No. of Accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

e) Provisions on Standard Assets :

(Amount in ₹crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets / (released)	(1.80)	318.00

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year end amounting to ₹1169.00 crores (previous year ₹1170.80 crores) is included under Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

10) Business Ratios

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.78%	9.21%
ii	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.77%	0.98%
iii	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.61%	1.95%
iv	Return on Assets	0.07%	0.23%
v	Business (Deposits plus advances) per employee (₹in lacs)	1688.73	1742.82
vi	Profit per employee (₹in Lacs)	0.73	2.46



11. आस्ति- देयता प्रबंधन/ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्ति एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता संरचना/ Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(राशि ₹ करोड़ में/Amount in ₹ crore)

परिपक्वता पद्धति Maturity Pattern	1 दिन Day 1	2-7 दिन 2 to 7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह 31 days to 2 Months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months to 6 months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक Over 5 years to 7 years	7 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक Over 7 years to 10 years	10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष तक Over 10 years to 15 years	15 वर्ष से अधिक Over 15 years	कुल Total
निवेश Deposits	2068	7264	5324	11318	19062	21112	27822	50740	25484	6186	16672	15805	46	12	208915
ऋण एवं अग्रिम Loan & Advances	5282	1564	1657	9234	4797	6379	12105	13906	29079	32043	13051	8444	13829	2270	153639
निवेश Investments	1650	2383	1180	1608	708	727	334	1690	7114	8935	10465	15426	8355	5230	65805
उधार Borrowings	3	306	113	500	225	225	0	339	570	42	1525	2700	0	1350	7897
विदेश मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assests	578	864	82	963	411	679	1910	1021	33	56	0	0	0	0	6598
विदेश मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities	379	797	91	1436	102	743	1740	1050	243	165	0	0	0	0	6748

(प्रबंधवर्ग द्वारा तैयार किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया) (Compiled by the management and relied upon by the Auditors)

12. एक्सपोजर/EXPOSURES

क. स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर/a. Exposure to Real Estate Sector :

(राशि करोड़ रु. में) (Amount in ₹ crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
a. Direct Exposure		
i) आवासीय बंधक		
i) Residential Mortgagees		
प्रतिभूति के रूप में बंधक ऐसी आवासीय संपत्ति जिसे उधारकर्ता द्वारा अपने पास रखा जाएगा या किराये पर दिया जायेगा, के विरुद्ध ऋण। Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	11063.07	9271.71
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
ii) Commercial Real Estate		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, कई किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडार गृह स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि गैर-निधि आधारित (एनएफवी) सीमाओं सहित, के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings,	10248.36	10060.11

multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.), including non-fund based (NFB) limits.		
iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	0	0
a) आवासीय		
b) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other Securitised Exposures:		
a) Residential		
b) Commercial Real Estate		
ख. अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
b. Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	4610.32	3456.37
Fund Based and Non-fund Based Exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	25921.75	22788.19

ख. पूंजी बाजार को एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनितों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी आधारभूत निधि का विशिष्ट निवेश कारपोरेट ऋणों में नहीं किया गया है।	380.66	318.75
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनितों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम।	0.08	0.35
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	0.81	78.39
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जो शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा	207.65	150.24

b. Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
(i)	direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	380.66	318.75
(ii)	advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.08	0.35
(iii)	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.81	78.39
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or	207.65	150.24

(v)	परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों की सम्पार्श्विक प्रतिभूति की सीमा तक प्रतिभूत हों अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों /परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा अग्रिम पूरी तरह कवर न हो। शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	80.14	96.38
(vi)	कारपोरेटों को शेयरों/बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कम्पनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान वहन करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु शेयर दलालों को दिया गया वित्त।	0.00	0.00
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए कुल एक्सपोज़र।	297.80	329.85
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोज़र		967.14	973.96

(v)	convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	80.14	96.38
(vi)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;		
(vi)	loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.00	0.00
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	All exposure to Venture Capital Funds(both registered and unregistered)	297.80	329.85
Total Exposure to Capital Market		967.14	973.96

(ग) जोखिम श्रेणीवार देश का एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च, 2016 को एक्सपोज़र (निवल) (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2016 को प्रावधान (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2015 को एक्सपोज़र (निवल) (पिछले वर्ष)	31 मार्च, 2015 को प्रावधान (पिछले वर्ष)
मामूली	826.90	0.00	842.01	0.00
कम	544.06	0.00	846.62	0.00
सामान्यता कम	70.63	0.00	68.49	0.00
सामान्य	16.55	0.00	22.22	0.00
सामान्यता उच्च	1.11	0.00	1.01	0.00
उच्च	12.35	0.00	0.92	0.00
अत्यधिक उच्च	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1,471.61	0.00	1,781.27	0.00

c. Risk Category wise Country Exposure:

(Amount in ₹ crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2016 (Current Year)	Provision held as at March 31, 2016 (Current Year)	Exposure (net) as at March 31, 2015 (Previous Year)	Provision held as at March 31, 2015 (Previous Year)
Insignificant	826.90	0.00	842.01	0.00
Low	544.06	0.00	846.62	0.00
Moderately Low	70.63	0.00	68.49	0.00
Moderate	16.55	0.00	22.22	0.00
Moderately High	1.11	0.00	1.01	0.00
High	12.35	0.00	0.92	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,471.61	0.00	1,781.27	0.00

प्रत्येक देश के लिए जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोजर हेतु बैंक के निवल निधिक ऋण, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम हैं तथा इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

घ) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) के अतिक्रमण के विवरण: (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2016 को बकाया
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ङ) बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण: (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2016 को बकाया
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

च) अप्रतिभूत अग्रिम:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार ऐसे अग्रिमों की राशि, जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे, अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार को मूर्त प्रतिभूती के रूप में लिया गया है, ₹4898.17 करोड़ है तथा इसे तुलन पत्र की अनुसूची 9 के अनुसार रक्षित अग्रिमों के रक्षित अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार के अग्रिम कुल रक्षित अग्रिमों का 3.65% है।

13) अतिरिक्त प्रकटीकरण

क) जमाराशियों का संकेन्द्रीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	25499.43	24595.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	12.21%	12.06%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	14746.93	24210.72
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	9.60%	12.27%

Bank's net funded exposure for risk category-wise country exposures for each country is less than 1% of Bank's total assets as per latest audited Balance Sheet, as such no provision is required in terms of RBI guidelines.

d. Details of Single Borrower Limit (SBL), exceeded by the Bank:

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2016
	NIL	NIL	NIL	NIL

e. Details of Group Borrower Limit (GBL), exceeded by the Bank:

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2016
	NIL	NIL	NIL	NIL

f) Unsecured Advances:

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as tangible security is ₹4898.17 crores as per RBI circular no. DBR.No.BP.BC.2/21.04.048/2015-16 dated 1st July 2015 and the same has been classified as secured forming part of secured advances as reflected in schedule 9 of the Balance sheet. Such advances to total secured advances are 3.65%.

13) ADDITIONAL DISCLOSURE:

a. Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors	25499.43	24595.00
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.21%	12.06%

b. Concentration of Advances

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Advances to twenty largest borrowers	14746.93	24210.72
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.60%	12.27%



ग) एक्सपोजरों का संकेन्द्रीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	28571.35	25893.76
बैंक के कुल एक्सपोजरों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजरों का प्रतिशत	13.02%	12.10%

घ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का संकेन्द्रीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सर्वोच्च चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	3760.09	1074.21

ङ) क्षेत्रवार अग्रिम

e. Sector-wise Advances

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

क्र.सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector*	चालू वर्ष / Current year			पिछला वर्ष / Previous year		
		कुल बकाया अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
1	कृषि और सहयोगी क्रियाकलाप Agriculture and allied activities	21580.14	1364.74	6.32%	18092.68	1038.83	5.74%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में योग्य उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	12529.45	1196.68	9.55%	13580.52	926.95	6.83%
3	सेवाएं / Services	14603.43	791.42	5.96%	12462.39	601.94	4.83%
4	व्यक्तिगत ऋण Personal Loan	8187.89	206.01	3.18%	7246.59	213.80	2.95%
	उप-योग (क) Sub-total (A)	56900.91	3558.85	6.25%	51382.18	2781.52	5.41%
ख	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सहयोगी क्रियाकलाप Agriculture and allied activities	3226.00	232.56	7.21%	0.00	0.00	0.00

c. Concentration of Exposure

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	28571.35	25893.76
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	13.02%	12.10%

d. Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top four NPA accounts	3760.09	1074.21



2	उद्योग / Industry	32638.05	8019.82	24.57%	41388.02	3726.00	9.00%
	जिसमें शामिल है Out of which						
	क. वस्त्र a. Textile	4317.92	861.56	19.95%	4900.89	705.22	14.39%
	ब. लोहा एवं इस्पात b. Iron and Steel	9090.59	4829.60	53.13%	8317.16	991.07	11.92%
	स. खाद्य प्रसंस्करण c. Food Processing	53.42	2.57	4.81%	1749.16	23.81	1.36%
3	सेवाएं / Services	20780.16	942.42	4.54%	22776.51	479.08	2.10%
4	व्यक्तिगत ऋण Personal Loan	40094.26	1948.13	3.20%	32492.23	679.62	2.09%
	उप-योग (ख) Sub-total (B)	96738.47	11142.93	11.52%	96656.84	4884.70	5.05%
	योग (क+ख) Total (A+B)	153639.38	14701.78	9.57%	148039.02	7666.22	5.18%

च) क्षेत्रवार एनपीए

क्रं. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	6.44	5.74
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम तथा बड़े)	20.41	7.80
3	सेवाएं	4.90	3.07
4	वैयक्तिक ऋण	4.46	2.25

छ) एनपीए का उतार चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	01.04.2015 के अनुसार कुल एनपीए (अथ शेष)	7666.22	5617.86
2	वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	10371.43	4514.27
	उप-जोड़ (क)	18037.65	10132.13
	घटाएं:		
(i)	अपग्रेडेशन	519.62	531.18
(ii)	वसूलियां (अपग्रेडिड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	1148.65	1009.79
(iii)	तकनीकी/संभावित रूप से बड़े खाते डाले गए**	1328.71	829.78
(iv)	उपर्युक्त (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते डाले गए	338.99	95.16
	उप-जोड़ (ख)	3335.87	2465.91
	31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल एनपीए-इति शेष-(क) घटा (ख)	14701.78	7666.22

*कुल एनपीए डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी नं.46 / 21.04.048 / 2009-10 दिनांक 24 सितंबर, 2009 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार है जो सकल अग्रिमों, शुद्ध अग्रिमों, सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए की गणना की समान पद्धति बताता है।

f. Sector-wise NPAs

S.no.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		Current Year	Previous Year
1	Agriculture and Allied activities	6.44	5.74
2	Industry (Micro and Small, Medium and Large)	20.41	7.80
3	Services	4.90	3.07
4	Personal Loans	4.46	2.25

g. Movement of NPAs:

(Amount in ₹ crore)

S.no.	Sector	Current Year	Previous Year
1	Gross NPAs* as on 01.04.2015 (Opening balance)	7666.22	5617.86
2	Additions (fresh NPAs) during the year	10371.43	4514.27
	Sub-total (A)	18037.65	10132.13
	LESS:		
(i)	Upgradations	519.62	531.18
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	1148.65	1009.79
(iii)	Technical/Prudential write offs**	1328.71	829.78
(iv)	Write offs other than those under (iii) above	338.99	95.16
	Sub-total (B)	3335.87	2465.91
	Gross NPA as on 31st March, 2016 - Closing balance - (A) less (B)	14701.78	7666.22

*Gross NPAs as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC.No.46/21.04.048/ 2009-10 dated September 24, 2009 which specified a uniform method to compute Gross Advances, Net Advances, Gross NPAs and Net NPAs.



**तकनीकी या विवेकपूर्ण बड़े खाते, गैर-निष्पादित ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया हैं, परंतु प्रधान कार्यालय स्तर पर जिन्हें बड़े खाते (पूर्णतया या आंशिक) डाल दिया गया है। (अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज पर डीबीओडी नं. बीपी.बीसी.6421.04.048 / 2009-10 दिनांक 01 दिसंबर, 2009)

तकनीकी रूप से बड़े खाते डाले गए में उतार चढ़ाव तथा वसूली
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल 2015 को तकनीकी/संभावित रूप से बड़े खाते डाले गए का अधशेष	4555.08	4179.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/संभावित रूप से बड़े खाते डाले गए	1328.71	829.78
उप-जोड़ (क)	5883.79	5009.57
घटाइए: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/संभावित रूप से बड़े खाते डाले गए से हुई वसूलियाँ (ख)	247.64	454.49
31 मार्च, 2016 को इतिशेष (क-ख)	5636.15	4555.08

ज) विदेश में आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल आस्तियां	0.43	0.22
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

झ) प्रायोजित एसपीवी (घरेलू तथा विदेश) – शून्य

ञ) भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी. 6/21.04.141/22015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार चालू वर्ष के दौरान बैंक ने एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों में निवेश में मूल्यहास के पक्ष में वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की सीमा तक ₹53.38 करोड़ (31.03.2015 को) के शेष वाले निवेश आरक्षित खाते से ₹42.26 करोड़ की राशि आहरित की है (इस प्रकार के अतिरिक्त प्रवाधान पर यथालागू, सांविधिक आरक्षित हेतु करों का निवल तथा अंतरण का निवल)।

ट) ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस): बैंक ऋण चूकों की अदला-बदली की नीति बना रहा है। तदनुसार, चालू वर्ष के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस ट्रांजेक्शन नहीं की।

ठ) अंतर्समूह एक्पोजर
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अंतर्समूह एक्पोजर की कुल राशि	218.50	218.50
बीस सबसे बड़े अंतर्समूह एक्पोजर की कुल राशि	218.50	218.50

** Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the book of the branches, but have been written-off (fully or partially) at Head Office level. (DBOD No. BP.BC.6421.04.048/2009-10 dated December 1, 2009 on Provisioning Coverage for Advances)

Movement of Technical Write-offs and the Recoveries
(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 1st April, 2015	4555.08	4179.79
Add: Technical/ Prudential written-offs during the year	1328.71	829.78
Sub Total (A)	5883.79	5009.57
Less: Recoveries made from previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	247.64	454.49
Closing Balance as on 31st March 2016(A-B)	5636.15	4555.08

h. Overseas Assets, NPAs and Revenue
(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Assets	0.43	0.22
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

i. Off Balance Sheet SPVs sponsored (domestic & overseas) - Nil

j. In terms of RBI master circular no. DBR.No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated 1st July, 2015, during the current year the Bank has withdrawn ₹42.26 crore from Investment Reserve account having balance of ₹53.38 crore (as on 31.03.2015) to the extent of provision made during the year towards depreciation in Investment in AFS and HFT categories (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provision).

k. Credit Default Swaps (CDS): Bank has policy in place for Credit default Swaps. However, no CDS transaction has been under taken by the Bank during the current year.

l. Intra-Group Exposure
(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Amount of Intra Group Exposure	218.50	218.50
Total Amount of Top-20 intra group exposure	218.50	218.50

बैंक के कुल एक्सपोजरों में उधारकर्ताओं / ग्राहकों के अंतर्समूह एक्सपोजरों का प्रतिशत	0.10%	0.10%
अंतर्समूह एक्सपोजर में सीमा के उल्लंघन का विवरण और उसके बाद की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	लागू नहीं	लागू नहीं

Percentage of intra group exposure to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.10%	0.10%
Detail of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NA	NA

उ) जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)
(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशि का अथ शेष	295.85	शून्य
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित कुल राशि	120.69	298.35
घटा : डीईएएफ द्वारा दावों के रूप दी गई प्रतिपूर्ति राशि	14.82	2.50
डीईएएफ को अंतरित राशि का इति शेष	401.72	295.85

m. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance of amounts transferred to DEAF	295.85	Nil
Add: Amount transferred to DEAF during the year	120.69	298.35
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claim	14.82	2.50
Closing balance of amounts transferred to DEAF	401.72	295.85

ढ) चलनिधि कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष		
	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	
उच्च गुणवत्ता चल आरिक्त					
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आरिक्त (एचक्यूएलए)	26972.18		25713.60	
नगदी बहिर्गमन					
2	खुदरा जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों की जमा राशि जिसमें शामिल हैं	93121.12	6660.64	85432.20	5277.78
(i)	स्थाई जमा	53029.38	2651.47	65308.84	3265.44
(ii)	कम स्थाई जमा	40091.74	4009.17	20123.35	2012.34
3	असुरक्षित थोक फंडिंग जिसमें शामिल हैं	81389.57	27461.35	74971.60	24447.20
(i)	परिचालित जमा (सभी प्रतिपक्षी)	0.00	0.00	0	0
(ii)	गैर परिचालित जमा (सभी प्रतिपक्षी)	81389.57	27461.35	74971.60	24447.20
(iii)	असुरक्षित-ऋण	0.00	0.00	0	0
4	सुरक्षित थोक फंडिंग		0		0

n. Liquidity Coverage Ratio

(Amount in ₹ crore)

	Current year		Previous Year		
	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	
High quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	26972.18		25713.60	
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	93121.12	6660.64	85432.20	5277.78
(i)	Stable deposits	53029.38	2651.47	65308.84	3265.44
(ii)	Less stable deposits	40091.74	4009.17	20123.35	2012.34
3	Unsecured wholesale funding, of which:	81389.57	27461.35	74971.60	24447.20
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0	0
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	81389.57	27461.35	74971.60	24447.20
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0	0
4	Secured wholesale funding		0		0

5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें शामिल हैं	44.36	44.36	68.54	68.54
(i)	डेरिवेटिव्स एक्सपोजर से संबंधित बाह्य प्रवाह तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	44.36	44.36	68.54	68.54
(ii)	ऋण उत्पादों पर फंडिंग की कमी से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	0	0
(iii)	ऋण तथा तरलता की सुविधाएं	0.00	0.00	0	0
6	अन्य करारगत निधि पोषण से संबंधित बाध्यताएं	23880.40	2361.35	27076.39	2747.77
7	अन्य आकस्मिक निधि पोषण की बाध्यताएं	27445.41	1268.29	27981.06	1399.05
8	कुल नकदी बाह्य प्रवाह		37796.00		33940.34
नकदी अंतर प्रवाह					
9	प्रतिभूतिगत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो)	117.50	0	0	0
10	पूर्ण निष्पादनकारी एक्सपोजर से अंतर प्रवाह	8457.28	5175.97	15401.33	8452.85
11	अन्य नकदी अंतर प्रवाह	199.15	199.15	293.27	293.27
12	कुल नकदी अंतर प्रवाह	8773.93	5375.12	16361.27	8746.12
			कुल समायोजित मूल्य	लागू नहीं	कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		26972.18		25713.60
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		32420.88		25194.22
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		83.19%		102.06%

नोट – तरलता कवरेज अनुपात के प्रकटन की आवश्यकता केवल चालू वर्ष से लागू किए जाने की है।

ग) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी गुणतापरक प्रकटन

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है, जिसे विशेष गम्भीर चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिवस समय हेतु चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। चलनिधि आस्तियों का स्टॉक दबाव परिदृश्य में 30 दिनों तक बैंक की स्थिति बरकरार रखने में सक्षम होना चाहिए, जिसके दौरान यह माना जाता है कि समुचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जनवरी, 2015 के शुरुआत में एलसीआर को 60% तक अनिवार्य कर दिया गया है, जो 2019 तक 100% के स्तर तक पहुंचने के लिए 10% की समान बढ़ोतरी के साथ वृद्धि करेगा। तदनुसार, 01 जनवरी, 2016 से एलसीआर बढ़कर 70% हो गया है। एलसीआर को आगामी 30 कैलेंडर दिवसों के दौरान कुल निवल नकदी बहिर्गमन हेतु उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में परिभाषित किया गया है। तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां शामिल हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा कठिन परिस्थितियों में निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो प्रकार की आस्तियां शामिल हैं, जैसे स्तर 1 एवं स्तर 2 आस्तियां। स्तर 1 आस्तियों में 0% हानि होती है जबकि स्तर 2—क आस्तियों में न्यूनतम 15% की हानि और स्तर 2—ख आस्तियों में न्यूनतम 50% की हानि होती है।

5	Additional requirements, of which	44.36	44.36	68.54	68.54
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	44.36	44.36	68.54	68.54
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	0.00	0.00	0	0
6	Other contractual funding obligations	23880.40	2361.35	27076.39	2747.77
7	Other contingent funding obligations	27445.41	1268.29	27981.06	1399.05
8	Total Cash Outflows		37796.00		33940.34
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	117.50	0	0	0
10	Inflows from fully performing exposures	8457.28	5175.97	15401.33	8452.85
11	Other cash inflows	199.15	199.15	293.27	293.27
12	Total Cash Inflows	8773.93	5375.12	16361.27	8746.12
			Total Adjusted Value	N.A.	Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		26972.18		25713.60
14	Total Net Cash Outflows		32420.88		25194.22
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		83.19%		102.06%

Note - The disclosure requirement of Liquidity Coverage Ratio is applicable from current year only.

o. Qualitative disclosure around LCR

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA)s that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The stock of liquid assets should enable the Bank to survive until day 30 of the stress scenario, by which time it is assumed that appropriate corrective actions can be taken. Beginning January 2015, LCR has been mandated at 60% which is to rise in equal steps of 10% to reach 100% by January 2019. Accordingly, the LCR has increased to 70% with effect from January 01, 2016. LCR has been defined as Stock of high quality liquid assets (HQLAs) over Total net cash outflows over the next 30 calendar days. Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. There are two categories of assets included in the stock of HQLAs, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 1 assets are with 0% haircut while Level 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह, आगामी 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल संभावित नकदी बाह्य प्रवाह में से कुल संभावित नकदी अंतर प्रवाह को घटाकर प्राप्त होता है। कुल संभावित नकदी अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह संविदागत प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के अधिशेष और देयताओं के प्रकार तथा तुलन पत्र से पृथक कमिंटमेंट को उस दर से गुणा करने पर प्राप्त होता है जिस पर वे प्राप्त होने अथवा दिए जाने हैं।

एलसीआर परिणामों के मुख्य कारक तथा समय के साथ एलसीआर गणना हेतु निविष्टियों के अंशदान का उदभव;

i. एलसीआर परिणामों के मुख्य अभिप्रेरक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा से अधिक अतिरिक्त एसएलआर के रूप में उच्च क्वालिटी की चल आस्तियां (एचक्यूएलएल) हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा, एमएसए पात्र एसएलआर प्रतिभूतियों (वर्तमान में एनडीटीएल का 2%) और एलसीआर के लिए चलनिधि उपलब्ध कराने की सुविधा (एफएएलएल सीआर), एनडीटीएल के 5% तक अतिरिक्त चलनिधि सुविधा के रूप में प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के द्वारा एफएएलएलसीआर को बढ़ाकर एनडीटीएल का 8% कर दिया है। इस प्रकार आगे एचक्यूएलएल में बढ़ोत्तरी होगी।

ii. अंतर-अवधि परिवर्तन तथा समयोपरि परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के लिए एलसीआर 85.97% रहा। यह वित्तीय वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में एचक्यूएलएल में गिरावट के कारण कम हो कर 75.07% रह गया। तथापि, तीसरी तिमाही में एचक्यूएलएल में सुधार होकर 83.12% हो गया और वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में इसमें और सुधार हुआ और यह 88.82% हो गया। एलसीआर में तीसरी और चौथी तिमाही में हुई वृद्धि मुख्यतः बढ़े हुए एचक्यूएलएल तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एलसीआर संबंधी दिशानिर्देशों में अनुकूल परिवर्तनों के कारण दिखाई दी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए औसत एलसीआर 83.19% रही।

iii. एचक्यूएलएल की संरचना

एचक्यूएलएल में मुख्यतः अतिरिक्त सीआरआर सहित नकदी, अतिरिक्त एसएलआर, अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत एनडीटीएल के 2% तक सरकारी प्रतिभूतियां (एमएसएफ), अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत एनडीटीएल के 8% तक सरकारी प्रतिभूतियां (एफएएलएलसीआर), सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त दावों अथवा दावों का प्रतिनिधित्व करने वाले विपणन योग्य प्रतिभूतियां, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं और बहुपक्षीय विकास बैंक, जिन्हें 20% का जोखिम भार दिया गया है, बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इसके किसी सहयोगी संस्था जिसे पात्र ऋण मूल्यांकन एजेंसी द्वारा एए- अथवा इससे अधिक की रेटिंग दी गई है, द्वारा जारी न किए गए कारपोरेट बांड, बैंक/पीडी/वित्तीय संस्था अथवा इसकी किसी संबद्ध संस्था आदि के द्वारा जारी न किए गए वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

iv. निधीयन स्रोतों का संकेंद्रण

बैंक ने जमा आधार को भलीभांति व्यापक बनाया है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बैंक की कुल देयताओं की 1% से अधिक कुल जमाराशि रखने वाले कोई जमाकर्ता नहीं हैं।

- v.** डेरीवेटिव एक्सपोजर तथा संभावी संपार्श्विक मांग – शून्य
- vi.** एलसीआर में करेसी असंतुलन – शून्य
- vii.** समूह की यूनिटों के बीच संपर्क और चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीयकरण की डिग्री का विवरण :-

The total net cash outflows is the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash inflows and outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables and types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to flow in or drawn down.

The main drivers of LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation over time;

i. The main drivers of LCR results are High Quality liquid assets (HQLA) in the form of excess SLR over mandatory SLR requirement, MSF eligible SLR securities (presently upto 2% of NDTL) and providing additional liquidity facility in the form of Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR) upto 5% of NDTL. RBI vide circular dated February 11, 2016 has increased the FALLCR to 8% of NDTL, thus increasing the HQLA further.

ii. intra-period changes as well as changes over time;

The LCR for the 1st quarter of FY 2015-16 stood at 85.97%. The same decreased to 75.07% for the 2nd Quarter of FY 2015-16 due to fall in HQLA. However, the LCR for the 3rd Quarter improved to 83.12% and the same further improved to 88.82% for the 4th quarter of FY 2015-16. The increase in LCR in 3rd and 4th quarter can mainly be attributed to higher HQLA and favorable changes in LCR guidelines by RBI. The average LCR for the FY 2015-16 stood at 83.19%.

iii. the composition of HQLA;

HQLA Mainly consists of Cash including excess CRR, excess SLR, Govt. securities upto 2% of NDTL within the mandatory SLR requirement (MSF), Govt. Securities upto 8% of NDTL within the mandatory SLR requirement (FALLCR), Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development Banks that are assigned a 20% risk weight, Corporate bonds not issued by a Bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities, which have been rated AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency, Commercial Papers not issued by a Bank/PD/financial institution or any of its Affiliated entities etc.

iv. concentration of funding sources;

The Bank has well diversified deposit base, none of the depositors had aggregate deposits in excess of 1% of the total liabilities of the Bank as on 31.03.2016.

- v.** derivative exposures and potential collateral calls; - NIL
- vi.** currency mismatch in the LCR; - NIL
- vii.** A description of the degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units:-

The Bank is not having any subsidiary. The Liquidity Management is undertaken at Corporate Office by Treasury Department.

viii. other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the

बैंक की कोई अनुषंगीय संस्था नहीं है। चलनिधि प्रबंधन कारपोरेट कार्यालय में राजकोष विभाग द्वारा किया जाता है।

viii. एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाह तथा बहिर्वाह जिन्हें एलसीआर सामान्य टेम्प्लेट में नहीं दिया गया किंतु संस्था द्वारा इसे चलनिधि प्रोफाइल के लिए संगत माना गया है –शून्य

14) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदण्ड का प्रकटन:

चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित दंडों का भुगतान किया गया है:-

1. सावधि जमाओं से संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की धारा 35, 35ए, 46 तथा 47ए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया ₹1.50 करोड़ का मौद्रिक दंड।

2. ऑफ लाइन अलर्ट की गैर-रिपोर्टिंग के पक्ष में निर्धारित बाध्यता के अनुपालन में हुई चूक हेतु वित्तीय इंटेलिजेंस इकाई इन्ड द्वारा लगाया गया ₹0.01 करोड़ का मौद्रिक दंड।

15) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन

क) लेखांकन मानक एएस-5 – आलोच्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

अनुसूची 16 के अंतर्गत "अन्य व्यय" में शामिल अवधि पूर्व व्यय ₹0.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.26 करोड़) है।

ख) लेखांकन मानक – एएस 6 – मूल्यहास लेखांकन

वर्ष हेतु आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्यहास का मूल्यहास लेखांकन ब्रेकअप

(राशि ₹ करोड़ में)

आस्ति श्रेणी	31.03.2016	31.03.2015
परिसर	16.74	16.97
अन्य अचल आस्तियां	139.11	152.09
कुल	155.85	169.06

ग) लेखांकन मानक – एएस 9 – राजस्व मान्यता:

लेखांकन नीति सं0 3.1 के अनुसार आय की कुछ मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण नकद आधार पर लिया गया है।

घ) लेखांकन मानक – एएस 15 – कर्मचारी लाभ:

बैंक एएफ-15 (संशोधित 2005) कर्मचारी लाभ का अनुसरण कर रहा है। परिभाषित कर्मचारी अंशदान/ लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

I. भविष्य निधि

बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक नियत अंशदान का भुगतान एक अलग न्यास को करता है, जो इन निधियों का निवेश अनुमोदित प्रतिभूतियों में करता है। इस कोष में आलोच्य अवधि के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया गया है। बैंक का दायित्व इस प्रकार के नियत अंशदान तक सीमित है।

institution considers to be relevant for its liquidity profile.--
NIL

14. **Disclosure of Penalties imposed by RBI under Banking Regulation Act, 1949:**

During the current year, the following penalties have been paid by the Bank:-

1. Monetary penalty of ₹1.50 crore imposed by Reserve Bank of India u/s 35, 35A, 46 and 47A of Banking Regulation Act 1949 regarding frauds related to fixed deposits.

2. Monetary penalty of ₹0.01crore imposed by Financial intelligence Unit – IND for failure in compliance with obligations laid down towards non-reporting of off line alert.

15. **DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA.**

a) **Accounting Standard AS-5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies:**

Prior period expenses included in "Other Expenditure" under schedule 16 is ₹0.17 crore (previous year ₹3.26 Crores).

b) **Accounting Standard AS-6 – Depreciation Accounting**
Breakup of Total Depreciation for the year for each class of assets

(Amount in ₹ crore)

Class of Asset	31.03.2016	31.03.2015
Premises	16.74	16.97
Other Fixed Assets	139.11	152.09
Total	155.85	169.06

c) **Accounting Standard AS-9 – Revenue Recognition:**

As per Accounting Policy No. 3.1, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

d) **Accounting Standard AS-15 – Employee Benefits:**

The Bank is following AS-15 (revised 2005) 'Employee Benefits'. The defined employee contribution/ benefit schemes are as under:-

I. **PROVIDENT FUND**

The Bank pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate Trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the profit & loss account. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution.

II. उपदान

बैंक में 01/01/1983 से पहले कार्यग्रहण करने वाले/बनने वाले अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और कर्मकारों के लिए एक परिभाषित उपदान लाभ योजना है। प्रत्येक अधिकारी/कर्मकार जिसने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है वह अधिवार्षिकी, त्यागपत्र देने, सेवा – समाप्ति, विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम 20 माह का उपदान पाने का पात्र है। इस योजना का निधीयन बैंक करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास करता है। इनके दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

III. पेंशन

बैंक में एक परिभाषित पेंशन लाभ योजना है। यह योजना 29/09/1995 की स्थिति के अनुसार बैंक के उन वर्तमान कर्मचारियों पर, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है और इसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना की देखरेख एक अलग न्यास करता है और इसका दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

IV. बीमारी छुट्टी

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी के अनुपालन में, 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने बीमारी छुट्टी के संबंध में ₹73.19 करोड़ दिए (पिछले वर्ष के दौरान ₹67.52 करोड़ रिवर्स हुए)।

V. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभों में कर्मचारियों और आश्रितों को उनके गृह नगर (होम टाऊन) में बसाना और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ये गैर निधिक हैं और इन्हें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना गया है।

लाभ एवं हानि खाता और तुलन पत्र में लिए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिक स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

मर्दे	निधिक				गैर-निधिक	
	ग्रेच्युटी		पेंशन		छुट्टी नकदीकरण	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
क. परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन:						
परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष	686.40	640.47	4323.04	3832.78	302.49	264.39
(जोड़े) वेतन संघेधन खाते में विभिन्न भुगतान	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28	0.00
अभिग्रहण समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	36.48	31.97	123.56	114.07	21.91	15.54
ब्याज लागत	61.05	57.64	385.84	344.95	27.36	23.80
गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि/(लाभ)	11.44	0.14	218.33	143.94	124.06	26.66
प्रदत्त लाभ	-64.63	-43.82	-187.71	-112.70	-80.34	-27.90
परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49

II. Gratuity

The Bank has defined benefit gratuity plans for Officers who have joined / became Officer before 01/01/1983, Other Officers and Workman. Every Officer / workman who have rendered continuous services of five years or more is eligible for Gratuity, subject to a maximum of 20 months on superannuation, resignation, termination, disablement or on death. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

III. Pension

The Bank has a defined benefit pension Plan. The plan applies to existing employees of the Bank as on 29/09/1995 who have opted for the pension scheme and to all employees joining, thereafter. The scheme is managed by a separate Trust and the liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

IV. Sick Leave

In compliance to RBI observations, the Bank has provided for ₹73.19 crores towards sick leaves during the year ended 31.03.2016 (₹67.52 crores reversed during the previous year).

V. Other Defined Retirement Benefits (ODRB)

Other Defined Retirement Benefits (ODRB) include leave encashment, settlement at home town for employees and dependents and post retirement medical benefit for CMD & ED. These are unfunded and are recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of various defined benefits recognized in the profit and loss account and balance sheet along with the funded status are as under:

(Amount in ₹Crore)

Items	FUNDED				UNFUNDED	
	Gratuity		Pension		Leave Encashment	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
a) Changes in the Defined Benefit Obligation:						
Opening defined benefit obligation	686.40	640.47	4323.04	3832.78	302.49	264.39
(Add) difference Paid on account of wage revision	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28	0.00
Acquisition Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current Service Cost	36.48	31.97	123.56	114.07	21.91	15.54
Interest Cost	61.05	57.64	385.84	344.95	27.36	23.80
Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial loss/(gain)	11.44	0.14	218.33	143.94	124.06	26.66
Benefits paid	-64.63	-43.82	-187.71	-112.70	-80.34	-27.90
Closing defined benefit obligation	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49

ख.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन						
	आस्तियों का उचित मूल्य अथशेष	648.66	589.68	4294.68	3380.54		
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय	58.37	53.07	386.52	304.25		
	बीमाकिक (लाम)/ हानि	-3.98	-1.06	-00.87	23.57		
	नियोक्ता द्वारा अंशदान	89.10	50.79	442.08	528.13		
	प्रदत्त लाम	-64.63	-43.82	-187.71	-112.70		
	परिशोधित राशि	0.00	0.00	0.00	170.90		
	आस्तियों का उचित मूल्य इतिशेष	727.52	648.66	4934.68	4294.69		
ग.	तुलनपत्र में ली गई राशि						
	बाध्यता का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में - (i)	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49
	आस्तियों से निम्न उचित मूल्य - वर्ष के अंत में - (ii)	727.52	648.66	4934.68	4294.69	0.00	0.00
	अंतर (ii) - (i)	-14.58	-37.74	-14.96	-28.35	-405.76	-302.49
	तुलनपत्र में ली गई निवल (आस्ति/ देयता)	-14.58	-37.74	-14.96	-28.35	-405.76	-302.49
घ.	लाम हानि खाते में लिया गया व्यय:						
	वर्तमान सेवा लागत	36.48	31.97	123.56	114.07	21.91	15.54
	पिछली सेवा लागत/ मान्य	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	परिभाषित लाम बाध्यता पर ब्याज	61.05	57.64	385.84	344.95	27.37	23.80
	योजना आस्तियों पर अनुमानित आय	-58.38	-53.07	-386.52	-304.25	0	0.00
	चालू वर्ष में लिया गया निवल बीमाकिक घाटा/(लाम)	15.42	1.20	219.21	120.37	124.06	26.66
	लाम-हानि खाते में लिया गया व्यय	54.58	37.74	342.09	275.14	173.34	66.00
ङ.	तुलनपत्र में ली गई देयता में उत्तर-चढ़ाव						
	निवल देयता अथशेष	686.40	640.47	4323.04	3832.78	302.49	264.39
	(जोड़े) वेतन संशोधन खाते में विभिन्न मुग्तान	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28	0.00
	उपरोक्तानुसार व्यय	54.58	37.74	342.09	275.14	173.34	66.00
	प्रदत्त लाम	-64.63	-43.82	-187.71	-112.70	-80.34	-27.90
	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय	54.39	52.01	385.64	327.82	0	0.00
	अर्जन समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	निवल देयता/(आस्ति) इतिशेष	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49

b)	Changes in Fair value of Plan Assets:						
	Opening fair value of Assets	648.66	589.68	4294.68	3380.54		
	Expected return on plan assets	58.37	53.07	386.52	304.25		
	Actuarial (gain)/ loss	-3.98	-1.06	-00.87	23.57		
	Contributions by employer	89.10	50.79	442.08	528.13		
	Benefits paid	-64.63	-43.82	-187.71	-112.70		
	Amount amortized	0.00	0.00	0.00	170.90		
	Closing fair value of assets	727.52	648.66	4934.68	4294.69		
c)	Amount recognised in the Balance Sheet:						
	Present Value of Obligation - as at the year end - (i)	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49
	Fair value of the Assets - as at the year end- (ii)	727.52	648.66	4934.68	4294.69	0.00	0.00
	Difference (ii) - (i)	-14.58	-37.74	-14.96	-28.35	-405.76	-302.49
	Net asset/(liability) recognised in the Balance Sheet	-14.58	-37.74	-14.96	-28.35	-405.76	-302.49
d)	Expenses recognised in the Profit and Loss account::						
	Current Service cost	36.48	31.97	123.56	114.07	21.91	15.54
	Past service cost/ recognised	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interest on defined benefit obligation	61.05	57.64	385.84	344.95	27.37	23.80
	Expected return on plan assets	-58.38	-53.07	-386.52	-304.25	0.00	0.00
	Net actuarial loss/(gain) recognised in the current year	15.42	1.20	219.21	120.37	124.06	26.66
	Expenses recognised in the P&L a/c	54.58	37.74	342.09	275.14	173.34	66.00
e)	Movements in the Liability recognised in the Balance Sheet						
	Opening Net Liability	686.40	640.47	4323.04	3832.78	302.49	264.39
	(Add) difference Paid on account of wage revision	11.36	0.00	86.58	0.00	10.28	0.00
	Expense as above	54.58	37.74	342.09	275.14	173.34	66.00
	Benefit paid	-64.63	-43.82	-187.71	-112.70	-80.34	-27.90
	Actual return on Plan asset	54.39	52.01	385.64	327.82	0.00	0.00
	Acquisition Adjustment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Closing Net liability/(asset)	742.10	686.40	4949.64	4323.04	405.76	302.49

च.	योजना आस्तियों के विवरण (विनिधान)						
	सरकारी प्रतिभूतियां	195.50	192.61	2002.81	2991.16		
	कॉर्पोरेट बॉण्ड/ डिबेंचर	90.14	90.14	1068.75	930.36		
	बैंकों में जमाराशियां	0.00	0.00	30.00	128.00		
	बीमा कंपनियों द्वारा प्रबंधित निधियां	380.00	280.71	1538.95	57.00		
	अन्य	61.88	85.20	69.00	53.94		
	कुल	727.52	648.66	4709.51	4160.46		
	उपर्युक्त में से ओबीसी बॉण्ड/जमाराशियों में विनिधान	59.20	59.20	58.00	58.00		
छ.	प्रयुक्त प्रमुख बीमाकिक धारणाएं						
	प्रयुक्त पद्धित	अनुमानित यूनिट ऋण		अनुमानित यूनिट ऋण			
	बढटा दर (वार्षिक)	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%
	योजना आस्तियों पर आय की अनुमानित दर (वार्षिक)	8.87%	9.00%	8.87%	9.00%	0.00%	0.00%
	भावी वेतन वृद्धि	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%
ज.	अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ – गैर-निधिक						
		बीमारी की छुट्टी		चिकित्सा सहायता			
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15		
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में		
	परिभाषित लाभ बाध्यता अधशेष	69.27	67.52	2.18	1.67		
	वर्तमान सेवा लागत	3.99	3.68	0.04	0.07		
	ब्याज लागत	6.06	6.07	0.19	0.15		
	प्रदत्त लाभ	0.00	0.00	-0.20	-0.11		
	बीमाकिक हानि/लाभ	-6.13	-8.00	0.14	0.44		
	परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष	73.19	69.27	2.35	2.18		
झ.	प्रयुक्त प्रमुख बीमाकिक धारणाएं						
	बढटा दर (वार्षिक)	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%		
	भावी वेतन वृद्धि	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%		

टिप्पणियां :

- बीमाकिक मूल्यांकन में ली गई भावी वेतन वृद्धि का अनुमान महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- आलोच्य वर्ष के दौरान छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹37.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹33.48 करोड़) तथा स्टाफ सैटलमेंट व्यय हेतु ₹3.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.81 करोड़) प्रावधान किया गया है जो बीमाकिक प्रमाणपत्र के अनुसार है।

f)	Details of Plan Assets (Investments):						
	Government Securities	195.50	192.61	2002.81	2991.16		
	Corporate Bonds/debentures	90.14	90.14	1068.75	930.36		
	Deposit in banks	0.00	0.00	30.00	128.00		
	Funds managed by Insurance Co.	380.00	280.71	1538.95	57.00		
	Others	61.88	85.20	69.00	53.94		
	Total	727.52	648.66	4709.51	4160.46		
	Of the above, investment in OBC Bond/deposits	59.20	59.20	58.00	58.00		
g)	Principal actuarial assumptions used:						
	Method used	Projected Unit Credit		Projected Unit Credit			
	Discount rate (p.a.)	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%
	Expected rate of return on plan assets (p.a.)	8.87%	9.00%	8.87%	9.00%	0.00%	0.00%
	Future Salary increase	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%
h)	Other Long Term Employee Benefits – unfunded						
		Sick Leave		Medical Aid			
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15		
		₹in crore	₹in crore	₹in crore	₹in crore		
	Opening defined benefit obligation	69.27	67.52	2.18	1.67		
	Current Service Cost	3.99	3.68	0.04	0.07		
	Interest Cost	6.06	6.07	0.19	0.15		
	Benefits paid	0.00	0.00	-0.20	-0.11		
	Actuarial loss/gain	-6.13	-8.00	0.14	0.44		
	Closing defined benefit obligation	73.19	69.27	2.35	2.18		
i)	Principal actuarial assumptions used:						
	Discount rate (p.a.)	8.50%	8.75%	8.50%	8.75%		
	Future Salary increase	5.00%	5.25%	5.00%	5.25%		

NOTE:

- The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, takes into account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- The provision for LFC is at ₹37.38 crore (previous year ₹33.48 crore) and Staff settlement expenses at ₹3.15 crore (previous year ₹2.81 crore) which are as per Actuarial Certificate.

- पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों में ट्रस्ट द्वारा बैंक के अपने टियर 2 बॉण्डों में निवेश की गई क्रमशः ₹58.00 करोड़ तथा ₹59.20 करोड़ की राशियां शामिल हैं, जो पहले वर्ष जारी किए गए थे तथा अन्य नियम एवं शर्तें ट्रस्ट एवं अन्य द्वारा दिया गया अनुदान।

च) लेखांकन मानक – 17 : खण्डवार रिपोर्टिंग:

- i) कारोबार खंड जो प्राथमिक खंड है, में निम्नलिखित शामिल हैं
- राजकोषीय परिचालन
 - कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
 - खुदरा बैंकिंग
 - अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन
- ii) भौगोलिक खण्ड को गौण खण्ड के रूप में माना जाता है। चूंकि बैंक का विदेश में कोई परिचालन नहीं है, इसलिए भौगोलिक खण्ड में रिपोर्ट करने योग्य केवल घरेलू परिचालन हैं।
- राजकोषीय परिचालन : राजकोषीय परिचालन में प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार परिचालन में लेनदेन शामिल है।
 - कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग : इनमें न्यासों, भागीदार फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग में शामिल नहीं किया गया।
 - रिटेल बैंकिंग : व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, भागीदार फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि अथवा लघु कारोबार को ₹5.00 करोड़ तक का ऋण रिटेल बैंकिंग के तहत आता है। लघु कारोबार वह है जहां पिछले तीन वर्षों का वार्षिक पण्यावर्त (टर्नओवर) (मौजूदा कम्पनी के लिए वास्तविक और नई कम्पनी के लिए पूर्वानुमानित) ₹50 करोड़ से कम हो।
 - अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन : इनमें राजकोष, थोक बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग खण्डों में शामिल न किए गए अन्य सभी बैंकिंग परिचालन आते हैं। अन्य बैंकिंग कारोबार अवशिष्ट श्रेणी हैं।
- iii) राजकोषीय परिचालनों से हुए खंड राजस्व को, राजकोषीय परिचालन में प्रयुक्त औसत अंतर-खण्डीय निधियों पर ब्याज के बाद दर्शाया गया है। ब्याज निधि लागत की दर पर प्रभाषित किया गया है अर्थात् आलोच्य वर्ष हेतु औसत कार्यशील निधियों पर व्यय किए गए कुल ब्याज का प्रतिशत।

- Plan Assets of the Pension & Gratuity fund include amount of ₹58.00 crore and ₹59.20 crore respectively invested by the trust in the Bank's own Tier 2 Bonds which were issued in earlier years and subscribed by trusts and others on same terms and conditions.

e) Accounting Standard AS-17 – Segment Reporting:

- i) The Business Segments, which is the Primary Segment include:
- Treasury Operations
 - Corporate / Wholesale banking
 - Retail banking
 - Other banking business operations
- ii) The Geographical segments are recognized as the Secondary Segment. As the Bank is not carrying on any foreign operations, the only reportable geographical segment is of Domestic operations.
- Treasury Operations : Treasury operations consist of dealing in securities and Money Market Operations
 - Corporate / Wholesale Banking: Includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included under "Retail Banking"
 - Retail Banking: The exposure up to ₹5.00 Crores to individual, HUF, Partnership firm, Trust, Private Ltd. Companies, public Ltd. Companies, Co-operative societies etc. or to a small business is covered under retail banking. Small business is one where average of last three years' annual turnover (Actual for existing & projected for new entities) is less than ₹50.00 crores.
 - Other banking business operations: Includes all other Banking operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail banking Segments. Other banking business is the residual category.
- iii) The segment revenue is shown after interest on average inter-segment funds used in Treasury Operations. The interest has been charged at the rate based on the movements in Cost of Funds i.e. percentage of total interest expended to average working funds for the year.

भाग क-कारोबार खण्ड

Part A - Business Segment

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ crore)

कारोबार खण्ड Business Segments	राजकोषीय Treasury		कारपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year *	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	5419.06	5142.42	12880.46	12761.31	7495.60	7884.43	259.51	272.30	26054.63	26060.46
परिणाम Result	926.88	637.37	-1104.01	-401.41	277.40	226.35	119.78	127.61	220.05	589.92
कुल अनाबंटित आय में से अनाबंटित व्यय Un-allocable Expenditure net off un-allocable income									-105.79	-44.86
परिचालन लाभ Operating Profit									325.84	634.78
आयकर Income Taxes									169.76	137.70
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary Profit/ Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									156.08	497.08
अन्य सूचना Other Information:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
खण्ड आस्तियां Segment Assets	68027.80	64358.50	149021.05	138293.94	81942.94	86391.31	2027.02	1470.01	301018.81	290513.76
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets									2434.10	2006.55
कुल आस्तियां Total Assets									303452.91	292520.31
खण्ड देयताएं Segment Liabilities	68027.80	64358.50	149021.05	138293.94	81942.94	86391.31	2027.02	1470.01	301018.81	290513.76
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									2434.10	2006.55
कुल देयताएं Total Liabilities									303452.91	292520.31

(प्रबंध वर्ग द्वारा तैयार किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)

(Compiled by management and relied upon by the Auditors)

*केवल प्रत्यक्ष लागत के आबंटन पर आधारित

*based on allocation of direct cost only.

पूर्व आंकड़ों को जरूरत के अनुसार पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

Due to change in methodology in current year, previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.



लेखांकन मानक-एएस 18 : संबंधित पार्टी प्रकटन / g). Accounting Standard AS-18 – Related Party disclosures:

बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

Details pertaining to Related Party Transactions in respect of key managerial personnel of the Bank are as follows:-

(राशि ₹ लाख में) / (Amount in ₹ lac)

क्र.सं. S.No.	नाम Name	संबंध Relationship	लेनदेन का स्वरूप Nature of Transaction	2015-16	2014-15
1	श्री अनिमेष चौहान Sh. Animesh Chauhan	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO	पारिश्रामिक Remuneration	21.21	4.74
2	श्री एस. एल. बंसल Sh. S.L. Bansal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2014 तक) Chairman & Managing Director (upto 30.09.2014)	पारिश्रामिक Remuneration	--	16.63
3	श्री भूपिन्दर नैय्यर Sh. Bhupinder Nayyar	कार्यकारी निदेशक (30.06.2015 तक) Executive Director (upto 30.06.2015)	पारिश्रामिक Remuneration	4.53	22.36
4	श्री सुरेश एन. पटेल Sh. Suresh N Patel	कार्यकारी निदेशक (02.11.2015 तक) Executive Director (upto 02.11.2015)	पारिश्रामिक Remuneration	10.54	17.73
5	श्री राजकिरण राय जी. Sh. Rajkiran Rai G.	कार्यकारी निदेशक (22.01.2016 तक) Executive Director (from 22.01.2016)	पारिश्रामिक Remuneration	3.31	-

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा निगम कम्पनी लिमिटेड-(सहयोगी)

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited - (Associate)

ज) लेखांकन मानक –एएस 19 – पट्टा

बैंक ने ऐसी कोई वित्तीय लीज़, परिचालनपरक लीज़ जो मुख्यतः कार्यालय परिसरों से संबंधित होती हैं, नहीं की, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरण योग्य हो।

h) Accounting Standard AS-19 – Leases:

The Bank has not entered into any transaction of Financial Lease, Operating lease primarily comprises of office premises, which are renewable at the option of the Bank.

झ) लेखांकन मानक –एएस 20 – प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.)

i) Accounting Standard AS-20 - Earnings per Share (EPS):

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछले वर्ष
		ठैपब	क्पसनजमक	
i)	मूल/हासित प्रति शेयर अर्जन (₹.)	5.20	5.20	16.58
ii)	मूल/हासित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन			
क)	असाधारण मदों के बाद और कर पश्चात् निवल लाभ (करोड़ ₹.)	156.08	156.08	497.08
ख)	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	299966496	300101867	299848743
ग)	मूल प्रति शेयर अर्जन (क/ख)	5.20	5.20	16.58
घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00	10.00

S. No.	Particulars	Current Year		Previous Year
		Basic	Diluted	
i)	Basic/Diluted EPS. (₹)	5.20	5.20	16.58
ii)	Calculation of Basic/Diluted EPS.			
a)	Net Profit after Extraordinary Items and after Tax (₹ Crores)	156.08	156.08	497.08
b)	Weighted Average No. of Equity Shares	299966496	300101867	299848743
c)	Basic Earning per Share (a/b) (₹)	5.20	5.20	16.58
d)	Nominal value per Share (₹)	10.00	10.00	10.00

ञ) लेखांकन मानक – 22 आय पर कर हेतु लेखांकन

बैंक ने आस्थगित आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की है। आस्थगित आस्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण की प्रमुख मदें नीचे दी जा रही है:-

j) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities. The break up of deferred tax assets and liabilities in to major

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) आस्थगित कर आस्तियां :		
छुट्टी नकदीकरण / छुट्टी किराया रियायत आदि के लिए प्रावधान	174.00	110.00
पूजीगत ब्याज हेतु प्रावधान (निधिक ब्याज)	269.00	345.00
आकस्मिकताओं हेतु अन्य प्रावधान	82.00	72.00
क का जोड़	525.00	527.00
ख) आस्थगित कर देयताएं :		
उपचित ब्याज परन्तु विनिधानों पर अदेय	(424.00)	(433.00)
अनुच्छेद 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	(549.00)	(501.00)
विनिधानों का मूल्यहास	(18.00)	(4.00)
ख का जोड़	(991.00)	(938.00)
निवल आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं)	(466.00)	(411.00)
आस्थगित कर आस्ति / (देयता) (पूर्णांकित)	(466.00)	(411.00)

ट) लेखांकन मानक – 28 आस्तियों की अनर्जकता

बैंक की आस्तियों में मुख्यतः वित्तीय आस्तियां शामिल हैं जो एएस-28 'आस्तियों की अनर्जकता' के तहत नहीं आतीं। बैंक प्रबंधन के मतानुसार उक्त लेखांकन मानक के अनुसार इसकी गैर वित्तीय आस्तियों के मूल्य में कोई अनर्जकता नहीं है।

ठ) लेखांकन मानक – 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

लेखों की अनुसूची 12 (खण्ड (i) और (vi)) में यथाउल्लिखित आकस्मिक देयताएं, अदालती मामलों के निष्कर्षों/ विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष दायर अपीलों के निपटान/ न्यायालय के बाहर समझौते तथा अन्य किसी घटना, यदि कोई हो, पर निर्भर है। उक्त अनुसूची की मद संख्या (I) और (ii) के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

ड) अस्थायी प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क.	अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष	24.12	48.24
ख.	लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग.	लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कमी की राशि	0.00	24.12
घ.	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	24.12	24.12

16. इश्योरेंस एवं अन्य त्रिपक्षीय उत्पाद के संबंध में शुल्क/प्राप्त कमीशन:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	जीवन बीमा	11.46	9.11
2.	सामान्य बीमा एवं मेडिकलेम	8.72	8.14
3.	सामाजिक सुरक्षा योजना – पीएमजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई	2.57	0.00
4.	म्यूचुअल फंड	0.38	0.42
5.	क्रेडिट कार्ड	0.80	0.60
6.	यूआईडी – आधार	0.00	0.84
7.	कुल	23.93	19.11

items is given below:

(₹ in crores)

Particulars	Current Year	Previous Year
A. Deferred Tax Assets:		
Provision for Leave Encashment/LFC etc	174.00	110.00
Provision for Interest Capitalized (Funded Interest)	269.00	345.00
Other Provisions for contingencies	82.00	72.00
Total of A	525.00	527.00
B. Deferred Tax Liabilities:		
Interest Accrued but not due on Investments	(424.00)	(433.00)
Special Reserve under section 36(1)(viii)	(549.00)	(501.00)
Depreciation on fixed assets	(18.00)	(4.00)
Total of B.	(991.00)	(938.00)
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	(466.00)	(411.00)
Deferred Tax Asset/(liability) (Rounded off)	(466.00)	(411.00)

क) Accounting Standard – 28 Impairment of Assets:

The Bank's assets substantially comprise of financial assets, which are not covered by AS-28 'Impairment of Assets'. In the opinion of Bank's management there is no impairment in the value of its non financial assets in terms of said Accounting Standard.

l) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Contingent Liabilities as stated in Schedule 12 [clause (i) and (vi)] to the accounts are dependent on the outcome of court cases / disposal of appeals filed before various authorities / out of court settlement and other development if any. No reimbursement is expected in respect of items Nos. (i) and (vi) of said schedule.

m) Floating Provisions

(Amount in ₹ crores)

S. No.	Particulars	Current year	Previous year
a.	Opening balance in the floating provision a/c	24.12	48.24
b.	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c.	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	24.12
d.	Closing balance in the floating provisions a/c	24.12	24.12

16) FEE/COMMISSION EARNED IN RESPECT OF INSURANCE AND OTHER THIRD PARTY PRODUCTS :

(Amount in ₹ crores)

S. No.	Product	Current Year	Previous Year
1.	Life Insurance	11.46	9.11
2.	General Insurance & Mediclaim	8.72	8.14
3.	Social Security Schemes – PMJJBY & PMSBY	2.57	0.00
4.	Mutual Funds	0.38	0.42
5.	Credit Cards	0.80	0.60
6.	UID – Aadhaar	0.00	0.84
7.	Total	23.93	19.11



17. पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में समामेलन :

पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (ईजीटीबी) आर्थिक कार्य विभाग(बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार योजना के रूप में अधिसूचित समामेलन योजना के अनुसार समामेलित किया गया। इस योजना के अनुसार, पूर्ववर्ती जीटीबी का कारोबार, संपत्तियां, आस्तियां और देयताएं निर्धारित तिथि 14 अगस्त, 2004 से बैंक को हस्तांतरित हो गई हैं।

बैंक ने पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की, उक्त योजना के अनुसार मूल्यांकित और निर्धारित आस्तियों और देयताओं सहित बैंक की पुस्तकों में ₹1285.26 करोड़ के सकल सहज वसूली अयोग्य अग्रिम, उनके प्रति ₹821.16 करोड़ का प्रावधान तथा विवादग्रस्त मांगों के प्रति ₹41.21 करोड़ के प्रदत्त आयकर की सहज वसूली अयोग्य आस्तियां सम्मिलित की हैं।

“दिनांक 31.03.2016 को सहज वसूली अयोग्य आस्तियां ₹9.76 करोड़ (अग्रिम ₹0.68 करोड़ अन्य आस्तियां ₹9.08 करोड़) हैं, पिछले वर्ष में ₹9.76 करोड़ (अग्रिम ₹0.68 करोड़, अन्य आस्तियां ₹9.08 करोड़) थीं। बकाया सहज वसूली अयोग्य आस्तियों के लिए बैंक ने पूरा प्रावधान किया है। समायोजन योजना के अंतर्गत निवल घाटा दिनांक 31.03.2016 को ₹549.50 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष यह ₹555.42 करोड़ था।

बैंक ने अधिगृहीत सहज वसूली अयोग्य आस्तियों के प्रति अंतिम वसूली के आकलन के लिए मेमोरैंडम रिकार्ड रखने का निर्णय लिया है। सहज वसूली अयोग्य आस्तियों को जिस मूल्य पर अधिगृहीत किया गया था उससे अधिक मूल्य पर अंतिम वसूली होने की स्थिति में, अधिगृहीत आस्तियों पर देयताओं के आधिक्य से अधिक होने पर, व्यय इत्यादि के समायोजन के बाद अधिशेष राशि को बारह वर्षों की अवधि के पश्चात् अथवा इससे पहले जो इस योजना के तहत निर्धारित हो, पूर्ववर्ती जीटीबी के पूर्ववर्ती शेयरधारकों में बांट दिया जाएगा।

18. लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(i) विनिधान पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	51.74	61.04
(ii) एनपीए के लिए प्रावधान	3608.75	1991.26
(iii) आयकर के लिए प्रावधान (एफबीटी तथा आस्थगित कर सहित)	169.76	134.70
(iv) अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		
(क) गैर निष्पादनकारी विनिधान	16.99	8.55
(ख) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान / निर्मुक्त	(1.80)	318.00
(ग) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	0.00	309.74

17. AMALGAMATION OF ERSTWHILE GLOBAL TRUST BANK LTD. WITH ORIENTAL BANK OF COMMERCE:

The erstwhile Global Trust Bank Ltd. (eGTB) was amalgamated with the Bank as per the scheme of amalgamation notified by the Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs (Banking Division) “the Scheme”. As per the Scheme, the business, properties, assets and liabilities of eGTB stand transferred to the Bank with effect from August 14, 2004, the prescribed date.

The Bank has incorporated the gross “Not Readily Realisable” Advances of ₹1,285.26 crores, a provision of ₹821.16 crores there against and “Not Readily Realisable” Assets comprising of Income-tax paid amounting to ₹41.21 crores against disputed demands, in the books of the Bank along with assets and liabilities of eGTB as valued and determined in terms of the Scheme.

“Not Readily Realizable Assets” as on 31.03.16 is ₹9.76 crores (Advances ₹0.68 crores, other Assets ₹9.08 crores), previous year figures ₹9.76 Crores (Advances ₹0.68 crores, other Assets ₹9.08 crores). The outstanding NRRAs are fully provided for by the Bank. Net Deficit under the scheme of amalgamation as on 31.03.16 is ₹549.50 crores previous year figures ₹555.42 Crores.

The Bank has decided to maintain memorandum records for ascertaining the ultimate realization against the Not Readily Realizable Assets taken over. In the event of the ultimate realization from the Not Readily Realizable Assets, over and above the value at which they are taken over, exceeding the Excess of liabilities over assets taken over, the surplus after adjustment of expenses, etc. will be distributed to the erstwhile shareholders of eGTB after a period of twelve years or earlier as prescribed under the scheme.

18) BREAK UP OF PROVISIONS AND CONTINGENCIES SHOWN UNDER THE HEAD EXPENDITURE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Amount in ₹ Crores)

	Current Year	Previous Year
(i) Provisions for depreciation on Investment	51.74	61.04
(ii) Provision towards NPA	3608.75	1991.26
(iii) Provision made towards Income Tax (including FBT and Deferred Tax)	169.76	134.70
(iv) Other Provisions and Contingencies (with details)		
(a) Non Performing Investments	16.99	8.55
(b) Provisions towards Standard Assets/(released)	(1.80)	318.00
(c) Provision for Wage Revision	0.00	309.74

(घ) एफआईटीएल हेतु प्रावधान	(63.84)	327.03
(ङ) छोड़े गए ब्याज हेतु प्रावधान / निर्मुक्त	(255.83)	178.29
(च) अन्य	0.21	120.96
कुल	3525.99	3449.57

19. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बी.पी.बीसी.92 / 21.04.048 / 2015-16 दिनांक 18.04.2016 के संदर्भ में प्रकटन। अपेक्षित विवरण निम्नानुसार है:

आरक्षित से निकाला गया

(राशि ₹ करोड़ में)

		2015-16
क	रिपोर्ट की धोखाधड़ियों की सं.	20
ख	ऐसी धोखाधड़ियों में शामिल राशि (निवल वसूली)	632.04
ग	किए गए प्रावधान की मात्रा	
	(i) वर्ष 2015-16 के दौरान	576.31
	(ii) वर्ष 2014-15 के दौरान	24.46
	कुल (i + ii)	600.77
घ	वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षितों' से परिशोधित प्रावधान की मात्रा	31.27

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2014-15 / 535 डीबीआर नं. बीपी. बीसी. 83 / 21.04. 048 / 2014-15 दिनांक 01.04.2015 के अनुपालन में बैंक ने धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में 31/03/2016 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹576.31 करोड़ (पिछले वर्ष रु.24.46 करोड़) का प्रावधान किया है तथा ₹31.27 करोड़ की अप्रदत्त शेष राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2015-16 / 376 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.92.21 / 04.048 / 2015-16 दिनांक 18 / 04 / 2016 के अनुसार राजस्व तथा अन्य आरक्षितों को डेबिट की गई। अगले वित्तीय वर्ष में आने वाली तिमाहियों में लाभ एवं हानि खाते को डेबिट करते हुए इसे प्रतिवर्त किया जाएगा।

20. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर नं. बीपी.बीसी.27 / 21.04 / 048 / 2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसरण में पुनर्संरचना पर अग्रिमों के उचित मूल्य में कटौती निर्धारित करने के लिए भविष्यगत नकद प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना हेतु बड़े दर की गणना की पद्धति में परिवर्तन किया गया है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु उचित मूल्य में हास के लिए ₹114.43 करोड़ की प्रावधानीकरण में कमी आई है।

21. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर नं. बीपी.13018 / 21.04.048 / 2015-16 दिनांक 12.04.2016 के अनुपालन में बैंक ने 31.03.2016 के अनुसार खाद्य संघ (पंजाब सरकार) को बकाया अग्रिम पर 7.5% पर ₹74.89 करोड़ का प्रावधान किया है, जबकि खाता अभी मानक ही वर्गीकृत किया गया है। खाद्य संघ (पंजाब सरकार) को बकाया अग्रिम पर 7.5% पर शेष प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष की जून तिमाही में किया जाएगा।

(d) Provision for FITL / (released)	(63.84)	327.03
(e) Provision for scarifies interest / (released)	(255.83)	178.29
(f) Others	0.21	120.96
TOTAL	3525.99	3449.57

19. Disclosures in terms of RBI circular no. DBR.No.B.P.BC.92/ 21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016. The required details is as under:-

Draw Down from Reserves

(Amount in ₹crore)

		2015-16
a	No. of frauds reported	20
b	Amount involved in such frauds (net of recovery)	632.04
c	Quantum of provision made	
	(i) during the year 2015-16	576.31
	(ii) during the year 2014-15	24.46
	Total (i + ii)	600.77
d	Quantum of unamortized provision debited from 'other Reserves' at the end of the year	31.27

Pursuant to RBI Circular No. RBI / 2014-15 / 535 DBR.NO.BP. BC.83 / 21.04.048 / 2014-15 dated 01.04.2015, the Bank has made a provision of Rs.576.31 Crore (Previous year Rs.24.46 crore) during the year ended 31/03/2016 in respect of frauds/suspected frauds and balance unprovided amount of Rs. 31.27 Crore has been debited to Revenue & Other Reserves in terms of RBI circular no. RBI/2015-16/376 DBR No.BP.BC.92.21/04.048/2015-16 dated 18/04/2016. The same will be reversed by debit to the Profit & Loss account in subsequent quarters in the next financial year.

20. Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.27/21.04/048/2015-16 dated 01.07.2015, there has been a change in the method of calculating discount rate for computing Net Present Value (NPV) of future cash flows for determination of erosion in fair value of advances on restructuring. As a result, there is a reduction of provisioning for diminution in fair value by Rs. 114.43 Crore for the year ended 31st March 2016.

21. In compliance of RBI letter no.DB.R.No. BP.13018/ 21.04.048/2015-16 dated 12.04.2016 the Bank has made provision of ₹74.89 crores at 7.5% on outstanding advance to food consortium (Govt. Of Punjab) as on 31.03.2016, while the account is continued to be classified as standard. Balance provision at 7.5% on outstanding advance to Food consortium (Govt. Of Punjab) will be made in June quarter of next financial year the aforesaid.

22. शिकायतों का प्रकटन
क) ग्राहक शिकायतें

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) वर्ष के आरंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	92	140
ii) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14930	11235
iii) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	14849	11283
iv) वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	173	92

(ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
ii) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित, निर्णयों की संख्या	शून्य	1
iii) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	1
iv) वर्ष के अंत में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

23. चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटन

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबन्ध वर्ग के मतानुसार विगत में, चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व निर्धारित नहीं किए गए हैं और वे अभी भी बकाया हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	2573	4631
2 वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	2184	2561
3 वर्ष 2015-16 के दौरान परिपक्व हुए/रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	2237	4619
4 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	2520	2573

24. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां भी जरूरी हैं, पुनःसमूहित/पुनः व्यवस्थित/पुनः संरचित किए गए हैं।

22. DISCLOSURES OF COMPLAINTS
(A) Customer Complaints

	Current Year	Previous Year
i) No. of complaints pending at the beginning of the year	92	140
ii) No. of complaints received during the year	14930	11235
iii) No. of complaints redressed during the year	14849	11283
iv) No. of complaints pending at the end of the year	173	92

(B) Awards passed by the Banking Ombudsman

	Current Year	Previous Year
i) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
ii) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	NIL	1
iii) No. of Awards implemented during the year	NIL	1
iv) No. of unimplemented Awards at the end of the year	NIL	NIL

23. DISCLOSURE OF LETTER OF COMFORTS

The Bank issues Letter of Comforts (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:-

(₹ in crores)

	Current Year	Previous Year
1 Letter of comforts outstanding as on 01.04.2015	2573	4631
2 Letter of comforts issued during the year 2015-16	2184	2561
3 Letter of comforts matured/ cancelled during the year 2015-16	2237	4619
4 Letter of comforts outstanding as on 31.03.2016	2520	2573

24. Previous year's figures have been re-grouped/re-arranged/recast wherever considered necessary

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सदस्य

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ("बैंक") की 31 मार्च, 2016 की संलग्न वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च, 2016 के तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1246 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे में ऐसी 1085 शाखाओं की विवरणियों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं होनी थी। ऐसी अलेखापरीक्षित शाखाओं में 4.75% अग्रिम, 19.25% जमाशियां, 28.71% ब्याज आय तथा 21.13% ब्याज व्यय है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबन्ध वर्ग की जिम्मेदारी

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है, लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्दिष्ट लेखा मानक में निर्धारित मान्यता तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश एवं जारी परिपत्र और माप सिद्धांतों के साथ भारत में स्वीकार किए जाते हैं और ये बैंक में लागू हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण, जो मिथ्याकथन चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो गलती के कारण, से मुक्त है, को तैयार करने से संबंधित डिजाइन व आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा रख-रखाव करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणियों पर अपने अभिमत प्रकट करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा इस प्रकार से लेखा परीक्षा करने की योजना बनायें कि हमें यह विश्वास हो कि वित्तीय विवरणियां भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं या नहीं।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणियों में भौतिक निष्पादन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलती के, से जुड़े जोखिमों का आकलन शामिल है। इस

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Oriental Bank of Commerce

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of **Oriental Bank of Commerce ("the Bank")** as at 31st March, 2016, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Profit & Loss account, and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1246 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1085 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.75% of advances, 19.25% of deposits, 28.71% of interest income and 21.13% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, accounting principles generally accepted in India alongwith recognition and measurement principles laid down in the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and guidelines and circulars issued by Reserve Bank of India from time to time. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal

जोखिम आकलन के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों को डिजाइन करने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार करने तथा उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करना है। लेखापरीक्षा में प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त है।

अभिमत

6. हमारे अभिमत में, बैंक की लेखा पुस्तकों में दिखाए अनुसार, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार –
 - (i) लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक पूर्ण एवं सही तुलन-पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2016 तक के बैंक के कार्यों का सही-सही चित्र भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके।
 - (ii) लेखा टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, निहित वर्ष के लाभ के वास्तविक शेष को भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दर्शाता है, तथा
 - (iii) नकद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह का सही एवं स्पष्ट चित्र दर्शाती है।

विशेष ध्यान दी जाने वाली बातें

7. हम 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय विवरणी की अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 9(सी) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें कुछ गैर निष्पादित आस्तियों की बिक्री से आई कमी के स्थान के संबंध में है। 31 मार्च, 2016 को कुल गैर परिशोधित शेष ऋण ₹40.33 करोड़ है।

उक्त मामले के संबंध में हमारे अभिमत प्रमाणित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुक्रम में तैयार किए गए हैं।
9. उक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा यथापेक्षित और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us –
 - (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2016, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

7. We draw attention to Note No. 9 (c) of Schedule 18 to the financial statements in respect of deferment of shortfall arising from sale of certain non performing assets during the year ended 31st March, 2016. The total unamortised balance as on 31st March, 2016 is Rs. 40.33 Crores.

Our opinion is not qualified in respect of the above stated matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory:

- (ख) बैंक के जो कारोबार हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तथा
- (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ समुचित पाया गया है।

10. अग्रतर हम यह प्रस्तुत करते हैं कि:

- (क) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखे का निपटान खाता बहियों एवं विवरणियों के साथ किया गया है;
- (ख) हमें शाखा कार्यालयों से प्रेषित लेखा विवरणियों को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत लेखा परीक्षित किया गया है तथा इस रिपोर्ट को हमारे द्वारा ठीक प्रकार से निपटान किया गया है;
- (ग) हमारे अभिमत के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार है।

- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank: and
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10 We further report that :

- (a) The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- (b) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- (c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते बाफना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003660सी

कृते लुनावत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000629एन

कृते वी. के. ढींगरा. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन

कृते सुदित के पारीख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 110512 डब्ल्यू

कृते वी. के. लढा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002301सी

For A Bafna & Co.
Chartered Accountants
FRN 003660C

For Lunawat & Co.
Chartered Accountants
FRN 000629N

For V. K. Dhingra & Co.
Chartered Accountants
FRN 000250N

For Sudit K. Parekh & Co.
Chartered Accountants
FRN 110512W

For V. K. Ladha & Associates
Chartered Accountants
FRN 002301C

(अनिल बाफना)
भागीदार
सदस्य सं. 071288

(रमेश कु. भाटिया)
भागीदार
सदस्य सं. 080160

(विपुल गिरोत्रा)
भागीदार
सदस्य सं. 084312

(दुर्गाप्रसाद एस. खत्री)
भागीदार
सदस्य सं. 016316

(वी. के. लढा)
भागीदार
सदस्य सं. 071501

(Anil Bafna)
Partner
M. No. 071288

(Ramesh K. Bhatia)
Partner
M. No. 080160

(Vipul Girotra)
Partner
M. No. 084312

(Durgaprasad S. Khatri)
Partner
M. No. 016316

(V K Ladha)
Partner
M. No. 071501

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 11 मई, 2016

Place : Gurgaon
Date : 11th May, 2016



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणी

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

		(₹ हजार में / ₹ in thousands)	
		31.03.2016	31.03.2015
क.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A.	Cash flow from operating activities		
I	कर पश्चात् निवल लाभ Net Profit after Tax	156,07,82	497,07,53
	कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर को घटाकर) Provision for Tax (Net of deferred Tax)	169,76,42	137,69,82
	कुल (I) / Total (I)	325,84,24	634,77,35
II	समायोजन हेतु / Adjustment for		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि घटाकर) Depreciation on Fixed Assets (Net of Revaluation Reserve)	155,85,74	169,05,52
	स्तरिय आस्तियों के प्रति प्रावधान Provision against Standard Assets	-1,80,00	318,00,00
	एनपीए अग्रिमों हेतु प्रावधान Provision for NPA advances	3608,75,17	1991,25,99
	अन्य प्रावधान Other Provisions	-250,72,52	1283,03,56
	गौण ऋणों पर ब्याज Interest on subordinate Debts	546,32,69	417,54,05
	व्ययों का परिशोधन Amortisation of Expenses	0	0
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि Profit/Loss on Sale of Fixed Assets	-10,31,68	-8,39
	कुल (II) / Total (II)	4048,09,40	4178,80,73
	परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालनपरक लाभ कुल (I)+(II) Operating Profit before changes in Operating Assets & Liabilities Total (I)+(II)	4373,93,64	4813,58,08
III	परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन Changes in Operating Assets & Liabilities		
	विनिधान में कमी / वृद्धि Decrease/Increase in Investments	2730,86,87	-7309,69,25
	अग्रिमों में कमी / वृद्धि Decrease/Increase in Advances	-7227,43,89	-8172,72,14
	जमा में कमी / वृद्धि Decrease/Increase in Deposits	4905,12,10	10520,73,52
	उधारों में कमी / वृद्धि Decrease/Increase in Borrowings	352,40,08	-2818,59,47
	अन्य आस्तियों में कमी / वृद्धि Decrease/Increase in Other Assets	-5659,30,53	-60,98,84
	अन्य देयताओं व प्रावधान में कमी / वृद्धि Decrease/Increase in Other Liabilities & Provisions	-347,06,87	-552,28,75
	कुल (III) / Total (III)	-5245,42,24	-8393,54,93

परिचालनों से सृजित नकदी

Cash generated from Operations

प्रदत्त कर (वापसी को घटाकर)

Tax Paid (Net of Refund)

-544,35,52

-574,08,28

परिचालनपरक कार्यकलापों से निवल नकदी कुल (क)

Net Cash from Operating Activities Total (A)

-1415,84,12

-4154,05,13

ख. निवेशपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह

B. Cash flow from Investing Activities

अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री कर को घटाकर)

Purchase of Fixed Assets (Net of Sales)

-210,51,62

-295,23,16

कुल(ख)/Total (B)

-210,51,62

-295,23,16

ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह

C. Cash Flow from Financing Activities

शेयर पूंजी जारी करना

Issue of Share Capital

21,54,88

0

शेयर प्रीमियम

Share Premium

156,85,34

0

शेयर आवेदन राशि आवंटन से पूर्व

Share application money pending allotment

300,00,00

0

जारी किए गए गौण बॉण्ड

Subordinate Bonds issued

1000,00,00

1500,00,00

गौण बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज

Interest paid on Subordinate Bonds

-546,32,69

-417,54,05

लाभांश/अंतरिम लाभांश/लाभांश पर कॉरपोरेट कर का भुगतान

Payment of Dividend/interim Dividend/Corporate Tax on Dividend

-119,09,40

-126,29,09

कुल (ग)/Total (C)

812,98,13

956,16,86

घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)

D. Net Changes in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)

-813,37,61

-3493,11,43

वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य

Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year

10775,80,55

14268,91,98

समाप्त वर्ष में नकदी एवं नकदी समतुल्य (वित्तीय विवरणी की अनुसूची 6 एवं 7 के अनुसार)

Cash & Cash Equivalents at the end of the year

9962,42,94

10775,80,55

(As per Schedules 6 & 7 to the financial statements)

Note: 1. सभी ऋणात्मक (–) आंकड़े, अचल आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर, जिसे परिचालनपरक आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालनपरक लाभ निकालने के लिए हिसाब में लिया गया है, "नकदी बाह्य प्रवाह" को दर्शाते हैं।

All figures in minus represents 'Cash out-flow', except profit on sale of fixed assets, considered to arrive at operating profit before changes in operating assets and liabilities.

2. भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालनपरक कार्यकलापों से सृजित माना गया है और इन्हें निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों के मध्य विभाजित नहीं किया गया है।

Direct taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing & financing activities.

महेश धवन
उप महाप्रबंधक (लेखा)
Mahesh Dhawan
Dy. General Manager (Accounts)

सीएच एसएस मल्लिकार्जुन राव
महाप्रबंधक (लेखा) एवं सीएफओ
CH SS Mallikarjuna Rao
General Manager (Accounts) & CFO

राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Rajkiran Rai G.
Executive Director

अनिमेश चौहान
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Animesh Chauhan
Managing Director & CEO



लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुडगांव के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है। उक्त विवरण बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और हमारी 11 मई, 2016 की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत बैंक के तदनुरूपी लाभ एवं हानि लेखा और तुलनपत्र पर आधारित है और इसके अनुरूप है।

AUDITORS' CERTIFICATE

We have examined the above Cash-flow Statement of the Oriental Bank of Commerce, Gurgaon for the year ended 31st March, 2016. The statement has been prepared by the Bank in accordance with the requirements of listing agreement clause 32 with stock exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our report dated 11th May, 2016.

कृते बाफना एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 003660सी

कृते लुनावत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000629एन

कृते वी. के. ढांगरा. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000250एन

कृते सुदित के पारीख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 110512 डब्ल्यू

कृते वी. के. लढा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002301सी

For A BAFNA & CO.
Chartered Accountants
FRN 003660C

For LUNAWAT & CO.
Chartered Accountants
FRN 000629N

For V.K. DHINGRA & CO.
Chartered Accountants
FRN 000250N

For SUDIT K. PAREKH & CO.
Chartered Accountants
FRN 110512W

For V.K. LADHA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002301C

(अनिल बाफना)
भागीदार
सदस्य सं. 071288

(रमेश कु. भाटिया)
भागीदार
सदस्य सं. 080160

(विपुल गिरोत्रा)
भागीदार
सदस्य सं. 084312

(दुर्गाप्रसाद एस. खत्री)
भागीदार
सदस्य सं. 016316

(वी. के. लढा)
भागीदार
सदस्य सं. 071501

(Anil Bafna)
Partner
M. No. 071288

(Ramesh K. Bhatia)
Partner
M. No. 080160

(Vipul Girotra)
Partner
M. No. 084312

(Durgaprasad S. Khatri)
Partner
M. No. 016316

(V K Ladha)
Partner
M. No. 071501

स्थान : गुडगांव
दिनांक : 11 मई, 2016

Place : Gurgaon
Dated : 11th May, 2016

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001
प्रॉक्सी फार्म : ख
(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	

मैं/हम.....राज्य.....जिले..... का/के निवासी, **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** का/के शेयरधारक होने के नाते, गुरुवार 23 जून, 2016 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में होने वाली बैंक के शेयरधारकों की **वार्षिक आम बैठक** में और इसके किसी स्थगन पर मेरी/हमारी और मेरे/हमारे लिए मतदान करने हेतु मेरी/हमारी/प्रॉक्सी के रूप में श्री/श्रीमती..... निवासी..... जिला..... राज्य..... को और उनके ऐसा न करने पर श्री/श्रीमती..... निवासी..... जिला..... राज्य..... को एतद्वारा नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

दिनांक, 2016 को हस्ताक्षरित

कृपया रेवेन्यू
स्टैम्प चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम धारक/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश

1	कोई प्रॉक्सी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश क. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा किया जाएगा।
	ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
	ग. निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत इसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा प्रपत्र ख में होगा तथा विधिवत् मुहरयुक्त होगा।
2	प्रॉक्सी प्रपत्र, किसी भी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होगा, जो किसी भी कारण से अपना नाम नहीं लिख सकता/सकती है, यदि उसकी टिप्पणी लगी हुई हो तथा उसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
3	प्रॉक्सी के साथ
	क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा
	ख. उस मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति, जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले शनिवार 18 जून, 2016 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे अथवा इससे पहले ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय में जमा करवाया जाए।
4	प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फार्म बी में नहीं होगा तथा विधिवत् मोहर लगा ना होगा।
5	बैंक के पास जमा प्रॉक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा।
6	यदि प्रॉक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्रॉक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7	जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस सामान्य वार्षिक बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
8	कोई व्यक्ति ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है।
9	प्रॉक्सी प्रपत्र में सभी संशोधन पूर्णतः अधिप्रमाणित होंगे।



Oriental Bank of Commerce

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

PROXY FORM - B

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	

I / Weresident/s of in the district of in the state of being a shareholder / shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri / Smt. resident of in the district of in the state of or failing him / her, Shri / Smt resident of in the district of in the state of as my / our proxy to vote for me / us on my / our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Thursday, June 23, 2016 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Delhi-110016 and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of.....2016

**Please affix
Revenue Stamp**

Signature of Proxy Signature of First holder / Sole holder

Name _____

Address _____

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1.	No instrument of proxy shall be valid unless
	a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
	b. in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing,
	c. in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing, and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy, shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to right his/her name, if his/her remark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalized Bank.
3.	The proxy together with
	a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
	b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office or Corporate Office of Oriental Bank of Commerce, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Saturday, the 18 th of June, 2016.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and fully stamped.
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the AGM to which such instrument relates.
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of ORIENTAL BANK OF COMMERCE.
9.	All alterations in the proxy Form shall be fully authenticated.

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
 प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

उपस्थिति पत्रक

(इसे परिसर में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक : 23 जून, 2016 समय : प्रातः 10.00 बजे स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)	(यदि शेयर अमूर्त है)
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

मैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, पीएचडी हाउस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में 23 जून, 2016 को बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक आम बैठक में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
--

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
 प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव - 122001
 प्रवेश-पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

दिनांक : 23 जून, 2016 समय : प्रातः 10.00 बजे स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)	(यदि शेयर अमूर्त है)
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे परिसर में प्रवेश करते समय प्रवेश पत्र के साथ उपरोक्त उपस्थिति पर्ची को विधिवत् हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत करें जो बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप हो। प्रवेश जांच एवं पूछताछ पर निर्भर है या जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक हॉल में प्रवेश के लिए डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास जारी नहीं किया जाएगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
 प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव - 122001
 (इसे मतपत्र जारी करने हेतु मतदान काउंटर पर प्रस्तुत किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)	(यदि शेयर अमूर्त है)
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	



Oriental Bank of Commerce
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : June 23, 2016 Time : 10.00 a.m. Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID and Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder	(IN BLOCK LETTERS)		
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Authorised representative present			

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank held on June 23, 2016 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Delhi-110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	
--	--



Oriental Bank of Commerce
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 23, 2016 Time : 10.00 a.m. Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID and Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder	(IN BLOCK LETTERS)		
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Authorised representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representatives are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballet Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



Oriental Bank of Commerce
Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001
 (To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID and Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder	(IN BLOCK LETTERS)		
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Authorised representative present			



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce



GO GREEN
GO DIGITAL

Banking@willTM

Anytime Anywhere

...the convenient way

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है



Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)

Where every individual is committed



Corporate Office
Plot No. 5, Sector - 32, Institutional Area, Gurgaon, Haryana
www.obcindia.co.in

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है



Oriental Bank of Commerce

(A Government of India Undertaking)

Where every individual is committed